खण्ड-359, अंक-9
बुधवार, 27 माघ, शक संवत् 1904
(16 फरवरी, 1983 ई0)

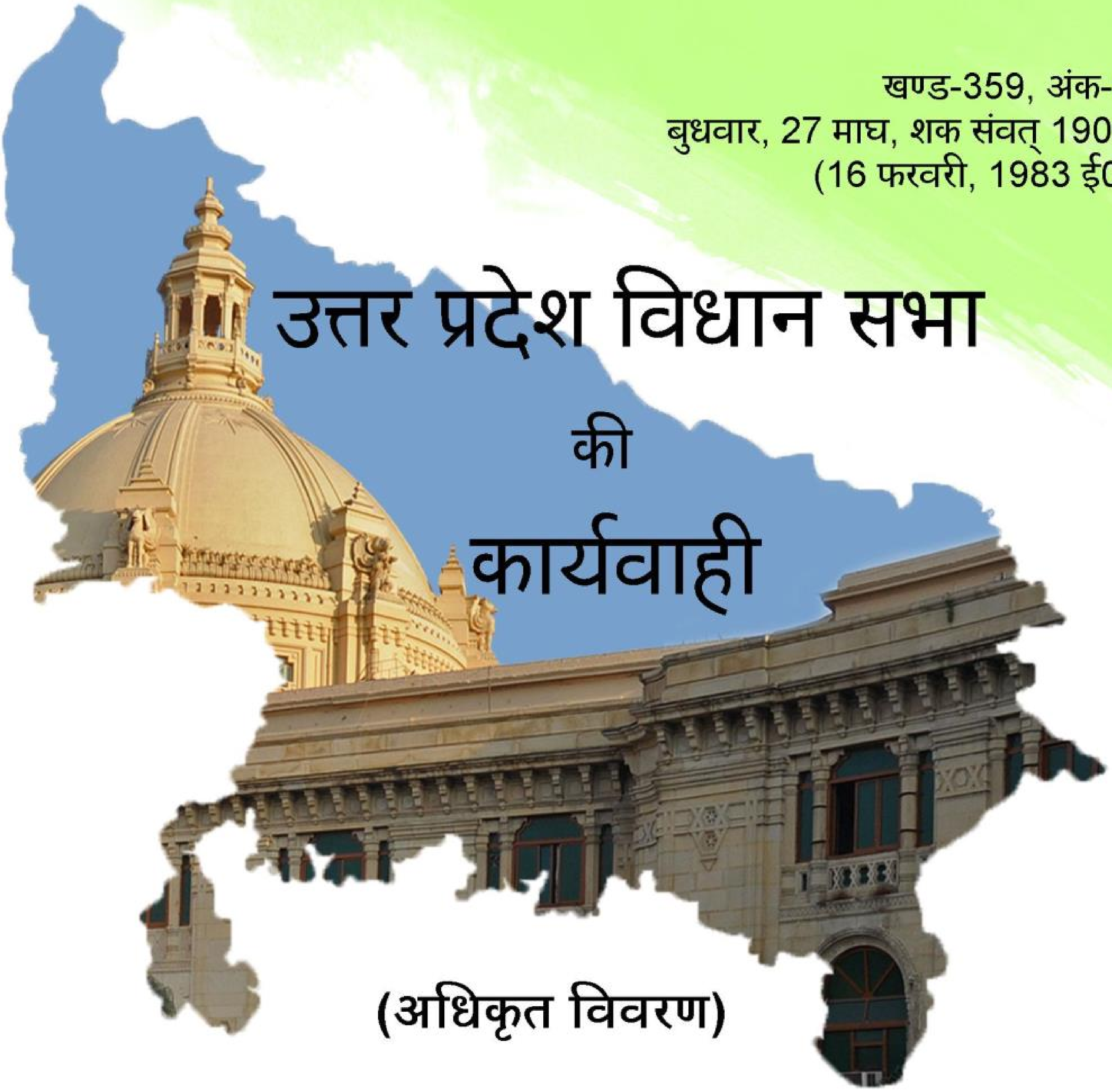

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1151
प्रश्नोत्तर	...	1157
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		1228
लखनऊ हरदोई मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों से असमाजिक तत्वों द्वारा जबरन बेगारी वसूली किये जाने के सम्वन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1228
आगरा जिले के सिकन्दरा रजवाहा के टूटने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1229
पेशावर काण्ड के अमर सेनानी बीर चन्द सिंह गढ़वाली की सम्पत्ति की सरकार द्वारा नीलामी से जनता में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1230
गोमती आवास योजना, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले गांव के निवासियों के समक्ष शौचालय आदि के संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1230
जनपद इलाहाबाद के झूसी निर्वाचन क्षेत्र के गांव समाज की जमीन का फर्जी इन्द्रराज और अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1231
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया।) सदस्यों की रिहाई की सूचनाएं	....	1231
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा व उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड व चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड हेतु सदस्यों के चुनाव हेतु वैद्य पाये गये नामों की सूचना	....	1232
श्री राजमंगल पाण्डेय के द्वारा दल परिबर्तन की सूचना	....	1234
दिनांक 15-2-82 के तारांकित प्रश्न संख्या—12 के उत्तर से सम्बन्धित अन्तरिम रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	....	1234
दिनांक 22 जनवरी, 1982 को श्री राम आसरे बर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना	....	1235

दिनांक 22 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या—24 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना 1236

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन विधेयक 1983 (पुनः स्थापित किया गया) 1236

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) 1237

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव 1242

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 1243

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (जारी) 1249

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के पश्चात् सदन में बैठने पर व्यवस्था का प्रश्न 1250

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 1251

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन की समाप्ति का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1252

वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक पर समान्य चर्चा (जारी) 1253

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1285

लखनऊ स्थित जवाहर भवन में एक सब-इन्सपेक्टर द्वारा रिटायर्ड जज को पीटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1286

इटावा और मुरादाबाद जनपद में कई व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा 1291

नत्थियाँ 1313

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—368

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)

गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)

बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)

राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)

सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह श्री (बहराइच)
सुमन लता, दीक्षित श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हंर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

विधान सभा सचिवालय, पटना

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 16 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ में जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) के पद हेतु चयन

***1– श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ में टेकनिकल जनरल मैनेजर के सितम्बर, 82 के साक्षात्कार में आटो मोबाइल के इन्जीनियरों को वरीयता नहीं दी गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) वेतनमान रु० 2500-3000 के पद हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 1982 को चयन समिति (प्रथम) की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। इस पद हेतु आटो ट्रैक्टर्स लि० द्वारा विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन में पद के लिए जो शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव दिया गया था वह निम्न प्रकार है—

"मैकेनिकल/आटोमोबाइल/इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में स्नातक के साथ कम से कम 15 वर्ष का आटोमोबाइल/इन्जीनियरिंग/एलाइड इन्डस्ट्री में मुख्यतः प्लानिंग डिजाइन प्रोडक्शन, क्वालिटी कण्ट्रोल के क्षेत्र का अनुभव। साथ ही अभ्यर्थियों ने कम से कम पाँच वर्षों तक वरिष्ठ पद पर कार्य किया हो।"

इस प्रकार जनरल मैनेजर के पद के लिए मैकेनिकल/आटोमोबाइल/इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के किसी भी विषय में स्नातक होने पर और उपरोक्तानुसार अनुभव रखने पर अभ्यर्थी को अर्ह माने जाने की व्यवस्था थी। ओटोमोबाइल इन्जीनियरिंग के लिए विज्ञापन में वरीयता देने का कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु जो अनुभव नियत किया गया था, उसमें प्लानिंग, डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कण्ट्रोल के क्षेत्र में अनुभवधारी की माँग की गयी थी और पद की उपयुक्तता एवं उसके कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए थी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ में टेकनिकल जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, वेतनमान 2500-3000 पद हेतु 14 सितम्बर, 1982 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो प्रथम बैठक वहाँ पर हुई थी, उसका रिजल्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बैठक की गयी और बैठक में तीन व्यक्तियों का एक पैनेल तैयार किया गया था।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

लेकिन जो चयन समिति की बैठक हुई, उसके 6 महीने करीब हो रहे हैं और उस फैक्ट्री में दो साल से अधिकारी नहीं है पर वहाँ पर अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गयी है ? मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नुकसान हो रहा है और यदि नुकसान नहीं हो रहा है तो वहाँ पर अधिकारी रखने की आवश्यकता ही क्या

है ? तो यह जो चयन समिति बैठी थी, उसका रिजल्ट 6 महीना पूरा हो जाने पर निकला हैं या नहीं निकला है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें सेलेक्शन हो गया है और जो व्यक्ति सेलेक्ट किया गया, उसकी नियुक्ति के आदेश चले गये हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

जिनका चयन हो गया है, उन्होंने उस रद पर कार्य करना शुरू कर दिया है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

15 जनवरी, 83 को शासन से इनकी नियुक्ति के आदेश भेजे गये हैं, लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जैसा टेकनिकल पोस्टों के लिए प्रायः होता है यह कुछ और बातें या शर्तें रखना चाहते हैं। अब इनसे ज्वाइन करने को कहा गया है और यदि यह ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो शेष दो व्यक्ति पैनेल में शेष हैं उनमें से एक को इस पद के लिए मौका दिया जाएगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, प्रोडक्शन के हित को सामने रखते हुए इसी तरह से जब पहले चयन समिति ने सेलेक्शन किया था, तब भी उस चुने हुए व्यक्ति ने वहाँ पर नहीं ज्वाइन किया था। मान्यवर, यह सेलक्शन किये हुए एक महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि अमुक तारीख तक वह अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को अवसर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसा ही किया जायगा। अगर वह एक निश्चित तिथि तक नहीं ज्वाइन करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को अवसर दे दिया जायगा।

कल्याणपुर रेली हत्याकाण्ड के अभियुक्त श्री गोकरन प्रसाद का निलम्बन तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

***2—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के मशहूर रेली कल्याणपुर हत्याकाण्ड के अभियुक्त श्री गोकरन प्रसाद अवस्थी जो उसी सिलसिले में जेल में रायबरेली दिनांक 12 अक्टूबर, 80 से 13 जनवरी, 81 तक बन्द भी रहे तथा वर्तमान में तृतीय उप खण्ड रायबरेली सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव के अन्तर्गत उप-खण्डीय लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, को निलम्बित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध विभाग द्वारा अब कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गोपालराम दास)—

जी हाँ। कल्याणपुर रेली हत्याकाण्ड के अभियुक्त श्री गोकरन प्रसाद अवस्थी दिनांक 13-12-80 से 9-1-81 तक बन्दी रहे।

श्री अवस्थी को 13-12-80 से निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हत्या किस तारीख को हुई और निलम्बन आदेश श्री गोकरन प्रसाद अवस्थी का किस तारीख को निर्गत किया गया, तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही किस स्तर पर चल रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 13-12-80 से 9-1-81 तक वह बन्दी रहे। मान्यवर, जब यह निलम्बन हुआ, नियम यह है कि अनुच्छेद 1—ए(2)(1) के अनुसार कोई व्यक्ति 48 घंटे से अधिक समय तक बन्दी रहता है, तो उसे निलम्बित समझा जाता है। तो मान्यवर, ये निलंबित समझे गये और इनका निलंबन कर दिया गया।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, यह तो अनुच्छेद के माध्यम से निलम्बन हुआ मान लिया। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि निलंबन आदेश किस तिथि को निर्गत हुआ ? मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उनके बन्दीकरण के बावजूद भी उनको उनके उच्चाधिकारी प्रश्रय दे रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि निलंबन, यह जब जानकारी हुई, यह जो व्यक्ति थे अवस्थी, इन्होंने इस पीरियड की छुट्टी ली थी, इन्होंने बताया नहीं था और कोई जानकारी नहीं दी थी, अपने बन्दीकरण की और इन्होंने जो छुट्टी ले लिया था, वह इन्होंने गलत काम किया था। इन्हें निलम्बित अभी किया गया है और भी जो उन्होंने तथ्य छिपाया और जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाया और छुट्टी लिया, उसके सम्बन्ध में उनके खिलाफ और कार्य-वाही की जा रही है।

***3—श्री राम स्वरूप वर्मा—**

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरदोई जनपद में राजकीय नलकूपों का उर्जीकरण

***4—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा वर्ष के पूर्वार्द्ध में यह आदेश जारी किया गया था कि सारे ट्यूबवेलों को जून, 82 तक ऊर्जीकृत कर दिया जाय ? यदि हाँ, तो जनपद हरदोई में उक्त अवधि के अन्दर कितने ट्यूबवेल ऊर्जीकृत किये गये और कितने नहीं ? जो ऊर्जीकृत नहीं किये गये उसके क्या कारण हैं ?

श्री गोपाल राम दास—

जी नहीं।

30 जून, 1982 तक 8 राजकीय नलकूपों का जनपद हरदोई में उर्जीकरण किया गया था। 31 मार्च, 82 तक भेजे गये बी० एण्ड एल० फार्म में से 15 और राजकीय

नलकूपों का उर्जीकरण कर दिया गया है। शेष 40 नलकूपों का उर्जीकरण करने हेतु राज्य विद्युत परिषद से जोर दिया जा रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर में कहा गया है कि 30 जून, 82 तक 8 राजकीय नलकूपों का जनपद हरदोई में उर्जीकरण किया गया और फिर कहा गया है ३1 मार्च, 82 तक भेजे गये बी० एण्ड एल० फार्म में से 15 और राजकीय नलकूपों का उर्जीकरण कर दिया गया है। तो 31 मार्च, 82 पहले आता है जून, 82 बाद में आता है तो यह बताने का कष्ट करें कि पहले 15 किये गये हैं या 8 किये गये हैं। ३1 मार्च, 82 तक कितने ट्यूबवेल उर्जित होने थे हरदोई में और उसमें से कितनों के बी० एण्ड एल० फार्म विदयुत विभाग को भेजे गये और विद्रयुत विभाग में कितने उर्जित किये ? यदि नहीं किये, तो उसका क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

55 राजकीय नलकूपों के उर्जीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया था। उसमें से 15 का उर्जीकरण कर दिया गया तथा 8 अन्य का उर्जीकरण किया गया। शेष 40 के उर्जीकरण हेतु राज्य विदयुत परिषद पर जोर बिया जा रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, 8–15 तथा 40 यह कुल 63 होते हैं। आपने कहा कि 55 हैं तो दोनों में डिफरेंस है। माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बतायें कि कुल कितने बी० एण्ड एल० फार्म जमा किये गये। कुल कितने ट्यूबवेल उर्जीकृत किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि कुल 63 ट्यूववेल थे जिसमें से 8 ट्यूबवेल उर्जीकृत पहले किये गये। इसलिये इनके बारे में नहीं कहा गया जो शेष हैं उनका जिक्र किया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है इलेक्टिफिकेशन करने के लिये उसमें शायद वर्ल्ड बैंक द्वारा और कारपोरेशन द्वारा जो ट्यूबवेल बनाये गये हैं वह शामिल नहीं हैं। अगर वह शामिल नहीं हैं तो क्या उनको भी इस आदेश के अंतर्गत शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, वर्ल्ड बैंक की योजना अलग है। उसका काम अलग से देखा जाता है उस पर तो हम जोर दे रहे हैं कि जल्दी किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हरदोई जनपद में ट्यूबवेल की बड़ी दुर्दशा है। कहीं पर नालियाँ टूटी हैं और कहीं पानी नहीं पहुंचता है। जिन ट्यूबवेलों को उर्जीकृत किया गया है उनके उर्जीकरण में विलंब का क्या कारण है और जो बाकी बचे हैं उनको कब तक उर्जीकृत किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, कुछ धन का अभाव भी रहा है प्रयास किया जा रहा है कि 31 मार्च तक पूरा करा दिया जाय।

श्री नरेश चन्द अग्रवाल—

मान्यवर शासन की नीति है कि ट्यूबवेल बोर हो जाय तो 6 महीने के अन्दर उर्जीकृत कर दिया जायगा। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजतक हरदोई में कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जो एक वर्ष से बोर किये पड़े हैं या कितने ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनके बी० एण्ड एल० फार्म विद्युत विभाग में जमा किये जा चुके हैं तथा उनके उर्जीकृत न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, वाद सही है जितना समय ट्यूबवेल बनाकर सिंचाई करने में लगना चाहिये वह 6 महीने का बताया गया हैं। लेकिन मान्यवर धन का अभाव हो जाता है तो कार्य पूरा हो नहीं पाता है। जैसे जैसे धन बढ़ता जायगा उस पर काम करते जायेंगे।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के पहले भाग का संबंध प्रदेश के तमाम ट्यूबवेलों से है। अंतिम भाग हरदोई के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके विभाग के कुल कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जिनका उर्जीकरण होना शेष था जून, 82 तक और कितने ट्यूबवेलों का उर्जीकरण करा दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, वर्तमान वित्त वर्ष में हमने 1106 नलकूपों के उर्जीकरण की योजना बनायी है और हम उसी हिसाब से चल रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में धन के कथित दुरूपयोग की जाँच

***5—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 82 से सितम्बर, 82 तक सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर में निविदा के स्थान पर चयन के आधार पर ऊंचे दरों पर (मूल्य) कार्य सम्पादित कराए गये हैं जिसके कारण लगभग 50 लाख से अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या सरकारी धन के दुरपयोग की जाँच कराने तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं के द्वारा कार्य कराने का सरकार आदेश देगी ?

श्री गोपाल रामदास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहती हूं कि, 5 अक्तूबर को यह प्रश्न शासन को भेजा गया और चार मास से अधिक का समय बीत गया, तो इसमें सरकार को केवल इतना पता लगाना है कि टैंडर हुआ कि नहीं ? मान्यवर इसमें सरकार तथ्यों का पता न लगाकर, भ्रष्टाचार को छुपा रही है। तो माननीय मंत्री जी पूरे तथ्यों की जानकारी कब तक दे देंगे 9

श्री वीर बहादुर सिंह—

पूरा उत्तर आ नहीं सका है। अगले बुधवार को इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

मंझरिया स्केप को जल बाँसी नदी में बहाये जाने से कटाव को रोक-थाम

*6—**श्री ध्रुप राय—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तह० पडरौना क्षेत्र से बाँसी के अन्तर्गत जब से मंझरिया स्केप का जल बाँसी नदी में बहाया जा रहा है तब से निरन्तर 15 कि० मी० तक कटाव हो रहा है ? इससे सैकड़ों गाँव प्रभावित हैं ? यदि हाँ, तो इसे अविलम्ब रोकने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री गोपाल रामदास—

मंझरिया स्केप, बाँसी नदी के 15 कि० मी० पर गिरती है। बाँसी नदी नीचे जाकर बड़ी गंडक नदी में गिरती है, इस रीच में सन 1979 से कहीं-कहीं पर बाँसी नदी अपने किनारों को काट रही है। इसके विस्तृत सर्वेक्षण कार्य हो रहे हैं। कटाव रोकने के लिए जहाँ आवश्यकता होगी प्रोजेक्ट बनाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री ध्रुप राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कार्य कब से चालू हुआ है और इसे कब तक पूरा किया जायगा और इसके अन्तर्गत कटाव रोकने सम्बन्धी कार्यवाही कब से चालू की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 1979 से यह कटान हो रहा है। इसका सर्वेक्षण करीब 2 साल हुए हो चुका है। इस सम्बन्ध में बजट बनाया जा रहा है। उसमें जो भी फारमेलिटीस हैं, उसको पूरा करने के बाद, जैसे ही धन का प्राविजन हो जायेगा, उसको किया जायेगा।

श्री ध्रुप राय—

मान्यवर, मंझरिया स्केप के पानी से बाँसी नदी में जो कटान हो रहा है, उससे गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन का हुआ है। तो, क्या माननीय मंत्री जी वहां एक पीपे का पुल बनवाने का कष्ट करेंगे, जिससे गन्ने का ट्रांन्सपोर्टेशन हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, पीपे का पुल बनाने का प्राविजन नहीं है।

म० इन्साब आटो लिमिटेड की सण्डीला में लगने वाली फैक्ट्री के अंशधारियों के शेयर मनी वापस कराने की माँग

*7 **श्री रूपराम दिनकर—**

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1974-75 में जनपद हरदोई के सण्डीला कस्बे में स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया में इन्साब आटो लिमिटेड नामक फैक्ट्री स्थापित हुई थी और वर्ष 1978 से उक्त फैक्ट्री के मालिक अंशधारियों को बिना पूर्व सूचना दिये फरार हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अंशधारियों के शेयर-मनी को अविलम्ब दिलाने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मे० इन्साब आटो लि०, कलकत्ता ने मोटरगाडियों का कारखाना लगाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर से संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ भूमि आवंटित कराई थी। कम्पनी को भूमि का पट्टा वर्ष 1974 में निष्पादित किया गया था। कम्पनी ने न तो निगम के देयों का भुगतान ही किया और न ही आवंटित भूमि पर कोई फैक्ट्री ही स्थापित की। इसलिए यह पट्टा वर्ष 1981 में रद्द कर दिया गया। कम्पनी के मालिकों के फरार होने की सूचना शासन को नहीं है और न ही अंशधारियों को शेयर मनी उपलब्ध कराने का दायित्व ही शासन का है।

इलाहाबाद के लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड का स्थानान्तरण

*8—**श्री रेवती रमण सिंह** (अनुपस्थित)

तथा

श्री मुख्तार अनीस (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद की लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड में सिंचाई कार्यों की अधिकता होने के बावजूद भी बरेली जनपद को स्थानान्तरित किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? उक्त खण्ड में कार्यरत कर्मचारियों को मध्य सत्र में अव्यवस्थित करने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपाल राम दास—

जनपद इलाहाबाद के लिफ्ट सिंचाई खण्ड को नहीं बल्कि लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड को बरेली स्थानान्तरित करने के आदेश दिनांक 12-7-82 को जारी किये गये थे परन्तु उक्त आदेश को संशोधित करके प्रश्नगत खंड को बरेली के बजाय हल्द्वानी में स्थापित करने के आदेश दिनांक 17-1-83 को जारी किये गये हैं।

यह स्थानान्तरण विभिन्न खंडों को कार्यभार के आधार पर पुनर्गठित करने के फलस्वरूप कार्यहित में किया गया है।

देवरिया जिले में महेन गाँव के पास राप्ती नदी से कटान रोकने की योजना

*9—**श्री मोहन सिंह—**

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बरहज विकास खण्ड में महेन गाँव के पास राप्ती नदी में कटाव हो रहा है ? यदि हाँ, तो उस कटान की

रोकने हेतु शासन की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसके लिए कौन सी वित्तीय व्यवस्था की गयी है ?

श्री गोपाल राम दास—

जी हाँ ।

कटान को रोकने हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा योजना बनाई जा रही है। योजना पर मुख्य अभियंता समिति तथा राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के पश्चात आवश्यक धनराशि मिलने पर स्थल पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कटाव हो रहा है और कटाव से रक्षा की योजना बनाई जा रही है ? इस योजना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी । क्या उस गाँव के कटने से पूर्व यह योजना क्रियान्वित कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सर्वे करा लिया गया है । टी० ए० सी० को जाना है । पूरी फारमेल्टी को पूरा करके गाँव को कटने से बचाने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

अनुमानित लागत कितनी है ? टी० ए० सी० को भेजा है तो उस पर अनुमानित लागत कितनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी योजना पर लागत का अनुमान नहीं है क्योंकि इसको पूरे तौर पर देखना है । सर्वे करा लिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सिंचाई विभाग का जो प्रोसीजर है उसमें जिले से प्रपोजल आती है चीफ इन्जीनियर की कमेटी उसको एप्रूव करती है और उसके बाद वह टी०ए०सी० कमेटी को जाती है । इस प्रकार दो साल का समय कम से कम लग जाता है । क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसमें कम समय लगे और एक साल सैलाब आने के बाद दूसरे सैलाब आने के पहले योजना पूरी की जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रोसीजर लम्बा नहीं है । सर्वे होने के बाद टी० ए० सी० देखती है जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको गंगा कण्ट्रोल बोर्ड देखता है फिर वह प्लानिंग कमीशन में जाता है । मोहन सिंह ने जिस योजना की बात कही है वह बहुत छोटी योजना है वह टी० ए० सी० से ही फाइनल हो जायगी ।

श्री मोहन सिंह—

पिछले सत्र में मैंने प्रश्न किया था और पुनः इसको पुनर्जीवित किया। मन्त्री जी कह रहे हैं कि प्रोसीजर लम्बा नहीं है। एक वर्ष से अधिक हो गया अभी टी० ए० सी० को नहीं गया तो मैं किस आधार पर मान लूं कि प्रोसीजर लम्बा नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कितने दिनों में इस योजना को क्रियान्वित करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोशिश करूंगा कि 3 महीने के अन्दर फारमेल्टी पूरी कर ली जाय।

शारदा सहायक नहर के निर्माण के लिए ली गयी आजमगढ़ के ग्राम बहादुरपुर के किसानों की भूमि का मुआवजा

***10—श्री पंचानन राय—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरहपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के किसानों की शारदा सहायक नहर के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा केवल बारह हजार रुपया प्रति एकड़ दिया जा रहा है जबकि इसके पूरब ग्राम खांड तथा पश्चिम ग्राम लचई में मुआवजे की दर बीस हजार रुपया प्रति एकड़ से बाइस हजार रुपया प्रति एकड़ है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री गोपाल राम दास—

जी नहीं। ग्राम बरहपुर में भूश्रेणी रबी 2(8-25) का प्रतिकर मु० 15844-22 रु० रबी 4(5-75) का 11042-94 रु० तथा धान 2(5-25) का 10082-68 रु० प्रति एकड़ दिया गया है।

ग्राम लुचुई में भूश्रेणी रबी 4(5-75) का मु० 16194-44 रु० प्रति एकड़ दिया गया है। तथा ग्राम खांड में भूश्रेणी रबी 3(7-00) का मु० 16908-22 रु०, रबी 4(4-50) का मु० 10869-57 रु० प्रति एकड़ की दर से दिया गया है।

ग्राम बरहपुर के किसानों को रु० 11042-94 प्रति एकड़ की दर से नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है।

श्री मुख्तार अनीस—

रफी अहमद किदवई और रफी में कोई अन्तर नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

बड़े मन्त्री जी से पढ़वा दीजिये क्यों सरकार की तस्वीर धूमिल करा रहे हैं ?

श्री ऊदल—

क्यों सरकार की छवि धूमिल करवा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, दुबारा पढ़वा दीजिये, कुछ भी समझ में नहीं आया।

(हँसी)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, एक तो दिक्कत यह हो गयी कि मंत्री जी के विभाग ने सवाल के उत्तर को इतना तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया, फिर भी मैं प्रश्न पूँछूगा। दूसरा जो उत्तर पढ़ा गया उसे कोई समझ न सका, तो दूसरे लोग सवाल कैसे पूँछेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

एक सदस्य—

ऐसा पढ़ा गया कि सारे सदन में हंगामा होता रहा तो क्या मंत्री जी इसे फिर से पढ़ेंगे·····

(हँसी/व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आज का संरक्षण चाहता हूं। सवाल आसान था। लेकिन पढ़ा ऐसा गया। मान्यवर,····

श्री अध्यक्ष—

आपके पास जवाब की कापी आ गयी होगी। आप प्रश्न कीजिये

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जब यह सदन में आ गया तो सारे सदन की प्रापर्टी बन गया। सवाल पूछने का मेरा ही नहीं बल्कि सारे सदन का अब अधिकार है। सारा सदन शोर कर रहा था। तो मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि मुझे ही पूरक प्रश्न करना है या बाकी लोग भी प्रश्न करेंगे ?···

(हँसी/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में व्यवस्था नहीं होती। फिर भी मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी इसे पुनः पढ़ दें।

(हँसी/व्यवधान/तालियाँ)

श्री राम आसरे वर्मा—

अभी मान्यवर, एक सुधार कर दिया जाय। बड़े मन्त्री जी से पढ़वा दिया जाय

(हँसी/व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दुबारा सिंचाई राज्य मन्त्री

श्री गोपाल राम दास द्वारा पढ़ा गया)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट था। उत्तर तोड़-मरोड़ कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तीनों गाँवों, एक पूरब में है, एक पश्चिम में, एक बीच में, कितनी-कितनी जमीन विभिन्न श्रेणियों की ली गई, कितनी कितनी जमीन है और उसके मुआवजे की दर क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हर गाँव में कितनी जमीन है, इसकी सूचना नहीं है लेकिन जो दर निर्धारित की गयी है वह ग्राम बरहपुर में भू-श्रेणी रबी की दो को रु० 8·25 का प्रतिकर 15844 रुपया किया गया है और रबी की चार श्रेणी है, 5·75 दर है और 11042 रुपया 94 पैसा दिया। धान 2 श्रेणी का है जिसका 5·25 रुपया है और 10082 रुपया 68 पैसा प्रति एकड निर्धारित किया गया है। मान्यवर, भूमि की कई श्रेणियाँ हैं, कई तरह की भूमि अच्छी भूमि, खराब भूमि, धान की भूमि, रबी की भूमि। जो अच्छी भूमि होगी, उसकी अच्छी कीमत होगी। उसी हिसाब से कर निर्धारित किया जाता है, उसी हिसाब से किया गया है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, हो सकता है जब एक तरह की ही हो। एक गाँव में दूसरे तरह की, दूसरे गाँव में दूसरे तरह की, पूरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल नहीं था, तीन गांव मैंने दिये थे। एक गाँव इस तरफ का, एक गाँव उस तरफ का और एक गाँव बीच का। असल में मुआवजे के निर्धारण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मा० मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वह तीनों गाँवों में फिर से जाँच करा लेंगे क्योंकि मुआवजा निर्धारण में अनियमितता बरती गयी है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो हमारे पास रिपोर्ट है इसमें रजिस्ट्री तीन तरह से हुई थी। जो सबसे ज्यादा रेट है जिस रजिस्ट्री का वही रखा गया है। उसी लिहाज से पैसा मिला है। ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ कर गलत किया गया हो।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, रजिस्ट्री के सम्बन्ध में जिस तरह से नार्म सरकार ने बना रखा है, स्टाम्प ड्यूटी का। क्या मुआवजे में भी उन्हीं नार्मस के आधार पर वही रेट दिलवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रजिस्ट्री कराने का रेट अलग है मार्केट रेट से। जिस तरह जिस भाव से बेचा जाता है, उसको मार्केट रेट कहा जाता है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह—

यही तो सरकार की दोहरी नीति है, इस देश के किसानों की तबाही का कारण। सरकार जब स्टाम्प ड्यूटी लेती है तो बढ़ाकर लेती है, मुआवजा देती है अधूरा। जिस रेट पर स्टाम्प ड्यूटी लेती है, आपने रेट मान रखा है, तो किसानों को उसी रेट में मुआवजा देने में क्या हैजीटेशन है ?....

श्री वीर बहादुर सिंह—

टैक्स का नाम है, इन्हीं नामों से लिया गया हैं। बहुत सी लेंड ऐसी होती हैं जिसमें टैक्सों का एलीगेशन होता है इसको रोकने के लिये किया गया है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि रजिस्ट्री के आधार पर होता है। गांव में लोकल रेट बढ़ाकर दिया, यह भारी भृष्टाचार है। तीन गाँवों के बारे में कहा, एक इस किनारे पर, दूसरा उस किनारे पर और एक बीच में। मैं चाहता हूँ कि क्या मा० मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इसकी जांच करा लेंगे। किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है मुआवजा देने में। मा० मंत्री जी तीन गांवों के बारे में जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नार्म के अन्तर्गत काम होता है। भृष्टाचार की बात हुई नहीं है। मा० सदस्य कहते हैं कि ज्यादती हुई है। मैं जांच करा लूँगा।

श्री ऊदल—

क्या मा० मंत्री जी फिर से तहसीलों से रेट फिक्स करायेंगे। मैं चाहूंगा कि तहसीलों से उस जमीन का वैल्यूएशन कराकर पुनः माननीय मंत्री जी इस मुआवजे को निर्धारित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि एक नियम है, हम किस दूसरे रेट से मुआवजा दें, जो उस नियम में आता है, वह हम करते हैं। दूसरा हमारा जो मार्केट रेट बना हुआ है, उस मार्केट रेट से हम जमीन का मुआवजा देते हैं। इस पर कोई दूसरा नियम बनाने में दिक्कत होगी।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लेटस्ट रुलिंग यह हो गयी है कि सरकार अगर किसी काश्तकार की जमीन खरीदेगी तो उसे मुआवजा बारगेनिंग की बुनियाद पर दिया जायेगा। भले ही काश्तकार और सरकार के बीच बारगेनिंग के आधार पर कोई रेट तय हो, चाहे वह कम हो और चाहे वह ज्यादा हो। क्या सरकार इसे मद्दे नजर रखते हुए कोई फैसला करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी तक जो व्यवस्था है, वह है। माननीय सदस्य ने जो बारगेनिंग की बात की है। कभी--कभी ऐसा होता है कि हमें लैंड जल्दी लेनी है तो उस समय हम आपस में बात--चीत करके तय कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो जनरल नियम है वह यह कि हम पहले लैण्ड एक्वायर करते हैं। बहुत से ऐसे काश्तकार होते हैं जो इस बात पर भी अपनी जमीन जल्दी देने को तैयार नहीं होते हैं। मान्यवर, यदि हम डेवलपमेंट की बात करनी है तो हमें एक माप पर काम चलाना होगा।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से यह लग रहा है कि अभी तक ज़मीन का जो मुआवजा देना तय किया है, वह दिया नहीं गया है लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश की एक--एक ईंच जमीन की किस्म निर्धारित कर दी है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो शासन ने जो भूमि की किस्में निर्धारित की हैं उसके अनुसार मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कई बार बता दिया गया है ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो सर्कुलर रेट हैं । उस आधार पर करते हैं । अगर उस किस्म की भूमि का मार्केट में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उस लिहाज से करते हैं कोई कम भी हो सकता है और कोई ज्यादा भी हो सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुआवजा के मानक की बड़ी दुहाई दी । माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और कहा कि किसानों को इससे हानि हो रही है क्या पुराने मानक को पुनरीक्षित करने की कृपा करेंगे जिससे किसानों को लाभ हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, कई बार इसी सदन में माननीय सदस्यों ने राय दी की मार्केट रेट्स पर जमीन का मुआवजा दिया जाय । अब माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुनकर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कोई बात की जाय । फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार करेंगे ।

रियासत हुसैन—

माननीय सदस्यों की इच्छाओं को सामने रखते हुए क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सूबे की हर जमीन का वेल्यूएशन रजिस्ट्रेशन के समय फिक्स कर दिया गया है, एकार्डिंग टू रेट एण्ड सर्कुलर रेट क्या आप मुआवजा देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम उस आधार पर कम्पेंशेन जरूर मिले जो सरकारी तौर से उस जमीन की वैल्युएशन फिक्स की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय रियासत साहब जो कह रहे हैं, तो उसमें ऐसी भूमि जो डेवलप्ड नहीं है, जहां इर्रीगेशन नहीं है, वहां कीमत कम मिलेगी । इसलिये नार्म जो बनते हैं, वह सारे के लिये एक बनते हैं ?

जौनपुर डिपो की बसें तथा निर्धारित सेवाओं का संचालन

*11—**श्री प्रभूनारायण सिंह—**

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर डिपो की कितनी बसे 1981--82 में अपने निर्धारित मार्गों पर समय से नहीं चलाई जा सकीं ? क्या यह सत्य है कि रख

रखाव के अभाव में इस डिपो की अधिकाँश बसें जनपद के स्थानीय मार्गों पर भी नहीं चल पा रही है ? क्या सरकार स्थानीय मार्गों पर चलने वाली बसों को नियमित रूप से चलाकर जनपद की जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

वर्ष 1981--82 में जौनपुर डिपो से निर्धारित संचालित सेवाओं में 16 प्रतिशत बसें समय से निर्धारित मार्गों पर नहीं जा सकी । जौनपुर डिपो का बस बेडा पुराना होने के कारण कुछ स्थानीय मार्गों की सेवाओं में कटौती करनी पड़ी परन्तु आवश्यक रख रखाव कर इन स्थानीय मार्गों पर नियमित रूप से सेवा उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री प्रभू नरायण सिंह—

मा० अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या जौनपुर डिपो में जो बसें चलायी जाती हैं, जो संचालित हैं, एक शब्द में कह दिया गया कि "पुराना बेड़ा" है , इसलिये नियमित रूप से नहीं चलायी जा रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डिपो को क्या 1982 में कुछ नयी बसें भी दी गयी थीं ? यदि हाँ, तो क्या उनको भी इस मार्ग पर चलाने के लिये नियमित रूप से व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जौनपुर डिपो में कुल 80 बसें हैं, उसमें से 50 प्रतिशत किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं और जो शेष हैं वे लम्बे मार्गों पर चलायी जाती हैं और यह जो अधिक किलोमीटर चल चुकी हैं, मरम्त करके स्थानीय मार्गों पर चलायी जाती हैं । मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ माननीय सदस्य को कि जैसे ही हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे, हम अन्य बसें भी देने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा था कि कितनी जौनपुर डिपो की बसें स्थानीय मार्गों पर चलती हैं और 81--82 में कितनी उन मार्गों पर अपने निर्धारित समय से नहीं जा सकी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैंने अनुरोध किया कि 50 प्रतिशत बसें, जो किलोमीटर पूरा कर चुकी हैं, उन्हीं की मरम्त करके हम स्थानीय बसें मार्गों पर चलाने की कोशिश करते हैं और जो दूसरी बसें हैं, उनको लांग रूट पर चलाते हैं । इस बीच में बाढ़ आने से पुलिया के टूट जाने से और कभी-कभी जो छुट्टियां होती हैं उनमें बसें नहीं चलतीं, इसलिये कुछ मा० सदस्य को शिकायत हो सकती है और वह शिकायत उनकी अपनी जगह पर सही है ।

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में स्वीकृत मिनी सीमेण्ट इकाइयों का निर्माण

*12—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—**

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपद में कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां शासन द्वारा स्वीकृत हैं और इनका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों में चार मिनी सीमेण्ट इकाईयां प्रस्तावित हैं और इनका निर्माण कार्य वर्ष 1985 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो चार मिनी सीमेंट फ़ैक्ट्रियाँ बनाने का मामला विचाराधीन है, वह किनका आफर है और दूसरी बात यह है कि यह फैक्ट्रियाँ सरकार की ओर से लगायी जा रही हैं या व्यक्तिगत रूप से ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह फैक्ट्रियां खरैना, जिला अल्मोड़ा मठैला जिला अल्मोड़ा, गंगोलोहाट, जिला पिथौरागढ़ तथा गंगोलोहाट जिला पिथौरागढ़ में स्थापित की जायेंगी और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हो गया है तथा खैराना जिला अल्मोड़ा के प्रस्तावित प्लाट्स के सम्बन्ध में मेसर्स क्वालिटी सीमेण्ट लि० पूना के साथ प्रोमोशनल अनुबन्ध भी सम्पादित किया जा चुका है। और इनकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट भी बन गयी है तथा आगे की फार्मेलिटी पूरी की जा रही है, इन सबके पूरा हो जाने पर जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करने के प्रयास जारी हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

यह फैक्ट्रियाँ सरकारी क्षेत्र में बनायी जायेंगी अथवा प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में बनाई जायेंगी, तो इनके बनाने वाले कौन-कौन हैं, इनके पते भी कृपया बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को पिकअप द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे यह चारों फैक्ट्रियाँ संयुक्त/सहायक क्षेत्र में स्थापित करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, इन चारों फैक्ट्रियों में कुल लागत कितनी लगेगी और उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष कितनी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, पर फैक्ट्री का उत्पादन प्रति वर्ष 66,000 टन होगा और पर फैक्ट्री लागत रु० 9 करोड़ की होगी।

श्री ऊदल—

क्या जिस पत्थर से सीमेंट बनाई जायेगी, उस पत्थर की वैज्ञानिक तरीके से जाँच पड़ताल करा ली गयी है, दूसरे यह पत्थर कहाँ-कहाँ कितनी मात्रा में कब तक प्राप्त होता रहेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही समस्त प्रोसीजर के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बुलन्दशहर के ग्राम मऊनगला में बरसात के पानी से फसलों को क्षति तथा दोगवा नाले के निर्माण का प्रस्ताव

***13—श्री स्वामी नेमपाल—**

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम मऊनगला विकास खण्ड डिबाई जनपद बुलन्दशहर में बरसात का काफी पानी उक्त ग्राम की निचली जमीन में एकत्र होकर वहाँ की फसल को नष्ट कर देता है ? क्या यह भी सही है कि कभी-कभी गर्मी के मौसम में उक्त ग्राम के निकट बहने वाली नहर का पानी कटकर ग्राम की फसलों तथा खलिहानों को तबाह करता है ? यदि हाँ, तो क्या चकबन्दी में छोड़ी गयी भूमि से होकर नाला बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गोपाल राम दास—

जी हाँ । ग्राम मऊनगला विकास खंड डिबाई जनपद बुलन्दशहर में बरसात का पानी इस ग्राम की निचली जमीन में एकत्रित होकर वहाँ की फसलों को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाता है ।

यह सही है कि कभी-कभी गर्मी के मौसम में ग्राम चौडेहरा के असामाजिक तत्व अपने निजी हित में सिंचाई हेतु अनूपशहर शाखा को काट देते हैं जिससे फालतू पानी दोगवा नाले में बहता हुआ ग्राम मऊनगला के लगभग 25 हेक्टेयर निचले क्षेत्र में फैल जाता है जिससे ग्राम की फसलों को कुछ क्षति होती है ।

इस क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए दोगवा नाले का निर्माण प्रस्तावित था जिसे कृषकों ने अदालत में मुकद्दमा दायर करके रुकवा लिया है ।

श्री स्वामी नेमपाल—

भान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अनूपशहर शाखा को उपद्रवी तत्व नहर को काट देते हैं जिसके कारण 25 हेक्टेयर निचले क्षेत्र में पानी फ़ैल जाता है और फसल को नष्ट कर देता है । तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिस पानी से कोई लाभ नहीं होता है और फसलों को क्षति पहुँचती है ऐसे किसानों पर जो तावान लग चुका है, उसे माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात जो माननीय सदस्य ने कही है इसको हम दिखवा लेंगे और इसके लिए कि भविष्य में ऐसा न हो यानी कि नहर का पानी जो कटकर फसल को नष्ट कर देता है, भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए देखना होगा कि पानी अपने आप कटा है या फिर किसान के द्वारा काटा गया है, यदि किसान ने नहीं काटा है तो वह दोषी नहीं है और उसकी फसल नहर के पानी के कटान से नष्ट हुई है तो उस पर तावान नहीं लगाया जायेगा, परन्तु इसको हम दिखवायेंगे उसके बाद ही ऐसा हो पायेगा ।

श्री स्वामी नेमपाल—

इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के अधिकारीगण जिनका कि नरौरा में रेज़ीडेन्स है उन्होंने मौके पर जाकर देखा है और क्या उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे तावान माफ करने की घोषणा कर दें। आपका विभाग तो शिथिलता बरत रहा है। क्या नहर के पानी का कटान रोकने के लिए मन्त्री जी उक्त गांव में पैचिंग बनवाने की कृपा करेंगे ? जब तक कि नाले से पानी नहीं निकल जाता है तब तक के लिए किसानों का तावान माफ करने की भी कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो इन्नोसेन्ट किसान हैं जिन्होंने नहर के पानी को नहीं काटा है उन पर तावान नहीं लगना चाहिए लेकिन जो किसान ऐसे हैं कि जिन्होंने नहर के पानी को सिंचाई के लिए काटा है उन पर तावान लगाया जाता है। तावान इसीलिए लगाया जाता है कि लोग डरें। इन्नोसेन्टली किसी पर तावान नहीं लगाया गया हैं।

श्री मेंहदी असगर—

प्रदेश में अनेक नहरें ऐसी हैं जो कट जाती हैं और दुबारा उसको बाँधा है। तो उसे दुबारा बाँधते समय वहां की मिट्टी उठाकर कटान को बाँध देते हैं जिससे कि फिर वह मिट्टी खिसकने से फिर कट जाती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उस कटान को रोकने के लिए पक्के तरीकों से उसे बँधवाने के लिए व्यवस्था करने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह काम तो इन्जीनियर्स का है, वह इसको देखें कि कैसे बाँधते हैं जो फिर कट जाता है वह इसे देखें और गलत काम न करें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि जहाँ पर यह प्रमाण न मिले कि किसी किसान ने नहर को काटा है तो वहाँ उससे तावान नहीं लेंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि नियमों में प्राविधान यह है कि जबतक यह सिद्ध न हो कि नहर किसान ने नहीं काटी है, जब तक इसका प्रमाण न मिले कि अमुक व्यक्ति ने नहर को काटा है, तब तक उस पर तावान नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, तावान की प्रथा इसलिए लगाई गयी है कि नहर न काटी जाय क्योंकि इससे किसान परेशान होता है। तावान के डर से लोग डरेंगे और नहर को नहीं काटेंगे और अपनी मनमानी नहीं करेंगे। तावान माफ करने के लिए छानबीन करनी होगी। यदि नहर अपने आप टूट जाती तो उस पर तावान लगाने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, जिस खेत में नहर कटती है, वह बिल्कुल बेकार हो जाता है और जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे या कानून में कोई संशोधन करेंगे कि जिस खेत में नहर टूट जाती है तो उस पर तावान नहीं लगाया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

मान्यवर, इसमें यह देखना पड़ेगा कि नहर किसने काटी है। किस तरह से कटी है, जाँच पड़ताल करने पर अगर यह पता लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उससे नहर काटी नहीं है और उसका खेत बरबाद हो गया है तो उस पर तावान लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, गरीब किसानों पर तावान लगा दिया जाता है जिससे···

गाजीपुर के ग्राम बरेसर के पास गंगा नदी से कटान

*14—**श्री सूबेदार सिंह** (अनुपस्थित)

तथा

श्री अकवाल हुसैन—(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की जमानिया तहसील से 3 किलोमीटर-दक्षिण बरेसर गांव के पास गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

प्रश्नगत स्थान में 1982 की वर्षा के पश्चात लगभग 20 मीटर कटाव हुआ था। कटाव के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है और यदि कोई योजना संभव पायी गयी तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

हरदोई से सम्बद्ध कतिपय मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने पर विचार

*15—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई-लखनऊ, हरदोई-कानपुर, हरदोई-शाहजहाँपुर, हरदोई-सीतापुर एवं हरदोई-लखीमपुर मार्गों के राष्ट्रीयकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वल्देव सिंह आर्य —

हरदोई-कानपुर मार्ग का उन्नाव-कानपुर व हरदोई-लखीमपुर मार्ग का सीतापुर-लखीमपुर भाग राष्ट्रीयकृत है।

अन्य कथित मार्गों को राष्ट्रीयकृत किये जाने की योजनाएँ शासन द्वारा नियुक्त किये गये श्रवणाधिकारी के सम्मुख विचाराधीन हैं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें। मैं उनकी आज्ञा नहीं देता हूँ। मा० परिवहन मन्त्री जी को मैंने बुला लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह—

[× × ×]

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल अस्पष्ट है। आपने कहा कि हरदोई-कानपुर मार्ग का उन्नाव-कानपुर व हरदोई-लखीमपुर मार्ग का सीतापुर-लखीमपुर भाग राष्ट्रीयकृत है। मान्यवर, यह तो हरदोई का दुर्भाग्य है कि माननीय मन्त्री जी पूरे प्रदेश की प्रगतिशीलता पर धब्बा लगा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि हरदोई मार्ग पूरा का पूरा गैर राष्ट्रीयकृत है और मन्त्री जी श्रवणाधिकारी का सहारा ले रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो गैर राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनको राष्ट्रीय कृत करने के लिए कौन-कौन प्रयास किये गये हैं और कब-कब किये गये है और कब तक इनको राष्ट्रीयकृत करने की माननीय मन्त्री जी की योजना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह जो गैर राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनको राष्ट्रीयकृत करने के लिए 19 अगस्त, 1967, 6 जुलाई, 1960 को अधिसूचना जारी की गयी थी। उसके फलस्वरूप आपत्तियाँ माँगी गयी थी। उन आपत्तियों को सुनने के लिए एक श्रवणाधिकारी जो न्याय विभाग का उप विधि परामर्शी होता है उसको नियुक्त किया गया था लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया, इतने में जगह-जगह पर लोगों ने स्थगन आदेश ले लिये और उनके कारण इस काम में विलम्ब हुआ और विलम्ब के कारण ही यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हो सके लेकिन 26-2-83 और 29-2-83 को फिर तारीख लगा दी गयी हैं सुनवाई के लिए, उसके बाद अगली कार्यवाही होगी।

श्री राम आसरे वर्मा —

मैं माननीय मन्त्री जी से पूँछना चाहता हूं कि तारीख तो श्रवणाधिकारी के समक्ष लग रही हैं लेकिन वह आपके विभाग के अधीनस्थ अधिकारी हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि कब तक····

कब तक जो गैर राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह एक न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जितना समय लगेगा उसको पूरा करके उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

मान्यवर, आपने रोजाना प्रश्न के दौरान भी देखा होगा प्रदेश में जितनी जगह राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं या जहाँ पर सरकारी बसें चलती हैं वहाँ पर 50 से 60 प्रतिशत तक बसें खराब हैं और लोगों की सुविधा पूरी नहीं हो रही है। क्या माननीय मन्त्री जी घोषणा करेंगे कि जब तक उन खराब बसों को पूरा नहीं कर देंगे जब तक अन्य जगहों पर मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रक्रिया तो पहले से चल रही है उस प्रक्रिया को पूरा करना है। जहाँ पर बसों की न्यूनता है या बसें खराब हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जहाँ-जहाँ पर सरकारी बसें चलती हैं वहाँ पर 50 से 60 प्रतिशत तक बसेज खराब हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी घोषणा करेंगे कि जहाँ पर सरकारी बसें खराब हैं उन स्थानों पर जब तक नयी बसें पूरी नहीं कर देंगे तब तक नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सभी जगह 50 प्रतिशत बसें खराब नहीं हैं कहीं कम हैं कहीं 50 प्रतिशत हैं और उन बसों की मरम्मत करके सड़क पर लायेंगे और नयी बसों की भी व्यवस्था परिवहन विभाग करता है। अगर माननीय सदस्य इसको आश्वासन समझें तो आश्वासन है।

श्री अध्यक्ष —

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1

श्री जैराज गौतम—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों के सम्बन्ध में। मेरा प्रश्न दूसरे दिन लेने का आदेश करने की कृपा करेंगे, दूसरे दिन ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न एक बार एजेंडा में आ जाय उसे दूसरे दिन नहीं लिया जा सकता है। वह हाउस की सम्पत्ति हो जाती है।

नोट : तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यू० पी० इन्स्ट्रूमेण्ट लि० के श्रमिकों की माँगों एवं समस्याओं से सम्बन्धित पत्र पर विचार

***16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या उद्योग मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 25-2-82 जो यू० पी० इन्स्ट्रूमेंट लि० के श्रमिकों की विभिन्न मांगों व समस्याओं के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी तथा श्रमिकों की मांगें व समस्यायें क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। माननीय सदस्य महोदय के पत्र के साथ प्राप्त यू० पी० आई० एल० इम्पलाईज यूनियन के पत्र दिनांक 23-2-1982 में यूनियन ने मुख्यतः कारखाने की दुर्व्यवस्था के बारे में शिकायत की थी। यू० पी० इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि० के कारखाने में कुछ समय तक उत्पादन न होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी। अब उसमें उत्पादन पुनः आरम्भ हो गया है। इसमें और अधिक सुधार लाने हेतु प्रबन्धकों द्वारा कुछ कदम उठाये गये हैं। अब यह कारखाना सुचारू रूप से चल रहा है।

श्रमिकों की मांग है कि यू० पी० आई० एल० को किसी बड़े उद्योग अथवा भारतीय हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के साथ पूर्ण रूप से विलय कर दिया जाय। परन्तु ऐसा करने से

समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, वरन स्वतंत्र रूप से चलाने से ही इसे सुचारू रूप से चलाया व इसमें सुधार लाया जा सकता है ।

श्रमिकों की समस्याओं का जहाँ तक प्रश्न है, यूनियन ने उक्त पत्र में यह कहा था कि श्रमकों द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत सी० टी० डी० का खाता खोला गया है जिसमें उनके वेतन से कटौती करके सेवायोजकों द्वारा अप्रैल 1981 से नवम्बर 1981 तक वेतन से की गयी कटौती का लगभग रु० 50,000/- जमा नहीं किया गया है । परन्तु यह सही नहीं है । श्रमिकों के वेतन से ऐसी कोई कटौती नहीं की गयी है । श्रमिकों की समस्या यह भी है कि उनके वेतन से भविष्य निधि का काटा गया लगभग 11 लाख रुपया भी जमा नहीं किया गया है । प्रबन्धकों द्वारा इस धनराशि को जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों तथा निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों की फिटनेस अवधि

* 17 - **मोहम्मद**—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि उ०प्र० परिवहन निगम के अधीनस्थ चल रही प्राइवेट बसों और निगम की अपनी बसों की फिटनेस अवधि में अन्तर है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत फिटनेस प्राइवेट बसों को जो निगम के अधीन चल रही हैं; दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधीनस्थ चल रही प्राइवेट बसों व निगम की बसों की फिटनेस अवधि में कोई अन्तर नहीं है । प्रश्न नहीं उठता । परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों को फिटनेस दी जाती है । प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांगों हेतु पेंशन देने की व्यवस्था

*18 — **श्री जंग बहादुर**—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ण विकलांगों के लिए पेंशन देने की व्यवस्था शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पेंशन की धनराशि क्या होगी और उसका कायन्वियन कब तक कर दिया जायगा ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन विकलांगों को पेंशन दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सतेहरी में नहर में हुई कटिंग की मरम्मत पर व्यय तथा कटिंग के कारणों की जांच

*19 — **श्री जयराज गौतम**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सतेहरी में स्थानीय किसानों द्वारा 13-9-82 को नहर की

कटिंग कर दी गयी जिससे कई जिले बुरी तरह से सूखे की चपेट में आ गये ? क्या यह सही है कि नहर की कटिंग के निर्माण में लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए गये और दुबारा नहर टूट गयी ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्थानीय किसानों ने मुख्य अभियन्ता से मौके पर साइफन बनवाने की मांग की थी और अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्तर से इसकी संस्तुति भी की थी और नहर कटिंग के उक्त विषय पर अब तक क्यों कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, असामाजिक/तत्वों द्वारा 13-9-82 को नहर काटी गई। यह सही नहीं है कि कई जिले सूखे की चपेट में आ गये।

दिनांक 13-9-82 को नहर में हुई कटिंग की मरम्मत पर 17.33 लाख रुपये व्यय हुए। मरम्मत के पश्चात नहर 2-10-82 को हेड से चला दी गयी। दिनांक 11- 0-82 तक नहर चलने के बाद पुनः टूट गई।

कृषकों द्वारा सुल्तानपुर ब्रांच के कटिंग के निकट साइफन के निर्माण की मांग की गयी थी उसकी संस्तुति तत्कालीन अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खण्ड-16 सुल्तानपुर द्वारा की गयी थी। मुख्य अभियंता शारदा सहायक ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया था और पाया कि अतिरिक्त साइफन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

नहर की कटिंग के कारणों की जांच की जा रही है।

महन्थ लाल दास इण्टर कालेज, देवगाँव, फैजाबाद के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

*20--**श्री कृष्णवीर सिंह--**

क्या सरकार को जानकारी है कि हरिजन समाज कल्याण विभाग, फैजाबाद द्वारा महन्थलाल दास इण्टर कालेज, देवगांव फैजाबाद के दो छात्रों सर्वश्री रामकुमार सिंह तथा चन्द्र शेखर पाण्डेय (हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) के छात्रवृत्ति की धनराशि माह जनवरी, 82 से माह जुलाई, 82 के मध्य में वितरित की जा चुकी है, जबकि उक्त स्कूल के ही सर्वश्री जय प्रकाश, जगदीश पाल सिंह तथा जितेन्द्र कुमार शुक्ल जो कि हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, की छात्रवृत्ति स्वीकार होने के बावजूद छात्रवृत्ति की धनराशि अभी तक उन्हें नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं।

तथ्य इस प्रकार है कि छात्रवृत्ति की धनराशि जनवरी, 82 से जुलाई, 82 तक की नहीं दी गयी, अपितु वित्तीय वर्ष 81-82 में माह अगस्त, 81 से फरवरी, 82 तक का भुगतान दोनों छात्रों को कर दिया गया है तथा शेष अवधि माह मार्च, 82 एवं अप्रैल, 82 की धनराशि का बिल वित्तीय वर्ष 82-83 के बजट से दिया जाना था उसे भी प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्था के प्रधानाचार्य को वितरण हेतु पारित कर दिया गया है।

छात्र सर्वश्री जय प्रकाश, जगदीश पाल सिंह तथा जितेन्द्र कुमार शुक्ल हाई स्कूल कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं थे बल्कि द्वितीय श्रेणी के छात्र थे। इन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी परन्तु जांचोपरान्त पाया गया कि शासन के निर्देशानुसार

छात्राओं को कम से कम 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति अवश्य स्वीकृत की जाय। अस्तु जनपद के अन्य विद्यालयों की छात्राओं को इसी आधार पर जो अधिकतम प्रतिशत से उत्तीर्ण हुई थीं छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप धन की अनुपलब्धता के कारण उक्त तीन छात्रों की छात्रवृत्ति निरस्त कर दी गयी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न
धार्मिक मन्दिरों के अधिग्रहण पर विचार

--1—श्री मोहन सिंह---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक मन्दिरों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत प्रारूप क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा---

जी नहीं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस सरकार का मस्तिष्क ही एकाग्र नहीं है। काशी विश्वनाथ मन्दिर के लिए एक व्यवस्था और दूसरे मन्दिरों के लिए दूसरी व्यवस्था। इस प्रदेश में जहाँ बड़े-बड़े मन्दिर हैं उनमें बाहर से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं होती है। यदि सरकार के पास उन मन्दिरों की व्यवस्था हो तो यात्रियों की परेशानी दूर हो। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ मन्दिर के अधिग्रहण का कानून इस सदन के सामने पेश किया गया है। तो क्या कारण है कि एक मंदिर के लिए एक व्यवस्था और दूसरे मन्दिर के लिए दूसरी व्यवस्था ? अन्य मन्दिरों के लिए वैसी ही व्यवस्था न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, काशी विश्वनाथ मन्दिर की विशेष परिस्थिति थी। वहाँ के महंतों की लापरवाही के कारण वहाँ पांच बार चोरी हुई और पांच लाख रुपये की चोरी हुई (व्यवधान) उसके अधिग्रहण के कारण बता रहा हूँ कृपया सुनने का कष्ट करें। वहां पर आय-व्यय का कोई हिसाब नहीं था और न कोई आडिट होता था, यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीजों के लिए जब जनआक्रोश हुआ और इस बात की डिमाण्ड की गयी कि सरकार अधिग्रहण कर ले तो अधिग्रहण किया गया।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अपनी सरकार की नीति साफ घोषित कर दी। त्रिपाठी जी के राज्य में जब काशी विश्वनाथ मन्दिर में चोरी हो गयी तब उसका अधिग्रहण करेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर तीन प्रमुख मन्दिर हैं अयोध्या का मंदिर, मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर, और विध्यांचल में विध्यादेवी का मंदिर। आपने काशी विश्वनाथ मंदिर की जो दिक्कतें बतायीं जिन परिस्थितियों और कठिनाइयों का आपने जिक्र किया वह इन मन्दिरों में भी मौजूद हैं, तो इन मन्दिरों के अधिग्रहण न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, विशेष व्यवस्था या वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है उसके बारे में जब तक सरकार को सही तथ्य नहीं देंगे तब तक सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण मन्दिरों का नहीं करेगी ?

श्री देवेन्द्र पांडेय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रमुख मन्दिरों की बात की गयी तो बहुत से ऐसे प्रदेश में मन्दिर, मस्जिद और गिरिजाघर हैं जिनकी दुरव्यवस्था है और वे जरजर हालत में हैं, तो क्या उनको भी सुधारने और खूबसूरत बनाने का विचार है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, प्रारम्भ में मैंने कहा था कि यदि सरकार को मालूम होगा कि जिन मंदिरों में अव्यवस्था, चोरी और यात्रियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं आदि तथ्यों की जानकारी होगी तो आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है और उसके चेयरमैन डा० विभूति नारायण बनाये जा रहे हैं । तो क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने वक्तव्य दिया था कि 28 वर्ष पहले वहाँ हरिजनों ने प्रवेश किया था जिससे देवत्व समाप्त हो गया है, तो क्या उन पर मुकद्दमा मन्त्री जी चलाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूँ ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर मन्त्री जी ने बताया कि कुछ नार्म बनाये जा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में अधिग्रहण मन्दिर का करेंगे । तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उन परिस्थितियों के आधार पर प्रदेश के प्रमुख मन्दिरों की जांच करके, यदि नार्म के अनुसार स्थिति पाते हैं, तो उन मंदिरों का अधिग्रहण करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, मैंने प्रारम्भ में ही बताया कि शासन का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी मन्दिर का अधिग्रहण करें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ मन्दिर का प्रबन्ध इन्होंने लिया है तो इसी तरह क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख मन्दिरों का अधिग्रहण करेंगे ? इस सम्बन्ध मे दूसरी बात मैं यह भी मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी दक्षिण भारत के प्रमुख मन्दिरों की प्रबन्ध व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए उ० प्र० के प्रमुख मन्दिरों में वैसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि काशी विश्वनाथ का प्रबन्ध विशेष परिस्थितियों में लिया गया, बद्रीनाथ मन्दिर विशेष परिस्थितियों में लिया गया यदि वह विशेष परिस्थितियाँ हों और जनता इसकी मांग करे तो अधिग्रहण करने पर विचार किया जा सकता है, हम अपनी ओर से कोई चीज अधिग्रहण करने की स्थितिमें नहीं हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी —

मान्यवर, मैं पुनः मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थितियाँ, यह अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, कहकर बहलाने का मन्त्री जी प्रयास न करें और साफ उत्तर दें कि दक्षिण भारत के मंदिर जो भारतवर्ष में आदर्श मन्दिर माने जाते हैं तो उनकी व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए, राम कृष्ण की धरती पर, उस तरह का आदर्श क्या मन्त्री जी यहां प्रस्तुत करेंगे कि नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा —

श्रीमन या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मा० सदस्य नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने तो स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष वाली नीति पर है, हम किसी का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करेंगे, जहां लोगों की भावनायें धार्मिक हों, तो धार्मिक मामले में अगर विशेष परिस्थितियां होंगी और वहां के प्रबन्धक और वहां की जनता यदि शासन को तथ्यों से अवगत करायेगी तो इस पर अवश्य विचार कर लिया जायेगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से और इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन मन्दिरों का अधिग्रहण करने के लिए इसी पार्टी की सरकार ने यहां पर एक विधेयक पेश किया था और उसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी माननीय अल्गू राय शास्त्री की अध्यक्षता में बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आपके यहां कहीं कूड़े-खाने में पड़ी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार उसको निकलवाकर देखने की कृपा करेगी और उस पर विचार करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। मैं जो बात कह रहा हूँ वह तथ्यों पर कह रहा हूँ और उसी आधार पर अपना विचार रख रहा हूँ। मैं उस सेलेक्ट कमेटी का सदस्य था और अल्गू राय शास्त्री उसके चेयरमैन थे। सरकार ने एक विधेयक पेश किया था। माननीय मंत्री जी उसको देखें।

श्री गुलाब सेहरा —

मान्यवर, मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा —

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि तमिलनाडु सरकार ने 12 हजार मंदिरों का अधिग्रहण किया है। वहाँ पर रामेश्वरम और मीनाक्षीपुरम मंदिर प्रसिद्ध है।

वहां की शासन व्यवस्था भी नियंत्रण में है। तो इस बात को देखते हुए वहां की सरकार से प्रेरणा लेते हुए और इस बात को देखते हुए कि यहां के मंदिरों में बड़ी अव्यवस्था है, सरकार कोई विचार करेगी जिससे कि सारे मंदिरों का अधिग्रहण किया जाय और शासन व्यबस्था ठीक से चलाई जाय।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, मैं इसके बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री कन्हैयालाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने मंदिर अधिग्रहण के बेश में चोरी होना और उसकी बदइन्तजामी करना बताया। मैं पूछना चाहता हूँ कि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दो, तीन बार लाखों रुपये के आभूषण चोरी हुए हैं। क्या उसी पृष्ठभूमि में आप मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर का अधिग्रहण करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

यदि शासन से विशेष परिस्थितियों में मांग की जायेगी ती उस पर विचार कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है—

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी हैं, आप बैठें।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विशेष परिस्थितियों में न्उिहोंने काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया है, इसलिए क्या काशीनाथ विश्वनाथ में वशेष परिस्थितियों में उसका जो पंडा है उसे क्या अनुसूचित जाति का नियुक्त करने की कृपा करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

जो ट्रस्ट ऐक्ट हैं उसके अनुसार ही नामांकन होगा।

एक सदस्य—

पहले प्रश्न पर आपने 15 मिनट का समय दे दिया। दोनों को बराबर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई आवश्यक नहीं है कि पहले दस मिनट में एक प्रश्न होगा और दूसरे दस मिनट में दूसरा प्रश्न होगा। प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए उसके लिये समय दिया जायगा और उस पर विचार होगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, अयोध्या में एक रामायण मेला हुआ था उसमें माननीय श्रीपति मिश्र भी गये थे और उन्होंने यह घोषणा की थी कि अयोध्या के मन्दिर और वहां के हनुमान गढ़ी के मन्दिर का सरकार अधिग्रहण करेगी। तो उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

लोहिया मशीन्स को 'वेस्पा एक्स ई' स्कूटर उत्पादन हेतु स्वीकृत लाइसेन्स

***2—श्री राम आसरे वर्मा तथा**

श्री परमाई लाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में नव स्थापित 'लोहिया मशीन्स' नामक औद्योगिक प्रतिष्ठान को 'वेस्पा एक्स ई' नाम से स्कूटर उत्पादन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस राज्य सरकार की सहमति से जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा कब पंजीकृत की गयी ? उसकी कुल घोषित पूँजी क्या है तथा वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य कितना है एवं उत्पादन कार्य कब तक शुरू होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

इकाई को मोपेड बनाने का लाइसेंस भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया है।

उद्योग विभाग में पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

कुल पूँजी 7 करोड़ रुपये है एवं एक लाख मोपेड प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि बताना संभव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति कब दी और वह आवेदन पत्र कब दिया, उसकी जाँच कब करायी गयी और किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जब कोई लाइसेंस की प्रार्थना करता है, उसके लिए एप्लाई करता है, तो भारत सरकार ही उसको लाइसेंस देती है। जो छोटी इकाइयां होती हैं 30 लाख रुपये से कम वाली, उनके लाइसेंस उत्तर प्रदेश सरकार देती है। भारत सरकार के डी० जी० टी० डी० द्वारा यह लाइसेंस उनको मिला है। उसमें इस सरकार की संस्तुति मांगी गयी थी, वह हमने दे दी।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जो लाइसेंस दिया गया वह मोपेड बनाने के लिए दिया गया, पर इस कंपनी ने स्कूटर बनाने के लिए विज्ञापन दिया और करोड़ों रुपया

उस विज्ञापन के आधार पर जमा कर लिया। तो हम यह जानना चाहते हैं कि उनको स्कूटर बनाने के लिए अनुमति कब दी गयी ? यदि नहीं, तो जो यह गलत विज्ञापन निकाल कर करोड़ों रुपया एकत्र उस कम्पनी ने किया है, इसके लिए उसके खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसको मोपेड बनाने का जो लाइसेंस दिया गया है उसके सेक्शन 9 (II) में यह है—

"अण्डरटेकिंग्स हू आर इममेज्ड इन दि मैनुफैक्चरर आफ टू व्हीलर्स कैन डाइवरसीफाई देयर प्रोडक्शन टु एनी अदर टाइप्स आफ टू व्हीलर्स. दिस फैसिलिटी विल आल्सो बी अवेलेबिल टु युनिट्स रजिस्टर्ड विद टैक्निकल अथारिटीज."

इसका मतलब यह है कि जिनको यह मोपेड बनाने का लाइसेंस दिया गया है वे टू व्हीलर्स स्कूटर भी चाहें तो बना सकते हैं। इसका प्राविजन उसमें है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी —

लाइसेंस भारत सरकार ने दिया यह ठीक है. पर जमीन तो आपने दी है, बिजली आप देंगे, आपका उन पर क्या कंट्रोल है ? यह जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी उसने की है जो करोड़ों रुपया फर्जी विज्ञापन निक लकर जमा करा लिया, इस पर आपका क्या नियंत्रण है, मैं यह जानना चाहता हूं ? और जिस समय स्कूटर्स का उत्पादन होगा, उस पर राज्य सरकार का क्या नियंत्रण होगा ? और क्या विधायकों को भी एक-एक स्कूटर का उसमें आरक्षण होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा, यह आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और हमने अब इसके लिए बड़ी उदार नीति अपने यहाँ अपनाई है कि और ज्यादा से ज्यादा उद्योग हमारे यहाँ आयें और उनसे यहां पर की गरीबी और बेरोजगारी दूर हो। यह उद्योग के लिए हमारे यहां आया है और इसको विदेशों से कैलोब्रेशन प्राप्त हुआ है। यह अच्छा बनेगा, इसकी मांग भी आज बहुत ज्यादा है, सारे देश में काफी मांग है। तो हम खुद चाहते हैं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूटर बनें, उद्योग लगें। और जो वाजपेई जी ने कहा विधायकों के लिए, तो जब समय आयेगा, तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री मोहन सिंह—

जब सरकार को अभी तक यह जानकारी नहीं हो पायी हैं कि उसका उत्पादन कब से होगा, तो क्या, सरकार को इसकी जानकारी है कि सम्भावित उत्पादन के ऊपर उसने उसका आरक्षण शुरू कर दिया और उसने करोड़ों रुपया स्कूटर की बुकिंग के नाम पर अपने यहाँ जमा कर लिया है — और क्या सरकार के संज्ञान में यह बात भी है कि अब तक उस फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है और उसके उत्पादन की कोई संभावना भी नहीं है, तो ऐसे स्कूटर पर बुकिंग करके जो उसने करोड़ों रुपया कमाया है, उसके लिए उसके विरुद्ध वह कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही नहीं है। उसने इसके लिए डेढ़ सौ एकड़ जमीन भी प्राप्त कर ली है। इसने कैलीब्रेशन से इसके लिए 'नो-हाउस' भी प्राप्त कर लिया है। स्टील कांस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू कर दिया है और उसके निर्माण कार्य संचार पाँच सौ वर्कर्स डेली काम कर रहे हैं। यह फैक्ट्री स्वयं चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम उत्पादन करें। इसकी इतनी डिमाण्ड है कि ऐसा नहीं है कि कम्पनी जानकर इनका उत्पादन न करना चाहती हो। हमें इस कम्पनी ने आश्वस्त किया है कि दिसम्बर 83 में इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे।

अतारांकित प्रश्न

जालौन जनपद के उरई चुर्ख मार्ग पर बस सेवा बन्द कर दिये जाने की दर्ज रिपोर्ट

1—श्री शंकर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 7वें बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के अता०प्रश्न सं० 71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के उरई-चुर्ख मार्ग पर अराजक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाओं के कारण जो बस सेवायें बन्द कर दी गयी थीं उनकी रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज कराई गयी थी ? यदि हाँ, तो उनके विवरण क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस मार्ग पर चलने वाली बसों पर सशस्त्र पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री वीरेन्द्र प्रसाद शाही—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम विश्रामपुर, जिला फैजाबाद में लगे नलकूपों सं० 58-ए-के नलकूप चालक श्री राम उजागर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

3—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में दिनांक 3-7-82 को श्री नन्दकिशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र जिसमें ग्राम विश्रामपुर, तह० अकबरपुर, जिला फैजाबाद में लगे नलकूप सं० 58-ए के नलकूप चालक (श्री राम उजागर) के विरुद्ध शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका स्थानान्तरण करके उसके साथ उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

श्री नन्द किशोर सिंह, विधायक के शिकायती-पत्र दिनाँक 29-7-82 पर जांच के फलस्वरूप नलकूप चालक श्री राम उजागर को नलकूप संख्या 58 ए (अकबरपुर ग्रुप) से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद गोरखपुर में बेल्सर रिगोरी बांध की मरम्मत पर व्यय तथा ठेकेदारों को भुगतान

4—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में बेल्सर रिगोरी बाँध के मरम्मत में 1982-83 में 15 सितम्बर, 82 तक कितना व्यय हुआ तथा मंत्री जी यह

भी बतायेंगे कि उक्त तिथि तक इस बांध की मरम्मत पर कतिपय ठेकेदारों द्वारा किए गये कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और इस भुगतान की धनराशि कितनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

गोरखपुर जनपद में बेल्सर रिगौली बांध को वर्ष 1981 की बाढ़ में ग्रामीणों द्वारा 7 स्थानों पर काट दिये गये थे । उन कटे स्थलों की मरम्मत हेतु वर्ष 1982-83 के 4/82 से 15-9-82 तक 15 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

साख सीमा के अभाव में कुछ ठेकेदारों का लगभग 2.00 लाख रुपया भुगतान होना शेष है ।

तहसील नौगढ़, ग्राम छितरापार को नदी की कटाव से क्षति, कटाव रोकने हेतु योजना

5—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में तहसील नौगढ़ में स्थित ग्राम छितरापार को नदी के कटाव से कितनी क्षति इस वर्ष (1982) हुई ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम का कितना क्षेत्रफल अब तक नदी के कटाव से बाढ़ ग्रस्त एरिया में सम्मिलित हो गया है ? क्या इस गाँव के कटाव को रोकने के लिए विगत कई वर्षों से सरकार को आवेदन-पत्र दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त गाँव के कटान को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील नौगढ़ के आंकड़ों के अनुसार 1982 की बाढ़ में ग्राम छितरापार में पांच मकानों की कटान हुई, जिसकी अनुमानित लागत रुपया 26000 थी ।

नदी के कटान के कारण ग्राम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है । नदी के कटान से पूरी लम्बाई में विगत वर्षों में लगभग 30 एकड़ भूमि कट कर नदी की तली में गई है ।

जी हाँ ।

नदी के तीव्र घुमाव को सीधा करने की योजना पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले के रौनापार लाट घाट पर स्थित बेलकुण्डा गांव तक बस चलाए जाने की मांग

6—श्री पंचानन राय —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम बुधवार के अता०प्र०सं०–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह किस आधार पर निश्चय किया गया है कि बेलकुण्डा तक बस चलाना अलाभकर है ? क्या इसके लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो क्या इसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता को दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह—

जी हाँ। प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार इस मार्ग पर बस चलाना अलाभकर पाया गया। सर्वेक्षण की माँग सदस्य महोदय द्वारा न किये जाने के कारण सर्वेक्षण की सूचना उन्हें नहीं दी गयी।

बरेली नगर बस स्टेशन के ड्राइवर श्री के०वी० वर्मा तथा इन्चार्ज श्री के०के० मिश्रा के विरुद्ध जांच

7—**श्री चेतराम गंगवार—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती पत्र दि० 19-9-82 ई० को बरेली नगर बस स्टेशन के ड्राइवर श्री के० वी० वर्मा तथा इन्चार्ज श्री के०के० मिश्रा के खिलाफ मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा जांच किस अधिकारी से कराई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 19-9-82 का तो नहीं, किन्तु दिनांक 16-9-82 का पत्र प्राप्त हुआ।

इस प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज करायी गयी है जिस पर पुलिस स्तर से जांच की जा रही है। जिलाधिकारी बरेली को भी किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच करवाने के लिए आदेश दिये गये हैं।

हमीरपुर जनपद में पांडवा नदी के किनारे बांध बनाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

8—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सपरार सिंचाई खण्ड झांसी के अन्तर्गत ग्राम लोधीपुरा ब्लाक सरीला हमीरपुर जनपद में पांडवा नदी के किनारे बांध बनाए जाने के संबंध में वर्ष 1980-81 में जो आकलन (एस्टीमेट) स्वीकृत किया गया था ? उस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न किए जाने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत नहीं हुआ है तथा राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने हेतु इसके कुछ तकनीकी बिन्दुओं पर विचार और विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

रोडवेज, फैजाबाद द्वारा दुर्घटना में मृत्यु

9—**श्री मित्रसेन—**

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 73 के उत्तर के संदर्भ में दुर्घटनाग्रस्त मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पांचवे बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के रूप में दिया गया था। उस उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट में बस की संख्या सही न होने के कारण पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या लगा दी गयी थी। सही सूचना के अभाव में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता देना सम्भव नहीं है।

10—**श्री मित्रसेन—**

[दिनांक 17-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 48 द्वारा उत्तरित]

अकबरपुर स्थित स्टेट स्पिनिंग मिल के प्रबन्धक द्वारा बगैर विज्ञापन के भर्ती करने तथा गोलीकाण्ड की घटना के अभियोग में श्री आर.सी. शरद तथा वीरेन्द्र यादव को दिया गया यात्रा भत्ता व टैक्सी चार्ज

11—**श्री नत्थूलाल तथा**

श्री प्रियदर्शी जेतली—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 2रे मंगलवार के ता० प्र० सं०-10 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को जांच कब दी गयी है ? क्या जांच की कोई रिपोर्ट अब तक शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत जांच माह जनवरी, 1981 में संदर्भित की गई और जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है।

12—**श्री नत्थूलाल तथा**

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर. सी. शरद पूर्व सुरक्षा अधिकारी, स्टेट स्पीनिंग मिल, रायबरेली व इसी मिल के श्रमिक वीरेन्द्र यादव, 14 अप्रैल से 3 मई, 79 तक फैजाबाद जिला जेल अकबरपुर स्पीनिंग मिल में हुई गोलीकाण्ड की घटना के अभियोग में धारा 307 इत्यादि के अन्तर्गत बन्द थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्टेट स्पीनिंग मिल, रायबरेली द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को उनके जेल में रहने की अवधि में 366-30 रुपया तथा 434-72 रुपया यात्रा-भत्ता व 309-15 रुपया टैक्सी चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो किस आदेश व नियम के अन्तर्गत ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके जेल में रहने की अवधि में कोई यात्रा भत्ता अथवा टैक्सी चार्ज नहीं दिया गया है।

डा० परमानन्द मिश्र, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग को दिये गये पत्र में मुख्य बिन्दु

13 **श्री मित्रसेन**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० परमानन्द मिश्र, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र क्रमशः दि० 11-9-81 एवं 24-2-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अवर अभियंता (यांत्रिक) की सहायक अभियंता (यां०) पद पर प्रोन्नति की बात कही गयी है ।

माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति के 13 स्थाई अवर अभियंता (यांत्रिक) पदोन्नति के लिए उपलब्ध बतलाये थे तथा पदोन्नति किये जाने का निवेदन किया था ।

वर्ष 1982 में अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (यांत्रिक) पद पर 51 प्रोन्नतियाँ की गयी हैं जिनमें से 22 पदों पर कोटे के विरूद्ध प्रोन्नतियाँ एवं 29 पदों पर अल्पकालीन व्यवस्था में प्रोन्नतियां की गयी हैं ।

पात्रता-सूची में आने वाले सभी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति पर चयन समिति की बैठकों में विचार किया गया था ।

नियमित व्यवस्था में अनुसूचित जाति के चार अवर अभियंता तदर्थ रूप से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदों पर प्रोन्नत किये गये और अल्पकालिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति के चार अवर अभियंता (यांत्रिक) तदर्थ रूप से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदों पर प्रोन्नत किये गये ।

शारदा सहायक नहर पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

14—**श्री पंचानन राय**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मारकण्डे राय ग्राम गडौरा मझौरा, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 5 मार्च, 82 के साथ शारदा सहायक नहर पर पुलिया बनाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड 52 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पैदल पुल के निर्माण की स्वीकृत 3 दिसम्बर, 82 को दी जा चुकी है ।

शारदा सहायक नहर निर्माण में ली गई भूमि के मुआवजे में वृद्धि संबंधी प्रार्थना-पत्र

15—**श्री पंचानन राय**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गडौरा मझौरा, तहसील सगड़ी,

जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का शारदा सहायक नहर के निर्माण में ली गयी भूमि के मुआवजे में वृद्धि से सम्बधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 मार्च, 82 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ की लखनपुर माइनर में मरम्मत का कार्य

16—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विध्याचल राय, प्रधानाचार्य किसान मजदूर इण्टर कालेज, ओरा, आजमगढ़ का लखनीपुर माइनर की खराब स्थिति से संबंधित पत्र प्रश्नकर्त्ता के दि० 22-11-80 के पत्र के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । संबंधित पत्र जिला अधिकारी अजामगढ़ के माध्यम से प्राप्त हुआ था । प्रश्न में माइनर का नाम लखनीपुर अंकित है जबकि इसका सही नाम लखनपुर माइनर है । माइनर में आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है और माइनर ठीक स्थति में है ।

दोहरीघाट लिंक चैनल पर पुलिया का निर्माण

17 श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव राय प्रधान ग्राम सभा रामगढ़ का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि० 28-2-82 के साथ दोहरीघाट लिंक चैनल पर पुलिया बनाए जाने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता खण्ड–52 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ।

पुलिया का निर्माण प्रगति पर है ।

मड़ियाहूं—केराकत राजबहा की खुदाई और पुर्ननिमाण में ग्रामों की ली गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

18—श्री प्रभू नारायण सिंह

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा नहर के मड़ियाहूं—केराकत राजबहा की खुदाई और पुर्ननिर्माण में पुरैवां कुसिया और नाहर पट्टी ग्रामो के पचीसों मकान प्रभावित हुए हैं और इन क्षतिग्रस्त मकानों के लिए संबंधित व्यक्तियों को न तो क्षतिपूर्ति कराई गई और न गृह निर्माण की कोई योजना ही बनाई गयी । क्या सरकार नहर की खुदाई से क्षतिग्रस्त इन मकानों को शीघ्र क्षतिपूर्ति कराकर निर्मित करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। ग्राम पुरेव में नहर की दाहिनी पटरी पर एक तथा बाईं पटरी पर दो व्यक्तियों के मकान, ग्राम नाहर पट्टी में दाईं तरफ 3 तथा बांईं तरफ 3 व्यक्तियों के मकान पड़ते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों ग्रामों में कुल 9 मकान पड़ते हैं। इनके प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम कुसिया में जिन दो व्यक्तियों का मकान लाइन में आया है उन्हें प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है।

मकानों की क्षतिपूर्ति के उपरान्त उन्हें निर्मित कराने का प्राविधान नहीं है।

जनपद वाराणसी को विधवा पेंशन दिए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि

19—**श्री बनवारी राम—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1982-83 के लिए जनपद वाराणसी को विधवा पेंशन दिए जाने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? अब तक किस-किस तहसील में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन विधवाओं को दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ धनराशि अभी वितरित करना अवशेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1982-83 में वाराणसी जनपद को विधवा पेंशन दिये जाने हेतु 96000/रु० धनराशि आहरित की गयी है।

अब तक जिले की तहसील ज्ञानपुर में 31, तहसील चकिया में 34, तहसील चंदौसी में 33 तथा तहसील वाराणसी में 117 विधवाओं को क्रमशः रु० 8281.95, रु० 11096·75, रु० 7664·20 तथा रू० 30038·70 कुल रु० 57081·60 की धनराशि प्रथम छमाही हेतु विधवाओं को दी जा चुकी है († सूची संलग्न)।

प्रश्न नहीं उठता। अब मात्र रु० 38918·40 की धनराशि है जिसे द्वितीय किश्त के रूप में मार्च 1983 के अन्त तक वितरित कर दी जायेगी।

जनपद वाराणसी में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृति का वितरण

21—**श्री बनवारी राम—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 81-82 में जनपद वाराणसी में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति देने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? तथा किन-किन विकास खण्डों में कितनी-कितनी छात्रवृति की धनराशि वितरित की गयी है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विकासखण्ड सुरियावां में किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं में कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा —

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापी नहीं गयी

ब्लाक भदोही जिला वाराणसी में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का निर्णय

21—**बनवारी राम**—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी में कोई आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हाँ, तो वह विद्यालय कब तक खुल जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

भदोही जिला वाराणसी में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

शारदा सहायक पोषक नहर के शीर्ष से टेल तक जल भराव से पीड़ित क्षेत्र का आंकलन

22—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग ने अभी तक शारदा सहायक खण्ड कमाण्ड एरिया का सर्वे करके ऐसे क्षेत्र का आंकलन किया है जो जल भराव से पीड़ित हो ? इस नहर में हेडवर्क्स से खेतों तक पानी पहुँचाने में कुल कितने प्रतिशत जल रिसाव एवं वाष्पीकरण से नष्ट हो जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के शीर्ष से टेल तक जल भराव से पीड़ित क्षेत्र का आंकलन किया गया है जो वर्तमान में लगभग 38000 हेक्टेयर है । पोषक नहर के हेड से विभिन्न वितरण प्रणालियों के शीर्षों तक पानी पहुँचाने में लगभग 10 प्रतिशत जल वाष्पीकरण एवं जल रिसाव से नष्ट हो जाता है ।

23—**जयदीप सिंह बरार**—

[5 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जमरानी बांध परियोजना का निर्माण

24—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमरानी बांध परियोजना कब तक पूरी हो जायगी और इससे कितनी सिंचन क्षमता का सृजन किए जाने का लक्ष्य है और यह सिंचन क्षमता कौन-कौन से जिलों को कितने क्षेत्र में लाभ पहुँचायेगी और कौन-कौन से मौजूदा सिंचन संकर्म का इससे उच्चीकरण होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जमरानी बांध परियोजना का निर्माण दो-चरणों में किया जाना है । प्रथम चरण का कार्य समाप्त हो चुका है । द्वितीय चरण के सम्बन्ध में पुनरीक्षित परियोजना शीघ्र भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जायगा । कार्य आरम्भ होने की तिथि से इस कार्य को पूर्ण होने में लगभग 7 वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

पुनरीक्षित आँकड़ों के अनुसार परियोजना से 62,565 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सिंचन क्षमता से नैनीताल, बरेली एवं रामपुर जनपदों का लगभग 1,50,300 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा तथा भावर एवं तराई क्षेत्र के निम्न 16 सिंचन संकर्मों का इस परियोजना द्वारा उच्चीकरण होगा :—

1—गोलावार नहर प्रणाली
2—गोलावार नहर प्रणाली
3—कटना नहर प्रणाली
4—पाहा नहर प्रणाली
5—किच्छा नहर प्रणाली
6—बरौर नहर प्रणाली
7—बल्ली नहर प्रणाली
8—कुल्ली नहर प्रणाली
9—भुगैया नहर प्रणाली
10—जौनसकट नहर प्रणाली
11—कलैया नहर प्रणाली
12—बरई नहर प्रणाली
13—मटकोटा नहर प्रणाली
14—कनेटा नहर प्रणाली
15—डरान नहर प्रणाली
16—बौर हरीपुरा नहर प्रणाली

25—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बल्ली बांध एवं कुल्ली बांध से निकलने वाली नहरों में कृषि योग्य कमाण्ड में आने वाले ग्राम व उनका क्षेत्रफल

26—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में स्थित बल्ली बांध से एवं कुल्ली बांध से निकलने वाली नहरों के कमाण्ड एरिया से क्रमशः कौन-कौन से गांव स्थित हैं और उनका कितना क्षेत्रफल है ? वर्ष 1977-78, 78-79, 79-80, 80-81 एवं वर्ष 81-82 में इन दोनों नहरों द्वारा अलग-अलग कितना क्षेत्रफल सिंचित हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली जनपद में बिल्ली बांध एवं कुल्ली से निकलने वाली नहरों के कमाण्ड में क्रमशः 26 एवं 41 ग्राम स्थित हैं जिनका भोगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः 5320 हेक्टेयर एवं 8862 हेक्टेयर है वांछित विवरण संलग्न है।

वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 में बल्ली बांध द्वारा क्रमशः 329, 794, 297, 755 एवं 699 हेक्टेयर सींच हुई है तथा कुल्ली नहर प्रणाली द्वारा सींच क्रमशः 2,526, 2,620, 386 1,884 एवं 2,295 हेक्टेयर हुई।

(देखिए नस्थी "क" आगे पृष्ठ पर।)

महाराजगंज जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बहने वाले नालों से फसल को क्षति

27—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के अन्तर्गत बहने वाले नाले बलिया, रेहाव व नदाव की बाढ़ व जल जमाव से इस वर्ष की

बाढ़ से कुल कितने एकड़ खेतों की क्षति हुई है ? इस हेतु शासन क्या करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत नाले रोहिन नदी में गिरते हैं। वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण इन नालों से इस वर्ष लगभग 11,500 एकड़ रकबा जलप्लावित हुआ है, परन्तु इससे फसल को कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि यह पानी लगभग एक सप्ताह में नदी का स्तर नीचे होते ही निकल गया।

महाराजगंज में नहरों, राजवाहों आदि पर पुल-पुलिया के निर्माण पर विचार

28—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में प्रश्नकर्ता ने किन-किन नहरों, राजवाहों आदि पर पुल-पुलिया बनाने हेतु किन-किन स्थानों पर माह जून, 80 से माह सितम्बर, 28, 1982 तक माँग किया है ? अब तक किन-किन स्थानों पर कार्य सम्पन्न हुआ कहां-कहां का निर्माणाधीन तथा कहां-कहां का मामला अब भी विचाराधीन है और इस पर कब तक कार्यवाही करके निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह जून, 1980 से 2 सितम्बर, 1982 की अवधि में मा० विधायक महोदय द्वारा जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में महाराजगंज राजवाहा के किलोमीटर 9.5 कुथिया राजवाहा कि किलोमीटर 6.200, एवं मधुबनी शाखा के किलोमीटर 10.660 पर पुल निर्माण की मांग की गई थी। उपरोक्त तीनों पुलों पर निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हुए हैं और न ही निर्माणाधीन हैं। मधुबनी राजवाहा के किलोमीटर 10.660 पर पुल स्वीकृत है। धन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी। शेष उपरोक्त दो स्थानों पर पुलों की आवश्यकता नहीं पाई गई।

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में बाढ़ आने से फसलों को क्षति

29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के कई दर्जन गांव बरसात के पानी एवं ड्रेन्स द्वारा लाए पानी व उचित जल बहाव न होने के कारण प्रतिवर्ष तबाह व भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो जल-जमाव व नहरी पानी से हो रही क्षति को कितना आंका गया है तथा कुल कितने एकड़ खेत प्रभावित हैं ? इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाने के कारण लगभग 4600 हेक्टेयर रकबा जलप्लावित हो जाता है। इसका पानी लगभग एक सप्ताह में निकल जाता है। इससे फसल को कोई क्षति नहीं होती है। नालों के पानी से भी कोई क्षति नहीं होती है।

नहरों को पक्का करने हेतु योजना का क्रियान्वयन

30—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में स्थित नहरों को पक्का करने के लिए कोई विस्तृत योजना बना कर इसे कार्यान्वित करने हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना यू० पी० कम्पोजिट प्रोजेक्ट के नाम से बनाई जा रही है । इस कार्य हेतु मेसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी इण्डिया को परामर्शदाता रखा गया है, जो इस कार्य की फिजीबिल्टी रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं । फिजीबिल्टी रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उसका परीक्षण करने के उपरान्त रूप-रेखा स्पष्ट हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर, राज्य कताई मिल में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र

31—**श्री जंगबहादुर तथा**

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर राज्य कताई मिल ग्रुप नं० 1 में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व श्रमिकों के शोषण से सम्बन्धित जनपद के दो भू० पू० उप मंत्रियों एवं विधायकों के हस्ताक्षर से माह मार्च, अप्रैल, 81 में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या उसकी जांच आयुक्त फैजाबाद को दी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत रिपोर्ट में संबंधित मिल की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है ।

पर्यटक स्थल नैमिषारण्य हेतु प्राइवेट बसों की व्यवस्था की माँग

32—**श्री हरगोविन्द वर्मा**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधोली से जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल नैमिषारण्य को जाने के लिए प्राइवेट बसों की व्यवस्था है ? क्या प्राइवेट बसों की व्यवस्था को समाप्त करके रोडवेज बसें चलाई जायेंगी तथा मेला अमावस्या के लिए स्पेशल व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चारबाग डिपो में बसों के संचालन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

33—श्री संत बक्स रावत—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र जो चारबाग डिपो में बसों का संचालन के सम्बन्ध में है दिनांक 9-6-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच प्रधान परिवहन निगम से करा ली गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

जी हाँ ।

जांच में यह पाया गया कि दिनांक 1-6-82 को 5-45 बजे प्रातः चारबाग से ओबरा एवं 6-00 बजे प्रातः रायबरेली जाने वाली बसें स्थगित रहीं । 7-30 बजे इलाहाबाद जाने वाली सेवा भी बिना टिकट यात्रियों के बस में बैठ जाने के कारण विलम्ब से गयी ।

क्षेत्रीय अधिकारियों को भविष्य के लिये सचेत करते हुये सेवायें निर्धारित समय से संचालित किये जाने हेतु कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा को स्वीकृत अनुदान का भुगतान

34—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामस्वरूप पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद जाटव, मो० पजावा, भोलेपुर, फतेहगढ़ को 4,000 रुपया अनुदान स्वीकृत हुआ था परन्तु इन्हें केवल 1,000 रुपया का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या इस विषय में प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र संख्या 475/का/80 दिनांक 13-10-80 को आयुक्त, अनुसूचित एवं जनजाति उ०प्र० लखनऊ को लिखा था ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद जाटव भोलेपुर को 5,000/- रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी किन्तु भुगतान के पूर्व सत्यापन करने पर पता चला कि उनकी लड़की जिसकी ट्रक द्वारा हत्या हुई थी, वह नाबालिग थी व कमाने वाली नहीं थी अतः श्री राम स्वरूप को नियमानुसार 1,000/- रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । जिलाधिकारी फर्रूखाबाद ने पत्र दिनांक 20-6-81 द्वारा आयुक्त अनुसूचित एवं जनजाति, उ०प्र० लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए माननीय सदस्य एवं संबोधित व्यक्ति श्री राम स्वरूप को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया है ।

श्री सत्य नारायन शुक्ला पूर्व श्रम आयुक्त एवं पंच निर्णायक द्वारा दिया गया निर्णय

35—**श्री महाराज सिंह तथा**

श्री प्रियदर्शी जेतली —

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्य नरायन शुक्ला पूर्व श्रम आयुक्त उ०प्र० एवं पंच निर्णायक ने अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल अकबरपुर फैजाबाद की उ०प्र० राज्य कताई मिल कर्मचारी संघ अकबरपुर के माध्यम से उठाये गये विवाद पर जो निर्णय 26 जून, 82 को दिया है वह क्या है ? उक्त निर्णय में क्या पंच निर्णायक ने उक्त प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों द्वारा समय-समय पर उक्त यूनियन के श्रमिकों के साथ पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो कौन से विन्दु पर और उक्त पक्षपात पूर्ण कार्य के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? क्या विभाग उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत निर्णय उत्तर प्रदेश के गजट दिनांक 26 जून, 1982 में प्रकाशित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

जी नहीं, कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

मृतक श्री नरेश राम की विधवा पत्नी श्रीमती चन्द्रावती की रसोइया पद पर नियुक्ति

36—**श्री राम नारायण सिंह—**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेश राम निवासी ग्राम ववेड़ी जिला गाजीपुर जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग गाजीपुर में चौकीदार पद पर कार्यरत थे उनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 6-12-1973 नियुक्ति (4) दिनाँक 7-10-75 के अनुसार मृतक परिवार को क्या राहत दी गई ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 28-9-82 को मृतक की विधवा श्रीमती चन्द्रवती के प्रार्थना-पत्र को मंत्री जी को भेजा था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

शासनादेश संख्या 6-12-1973 नियुक्ति (4) दिनांक 7 अक्टूबर, 1974 के परिपालन में मृतक श्री राम नरेश राम की विधवा पत्नी श्रीमती चन्द्रावती की नियुक्ति रसोइया के पद पर राजकीय छात्रावास में कर दी गई ।

श्रीमती चन्द्रावती देवी का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 28 सितम्बर, 1982 जो कि माननीय मंत्री जी को संबोधित था, प्राप्त हुआ था जिसे निदेशालय को भेज दिया गया था ।

37—श्री दलगंजन सिंह—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

औद्योगिक स्थान, कालपी का निर्माण

38—श्री शंकर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के कालपी नगर में स्थल कब तक बन कर पूर्ण होना था और कब पूर्ण हुआ तथा बनने में कितनी लागत आयी। उद्योगस्थल में शेड्स तथा प्लांट्स का आवंटन कब तक हो जायगा और किराये की क्या दरें निर्धारित की गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

औद्योगिक आस्थान कालपी का निर्माण 1981-82 में पूर्ण होना था किन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लागत का अनुमान लग सकेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर औद्योगिक आस्थान का अधिकार उद्योग विभाग को मिलने एवं मूल्य निर्धारण होने पर आवंटन किया जायेगा। किराये की दरों का निर्धारण वास्तविक व्यय ज्ञात होने पर ही करना संभव होगा।

लखावटी ब्रांच में बी०आर०बी० के निर्माण में ठेकेदार द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र की जांच तथा अवर अभियन्ता को लिखे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

39—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मध्य गंगा नगर के लखावटी ब्राँच के कि०मी० 8-45 पर बन रही बी०आर०बी० के सम्बन्ध के ठेकेदार ने 15-6-82 को अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 8 हापुड़ व 5-5-82 को अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खंड द्वितीय मेरठ को व 27-5-82 व 9-6-82 अधीक्षक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मंडल द्वितीय मेरठ को शिकायती-पत्र कार्य की प्रगति भ्रष्टाचार व लापरवाही के सम्बन्ध में लिखे ? यदि हाँ, तो पत्र क्या है ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

ये पत्र प्रश्नगत निर्माण कार्य व निर्माण कार्य के लिए खरीदी गई सामग्री के मूल्य का भुगतान न करने के संबंध में हैं। शिकायती पत्रों के आरोप जाँचोंपरान्त निराधार पाये गये जिसकी सूचना संबंधित ठेकेदार को दे दी गई।

40—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखावटी ब्रांच के कि०मी० 8-45 पर बी०आर०बी० के निर्माण के संबंध में सहायक अभियन्ता द्वितीय मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-8 हापुड़ द्वारा दो पत्र संख्या 172 दिनांक 22-5-82 व संख्या 254 दिनांक 25-6-82 को कार्य की प्रगति व सरकारी रिकार्ड बन्द किये जाने आदि के सम्बन्ध में सरकार को लिखे गये ? यदि हाँ, तो वह पत्र क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखावटी ब्रांच के किमी० 8.45 पर बी०आर०बी० के निर्माण में सहायक अभियन्ता द्वितीय मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-8 हापुड़ द्वारा पत्र सं० 172 दिनांक 22-5-82 व संख्या 254 दिनांक 25-6-82 सरकार को नहीं लिखे गये। उपरोक्त पत्र सहायक अभियन्ता द्वारा श्री डी०डी० शर्मा अवर अभियन्ता को उनके अवकाश पर जाने एवं कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु लिखे गये।

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में मस्टर रोल द्वारा एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत ड्रेनों का निर्माण तथा व्यय

41—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 32 जनपद आजमगढ़ में एन०आर०पी० योजना के अन्तर्गत मस्टर रोल से जनवरी, 82 से सितम्बर 82 तक किन-किन ड्रेनों पर कितना-कितना किलोमीटर कार्य कराया गया और उसका अलग-अलग कितना भुगतान किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में जनवरी 82 से सितम्बर 82 तक मस्टर रोल द्वारा एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत 81-485 कि०मी० ड्रेन का निर्माण किया गया जिस पर 12/82 तक रुपया 6,43,206-50/- व्यय हुआ है। ड्रेनवार विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर)

विकास विद्यालय ईश्वर शरण हाई स्कूल, इलाहाबाद में लागू माध्यमिक शिक्षा अधिनियम तथा कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी

42—श्री पंचानन राय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास विद्यालय ईश्वर शरण हाई स्कूल, इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि दस जुलाई, 82 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करके अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त श्रीमती गंगोत्री भट्टा गृहमाता को पेंशन नहीं दी जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्वेच्छिक संस्था द्वारा संचालित और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान से पोषित विकास विद्यालय ईश्वर शरण हाई स्कूल, इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए कक्षा स्तर तथा पढ़ाए जाने वाले विषयों एवं परीक्षा लेने के लिए ही माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू है। इस विद्यालय की स्थिति सामान्य विद्यालयों से भिन्न है। यहाँ के कर्मचारियों से न तो फण्ड अथवा ग्रुप इन्श्योरेन्स के अंशदान की नियमित कटौती ही की जाती है और न ही उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात् कोई पेन्शन या ग्रेच्युटी ही देय होती है।

भ्रम सियरही के कृषकों की नहर के निर्माण में ली गयी भूमि तथा मुआवजा

43—**श्री पंचानन राय**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट ब्लाक में स्थित ग्राम सियरही के किसानों को नहर के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

इस ग्राम में कुल भूमि 36.954 एकड़ ली गयी है जिसमें से 35.827 एकड़ भूमि सामूहिक कटौती से चकबन्दी विभाग से प्राप्त हुई है । 1.097 एकड़ भूमि चक आउट की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है और मुआवजा बांटने के लिए आवश्यक धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है ।

अकबरपुर स्थित जनता धोती कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

44—**श्री प्रियदर्शी जेतली**—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, जून, 1982 में प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ अकबरपुर जिला फैजाबाद के बुनकरों का कोई शिकायती-पत्र अकबरपुर स्थित जनता धोती कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शिकायतें क्या हैं ? क्या उक्त शिकायतों की जाँच कराई गई है ? यदि हाँ, तो क्या जाँच अधिकारी ने प्रश्नकर्त्ता से भी उनके पत्र के संबंध में कोई जानकारी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित पत्र के अभाव में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

पिकअप प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन में कार्यरत इन्जीनियर तथा आरक्षण संबंधी नीति का पालन

45—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिकअप प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन में कितने इन्जीनियर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा कितने इन्जीनियर पिछड़ी जति के हैं ? क्या पिकअप में नियुक्ति में आरक्षण संबंधी आदेश का पालन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकअप) लि०, में इस समय 20 इन्जीनियर कार्य कर रहे हैं तथा उसमें से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति का नहीं है। इसका कारण यह है कि तकनीकी पद के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। पिकअप में नियुक्तियों में शासन की आरक्षण सम्बन्धी नीति का पालन किया जाता है।

सीतापुर रायकोट अर्थना मार्ग पर सिटी बस पुनः चलाने की मांग

46—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर रायकोट अर्थना (जिला सीतापुर) सिटी बस सर्विस हाल में बंद कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा पुनः कब से चालू कर दी जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। सीतापुर रायकोट अर्थना मार्ग पर चलाई गयी सिटी बस सर्विस आय प्रति किलोमीटर अत्यधिक कम थी। अतः हानिकारक होने के कारण दिनांक 13 जुलाई, 1981 को इसे बन्द कर दिया गया।

उपर्युक्त दशा में इसका पुनः संचालन सम्भव नहीं है।

सीतापुर राजकीय नलकूप संख्या 70 के निर्माण में अधिग्रहीत की गई भूमि एवं मुआवजा

47—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर राजकीय नलकूप संख्या 70 के बनाने में जिन किसानों की भूमि ली गयी थी उन्हें अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीतापुर जनपद के प्रश्नगत नलकूप संख्या 70 के भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव 7/180 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा जा चुका है। भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है। यह मुआवजा मार्च 1983 तक दिये जाने की आशा है।

संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार सम्बन्धी शासनादेश

48—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सांसदों/विधायकों के जिला एवं प्रशासन स्तर के विभिन्न विभागीय अधिकारी कौन-सा शिष्टाचार, व्यवहार एवं आचरण अपनायेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में शासन ने कोई आचार संहिता बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? और उसके परिपालन हेतु संबंधित अधिकारियों को कोई निर्देश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं प्रोटोकाल मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

सांसद/विधायकों के साथ जिला एवं प्रशासन स्तर के विभिन्न विभागीय अधिकारी कौन-सा शिष्टाचार, व्यवहार एवं आचरण अपनायेंगे, इस संबंध में शासन के परिपत्र संख्या 984/प्रोटो-19(2)/79, दिनांक 26 फरवरी, 1979 द्वारा विस्तृत निर्देश समस्त शिक्षा अधिकारियों को प्रसारित किये हैं। उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर।)

जालौन जनपद के उरई चुर्खी मार्ग पर चलने वाली बसों से प्राप्त आय

49—**श्री शंकर सिंह—**

प्रथम सत्र 82 के 7 वें बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के अता० प्र० सं० 71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के उरई चुर्खी मार्ग पर चलने वाली दो बसों की अलग-अलग माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 81 की आमदनी क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह बसें अभी तक नहीं चलाई गयी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

50—**श्री राम नरायन, एडवोकेट—**

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

उन्नाव खंड षष्टम उपखंड शारदा नहर, उन्नाव के जूनियर इन्जीनियर व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

51—**श्री हरिवंश सहाय—**

प्रथम सत्र 82 के 5वें बुध के अता. प्र. सं. 17 के उत्तर के संदर्भ क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार सम्बन्धित मामले की उच्च स्तरीय जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संदर्भ में मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि ठेकेदार ने वर्ष 79-80 में भुगतान शेष न होने की फारख्ती विभाग को दिया है ? यदि हाँ, तो इसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत मामलों की जाँच अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराई जा चुकी है, अतः पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

फारख्ती की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर।)

श्री उदय बहादुर, ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के भुगतान के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

52— **श्री हरिवंश सहाय**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निजी सचिव, सिंचाई राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र संख्या एम. एस. (i)/36 (11)–82-1120 दिनांक 6 फरवरी, 82 अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव नहर शारदा खण्ड उन्नाव को श्री उदय बहादुर ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या कृत कार्यवाही से केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके इस सदन को पूर्ण सूचना से अवगत करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्र का उत्तर अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड के पत्रांक सी 647/कैम्प दिनांक 24-2-82 द्वारा अतिरिक्त निजी सचिव, सिंचाई राज्य मंत्री भारत सरकार को भेजा जा चुका है । कोई विलम्ब नहीं हुआ है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का भुगतान

53—**श्री हरवंश सहाय**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 5वें बुध के अता. प्र. सं. 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित ठेकेदार को किस-किस कार्य का कितना भुगतान किया गया ? क्या मन्त्री जी उपरोक्त संदर्भ में कृपया यह भी बतायेंगे कि दिनांक 31-3-80 को कौनसी फारख्ती लिख कर दी है ? उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले में ठेकेदार को माइनरों पर कराये गये मिट्टी के कार्य सर्विस रोड का निर्माण, झुण्ड सफाई, वार्षिक मरम्मत व सफाई, खूंटा स्पर बनाने के कार्य तथा ठेक सफाई के कार्यों का रुपये चौंतिस हजार दो सौ इक्यासी (रु०-34,281) का भुगतान किया गया ।

संबंधित फारख्ती की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ पर ।)

उन्नाव खण्ड षष्टम उप खण्ड शारदा नहर के ठेकेदार श्री काली शंकर पाल के द्वारा किये गये कार्य व भुगतान की राशि

54—**श्री हरिवंश सहाय**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के प्रथम बुध के अता० प्र० सं० 31 के उत्तर के सन्दर्भ में सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित नहरें व रीज के कार्य के

संबंध में किसी ठेकेदार को कोई कार्यादेश न जारी करने तथा भुगतान न करने की सूचना सदन में दी गई थी ? उसके पश्चात विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले बुध के अता० प्र० सं० 170 के उत्तर के संलग्नक क्रमांक 10 व 13 में श्री काली शंकर पाल को कार्यादेश जारी कर जनवरी तथा फरवरी, 80 में ही भुगतान किया गया है ? इस प्रकार गलत सूचना देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 81 के प्रथम बुध के अतारांकित प्रश्न संख्या-31 में केवल कार्यादेश जो अवधि दिसम्बर, 79 से मार्च, 80 में सिल्ट सफाई के लिए निर्गत किये गये हों, की ही बात पूछी गई थी ।

जो उत्तर प्रश्न संख्या 31 का दिया गया था उसमें अन्य अवधि के कार्यादेशों अथवा अन्यत्र कार्यों को नहीं दर्शाया गया था ।

अतारांकित प्रश्न संख्या–170 के उत्तर के संलग्नक क्रम संख्या 10 पर जो विवरण अंकित है उसका कार्यादेश दिसम्बर, 79 से पहले का क्रम संख्या-13 पर जो विवरण अंकित है वह पूरवा ब्रांच पर किये गये कार्यों के संबंध में है जिसके बारे में प्रश्न संख्या-31 में नहीं पूछा गया था । अतः भिन्नता का प्रश्न पैदा नहीं होता । इसलिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व प्रेषित प्रश्न संख्या-170 के उत्तर में क्रम संख्या-29 में अहियरु माइनर को भ्रमवश बिहार माइनर पढ़कर उत्तर में लिख दिया गया तथा आकमपुर टाइप होने से रह गया ।

55—श्री जयदीप सिंह अरार—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

बुलन्दशहर डिपो के कर्मचारी श्री ओम प्रकाश द्वारा ट्यूब चोरी ले जाने के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

56—श्री स्वामी नेमपाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० परिवहन निगम स्टोर बुलन्दशहर की काफी मात्रा में नई ट्यूबें बेचता हुआ 27/28-8-82 की रात्रि में ओम प्रकाश नामक रोड़वेज कर्मचारी पकड़ा गया था ? क्या यह भी सही है कि 3-7-82 को श्री एन०डी०शर्मा, स्टोर कीपर ने 2 बैरिल मोबिल आयल चोरी करके बाजार में बेच दिया ? यदि हाँ, तो उक्त चोरी के मामलों में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दिनांक 28-8-82 को सुबह जब रात्रि की ड्यूटी समाप्त कर बुलन्दशहर डिपो के कर्मचारी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम सरसा घर जा रहे थे तो एक ट्यूब चोरी से ले जाते हुए गेट पर तैनात चौकीदार द्वारा पकड़े गये थे । श्री ओम प्रकाश के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तथा उन्हें आरोप पत्र दिया जा चुका है ।

दिनांक 3-7-82 को श्री एन० डी० शर्मा स्टोर कीपर द्वारा दो बैरल मोबिल आयल चोरी करने की घटना बुलन्दशहर डिपो कार्यशाला में नहीं हुई। अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

57—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ-फर्रुखाबाद हेतु डीलक्स रात्रि बस सेवा चलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

58—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या 441/का/88 दिनांक 26-5-82 पर तत्कालीन परिवहन मंत्री ने फर्रुखाबाद-लखनऊ के एक डीलक्स बस रात्रि सेवा के लिए स्वीकृति की थी ? यदि हां, तो क्या यह सेवा चालू कर दी गई और कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह—

माननीय सदस्य महोदय के पत्र पर तत्कालीन परिवहन मन्त्री जी ने डीलक्स रात्रि बस सेवा चलाने के सम्बन्ध में, आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे।

लखनऊ-फर्रुखाबाद के लिये रात्रि में एक्सप्रेस रेल सेवा उपलब्ध होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक किराये वाली डीलक्स बस सेवा संचालित नहीं की गई।

पुरकाजी और मोरना विकास खण्डों के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने हेतु पुल निर्माण की योजना

59—**श्री मेंहदी असगर**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र मोरना (जनपद मुजफ्फरनगर) के खादर क्षेत्र में विकास खण्ड, पुरकाजी व मोरना में हर वर्ष लाखों व्यक्ति बाढ़ से बेघर हो जाते हैं ? उक्त बाढ़ रोकने सम्बन्धित व पुल बनाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्रों में सोलानी वानगंगा एवं गंगा नदी के कारण बाढ़ हर वर्ष आती है जिससे स्थानीय जनता प्रभावित है।

उक्त क्षेत्र के जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वह उपरोक्त वर्णित नदियों के फ्लड प्लेन (Flood Plain) में आता है जहां बाढ़ की रोकथाम की योजनायें सफल नहीं हो सकेगी।

पुरकाजी और मोरना विकास खण्डों के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए सोलानी नदी के किनारे एक बाँध बनाने की योजना बनायी गई थी, जो तकनीकी दृष्टि से उचित न होने के कारण अनुमोदित नहीं हो सकी। समस्या के अध्ययन के उपरान्त पुरकाजी लक्सर सड़क पर पुल में समुचित विकास का प्राविधान करने का निर्णय लिया गया। इसके निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

फैजाबाद बस डिपो में स्थित कार्यशाला को बस डिपो टांडा, फैजाबाद में स्थानान्तरित किये जाने का विचार

60 —**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अकबरपुर जनपद फैजाबाद बस डिपो में स्थित कार्यशाला को बस डिपो टांडा फैजाबाद में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सन् 1982 में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्यशाला को कब तक टांडा बस डिपो में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं प्रश्न नहीं उठता ।

टांडा, जनपद फैजाबाद रजबहा पौसरा पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति

61—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिहरई व नन्दपुर के बीच टांडा जनपद फैजाबाद रजबहा पौसरा पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध उन्हें प्रश्न कर्त्ता का पत्र दिनांक 9-6-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 9-6-82 उपलब्ध नहीं हो रहा है । परन्तु, जिला अधिकारी के माध्यम से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत स्थल पर अभी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है । तथापि क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बांछित स्थल पर पुलिया स्वीकृत कर दी गई है । इसका निर्माण शीघ्र करा दिया जावेगा ।

जनपद जालौन में परिवहन डिपो तथा वर्कशाप बनाने की योजना

62—**श्री शंकर सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में परिवहन निगम का एक भी (डिपो शेड) वर्कशाप नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या परिवहन निगम की जनपद में डिपो तथा वर्कशाप बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वे डिपो और वर्कशाप कहाँ-कहां बनाये जायेंगे ? और कब तक उसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, जालोन जनपद में परिवहन निगम की कोई वर्कशाप नहीं है ।

उरई में कार्यशाला बनाने की योजना परिवहन निगम के विचाराधीन है जिसे वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में कार्यान्वित किया जाना संभावित है ।

63 —**श्री चेतराम गंगवार**—

[9 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ग्राम झगरपुर तथा कुतुबुद्दीन गढ़वा में स्थापित राजकीय नलकूपों को पुनः विकसन करने का सुझाव

64—**श्री भगवती सिंह विशारद**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के विकास खण्ड, बीघापुर के ग्राम झगरपुर तथा कुतुबुद्दीन गढ़वा में स्थापित राजकीय नलकूप कितने समय से बेकार पड़े हैं ? और अब इनको कारगर बनाने के लिये सहायक अभियन्ता (नलकूप) उन्नाव ने अपने अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता (नलकूप) लखनऊ को क्या-क्या सुझाव भेजे हैं और उनमें से कौन - कौन सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत दोनों नलकूप दिसम्बर, 1980 से अत्यधिक रेत देने के कारण बन्द हैं। सम्बन्धित अधिकारी ने इन नलकूपों के पुनः विकसन करने के सुझाव दिये थे। इन नलकूपों का पुनः विकसन किया गया, किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

कालपी नगर में परिवहन निगम द्वारा बस डिपो बनाने की योजना

65—**श्री शंकर सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के कालपी नगर में परिवहन निगम द्वारा बस डिपो बनाने की योजना है ? क्या उसके लिए भूमि का भी चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो भूमि का चयन कब किया गया तथा बस डिपो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

असेड़ सिमली ओर चमकोट लदोली (चमोली) में राजकीय हाईस्कूल खोलने की माँग

66—**डा. शिवानन्द नोटियाल**—

दिनांक 6 अगस्त, 1980 के ता. प्र. सं. 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से असेड़ सिमली और चमकोट लदोली जिला चमोली और बड़ौली, और जिला पौड़ी गढ़वाल में राजकीय हाईस्कूल अब तक नहीं खोले गये हैं ? अब कब तक ये स्कूल खोल दिये जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

असेड़ सिमली [चमोली] में राजकीय हाईस्कूल वर्ष 1982-83 में खोल दिया गया है। चमकोट लदोली [चमोली] तथा बिड़ोली (पौड़ी गढ़वाल) में निर्धारित अर्हताओं व मानकों को पूर्ति न करने के कारण हाईस्कूल नहीं खोले जा सके।

हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों को अलग करने का निर्णय

67—**श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों को अलग करने के लिए शासन द्वारा लिये गये निर्णय को कब तक लागू करेंगे ? क्या यह सही है कि शासन के उक्त निर्णय को लागू करने के लिए विधान सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने सन् 81 से लगातार दिनांक 8 फरवरी, 82 तक माननीय मुख्य मंत्री जी से लिखित अनुरोध किया है ? यदि हां, तो दोनों विभागों को अलग करने के निर्णय को लागू क्यों नही किया जा रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा —

हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों को अलग करने के निर्णय पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जनपद इलाहबाद के विकास खण्ड करछना के गांव सुलभई के कृषकों हेतु पम्प नहर योनजा का निमांण

68—**श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना के गांव भुलभई के किसानों के खेतों को पानी पहुँचने हेतु लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना जनता शासनकाल में स्वीकृति हुई थीं ? यदि हाँ, तो क्या उसके निर्माण हेतु तीन बार सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो उसने अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । जनपद इलाहबाद के विकास खण्ड करछना के गांव सुलभई के कृषकों के मांग पर पम्प नहर योजना हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण वर्ष 1978 -79 में कराया गया था । तकनीकी दृष्टि से योजना उपयुक्त न होने के कारण कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी ।

रजबहा मीरनगर का समरेखन के विपरीत निर्माण तथा तथा दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

69—**श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता तथा उप राजस्व अणिकारी ने पत्रांक 352/ पी० 3 दिदांक 29-5-77 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल, बाराबंकी को अपनी आख्या में कृषकों की इस शिकायत की कि रजबहा मरिनगर को उसकी समरेखन के विपरीत बनाया गया है, सही पाया ? यदि हां, तो समरेखन के विपरीत रजबहा का निर्माण करने के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? क्या समरेखन के अनुसार रजबहा के निर्माण में दुरुस्ती लाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । समरेखन के विपरीत रजबहा के निर्माण कराने के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को आरोप पत्र देकर कार्यवाही की जा रही है ।

मौर नगर रजबहा के कि. मी. 2.75 से 2.85 एवं कि. मी. 4.70 से 4.80 अर्थात 200 मी. में परिवर्तित समरेखन को स्वीकृत सरेमखन पर दुरुस्त कर दिया गया है।

कि. मी. 6.90 के पश्चात नहर का निर्माण कि. मी. 7.20 तक किया गया है। इस भाग में निर्मित नहर स्वीकृत समरेखन पर सुधार किया जा रहा है।

कि. मी. 5. 0 से कि.मी. 5.30 अर्थात 300 मी० में यद्यपि स्वीकृत समरेखन से कुछ विपरीत निर्माण किया गया है, यह परिवर्तन नहर में कर्द लगाने की निर्धारित नीति के कारण था। अतः इसमें अनियमितता नही थी।

कि. मी. 3.20 से कि० मी० 460 तथा एवं कि. मी. 5.60 से कि० मी० 6.90 तक अर्थात 2.7 कि० मी० में निर्मित नहर का समरेखन स्वीकृत समरेखन से कुछ भिन्न है। नहर के इस भाग में लगभग 5 बर्षो से पानी चल रहा है अतः इसमें अब दुरुस्ती करना व्यवहारिक एवं उचित नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता शारदा कैनाल, बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कतिपय शिकायतों की जाँच

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 79 में श्री हरि प्रसाद वर्मा, ग्रा. व पो. हरख, जिला बाराबंकी की दरखवास्त पर श्री एस. एस. जौहरी अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ. प्र. ने अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कतिपय शिकायतों की जांच की थी? यदि हां,तो शिकायतों का विवरण क्या है, कौन-कौन सी शिकायतें जांच में सही पाई गयी थी और क्या अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट पर शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

71— **श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल, बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में जुलाई, 82 के 1 ले पखबारे में प्रश्नकर्ता की चिटटी सचिबालय व टैक्नीकल अधिकारी, सिंचाई सेल, लखनऊ को मिली है ? यदि हाँ, तो शिकायत पत्र में अंकित आरोप क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता मा. सदस्य की प्रश्न मे उल्लिखित चिटठी शासन में प्राप्त हुई हैं।

शिकायती पत्र में अंकित आरोपों का वितरण निम्न प्रकार है :—

3/82 में निरीक्षण भवनों के लिए क्रय किये गये रुपये 7800/,, के बैड अधिशासी अभियन्ता के घर में है, क्वार्टर की मरम्मत पर दिखाया गया रु.-3,300/,, का व्यय फर्जी

है, मस्टर रोल पर लगे 100–150 व्यक्ति अवर अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के घरों पर कार्यरत है, वर्ष 1981–82 में दरियाबाद शाखा की क्षमता वृद्धि का कार्य और वर्ष 82-83 में उसी शाखा की कगार को सीधा करने का कार्य, लाखों रुपये की लूटमार के आधार रहे, अधिशासी अभियन्ता ने सिचाई के आँकड़े गलत दिये हैं, अधिशासी अभियन्ता ने मिट्टी का फर्जी भुगतान करके पैसा लिया है, प्रथम खण्ड में पुल के निर्माण हेतु दो-दो अनुबन्ध किये हैं, तथा अधीक्षण अभियन्ता से साँठ-गाँठ करके 80 हजार रुपया दिलाया व अपने लड़के को ठेकेदारी में लगाया ।

उपरोक्त आरोपों की जाँच मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक ने करा लीं है ।

72--**श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल, बाराबकी ने पूर्ववर्ती अधिशासी अभियन्ता श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा नहरों के निर्माण व रख रखाव तथा फर्जी भुगतान से सम्बन्धित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की सूचना सिचाई विभाग/शासन को जून/जुलाई 82 में प्रेषित की ? यदि हाँ, तो उनकी आख्या के अनुसार आरोप क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्कूटर फैक्टरी खोलने का निर्णय

70—**श्री बदन सिंह—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में कोई स्कूटर फैक्ट्री खोलने का निर्णय अभी हाल में शासन ने लिया है ? यदि हाँ, तो यह फैक्टरी कब तक खोल दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के ग्राम डाबर में खनन कार्य रोकने के सम्बन्ध में पत्र

74—**श्री बदन सिंह—**

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम डाबर की आबादी क्षेत्र में पत्थर निकालने की खनन कार्य रोकने के सम्बन्ध में 2 सितम्बर, 82 को उनको लिखा पत्र जो प्रश्नकर्त्ता द्वारा संस्तुति किया हुआ था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस खनन कार्य को शासन ने अभी तक क्यों नहीं रुकवाया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। दिनाँक 22-9-1982 को क्षेत्र का "संयुक्त निरीक्षण" निदेशालय, भूतत्व एवं खनिनकर्म उ० प्र० तथा जिला प्रशासन, आगरा के अधिकारियों द्वारा किया गया और पाया गया कि ग्राम डाबर में खनन कार्य विधिवत् स्वीकृत किये गये फट्टों के अनुसार भूमि की सीमा के अन्दर किया जा रहा है तथा किसी विस्फोटक पदाथ का उपयोग नहीं किया जा रहा है। चूँकि खनन-कार्य से किसी व्यक्ति-विशेष अथवा सार्वजनिक-निर्माण को क्षति नहीं हुई है अतः खनन-कार्य बन्द कराने का औचित्य नहीं है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फर्टीलाइजर कारखाने एवं उनका निर्माण

75—**श्री मौहम्मद अबरार अहमद तथा**

श्री कल्याण सिंह सोलंकी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा चार फर्टीलाइजर कारखाने उ० प्र० के लिए स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो यह कारखाने उ० प्र० के किन-किन जनपदों में लगेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

जनपद बदायूँ, बरेली, शाहजहाँपुर एवं सुल्तानपुर।

76—**श्री अबरार अहमद तथा**

श्री कल्याण सिंह सोलंकी—

क्या इनमें से एक कारखाना जनपद बरेली व बदायूँ में उद्योग लगाने हेतु स्वीकृति दे दी गई हैं ? यदि हाँ, तो इन कारखानों का निर्माण कार्य कब से शुरू होने जा रहा है और कितनी अवधि में पूर्ण होने की आशा है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली एवं बदायूँ में एक-एक कारखाना स्वीकृत किया गया है। कारखानों के निर्माण का कार्य भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर है।

77—**श्री कुबेर भंडारी तथा**

श्री राम नरायन तिवारी—

[6वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78—**श्री चेतराम गंगवार—**

[दिनांक 9-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित]

जिला बरेली के कतिपय ग्रामों में नलकूपों का छिद्रण

79—**श्री चेतराम गंगवार—**

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में ग्राम टाह, प्यारीनवारा,

अहमदाबाद, मधुकरपुर, कचनारी आदि अनेक ग्रामों में पिछले वर्ष कई निर्मित नलकूप आज तक बोरिंग करने के बाद रिग्स विभाग द्वारा नलकूप विभाग को नहीं सौंपे गये हैं ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि यह नलकूप चलने की दशा में नहीं है और इनमें रेत आती है ? यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बरेली के ग्राम टाह, प्यारीनवादा, अहमदाबाद, मधकरपुर कचनारी एवं खंजनपुर में नलकूपों का छिद्रण गतवर्ष नलकूपों का छिद्रण गतवर्ष नलकूप निगम बरेली द्वारा किया गया था जिसमें से ग्राम टाह प्यारीनवादा, मधकरपुर, कचनारी के नलकूप, नलकूप खण्ड बरेली को माह दिसम्बर/82 तथा जनवरी 83 में हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। ग्राम अहमदाबाद के नलकूप पर ओ० पी० यूनिट कार्यरत है तथा खांजनपुर के नलकूप पर ओ० पी० यूनिट इसके पश्चात् चलायी जाएगी। इन दोनों नलकूपों को शीघ्र ही नलकूप खंड बरेली को हस्तांतरित किया जाएगा। उपरोक्त कथित दो नलकूपों के अलावा 31-3-82 तक छिद्रित समस्त नलकूप रिग्स खण्ड द्वारा नलकूप खंड बरेली को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेन्ट यू. पी. हैन्डीक्राफ्ट्स में स्थायी कर्मचारियों को दिया गया पुनरीक्षित वेतनमान

80—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गवर्नमेन्ट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स को दिसम्बर, 71 से यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन में बदल दिया गया था और 72 में उनके स्थायी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग ने वेतनमान भी निर्धारित किये थे ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि 1979 के वेतन आयोग के समक्ष निदेशक उद्योग विभाग ने बिक्रेता, सहायक बिक्रेता, डिजाइनर एवं कारपेन्टर के पदों को न भेजकर स्थायी कर्मचारियों को इस आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमानों से वंचित कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? इस अनियमितता को दूर कर स्थायी कर्मचारियों को नये वेतनमान से लाभान्वित कराने के लिये शासन किन उपायों पर विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

यह सही है कि डिजाइनर को छोड़ कर प्रश्न में उल्लिखित पदों के विवरण 1979 के वेतन आयोग के समक्ष भेजे जाने से छूट गये थे, किन्तु बाद में इनका विवरण उद्योग निदेशालय से प्राप्त होने पर इनमें से विक्रेता, सहायक विक्रेता एवं कारपेण्टर का एक एक पद का वेतनमान शासनादेश दिनांक 9 जुलाई, 1982 द्वारा पुनरीक्षित किया जा चुका है।

डिजाइनर का पद निर्यात निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया था अपितु उद्योग निदेशालय में ही विद्यमान है जिसका वेतनमान वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार 21 जून, 1982 को पुनरीक्षित हो चुका है।

उद्योग निदेशालय से विक्रेता एवं सहायक विक्रेता के पदो की निश्चित संख्या पूर्व में प्राप्त न होने के कारण अवशेष पदों पर अभी नया वेतनमान अनुमन्य नहीं हो सका है। कारपेण्टर के पद की संख्या एक ही है, अवशेष पदों के वेतनमान के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरुद्ध ज्ञापन

81— **श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितताओं, गुन्डागर्दी की जाँच के संबंध में श्री राम आसरे वर्मा, एम०एल०ए० का ज्ञापन दिनांक 8-9-82 श्री भूरे लाल, सचिव सतर्कता विभाग उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों के पूर्ण विवरण क्या हैं तथा जांच कार्य क्या सतर्कता विभाग द्वारा आरम्भ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों का विवरण संक्षेप में संलग्न है।

जी नहीं। सतर्कता विभाग के माध्यम से जांच का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा साधारणतया लोक सेवकों के विरुद्ध ही जाँच की जाती है न कि स्वैच्छिक संगठन के कर्मचारियों/सेवकों के विरुद्ध आरोपों की।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ पर।)

परिवहन निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भुगतान

82—**श्री शेर बहादुर सिंह—**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 325 रु० प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों को मात्र 170 रु० से 240 रु० प्रतिमाह मिलता है ? यदि हाँ, तो ऐसी अनियमितता क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवहन निगम में विभिन्न श्रेणी के वर्कचार्ज के कर्मचारियों को कार्यानुसार 190 रुपया से 460 रुपये तक मासिक भुगतान किया जाता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आकस्मिक कार्य हेतु रुपये 9.61 पैसे प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाता है। अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता।

नियमित कार्य करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण

85—**श्री शेर बहादुर सिंह—**

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8 व 10 वर्षों से नियमित कार्य करने वाले

वर्कचार्ज कर्मचारियों को अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया ? क्या श्रम नियमावली के अनुसार माननीय मंत्री जी उन्हें नियमित करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वांछित संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध न होने एवं पदों के सृजन तथा उनके लिये भर्ती पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बोर्ड द्वारा रोक लगाये जाने के कारण प्रश्नगत वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो सका है ।

उपलब्ध रिक्त पद हेतु यदि यह वर्क चार्ज कर्मचारी शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें रखते हैं और उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है तो निगम बोर्ड के निदेशानुसार रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर उपयुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु यथा समय विचार किया जा सकता है ।

तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को उद्योग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की मांग

84—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को शासन द्वारा उद्योग उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी योजना नहीं है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव ही विचाराधीन है ।

जनपद बुलन्दशहर हेतु ग्रामोद्योगी ईकाइयों की स्वीकृति तथा दी गई धनराशि

85—**श्री किरनपाल सिंह—**

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 81-82 में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत लघु उद्योगों की कितनी इकाई जनपद बुलन्दशहर के लिए स्वीकृत की गयी ? उनको कितना कितना धन दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिये स्वीकृति नहीं दी जाती है । खादी बोर्ड द्वारा वर्ष 1981-82 में बुलन्दशहर जनपद के लिये आयोग बजट से 241 ग्रामोद्योगी इकाईयों तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 48 ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्वीकृति दी गयी थी । इकाईयों को दी गई धनराशि का विवरण †संलग्न है ।

जनपद बुलन्दशहर में बराल व छपरावल नाले पर पुल का निर्माण कार्य

86—**श्री किरनपाल सिंह—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत बराल व

†(छापी नहीं गयी)

छपरावल नाले पर छपरावत ग्राम के निकट पुल के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा 23-5-80 को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बराल व छपरावत नाले के पुनरोद्धार की स्वीकृत परियोजना प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23-5-80 को अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ द्वारा दी जा चुकी है। ग्राम छपरावत के निकट पुनरोद्धार हेतु प्रस्तावित दो पुलों में से एक का कार्य पूर्ण हो गया है।

अशोकहवा-मदरहवा बांध के खौली नाले पर रेगुलेटर का निर्माण

87—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय —**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी ने दिनांक 23-9-80 के बाढ़ के दौरे के सम्बन्ध में डुमरियागंज जनपद बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रश्नकर्त्ता के अनुरोध पर ग्राम परसोहन से मूसा तक एक बंधे का तथा अशोकवा मदरहवां बांध के खौली नाले पर रेगलेटर लगाने का निर्देश सहायक अभियन्ता, डुमरियागंज ड्रेनेज खण्ड को दिया था ? यदि हां, तो उक्त बंधे तथा रेगुलेटर का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

परसोहन से मूसा तक बूढी राप्ती के दायें तट पर छिन्न भिन्न अवस्था में जो जमींदारी बांध है उसका सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

खौली अशोकहवा मदरहवा बांध के खौली नाले पर रेगुलेटर का निर्माण वर्ष 1983-84 में करना प्रस्तावित है।

हरौली क्षेत्र को सींचने वाली गालमपुर माइनगर का निर्माण

88—**श्री दलगंजन सिंह—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में नहर खास कुठोंद से निकाली गई हरौली गालमपुरा माइनर कब बन कर तैयार हुई ? गालमपुरा मौजे को अभी तक सिंचाई के लिए पानी न दिये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार गालमपुरा मौजे को शीघ्र पानी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुठोंद शाखा से हराली मादमपुरा नामक कोई माइनर नहीं निकाली गई है। हरौली क्षेत्र को सींचने वाली नहर का नाम गालमपुर माइनर है।

गालमपुर माइनर अभी पूर्णतया बनकर तैयार नहीं हुई है। इस माइनर का कार्य वर्ष 1975-76 में डी०पी०ए०पी० योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था परन्तु इस क्षेत्र के डी०पी०ए०सी० के अन्तर्गत न आ सकने के कारण कार्य में अवरोध हो गया। वर्ष 1979-80 में गालमपुर माइनर के कार्य को राजघाट परियोजना में सम्मिलित करके

मिट्टी का कार्य तथा पक्के कार्य कराये गये एवं कुछ कार्य 1981-82 में भी कराया गया जिससे पानी 1-7-0 मील तक जाने लगा है।

इस क्षेत्र में साइफन निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर उक्त ग्राम के लिये पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों हेतु स्वीकृत नलकूप

89—**श्री शंकर सिंह—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन 1981-82 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में कितने सरकारी नलकूप स्वीकृत हुए थे तथा उसके पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद में कितने नलकूप लगाये गये ? पिछले वर्षों की संख्या को देखते हुए 81–82 में बुन्देलखन्ड की कम नलकूप दिये जाने के क्या कारण हैं ? सन 1982-83 में बुन्देलखंड में कितने नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बुन्देलखंड के विभिन्न जनपदों में वर्ष 1981-82 में स्वीकृत व इससे पिछले तीन वर्षों में लगाए गए नलकूपों का विवरण संलग्न है, जिसको देखने से स्पष्ट होगा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस क्षेत्र में कम नलकूप स्वीकृत नहीं किए गए। वर्ष 1982-83 में स्वीकृत नलकूपों का उल्लेख भी संलग्न विवरण में किया गया है।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ पर)

राज्य परिवहन निगम की बसों को जिला मुख्यालय तक चलाने की सर्वेक्षण

90—**श्री राम नरायन एडवोकेट—**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर की जमानिया तहसील के सभी प्रमुख केन्द्रों पर राज्य परिवहन की बसों को जिला मुख्यालय तक चलाने का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी इसमें 20 नई बसों को चलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह—

जी हां। सर्वेक्षण कराया गया है। परिवहन निगम के पास बसों की कमी तथा आवश्यक वित्तीय साधनों के अभाव के कारण प्रश्नगत मार्गों पर बसें चलाना सम्भव नहीं है।

जनपद बदायूं में नहर निकालने की योजना

91—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ की कितनी कृषि असिंचित जमीन को सिंचित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि जनपद बदायूँ में कोई नहर निकालने की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राप्ती नदी को कटान से बचाने के लिए जानकी नगर साहिबागंज कटाव निरोधक परियोजना का निर्माण

92—**श्री मलिक मो० कमाल यूसुफ—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिगारजोत तथा जानकी नगर को राप्ती नदी की कटान से काफी खतरा पैदा हो गया है तथा तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ ने प्रश्नकर्त्ता के साथ 8 महीने पूर्व कटान को जाकर देखा था तथा मुख्य अभियन्ता बाढ़ ने इसकी रोकथाम के लिए योजना तैयार करके भेजने के निर्देश जारी किये थे ? यदि हां, तो उसकी योजना कब बना कर शासन को भेज दी गयी और कटान रोकने का काम कब से शुरू कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिगार जोत तथा जानकी नगर को राप्ती नदी की कटान से बचाने के लिये रु० 3.80 लाख लागत की जानकी नगर साहिबगंज कटाव निरोधक परियोजना बनाई गई है।

उक्त योजना को राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24-11-82 में स्वीकृत कर दिया गया है।

परियोजना हेतु धन का आवंटन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बस्ती, जिला कारागार में पेयजल की सुविधा

93—**श्री मलिक मो० कमाल यूसुफ—**

प्रथम सत्र 80 के 5वें बुधवार के अता० प्र० सं० 31 के उत्तर के सन्दर्भ ने क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला कारागार 78-79 में पेयजल हेतु जो 2 लाख 92 हजार रुपया स्वीकृत हुआ था ? उसमें से उ०प्र० जल निगम के पास जो 1 लाख 82 हजार रु० मौजूद है, उस रुपए से अब तक कौन-से कार्य कराए गये ? क्या कारागार के सभी स्थानों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

वर्ष 1978-79 में जिला कारागार, बस्ती में पेयजल व्यवस्था हेतु जो 2 लाख 92 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे, उनसे उत्तर प्रदेश जल निगम ने नलकूप तथा पम्प हाउस बना लिये हैं तथा वितरण प्रणाली का काम पूरा कर दिया है। उसी रकम में से एक लाख रुपये बिजली उपलब्ध कराने के लिये जमा कर दिये हैं।

जी नहीं। पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने में विलम्ब का मुख्य कारण बिजली कनेक्शन का न मिलना रहा है।

श्री अब्दुल गनी खां, कादरी गेट, फर्रूखाबाद के लघु उद्योग कर्ज पर दण्ड ब्याज माफ किये जाने के आदेश

94—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल गनी खां, कादरी गेट, फर्रूखाबाद के लघु उद्योग कर्ज पर दण्ड ब्याज माफ करने के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं० 466/का/81 दि० 30-3-81 तत्कालीन उद्योग मन्त्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, वह पत्र प्राप्त हुआ था । इस मामले में शासनादेश संख्या 893एल/18-7-81-507/एल/77, दिनांक 15 जून, 1981 द्वारा यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ऋणी से मूलधन तथा साधारण ब्याज की मदों में बकाया समस्त धनराशि एक मुश्त वसूल कर देय (बकाया) दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाय ।

निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु खंड विकास अधिकारी, बैतालपुर को आबंटित धन

95—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बैतालपुर विकास खंड, जिला देवरिया के ग्राम बलटिकरा में 32 हरिजन बस्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 78-79 में धन स्वीकृत हुआ था जिसमें से 51 हजार रुपया निर्माण के लिए निकाल भी लिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि देवरिया सदर के परगनाधिकारी ने 18 जुलाई, 81 को इस मामले की जांच की और जांचोपरान्त मामले में सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित करने तथा फर्जी हस्ताक्षर से रुपया निकालने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1978-79 में नहीं अपितु वर्ष 1979-80 में निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु रु० 72,334,00 खंड विकास अधिकारी, बैतालपुर को आवंटित किया गया था, जिसम से बलटिकरा में 32 आवास निर्माण हेतु खंड विकास अधिकारी द्वारा अब तक रुपया 54,386,00 आहरित किया गया है ।

यह सत्य है कि देवरिया सदर के परगनाधिकारी ने दिनांक 18 जुलाई 81 को आवास निर्माण के मामले में जांच की किन्तु उन्होंने जांच में अहरण को फर्जी नहीं बताया और न निलम्बन आदि की कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी के कटान से बचाने के लिये ठोकरों का निर्माण

96—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के राप्ती नदी के कटाव से ग्राम गजपुर भर बलिया धस्की और उत्तरी कोलिया को बचाने के लिए कितने

ठोकरों का निर्माण कराया था तथा क्या इन ठोकरों से इन गाँवों का कटान रुका ? यदि नहीं, तो उपरोक्त गांवों की कटान रोकने के लिए इस वर्ष क्या उपाय किए गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी के कटान से बचाने के लिये ग्राम गजपुर में 5 तथा ग्राम भरवलिया में 4 ठोकरों का निर्माण कराया गया था। इन ठोकरों से गजपुर तथा भरवलिया में कटान रुका।

ग्राम धसकी तथा उत्तरी कोलिया में ठोकरों का निर्माण नहीं कराया गया था।

इन ग्रामों में कटान की स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है और परियोजना तैयार हो जाने पर मुख्य अभियन्ता समिति तथा राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। तदुपरान्त धन उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर परिक्षेत्र में जूनियर स्टेशन इन्चार्ज के पद पर प्रोन्नति

97—**श्रीमती गौरी देवी —**

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर परिक्षेत्र कार्यालय में अप्रैल, 82 में एक टी०आई० को अनुसूचित जन जाति के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रोन्नति देकर जूनियर स्टेशन इंचार्ज, मंडल बना दिया गया था, जिसे डी०जी०एम०, वाराणसी ने अस्वीकृत कर दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गोरखपुर परिक्षेत्र में माह अप्रैल 1982 में किसी टी०आई० को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर जूनियर स्टेशन इंचार्ज के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है।

गोरखपुर मण्डल में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक तथा उधमियों द्वारा आकर्षित किये गये विचार व समस्याएं

98—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 नवम्बर, 81 को उद्योग बन्धु की द्वितीय क्षेत्रीय बैठक गोरखपुर में उद्योगों के विकास और नये उद्योग स्थापना के लिए 200 उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था ? यदि हाँ, तो पूर्वी जिलों में कौन-कौन से उद्योग स्थापना का निर्णय हुआ और उद्योगपतियों की क्या भूमिका होगी ? क्या यह सच है कि बैठक में भाग लेने वाले उद्योगपतियों ने उद्योगों के विकास व स्थापना हेतु अपने विचार व समस्याएं उठायीं ? यदि हां, तो क्या और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर मण्डल में कार्यरत लघु, लघुतर एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु संचालक समिति (लघु एवं ग्रामीण उद्योग) की

द्वितीय बैठक गोरखपुर में 28 नवम्बर,1981 को हुई थी। इस बैठक में मण्डल के ऐसे उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था, जिनकी समस्याओं का समाधान सरकारी विभाग से नहीं हो सका था।

चूंकि समिति का गठन उद्योगों की स्थापना के लिए नहीं किन्तु औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण के लिए हुआ है, अतः बैठक में किसी भी उद्योग की स्थापना का निर्णय नहीं लिया गया।

बैठक में भाग लेने वाले उद्यमियों/व्यक्तियों ने अपनी विद्युत, वित्तीय ऋण तथा कच्चा माल आदि की सामान्य समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कुछ उद्यमियों ने अपनी व्यक्तिगत समस्यायें भी उठायीं। इनमें से अधिकांश का निराकरण कर दिया गया। अन्य समस्याओं पर शासन के सम्बन्धित विभागों द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर के अधीनस्थ बांधों की मरम्मत व पुर्ननिर्माण का कार्य

99—श्रीमती गौरी देवी —

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीनस्थ 15 बांध जो विगत बाढ़ में टूट गये थे, उनकी मरम्मत व पुननिर्माण का कार्य 20 जून 1982 तक पूरा कर लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर के अधीनस्थ 15 बांध जो विगत बाढ़ 1981 में टूट गये थे, की मरम्मत व पुर्ननिर्माण का कार्य नदियों के सुरक्षित जलस्तर तक जून 1982 तक पूरा कर लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता है।

100—श्रीमती गौरी देवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग हेतु टायरों की खरीदारी में गोलमाल

101—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग के लिए टायरों की खरीदारी में गोलमाल के सम्बन्ध में 7 मार्च, 82 को श्री घनश्याम राय, युवक कांग्रेस (ई), आजमगढ़ ने मुख्य मन्त्री जी को एक शिकायती-पत्र लिखा था ? यदि हाँ तो शिकायतें क्या थीं और क्या इसकी जाँच कराई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले की जनजातियों हेतु गृह निर्माण तथा छात्रों हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की शिकायत

102—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की जनजातियों के लिए गृह निर्माण तथा छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए सन् 81-82 में 5 लाख रुपया स्वीकृत किए गये थे, जिसके वितरण में गड़बड़ी होने की शिकायत माह मई, 82 के अन्तिम सप्ताह में जिला अधिकारी, गोरखपुर एवं मन्त्री को मनराज विकास खण्ड, नौतनवाँ, गोरखपुर आदि की अनेक ग्रामीणों ने किया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

कुल स्वीकृत धनराशि 5 लाख तथा 18 हजार रुपये थी ।

प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा की गयी । आरोप निराधार एवं असत्य पाये गये ।

शारदा सहायक खण्ड, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

103—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 43 फैजाबाद के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वर्ष 79 से 81 के बीच गम्भीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है ? यदि हां, तो उन मामलों की जांच कब तक पूरी कर ली जायगी ? और जांच में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में शारदा सहायक खण्ड—43, फैजाबाद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । इनमें से एक शिकायती-पत्र के आरोप जांचोपरान्त निराधार पाये गये । शेष शिकायती पत्रों की जांच शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी । आरोपों की विस्तृत जांच में समय लगना स्वाभाविक है ।

मूसा खण्ड प्रखण्ड, वाराणसी में नहरों व बंधों पर किये गये कार्यों का भुगतान

104—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत मूसा खण्ड प्रखण्ड वाराणसी में जुलाई, 82 से अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 30 लाख रुपये खर्च करके नहरों एवं बंधों का कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उक्त प्रखण्ड में नहरों व बंधों पर किए गये कार्य में फर्जी भुगतान हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह जुलाई 1982 से माह दिसम्बर, 1982 तक मुसाखण्ड प्रखण्ड, वाराणसी में रु० 7,51,200-20 की धनराशि व्यय की गयी। उपरोक्त धनराशि में से ड्रेन, नहर एवं बन्धियों पर, क्रमशः रु० 2,58,783-10 पै०, रु० 2,86,268-10 पै० एवं रु० 2,06,149 00 का भुगतान किया गया है, जो, योजना के अन्तर्गत अगस्त, 1982 तक किये गये कार्य के लिये था। भुगतान फर्जी नहीं हुआ है। अतः, जाँच का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोपों की जांच

105—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 माह जुलाई, से अब तक लगभग 255 अभियन्ताओं के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के आदेश किए गये हैं ? यदि हां, तो उन अभियन्ताओं में से बहुत कम को निलम्बित किया गया है और शेष अधिकांश अभियन्ता विभाग में कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है और ऐसे अभियन्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह जुलाई, 1980 से अब तक सिंचाई विभाग के 237 राजपत्रित अभियन्ताओं के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जाँच के आदेश दिये गये हैं। 29 अभियन्ताओं की जांच पर्यन्त निलंबित किया गया है। निलंबन जैसी कार्यवाही समान्यतः तभी की जाती है जबकि कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया इतना साक्ष्य हो, जिसके आधार पर उसको सेवा से पदच्युत, पृथक या पदावनत किया जा सके। जनहित में सूची सदन के पटल पर रखना उचित न होगा।

श्री विजय शंकर प्रसाद लिपिक, जिला प्रोबेशन कार्यालय, आजमगढ़ की सेवा समाप्ति के विरुद्ध कार्यवाही

106—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक का कोई पत्र श्री विजय शंकर प्रसाद लिपिक, जिला प्रोवेशन कार्यालय, आजमगढ़ के सेवा समाप्ति से सम्बन्धित दि० 5-2-82 के आस पास प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1982 को प्राप्त हुआ है। चूँकि श्री विजय शंकर प्रसाद, लिपिक जिला प्रोवेशन कार्यालय, आजमगढ़ ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण में वाद प्रस्तुत कर रखा है, अतः वाद का निर्णय होने के उपरान्त ही मामले में आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

यातायात अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

107—**श्री जमुना प्रसाद —**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों के साथ संयुक्त रूप से दि० 11 अगस्त, 82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें यातायात अधीक्षक, मसूद अहमद किदवाई तथा यातायात निरीक्षक, रामचन्द्र श्रीवास्तव एवं मो० इस्माईल के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 11 अगस्त, का पत्र व एक अन्य पत्र विधान सभा सदस्य श्री प्रदीप कुमार श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती पार्वती देवी के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्राप्त हुआ है । उक्त शिकायती पत्रों में यातायात अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में जांच अभी पूरी नहीं हुई है । जांच को शीघ्र पूरा करने के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

गाजियाबाद दिल्ली गढ़रोड पर बसों की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही

108—**श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गाजियाबाद दिल्ली गढ़ रोड पर चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाए जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री वेद प्रकाश सेवा निवृत अधिशासी अभियन्ता की पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

109—**श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—**

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता को सेवा विवृत्त हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है परन्तु अभी तक उनको पेंशन स्वीकार न होने का क्या कारण है ? इनके पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में प्रपत्र अब तक महालेखाकार, उ०प्र० को क्यों नहीं भेजे गए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री वेद प्रकाश, सेवा निवृत्त अधिशासी अभियन्ता के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में प्रपत्र प्रमुख अभियन्ता द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजे गये थे परन्तु उन पर महालेखाकार द्वारा श्री वेद प्रकाश के अनधिकृत अवकाश पर रहने के आधार पर आपत्ति लगाई गई है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जनपद बांदा को आवंटित धनराशि

110—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सिंचाई विभाग को मार्च, 1982 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन प्राप्त हुआ ? इस धन में से किन-किन कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह -

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में जनपद बांदा हेतु 24.50 लाख रुपये की धनराशि आबंटित हुई थी । इस धनराशि में से, नहरों के किनारों, सर्विस रोड तथा डोले के सुदृढ़ीकरण, विशेष मरम्मत, सिल्ट हटाने, बांध को ऊँचा करने तथा गुलों के बनाने आदि कार्यों पर 17.57 लाख रुपया माच, 1982 तक व्यय किया गया था ।

पारा माइनर ग्राम शिवराजपुर के निर्माण हेतु काश्तकारों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा मुआवजा

111— **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खण्ड 23 के पारा माइनर जो ग्राम शिवराजपुर के पास से शारदा सहायक की छाड़न शाखा से निकलकर तेजपुर तक जायेगी के निर्माण के लिए किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी जमीन अधिग्रहीत की जा रही है ? क्या भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत माइनर ग्राम शिवराजपुर, पारा, दिउखर, तेजपुर, सुल्तानपुर देवापुर, असाढ़ा, नन्दगांव की भूमि से बनाया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम आसाढ़ा नन्दाव एवं देवापुर में पड़ने वाली भूमि को सामूहिक कटौती से प्राप्त करने हेतु शजरा प्लान चकबन्दी अधिकारी को दे दिया गया है तथा इन ग्रामों में पड़ने वाली भूमि सिंचाई विभाग को सामूहिक कटौती के आधार पर चकबन्दी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है । इस प्रकार इन ग्रामों के कृषक गणों को कोई प्रतिकर सिंचाई विभाग द्वारा नहीं दिया जाना है ।

ग्राम शिवराजपुर, पारा, देउखर तथा तेजपुर सुल्तानपुर के कृषकों की नहर में पड़ने वाली भूमि का कृषकवार ब्यौरा संलग्न है । इस भूमि का प्रतिकर कृषकों को बितरण करने हेतु कार्यवाही चल रही है ।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ पर)

अर्धकुम्भ मेला प्रयाग में यात्रियों के उपयोग हेतु बसें

112—**श्री जयदीप सिंह बरार**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 कुम्भ मेले में 25 फरवरी, 82 के स्नान पर्व से तुरन्त पूर्व राजकीय परिवहन निगम उ०प्र० की कितनी बसें

विभिन्न जगहों से प्रयाग भेजी गयी और इन बसों पर कितना धन व्यय हुआ व कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1982 के अर्धकुम्भ मेला प्रयास में 25 फरवरी, 82 के स्नान पर्व से तुरन्त पूर्व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के विभिन्न स्थानों से 1378 बसें यात्रियों के उपयोग हेतु लगायी गयी ।

मेला अवधि में इन बसों को संचालन हेतु उपर्युक्त बनाने, कलपुर्जों डीजल एवं स्टाफ आदि पर कुल रु० 1,16,20,353-83 व्यय हुआ । इन बसों से रु० 48,06,763-14 का कुल राजस्व प्राप्त हुआ ।

नेत्रहीनों, विकलागों हेतु निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था

श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 81 में शासन ने नेत्रहीनों एवं विकलांगों को निःशुल्क बस यात्रा का कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या आदेश का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, यदि नहीं, तो नेत्रहीनों, विकलागों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था कब तक की जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, सितम्बर, 1981 में कोई ऐसे आदेश शासन द्वारा नहीं दिए गए । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नेत्रहीनों व विकलांगों की निःशुल्क बस यात्रा स्वीकार करने के फलस्वरूप सम्भावित आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति हेतु हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक प्राविधान किये जाने पर उक्त सुविधा अविलम्ब सुलभ करा दी जायेगी ।

श्री आर० एस० बाजपेयी, डिप्टी जेलर बाराबंकी का स्थानान्तरण

114—**श्री श्यामलाल बाजपेयी—**

क्या कारागार मन्त्री को ज्ञात है कि श्री आर० एस० बाजपेयी, डिप्टी जेलर बाराबंकी का तबादला गोरखपुर लाकअप में जुलाई, 82 में किया गया था ? क्या यह सत्य है कि श्री बाजपेयी ने गोरखपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ? और न ही बाराबंकी आवास छोड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

श्री आर० एस० बाजपेयी, डिप्टी जेलर, बाराबंकी का तबादला सदर लाकप गोरखपुर को दिनांक 4 अगस्त, 1982 के आदेश द्वारा किया गया था ।

श्री बाजपेयी ने गोरखपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और बाराबंकी का सरकारी आवास छोड़ दिया है ।

मथुरा वृन्दावन को तीर्थ स्थान घोषित करने की योजना

115—**श्री सरदार सिंह—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन को तीर्थ स्थान घोषित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको घोषणा कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

संविधित विभाग द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोध जाति के व्यक्तियों को अनुमन्य सुविधायें तथा विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र संबंधी सुविधायें

116—**श्री विष्णु दयाल वर्मा—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1314/26, 781/53 दि० 17-9-1958 से सम्बद्ध स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहने वाली विमुक्त जातियों के समुदायों की सूची के क्रमांक 19 पर जनपद मैनपुरी और फतेहपुर 'लोध जाति का भी नाम अंकित है ? यदि हाँ, तो लोध जाति को विमुक्ति जाति के नाम पर शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासनादेश संख्या 1314/26/-78/53 दिनांक 17-9-1958 के साथ उत्तर प्रदेश के लिए घोषित पिछड़ी जातियों की सूची संलग्न की गयी है । उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वाली विमुक्त जातियों के समुदाय की सूची में लोध जाति केवल मैनपुरी तथा फतेहपुर जनपदों में विमुक्त जाति घोषित है । लोध जाति के लोगों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को अनुमन्य हैं ।

117—**श्री विष्णु दयाल वर्मा—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री को यह भी जानकारी है कि उक्त दोनों जिलों के संबंधित अधिकारी लोध जाति को विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देते हैं और इसके फलस्वरूप लोध जाति के समस्त अभ्यर्थी शासन की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस उपेक्षा को दूर करने के लिए कोई नवीन आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

लोध जाति के लोगों द्वारा विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र मांगे जाने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उसे दिए जाने से इन्कार नहीं किया जाता है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

धोसी तहसील, आजमगढ़ में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

118—**श्री राजकुमार राय—**

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि धोसी तहसील, आजमगढ़ में अलग-अलग

कितने पंजीकृत सीमेंट जाली उद्योग कितनी हस्तकर्घा समितियां और बबुल उद्योग तथा अन्य लघु उद्योग केन्द्र हैं तथा उनके कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं तथा उनके कौन-कौन अध्यक्ष हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धोसी तहसील आजमगढ़ में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—सीमेंट जाली उद्योग	7
2—हथकरघा समितियां	57
3—साइजिंग प्लाण्ट	2
4—बबूल उद्योग	शून्य
4—खादी तथा ग्रामोद्य	153
6—अन्य (1) लघु स्तरीय उद्योग	58
(2) अवस्त्रीय समितियां	7
	284

इन इकाइयों के कार्य-स्थल तथा अध्यक्ष की सूची † संलग्न है ।

ग्राम नानपारा, जनपद बहराइच के ग्रामवासियों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

119—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि० 12-4-82 जो ग्राम नानपारा जनपद बइराइच के ग्रामवसियों की अधिग्रहीत भूमि का उच्चतम दर से मुआवजा दिए जाने के संबंध में है प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा शासन द्वारा किन-किन लोगों की कितनी-कितनी भूमि ली गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आवेदन पत्र में 8 व्यक्तियों के नाम दिये गये थे जिनमें से तीन व्यक्तियों ने प्रतिकर प्राप्त कर लिया है । 4 व्यक्तियों ने प्रतिकर की धनराशि सविरोध प्राप्त कर ली है । एक व्यक्ति ने प्रतिकर की धनराशि प्राप्त नहीं की है ।

65 कृषकों की 65.515 एकड़ भूमि अध्याप्ति की गयी है जिसका विवरण तालिका में संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ पर)

† (छापी नहीं गयी)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

***श्री प्रियदर्शी जेतली—**

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग जनहित में सरकार से विशेष जानकारी प्राप्त करें। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न था और उस प्रश्न के उत्तर में, आपके प्रश्नोत्तर विभाग ने जो मुझे दिया है, उसमें यह है कि निर्णय की प्रति संबंधित कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है। मैंने पूछा था कि श्रमिकों के संबंध में जो जांच की गई, उसे किस अधिकारी ने किया था और उसकी रिपोर्ट क्या है ? तो अब क्या मैं कानपुर में जाकर उस रिपोर्ट को देखूं ? क्या मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं सदन के पटल पर उस रिपोर्ट को रखने की मांग करूं और उसे देखकर यह सदन उस पर विचार कर सके।

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने प्रश्न किया है, उसको पूरे तरीके से मैं देखूंगा कि जो बात आपने कही है वह किस तरह से है ·· (व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

ऐसा ही एक प्रश्न का आज जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बिना रिकार्ड देखे इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। यह हमारे लिए कैसे सम्भव है कि मैं फौरन ही इसका उत्तर दे दूं। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। यदि किसी को कोई शंका या शिकायत प्रश्नों के बारे में है तो वह हमें लिखकर दे दे, मैं आपको बुलवा लूंगा और मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा।

लखनऊ हरदोई मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों से असमाजिक तत्वों द्वारा जबरन बेगारी वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 की 17 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से मैंने 5 सूचनाओं को स्वीकार किया है। जो अस्वीकार किया है वह माननीय खैरूल बशर, सरदार सिंह, श्रीमती गौरी देवी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्याम नारायण तिवारी, अकबाल हुसैन, फिरंगी प्रसाद विशारद, गोपी नाथ वर्मा, राम आसरे वर्मा एवं मसरूर जाफरी, राजेन्द्र अग्निहोत्री दूधनाथ राजभर तथा केदार नाथ सिंह की सूचनाएं थी। इसके आगे है माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय विजय सिंह राना, माननीय कुंवर सिंह नेगी एवं नरेन्द्र सिंह भण्डारी, माननीय चन्द्र शेखर त्रिवेदी, माननीय राधेश्याम पटेल एवं माननीय बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सूचनायें। मैंने इन सूचनाओं को पूरे तरीके से देखा है और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैंने 5 को स्वीकार किया है, जो इस प्रकार से हैं— 1—माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, 2—माननीय विजय सिंह राना, 3—माननीय कुंवर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिह नेगी एवं माननीय नरेन्द्र सिह भण्डारी 4—माननीय चन्द्र शेखर त्रिवेदी 5—माननीय राधेश्याम पटेल एवं माननीय बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सुचनाएं हैं।

***श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—**

मान्यवर, हरदोई-लखनऊ रोड पर जनता की सुविधा हेतु प्राइवेट बसें चलती हैं। इन बसों के लखनऊ जिले के रहीमाबाद, मलिहाबाद, काकौरी एवं घण्टाघर चौक, लखनऊ पर असामाजिक लोग 4/- प्रति बस जबरदस्ती बसूलते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति प्रति दिन 300/— रुपये बसूलता है और इसमें से 150/- प्रति दिन पुलिस अधिकारियों को देता है। इस कारण पुलिस भी इन असमाजिक तत्वों को पनाह देती है। जो बस वाले इन असामाजिक तत्वों के इस कार्य का बिरोध करते हैं। उनकी पिटाई होती है साथ ही साथ बस में बैठी जनता की भी पिटाई कर दी जाती है। थाने में इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है।

असामाजिक तत्वों का पुलिस के संरक्षण में इस कार्य से आम जनता में रोष पैदा हो गया है और किसी समय भी बसों की हड़ताल एवं कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

कृपया शासन को निर्देश देकर इन असामाजिक तत्वों को तुरन्त वहां से हटवाने की कृपा करें।

आगरा जिले के सिकन्दरा राजवाहा के टूटने से फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजयसिंह राना—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के एक ऐसे गम्भीर मामले की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसमें नहर विभाग के अधिकारी की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण किसानों की तमाम लहलहाती हुई फसल पानी में डूब गयी और इससे किसानों को भारी मात्रा में क्षति हुई है।

यह घटना आगरा जिले की है जहां सिकन्दरा राजवाहा 4 दिन से आगे टूट गया और इससे क्षेत्र के किसानों की फसल पानी में डूब गयी। आश्चर्य एवं दुःख की बात तो यह है कि एक ओर तो कहा जाता है कि नहरों में पानी नहीं है और पानी के अभाव में किसानों की फसल सूख जाती है और दूसरी ओर नहरें टूटती हैं और गरीब किसानों की फसलें पानी में डूब जाती हैं। और बेचारे किसान दोनों ही प्रकार से बर्बाद होता है। नहर के टूटने का एक मात्र कारण है कि समय पर नहरों की सफाई नहीं होती है और सफाई होती भी है तो नाम मात्र को। अतः नहरें पानी के बहाव को सम्हाल नहीं पाती हैं और टूट जाती हैं। यही नहीं, जब नहरों मे पानी बहता है, तब उनका निरीक्षण करने और उनी देखभाल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहरों में पानी चलता रहता है और अधिकारी लोग घर बैठे हुए आराम करते रहते हैं। जब सिकन्दरा राजबहा टूट रहा था और खेतों में पानी भर रहा था तब सम्बन्धित अधिकारी का आगरा में कहीं पता नहीं था।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सिचाई मन्त्री महोदय से माँग करना चाहता हूँ कि घटना की जाँच करायें और जिस अधिकारी की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजयसिंह राना]—

किसानों की क्षति हुई है उनके वेतन से कटौती कर किसानों की क्षतिपूर्ति करायी जाय। साथ उस अधिकारी का स्थानांतरण किया जाय क्योंकि ऐसे निकम्मे अधिकारियों के कारण ही पूरे विभाग में अकर्मण्यता, अक्षमता और शिथिलता व्याप्त हो रही है।

आशा है आप इस सम्बन्ध में तुरन्त प्रभावपूर्ण कार्यवाही करेंगे।

पेशावर काण्ड के अमर सेनानी वीरचन्द सिंह गढ़वाली की सम्पत्ति की सरकार द्वारा नीलामी से जनता में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

प्रिय महोदय, पेशावर काण्ड के अमर सेनानी बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सैनिक विद्रोह किया था और आन्दोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार दिया था, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने काला पानी की सजा दी थी, उन महान स्वतन्त्रता सैनानी वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली की सम्पत्ति आजाद भारत में नीलाम की जा रही है और उनके परिवार को रोटी-रोजी से मुहताज किया जा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्य से आम जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। सरकार का यह कार्य महान सेनानी की कुर्बानियों के प्रति घोर कृतघनता है।

अतएव हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली की सम्पत्ति की नीलामी तुरन्त रोकी जाय, उनके कर्जे को माफ कर दिया जाय और उनके गरीब परिवार की रोजी-रोटी की उचित व्यवस्था की जाय।

गोमती आवास योजना, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले गांव के निवासियों के समक्ष शौचालय आदि के संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तगत सुचना

*श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार एवं नगर विकास मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के उजरियांव, डिगडिगा, ग्वारीं आदि गांवों में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा "गोमती नगर" आवास योजना के अन्तर्गत किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

आवास योजना के लिये इन किसानों की खेती की भूमि मजारें, मस्जिद, कब्रिस्तान अधिग्रहीत किये जा रहे हैं उनके चारों ओर नयी कालौनी बनवाकर इन गांवों को बीच में डालकर टट्टी पेशाब का घोर संकट पैदा किया जा रहा है, इनके घरे, कन्डे पाथने की जगह, जानवर बांधने के बाड़े आदि भी लिये जा रहे हैं। इनकी भूमि तथा खड़ी फसल का मुआवजा भी अभी नहीं दिया गया है।

मान्यवर, शासन से निवेदन है कि इस योजना के बीच में पड़ने वाले सभी गांव के निवासियों की सुविधा के लिये शौचालय की व्यवस्था, गांवों की सीवर लाइन से जोड़ने, गांव के रास्तों को पक्का करने, स्ट्रीट लाइट देने की व्यवस्था स्कीम में कर दें एवं किसानों की खड़ी फसल तथा भूमि का उचित मुआवजा देने के बाद ही भूमि पर कब्जा लिया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद इलाहाबाद के झांसी निर्वाचन क्षेत्र के गांव समाज की जमीन का फर्जी इन्दराज और अधिकारियों की उदासीनता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, अत्यन्त ही खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उपरोक्त लगभग 2200 बीघा ग्राम समाज की फर्जी तौर पर इन्दराज की गयी जमीन का पर्दाफाश हो गया और उसकी निरस्तीकरण भी हो चुका है। स्थानीय चकबन्दी विभाग ने दिनांक 7-5-81 तथा 20-2-82 को 10 तथा 66 व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थात 76 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कैनिंगटन इलाहाबाद में भा. द. वि. 420/468/120 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री की तथा उप सचिव ग्रह विभाग ने अपने अलग अलग पत्रों द्वारा स्थानीय जिलाधिकारी को तुरन्त ही 76 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आदेश भी दिया था और स्थानीय जिलाधिकारी जी ने भी अपने पत्रों दिनांक 7-5-81, 29-9-81 तथा उनके पत्रों द्वारा तुरन्त ही अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया था किन्तु आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी जबकि इस बीच एक बेगुनाह लिपिक श्री सच्चिदानन्द को जिनकी रिपोर्ट पर सारे फर्जी इन्दराज निरस्त किये गये और जिसे कि विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिये था उसे ही षड़यंत्र करके दिनांक 28-8-81 को सर्तकता विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत् लिये जाने का टेप करवाया गया किन्तु संयोग से तत्कालीन जिलाधिकारी श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी को जिनको कि तथ्यों की पूरी जानकारी थी। इसलिये वह षड़यंत्र सफल नहीं हो सका। जिलाधिकारी जी ने स्थानीय एस. एस. पी. को उन षड़यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें भी सूचित किये जाने का निर्देश भी किया था। इस संबंध में उन्होंने डायरेक्टर सर्तकता विभाग को भी उस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की अपनी संस्तुति किया था।

अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के उक्त प्रकरण जोकि करोड़ों की सम्पत्ति का मामला है, आवश्यक जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूँ तथा शासन द्वारा इस सम्पूर्ण प्रकरण पर एक वक्तव्य की भी मांग करता हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त दंड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

सदस्यों की रिहाई की सूचनायें

श्री अध्यक्ष

आदरणीय सदन के सदस्यों को मैं सूचना देता हूँ कि अधीक्षक, जिला जेल, लखनऊ ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 9 फरवरी, 1983 जो दिनांक 10 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है श्री अकबर अहमद तथा श्री सुरेश दत्त पालीवाल, सदस्यगण, विधान सभा को दिनांक 9 फरवरी, 1983 को सांयकाल जेल से रिहा कर दिया गया है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा व उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड व चन्द्र शेखर आजाद, कृषि एवं प्राद्योगिक विश्व विद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड हेतु सदस्यों के चुनाव हेतु वैद्य पाये गये नामों की सूची

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सदन में सूचना देता चाहता हूँ, जो इस प्रकार है :—

क—गढ़वाल विश्वविद्यालय,

ख—इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा

ग—अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक के वास्ते पांच पांच सदस्यों,

घ—उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी तथा

ङ—चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंधक बोर्ड के लिये दो सदस्यों, के निर्वाचन के संबंध में नाम-निर्देशन-पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 4 फरवरी, 1983 को अपराह्नत 4 बजे तक प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम-निर्देशन-पत्र वैद्य पाये गये हैं। इस प्रकार उक्त निकायों में विधिमान्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नवत् हैं :—

क—गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा

1—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)
2—श्री विद्या सागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल)
3—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (पौड़ी गढ़वाल)
4—श्री द्वारिका नाथ धवन (देहरादून)
5—श्री खुशहाल सिंह रांगड़ (टेहरी गढ़वाल)
6—श्री राम सिंह (सहारनपुर)

ख—इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा

1—श्रीमती कमला देवी (हरदोई)
2—श्री प्रभू नारायण सिंह (जौनपुर)
3—श्री केशरी प्रसाद (जौनपुर)
4—श्री राम लाल वर्मा (हरदोई)
5—श्री बलबीर सिंह (रामपुर)
6—श्री विश्राम दास (इलाहाबाद)
7—श्री अशोक कुमार बाजपेयी (इलाहाबाद)
8—डा० विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद)

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा व उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड व चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड हेतु सदस्यों के चुनाव हेतु वैद्य पाये गये नामों की सूचना

9 श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)

10 श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)

ग– अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा

1 श्री प्रभू नारायण सिंह (जौनपुर)
2 श्री केशरी प्रसाद (जौनपुर)
3 श्री रामलाल वर्मा (हरदोई)
4 श्री बलवीर सिंह (रामपुर)
5 श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)
6 श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)
7 श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)
8 श्री जैराज गौतम (सुल्तानपुर)
9 श्री धरम पाल (बहराइच)
10 श्री शेर बहादुर (फैजाबाद)
11 श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण (बस्ती)
12 श्री सीताराम निबाद (फैजाबाद)
13 श्री विष्णु दयाल वर्मा (मैनपुरी)

घ– उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड

1 श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (बस्ती)
2 श्रीमती किशोरी शुक्ला (गोरखपुर)
3 श्री गौरेलाल शाक्य (इटावा)
4 श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी)
5 श्री प्रभू नारायण सिंह (जौनपुर)
6 श्रीमती कमला देवी (हरदोई)
7 श्री हरदेव (बलिया)
8 श्रीमती सुमन लता (कानपुर)
9 श्री राम लाल वर्मा (हरदोई)
10 श्री केशो राम (बदायूँ)
11 श्रीमती कमला दरियाबादी (कानपुर)
12 श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ङ— **चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड ।**

1 श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर)
2 श्री गंगा सागर शंखवार (कानपुर)
3 श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (बस्ती)
4 श्री गौरे लाल शाक्य (इटावा)
5 श्री विष्णु दयाल वर्मा (मैनपुरी)
6 श्री रामलाल वर्मा (हरदोई)
7 श्रीमती सुमन लता (कानपुर)
8 श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव)
9 श्री परमात्मा प्रसाद सिंह (बस्ती)
10 श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)
11 श्री विलायती राम कत्याल (कानपुर)
12 श्री राम नारायण पाठक (कानपुर)
13 श्री निर्भय नारायण सिंह (बलिया)

2— नामों का वापसी के लिए दिनांक 18 फरवरी, 1983 के अपराह्न 4 बजे तक का समय नियत है। उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं। अतः उक्त निकायों में जो अतिरिक्त नाम हैं वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 2 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न 10-30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय के द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राजमंगल पाण्डेय, सदस्य (जिला देवरिया) जो कि अभी तक काँग्रेस (यू) के सदस्य थे, उन्होंने विधान सभा में कांग्रेस (आई) की सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा उन्हें उक्त दल में सम्मिलित कर लिया गया है। तदनुसार श्री राजमंगल पाण्डेय का नाम काँग्रेस (यू) की सूची से हटाकर कांग्रेस (आई) की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

(व्यवधान)

दिनांक 15-2-82 के तारांकित प्रश्न संख्या—12 के उत्तर से सम्बन्धित अन्तरिम रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

***श्री मोहन सिंह—**

कल इसी आदरणीय सदन में एक मामला उठा था प्रश्न प्रहर में और उसके बाद तत्काल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि सी० आई० डी० की जो अन्तरिम रिपोर्ट आयी है उसको पढ़ने के बाद तत्काल कार्यवाही करेंगे। एक तरह से एक अनौपचारिक बात यह भी हुई थी कि नेता विरोधी दल से भी उस रिपोर्ट के बारे में

बात करेंगे और उसके उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही कल हो जानी चाहिये थी लेकिन अभी तक हम लोगों को इस बारे में अवगत नहीं कराया गया। जो घोषणा नेता सदन द्वारा सदन में की जाय कम से कम उसका परिपालन अवश्य किया जाय। मुझे विश्वास है कि उन्होंने कार्यवाही किया होगा लेकिन हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया। यदि ऐसा है तो सदन को अवगत करा दें।

***मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—**

मैंने सदन में यह घोषणा की थी जो अन्तरिम रिपोर्ट आयी है उसकी स्टडी करके कार्यवाही जो मुनासिब होगी की जायेगी। मैंने जो सदन में घोषणा नहीं की थी उस बात का भी जिक्र किया गया। नेता विरोधी दल और अन्य नेता तथा माननीय अध्यक्ष जी भी थे जो बात कही थी वह भी में। मैंने सब पेपर्स मंगाये हैं और देख रहा था और इसके लिये नेता विरोधी दल से बीच में टेलीफोन पर हमसे तो बात नहीं हो पायी लेकिन उन्होंने बातचीत का समय चाहा था, व्यस्तता के कारण समय निर्धारित नहीं हो सका। इसीलिये कोई कार्यवाही करने से पहले मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ इस परिस्थिति में क्या कार्यवाही हो सकती है।

दिनांक 22 जनवरी, 1982 को श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना

***श्री राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—**

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के खतौनी बन्दोबस्त सोयम में भूखंड संख्या 1344 खाता खतौनी संख्या—214 पर बाग मालिकान मोहम्मद वसी अली खां आदि के नाम खाता खेवट—1 के अन्तर्गत दर्ज है। वस्तुस्थिति की जानकारी जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना के खतौनी बन्दोबस्त सोयम में प्रश्नगत भूखंड —1344 खाता संख्या 214 पर खेवट संख्या—2 के अन्तर्गत है तथा इसके मालिकान मोहम्मद अली खाँ आदि अंकित है। 22-1-82 को दिये गये उत्तरों में इसे बन्दोबस्त सोयम में खेवट संख्या—1 मु० वसी अली खाँ आदि के नाम अंकित बताया गया था जिसका कारण यह बताया गया है कि प्रश्नगत ग्राम की खतौनी सन् 1356 फ० प्रश्नगत भूखंड संख्या—1344 खाता खेवट संख्या 1 के अन्तर्गत खाता संख्या—216 में जीमन 8 (4) और खेवट संख्या—2 के अन्तर्गत खाता संख्या—2225 में बाग जीमन—6 अ मोहम्मद वसी खाँ आदि के नाम अंकित हैं। बन्दोबस्त सोयम यानी 1337 फ० की खतौनी उर्दू लिपि में थी और 1356 फ० की खतौनी हिन्दी लिपि में बनी है। बन्दोबस्त सोयम की उर्दू लिपि को पढ़ने में गलती हो जाने के कारण प्रश्नगत भूखण्ड संख्या खाता खेवट संख्या—2 के बजाय खाता खेवट संख्या 1 में सूचित कर दिया। समस्त अभिलेखों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह गलती जानबूझकर अथवा बदनियती से नहीं की गयी बल्कि बन्दोबस्त सोयम का लेख जो उर्दू लिपि में है और काफी पुराना है, को पढ़ने में गलती के कारण हुई। फिर भी सम्बन्धित तहसीलदार को भविष्य में सावधानी बरतने हेतु सचेत कर दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 22 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना

*** राजस्व मंत्री श्री (बैजनाथ कुरील)—**

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि ग्राम–बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के खतौनी बन्दोबस्त सोयम में भूखण्ड संख्या - 751 अ खाता संख्या—214 पर जीम 8 (4)—ब में बाग मालिकान खाता खेवट - 1 के अन्तर्गत मोहम्मद वसी अली खाँ व बाबू मोहम्मद जैगम अली खाँ व बाबू अबू तुराब खाँ के नाम दर्ज हैं। वस्तुस्थिति की जानकारी जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से करते के पश्चात बाद में यह ज्ञात हुआ कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना के खतौनी बन्दोबस्त सोयम में खेवट संख्या—2 के अन्तर्गत खाता संख्या—214 पर प्रश्नगत भूखंड संख्या—751—अलिफ जीमन 8 (4) में बाग दर्ज है तथा खेवट संख्या–2 के अन्तर्गत खाता संख्या–219 पर जीमन 8 (4) में भूखंड संख्या–751 बाग दर्ज है। खेवट संख्या–2 खातेदारान नूरबख्श खाँ, अब्दुल हसन खां व मुहम्मद हुसैन खाँ हैं। सन् 1356 फ० की खतौनी में खाता खेवट संख्या–1 के अन्तर्गत खाता खतौनी संख्या 217/1 पर प्रश्नगत भूखण्ड स 751/1 जीमन 8 (4) में बाग बाबू मोहम्मद जैगम अली खाँ व बाबू अबू तुराब खां व बाबू वसी अली खाँ के नाम दर्ज हैं तथा 751—अ खाता खेवट संख्या—2 के अन्तर्गत खाता खतौनी संख्या—228 पर जीमन 8 (4) में बाग मालिकान मोहम्मद हुसैन खाँ, नूर बख्श खाँ व अब्दुल हसन खाँ के नाम दर्ज हैं।

बन्दोबस्त सोयम की खतौनी लिपि उर्दू में होने के कारण तथा सन् 1356 फ० की खतौनी की लिपि हिन्दी में होने के कारण प्रश्नगत भूखण्ड संख्या - 751—अ भूल से खाता खेवट संख्या—2 के स्थान पर खाता खेवट संख्या—1 के अन्तर्गत पढ़ लिया गया। समस्त अभिलेखों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह गलती जान-बूझकर अथवा बदनीयती से नहीं की गयी है बल्कि बन्दोबस्त सोयम का लेख जो उर्दू लिपि में है और काफी पुराना है, को पढ़ने में गलती के कारण हुई। फिर भी संबंधित तहसीलदार को भविष्य में सावधानी बरतने हेतु सचेत कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1983†

पंचायतीराज एवं ग्राम विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक फरवरी, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष —

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है जो मिट्टी के तेल तथा डीजल के मूल्य के वृद्धि के संबंध में है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की भी इसी संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा की, जो प्रदेश में प्रधानों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री जमुना प्रसाद के द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के द्वारा कल्यानी नदी में अधिक पानी छोड़े जाने से फसल नष्ट हो जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री अकबाल हुसैन तथा श्री सूबेदार सिंह की है जो गोंडा में लकड़ी की चोरी किये जाने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री मसरूर जाफरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री खैरूल बशर तथा श्री परमाई लाल की है प्रदेश के पीड़ित किसानों से लगान की जबरिया वसूली के संबंध में।

श्री यदुनाथ सिंह की लौह पुरुष सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा, मिर्जापुर में लगने के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री उदल की है, वाराणसी जिले के चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री रेवती रमण सिंह की है जो इलाहाबाद में बिजली की पूर्ति न होने के संबंध में है। श्री कुवरसिंह नेगी ने तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ने पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जन्तुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने के सम्बन्ध में, श्री मोहनसिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता श्री ओंकार नाथ सिंह जी की हत्या किये जाने के संबंध में, श्री अकबाल हुसैन, श्री सूबेदार सिंह ने गोंडा में लकड़ी की चोरी किये जाने के संबंध में श्री मसरूर जाफरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री खैरूल बशर, श्री परमाई लाल ने प्रदेश के पीड़ित किसानों से लगान की जबरिया वसूली के सम्बन्ध में, श्री यदुनाथ सिंह ने लौह पुरुष सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा, मिर्जापुर में लगाने के सम्बन्ध में, श्री ऊदल सिंह ने वाराणसी जिले के चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रेवती रमण सिंह ने इलाहाबाद में बिजली की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में सूचनायें, दी हैं।

मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कृपया अपने प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहने के लिए दो मिनट से अधिक समय न लें। इस सदन का समय बहुत कीमती है और हमको इस पर विचार करना चाहिये। यदि दो मिनट से ज्यादा समय लिया तो प्रार्थना करूँगा कि वह बैठ जायं।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —**

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचना दी है कि मिट्टी का तेल जिसे हर आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब वर्ग इस्तेमाल करता है, की कीमत में वृद्धि कर दी गयी है। मान्यवर, डीजल की कीमत में भी वृद्धि कर दी गयी है, 30 पैसे प्रति लीटर। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

बात स्पष्ट है कि डीजल गरीब वर्ग के इस्तेमाल में आता है। कृषि कार्यों में भी और सामान ढोने के काम में भी। इसके अप्रत्यक्ष परिणाम होंगे। चीजों की मंहगाई बढ़ेगी, ढुलाई के दाम बढ़ेगें। मिट्टी के तेल के दो तरह के भाव रखे गये हैं। दोहरी प्रणाली अपनाई गयी है। कुछ को इस भाव दिया जायेगा, कुछ को उस भाव। संशय और अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है। कार्ड बने नहीं, फिर से कार्ड बनाये जायेंगे। क्या होगा, कुछ पता नहीं। जैसे चीनी के दामों में अन्तर है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोटे की चीनी ले जाकर लोग खुले बाजार में बेच देते हैं। सरकार रोक नहीं पाती है, पूरे प्रदेश में समस्या उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिस पर सदन की कार्यवाही रोककर विचार करना आवश्यक है। अगर इस पर विचार न किया गया तो महगाई बढ़ेगी, पूरा प्रदेश मंहगाई से त्रस्त है।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासदेव सिंह)—

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के दो टेलेक्स उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुये। भारत सरकार ने 14/15 की मध्य रात्रि से मिट्टी के तेल की दोहरी नीति लागू की है। साथ ही हाई स्पीड डीजल आयल, लाइट डीजल आयल, अन्य आयल के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि की सूचना दी है। मिट्टी के तेल की दोहरी नीति के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश को कुल आवंटित मिट्टी के तेल का 70 प्रतिशत 14/15 की रात्रि से वर्तमान मूल्य पर सप्लाई किया जायेगा। इसमें नीति यह है कि समाज के दुर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को वर्तमान मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जाय। कोटे का शेष 30 प्रतिशत 14/15 की अर्धरात्रि से बढ़े हुये मूल्य पर आपूर्ति किया जायेगा जिसमें एक्सस्पेरेज प्वाइन्टस् रु० 1,300 प्रति किलो लीटर की वृद्धि की गयी है। इसे कन्ज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, औद्योगिक इकाइयों को परमिट दिया जायेगा। इनको मिट्टी तेल और साथ ही मूल्य सभर्थित (सबसिडाईजड) कोटे के तेल के कम आवंटन के फलस्वरूप इसे घरेलू जरूरतों के लिए उपभोक्ताओं को भी परमिट द्वारा ही दिया जायगा। इसलिये जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा वैसा नहीं होगा कि चीनी का, हमारा और बाजार-भाव समतुल्य होने के कारण चोर-बजारी बिल्कुल समाप्त हो गई। मान्यवर, मैं वस्तु स्थिति को सफाई से बता रहा हूँ। सम्पूर्ण सूचना में एकाध त्रुटि की स्लिप भी है उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हम स्वयं चाहते हैं और इसलिये मैंने खाद्य सचिव को निर्देश दिया है कि आयल कम्पनियों के प्रबन्धकों को बुलाकर, जो मुद्दे कुछ अस्पष्ट हैं उन पर बात कर ली जाय।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, यह तो केन्द्र का है, माननीय मंत्री जी इसे किस तरह से सस्ता कर देंगे।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं सामर्थ्यवान हूँ। यदि उस नीति के तहत कुछ बातें अस्पष्ट हों तो मैं उनके अधिकारियों को बुलाकर उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करूँगा। हम कभी भी दुर्बल वर्ग को एक पैसा ज्यादा पर मिट्टी का तेल नहीं देना चाहेंगे।

श्री मुख्तार अनीस—

क्या माननीय मंत्री जी, केन्द्र ने जो दाम बढ़ाया है, उससे असहमत है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह निवेदन किया था कि एक ही सदस्य बोले। अब आपस में ही तय कर लें।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, हमारे जनपद बाराबंकी में एक शारदा पोषण नहर निकाली गई है। हमारे यहाँ एक कल्याणी नदी है, यह जिले की एक प्रमुख नदी है। किन्तु इन दोनों स्केमों से पानी को छोड़ने से इस नहर में हमेशा पानी भरा रहता है। इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक 15-9-1982 को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। इससे पहले भी मैं एक पत्र सिंचाई मन्त्री जी को दे चुका था, जिसमें केवल कोरा आश्वासन व्यक्त किया गया। लेकिन इस विभीषिका से निपटने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है, फलस्वरूप नजदीक के गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 10-15 सालों से लोग इससे पीड़ित हैं, वहाँ एक भी फसल नहीं होती है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से उस पत्र में अनुरोध किया था कि इस नदी में इस नहर का पानी बहा ले जाने में समर्थ नहीं है। अतः श्रीमन् मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस मसले पर विस्तार से चर्चा कर ली जाय ताकि उन तमाम किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु निष्कर्ष निकाला जा सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि केवल ग्राह्यता के बारे में कहे और अपनी सूचना के बारे में कहा है, उसमें ज्यादा समय न लें।

[1 बजे अपराह्न]

*** श्री कुँवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, इस प्रदेश में वन जन्तुओं की सुरक्षा के नियम लागू हैं जिसकी वजह से सारे प्रदेश के वन- जन्तुओं को नहीं मारा जा सकता है, इस रोक की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में उनकी संख्या में बढ़ोत्री भी हुयी है। फिर जो जानवर काश्तकारों के हैं, उनको कुछ दल बड़ी संख्या में मार रहे हैं, इस संबंध में अप्रैल 82 में शासन के वन विभाग ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत यह है कि वन-जंतुओं को मारे जाने पर मुआवजा देने का प्राविधान है। परन्तु वह शासनादेश कुछ त्रुटिपूर्ण और पेचीदा है।

इसमें एक शर्त यह है कि जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क अथवा पशु बिहार हो, उसके 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर मारा जा सकता है, और परिधि के अन्दर मारे जाने पर मुआवजा देना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह गलत हुआ है, जबकि सारे प्रदेश में इन वन जतुओं के मारे जाने पर रोक है तो इन स्थानों पर भी जो परिधि 5 किलोमीटर की लगायी है, उसे हटाये जाने हेतु सरकार या तो इस पर चर्चा कराए या अपना वक्तव्य आज दे दे क्योंकि इससे वहाँ के लोगों में बड़ी निराशा व आक्रोश व्याप्त है।

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, यह घटना 31 दिसम्बर को घटी आज से डेढ़ माह पूर्व। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता जो देवरिया के रहने वाले हैं, की हत्या कर दी गयी है केवल इस कारण कि तस्करी के मामले में बयान दिये जाने पर जो बिहार और नेपाल में होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]—

है। इस हत्या के कारण विद्यार्थियों में काफी रोष व्याप्त है और आंदोलन बराबर हो रहे हैं। इस ओर क्या कार्यवाही हो रही है, मैं यह नहीं कहता कि कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है, थोड़ी बहुत कार्यवाही तो सरकार द्वारा की गयी है, परन्तु अपर्याप्त है, उससे स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। इसलिए यह बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर चर्चा सदन में आज ही कराई जाए या शासन द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि इस पर वक्तव्य साँय तक दे दिया जायेगा। (व्यवधान)

***संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

जहां तक जो बातें मा० मोहन सिंह जी द्वारा कही गयी हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव में इस बात को उठाने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि मा० सुग्रीव सिंह द्वारा दिनांक 8-2-83 को इस सूचना को सदन में पारित किया गया था, जिसे आपके द्वारा स्वीकार भी किया गया था। जो नियमावली है उसके अन्तर्गत साफ यह लिखा हुआ है कि एक ही बात पर उसी सत्र में दोबारा चर्चा नहीं होगी। मेरा अनुरोध है कि इसे कार्य स्थगन में स्वीकार न करें। चूँकि मुकदमा भी चल रहा है, गिरफ्तार भी किया जा चुका है, इसमें राकेश कुमार सिंह, जो उनके निकट मित्र थे, उनका नाम लिया जा रहा है। सरकार इस मामले में छानबीन करेगी और दोषी व्यक्तियों को सजा देने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन इस पर आन्दोलन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं इस पर कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता।

***श्री अकबाल हुसैन—**

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो हमारे जनपद गोण्डा में उत्तरी जनपद में लकड़ी की चोरी हो रही है। वह स्थान लकड़ी चोरों का स्वर्ग बना हुआ है। 8-2-83 को एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ के लड़के निराल मणि त्रिपाठी, पुत्र चन्द्रभाल मणि त्रिपाठी, ग्राम सहियापुर, थाना-तुलसीपुर, जिला-गोण्डा की ट्रक संख्या यू० टी० ई० 4858, जिस पर शीशम की कीमती लकड़ी थी जंगल की, चोरी में पकड़ी गयी और उन पुलिस अधिकारी और जंगल के कर्मचारियों को रिवाल्वर और बन्दूक की नोक पर धमकी दी कि अगर लकड़ी पकड़ी तो जान से मार दिया जायगा। पुलिस और जंगल कर्मचारियों में एक तरफ और लकड़ी चोरों में दूसरी तरफ ठनी हुई है।

पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों का काम-काज ठप्प पड़ा हुआ है। धमकी दी जा रही है कि अगर इस केस को चलाया तो ससपेण्ड करा देंगे। गोण्डा का पूरा प्रशासन ठप्प पड़ा हुआ है। निरालमणि त्रिपाठी इस तरह से चोरी कर रहा है। वन विभाग से सम्बन्धित करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इस प्रकार हर वर्ष चोरी होती है, जिसको रोकने के लिए उठाये गये कदमों पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। पूरा प्रशासन ठप्प कर दिया गया है। इसलिये मैं यह माँग करता हूँ कि यह जो 8-2-83 को घटना घटी है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, पिछले वर्षों से यह प्रदेश कहीं सूखा, कहीं सैलाब और कहीं ओले से बरबाद हो रहा है, सारी फसल समाप्त हो चुकी है। सरकार की किसान विरोधी नीति यह है कि हर जिले में जबरिया लगान वसूल किया जा रहा है और कुर्की की जा रही है। वैसे तो प्रदेश में करोड़ों रुपया बिजली के नाम पर बाकी है, अगर सरकार उसी रुपये को वसूल करे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। एक ओर सूखा, सैलाब और ओला और दूसरी ओर लगान की वसूली। इस समय किसान के पास कोई फसल तैयार नहीं है। गन्ने पर सरकार की नजर हो गयी, इन्होंने मिल मालिकों से हाथ मिला लिया। न उनका गन्ना लिया जा रहा है, न उनको पर्ची सही तरीके से मिल रही है। किसान हर तरफ से मारा जा रहा है। 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। मेरी मांग है कि इस मामले पर सदन में चर्चा हो। जिनकी फसलें सूखा, सैलाब और ओले से बरबाद हो गयी हैं, उनके लिये लगान माफी की घोषणा की जाय।

***श्री यदुनाथ सिंह—**

मान्यवर, लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम आज भी अछूत समझा जाता है। 23 इन्जरी की रिपोर्ट हैं। मैं इस संबंध में मुख्य मन्त्री से मिला, स्पीकर से मिला और लिख कर दिया। मुझे 29 तारीख को मारा गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। नेता सदन बैठे हैं यह गाँधी सिनेमा भी देख लें पर सरदार पटेल की मूर्ति को न बनायें। आज सरदार पटेल होते तो देश की यह दुर्गति न होती। मिर्जापुर का कलेक्टर और कप्तान ब्राहमण है तो उसने हमारे साथ ऐसा किया। सरदार पटेल ने देश के 612 राजे राजवाड़ों के राज मुकुट को धूल धूसरित किया था। यदि सरदार पटेल रहते, वह जिन्दा होते तो प्रदेश ऐसा न होता जहां सदस्यों की बात सुनी ही नहीं जाती है। आज आप लोग सरदार पटेल की मूर्ति यदि बनाते हैं तो आप तमाम लोगों को जेल भेज देते हैं और यदुनाथ सिंह को मरवाते हैं। आज संजय गांधी की मूर्ति बनवाते हैं और किसी को जेल नहीं भेजते हैं। यदुनाथ सिंह मारे जांय तो किसी को जेल नहीं भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता के बारे में ही बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह—

मिर्जापुर जिले में ब्राह्मण कलेक्टर और कप्तान रखे हुए हैं जब मैं 11 नवम्बर को मुख्य मन्त्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही की जायेगी लेकिन ब्राह्मण और और कप्तान को कुछ नहीं कहा क्योंकि वे ब्राह्मण हैं।

(व्यवधान)

वे ब्राह्मण हो सकते हैं परन्तु सरदार पटेल की बराबरी नहीं कर सकते। वे सरदार पटेल की बातों को क्या समझेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में मुख्य मन्त्री को दिक्कत है। हमारे जो चोटें आयीं हैं उनको आप स्वयं देखें—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य आप केवल ग्राह्यता के बारे में ही बोलें ।

(श्री यदुनाथ सिंह इस समय तक सदन के क्लोर पर सामने आ गये और एक-एक करके अपने कपड़े उतारने लगे ।)

श्री अध्यक्ष —

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूँगा कि वे अपने स्थान पर जायें, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

(श्री यदुनाथ सिंह शान्तिपूर्वक खड़े होकर बराबर एक-एक करके अपने कपड़े उतारते रहे ।)

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जायें, यह कोई नियम नहीं है इस तरह से ।

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, यह मेरा अनुरोध है ।

(श्री यदुनाथ सिंह इस समय तक शान्तिपूर्वक घूम-घूम करके अपनी चोटें सबको दिखाते रहे, व मुख्य मन्त्री जी की सीट के पास भी गये अपनी चोटों को दिखाने के लिये)

तदोपरान्त श्री मुहम्मद आजम खां सामने फ्लोर पर आये और श्री यदुनाथ सिंह के कपड़े समेट कर उन्हें वापस ले जाने का आग्रह करने लगे और फिर उन्हें वापस ले भी गये ।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह सदन है कोई पागलखाना नहीं । आप बारम्बार छूट देते हैं इससे नैतिकता समाप्त होती है, बराबर सदन की नैतिकता का हनन हो रहा है । सदन की नैतिकता का हनन नहीं होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप लोग बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इनको (श्री यदुनाथ सिंह को) इंगित करता हूँ ।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय सदस्य को आज दिन भर के लिये सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय यदुनाथ सिंह को आज दिन भर के लिये सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश चन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे आज सदन से निष्कासित किये गये हैं । माननीय सदस्य कृपया सदन से बाहर जायं

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जब माननीय सदस्यों की बात नहीं सुनी जायेगी, आप समझिये कि यह हालत किसलिये आयी है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, यह गुण्डागर्दी हाउस में नहीं होने दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्य सदन के बाहर जायें ।

श्री दलगंजन सिंह—

(श्री यदुनाथ सिंह की पीठ के निशान दिखाते हुए) मान्यवर इनके निशानों को देखें ।

श्री अध्यक्ष—

सदन में निर्णय दे दिया है, माननीय यदुनाथ सिंह आप कृपया बाहर जायें ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

पहले वह बाहर जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, मेरा इसी पर व्यवस्था का प्रश्न है। श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न निकाले जाने की प्रक्रिया क्या हो आप इस पर सुन लें। मान्यवर, अगर कोई सदस्य इंगित करने पर बाहर न जाय, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करें आपने इंगित नहीं किया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव कर दिया और आपने मतदान करा लिया। मैं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ लेकिन आपने इंगित तो कर लिया होता, उसके बाद प्रस्ताव आया होता तो प्रक्रिया सम्बन्धी दिक्कत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

इंगित किया है, जब वह बाहर नहीं गये। मैंने बुलाया था, और उसके बाद प्रस्ताव पारित हुआ था।

श्री मुख्तार अनीस—

आपकी ओर से इंगित होना चाहिए था। 'हाँ' और 'नहीं' होना चाहिए था। लेकिन केवल 'हां' हुआ है। इस प्रकार से आज तक किसी को निकाला नहीं गया है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

यह सदन चलने नहीं देंगे जब तक उनको निकाला नहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन किया गया है अब कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

नियम 299 को आप देखें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह नियमानुसार हुई है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, अब निर्णय हो चुका है, दुबारा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैंने अपना निर्णय दे दिया है जो कुछ कार्यवाही हुई है वह नियमानुसार हुई है। 'हां' और "नहीं" की बात हो गयी है।

डा बृज किशोर मिश्र

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कुछ परम्परायें भी हैं, जिनके अन्तर्गत वह चलता है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

पहले आपके आदेश का पालन होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सभी माननीय सदस्य की बात को सुना है । जो कुछ भी कार्यवाही यहां पर की गई है वह नियमानुसार की गई है । पहले वे वहां से बाहर जायें । उसके बाद मैं आपकी बात को सुनूंगा । (व्यवधान)

एक सदस्य—

आपका निर्णय हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

जो कार्यवाही हुई है वह नियमानुसार हुई है । आप लोग बैठें । मैं किसी को आज्ञा इस पर नहीं दे रहा हूँ ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दिया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सदन इस तरह नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप शांत रहें । माननीय रियासत हुसैन, माननीय मोहन सिंह जी, माननीय राजेन्द्र कुमार जी, आप लोग कृपा करके बैठें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

पहले आदेश का पालन होना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो आदेश दिया गया है उसका आप पालन करें । माननीय सदस्य बाहर जायं । उसके बाद मैं आपको सुनूंगा । कृपा करके बैठें । (व्यवधान) पहले जिनको निलम्बित किया गया है वे बाहर जायं । उसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

आप हमारी कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं जो कि नियमों के विपरीत भी है इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये और नारे लगाने लगे—लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।)

(श्री यदुनाथ सिंह भी नेता विरोधी दल के साथ बाहर चले गये)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

पहले नाटक करते हो और उसके बाद लाठी गोली की सरकार कहते हो । ये प्रजातन्त्र के ठेकेदार हैं—लाठी गोली की सरकार कह रहे हैं ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मुझे बड़े दुख से भरे हुए हृदय से आज व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है । जो माननीय सदस्य ने यहाँ किया । मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ.... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

कृपया शांति से मेरी बात सुनें (व्यवधान) (श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी के खड़े होने पर) चतुर्वेदी जी आप बुजुर्ग हैं, आप कृपा करके बैठ जायं कम से कम आप ऐसा शर्मनाक काम न करें । मान्यवर, इस आदरणीय सदन के संचालन के लिये आप कोई भी कठोरता करें, वह हमें स्वीकार है लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर होता है वह उसकी प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत ही होना चाहिए । माननीय सदस्य यहाँ पर आये और एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी । मान्यवर, नियमावली में आपको अधिकार दिया हुआ है आप 299 देखने की कृपा करें । इसमें साफ लिखा है, मेरा स्पष्ट मत है आज अध्यक्ष पीठ से नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी गयी हैं नियम क्या कहता है वह देख लें अगर नियमों का पालन हुआ है तो मैं क्षमा मांग कर अभी बैठ जाऊंगा । नियम 299(1) क्या कहता है—अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निर्देश दिया जाय वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे ।

(2) अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य को इंगित कर सकेंगे (क) यदि उपनियम (1) के अंतर्गत बाहर चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करें, या—

(ख) यदि अध्यक्ष उपनियम (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अपर्याप्त समझें, या

(ग) यदि सदस्य जानबूझ कर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डालें, आदि आदि दिया हुआ है । फिर आगे मान्यवर, इसी का (3) उप नियम देख लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(3) जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन-नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा ।

इसमें आप देखें कि नेता सदन से अपेक्षा की जाती है या उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य इस आशय का प्रस्ताव करेगा । इसमें आप देखें नेता प्रस्ताव करेगा । इसमें आप देखें नेता प्रस्ताव करेंगे यह मेनडेटरी है (व्यवधान) श्यामलाल बाजपेयी जी आप शांत रहे मैं आपकी कद्र करता हूँ । यह बड़ी खराब बात है (व्यवधान) मेरी तीन आपत्तियां हैं । आपने आदेश दिया या नहीं दिया लेकिन मैंने नहीं सुना । मैं मान लेता हूँ आपने कहा । अध्यक्ष महोदय ने अपने को सदन को समर्पित कर दिया । अध्यक्ष पीठ से यह होना चाहिये था कि माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह को इंगित करते । आप कार्यवाही देख लें यह शब्द नहीं लिखा हुआ है । आपने तत्काल संसदीय कार्यमंत्री को पुकार लिया, आप क्षमा करें यह अनियमित हुआ है । यदि इसे मान लें तो भी नेता सदन को खड़ा होना चाहिये था क्योंकि संयोग से आदरणीय सदन में वे उपस्थित हैं । अगर उपस्थित न होते तो कोई दूसरा सदस्य, माननीय संसदीव कार्यमंत्री या हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बासुदेव सिंह जी विराजमान हैं वे खड़े होते । तो इसमें आज नियमों की पूरी अवहेलना हुई है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां माननीय यदुनाथ सिंह जी का व्यवहार खराब हुआ वहीं इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री का व्यवहार अत्यंत निन्दनीय हुआ । अपेक्षा यह की जाती है कि जब माननीय मुख्य मंत्री यहां हैं तो वे खड़े हो कर बताते । जैसे आज मेरे कार्यस्थगन प्रस्ताव पर प्रोफेसर वासुदेव सिंह खड़े हो गये । माननीय मुख्य मंत्री खड़े होते । माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह आज पीटे गये, उनकी पीठ पर दाग पड़े हुए हैं । उनको मिटाने के लिए सरकार कोई मलहम लगाने का कार्य करती और उस पर चर्चा करती । आज हमें दुख और लज्जा आ रही है माननीय मुख्य मंत्री खड़े नहीं हुए इससे ज्यादा लज्जाजनक बात कोई नहीं हो सकती है । मान्यवर, एक तांत्रिक ने भूत को कब्जे में कर लेकिन जब वह भूत उनके हाथ से निकल गया तो उस तांत्रिक को खा गया । आज पुलिस द्वारा माननीय सदस्य को जूतों से मारा जाता है । तो वह भूत जब आपके हाथ से निकल जायेगा तो आपको जूतों से मारेगा ।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की सम्पूर्ण कार्यवाही नियम विरुद्ध हुई है, नियमों की धज्जियां उड़ा दी गयी हैं । आप क्या करके अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और माननीय यदुनाथ सिंह को सम्मानपूर्वक सदन में आने का आदेश दें ।

***श्री मुख्तार अनीस—**

मान्यवर, मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सब बातें कह दी हैं 299 के तहत सब बातें आ गयी हैं । मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि श्री यदुनाथ उत्तेजित थे और उनकी उत्तेजना स्वाभाविक थी, उनको मिर्जापुर के कलेक्टर और एस०पी० ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के आरोप में पीटा है, जिसको यहां सदन ने देखा है । मुख्य मंत्री को यह देखकर शर्म आनी चाहिये थी और दुख होना चाहिये था । मान्यवर, जैसा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी आज मारा पीटा जा रहा है । विधायक कहते हैं कि उनकी बात अधिकारी नही मानते हैं । अधिकारी आज अनुशासनहीन और निरकुंश हो चुके हैं । मान्यवर, सारी कार्यवाही को आप देख लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस]—

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव वापस होना चाहिये और उनको ससम्मान आना चाहिये और मुख्य मंत्री को आश्वासन देना चाहिये कि जिन लोगों ने श्री यदुनाथ सिंह को मारा पीटा है उनका निलम्बन किया जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी एवं सारी घटना की जाँच की जायेगी, यही मेरा कहना है।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, मा० यदुनाथ सिंह ने जो कुछ यहां किया वह शर्मनाक है, वह उनको नही करना चाहिये था।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

नहीं करना चाहिये था तो आप बोल क्यों रहे हैं ?

श्री भीखा लाल—

आप नियमों के ज्ञाता है, तो नियमों का पालन करायें। यदि यदुनाथ सिंह के साथ अन्याय हुआ था तो मुख्य मंत्री के कमरे में जाकर उनको दिखाना चाहिये था, आपको मान्यवर, दिखाना चाहिये था, और यह सदन में नही करना चाहिये था। लेकिन जो प्रक्रिया उनके निलम्बन की हुई वह नियमतः नही हुई है। आप कहते हैं कि इंगित किया, हम लोगों ने नहीं सुना, हमने यह सुना कि आप अपने स्थान पर बैठें, गलत काम कर रहे हैं, इंगित नहीं किया। लेकिन यदि कहते हैं कि इंगित किया, तो मैं माने लेता हूँ कि इंगित किया होगा, कार्यवाही में आप देख लें। लेकिन इंगित करने के बाद निलम्बित करने का प्रस्ताव नेता सदन, यदि मौजूद हैं तो उनको करना चाहिये था, उनकी अनुपस्थिति में दूसरा कोई कर सकता है। इसलिये उनका निलम्बन वापस होना चाहिये। यही मुझे कहना है।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मा० अध्यक्ष महोदय, जो घटना यहाँ घटी उसके संबंध में मा० नेतागण विरोधी दल के भी विचारों को आपने सुना कि वह घटना को शर्मनाक कहते हैं। मान्यवर, जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है आपने निकलने को कहा, आपने इंगित करने को कहा।

(विरोधी दल के कई सदस्यों ने एक साथ कहा कि नही कहा है।) (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

पूरे सदन ने सुना है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, उन्हीं के लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन जब खड़े हों तो आप बैठ जांय।

***मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—**

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने तीन बातें, तीन तथ्य, रखे गये थे। पहले निकल जाने के लिये कहना चाहिये और दूसरा न निकलने पर इंगित करना चाहिये और तीसरा यदि नेता सदन मौजूद हैं तो उनको प्रस्ताव करना चाहिये और उनकी अनुपस्थिति में दूसरे को करना चाहिये। यह तीन बिन्दु उठाये गये हैं। तो पहले दो तथ्यों के बारे में मुझे यह कहना है कि आपने उनको निकलने के लिये कहा, वह नहीं गये तो आपने इंगित किया अब तीसरा तथ्य है कि प्रस्ताव कौन रखता है। यदि आप पढ़ेंगे तो नियम, कायदे, रूल्स जब बनाये जाते हैं तो उनका अर्थ उसी में निहित होता है।

जो यह रूल्स बनाये गये हैं उसमें यह है कि नेता सदन अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य, यह उस कल्पना में कहा गया है कि नेता सदन अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य, कभी ऐसा हो सकता है कि नेता सदन न हों। और नेता सदन न होने पर उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य, यह है नियमों में। यह इसलिये है कि कोई प्रकिया ऐसा न हो कि रुक जाय। तो किसी भी सदस्य को इस तरह का प्रस्ताव रखने अख्तियार है··· (व्यवधान-शोर) अगर माननीय नेता सदन हैं और उनकी उपस्थिति में ही यदि कोई और माननीय सदस्य प्रस्ताव उपस्थित करता है तो उसमें कहीं पर उसके लिये रोक नहीं है। (व्यवधान) नेता सदन की उपस्थिति में अगर कोई अन्य माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और अगर नेता सदन उसको नहीं चाहते हैं तो वे उसे रोक देंगे। नेता सदन की उपस्थिति में अगर वह प्रस्तुत किया है तो उसमें नेता सदन की स्वीकृति है, यह माना जाना चाहिये। (व्यवधान) इसलिये जो प्रक्रिया हुई है वह सही है। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपा कर बैठें। (व्यवधान) मैं पूरी कार्यवाही को देख लूँगा और उसके बाद अपना निर्णय दूँगा बाद को।

श्री रियासत हुसैन—

जब आपने निर्णय सुरक्षित कर लिया है तो निर्णय देने के पूर्व आप कृपया अपने कक्ष में हम विरोधी पक्ष के नेताओं को भी सुन लें तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 की 11 सूचनायें प्राप्त हुई है और सभी को मैंने अस्वीकृत किया है। एक सूचना माननीय मोहन सिंह जी की है, उसी विषय की एक सूचना वक्तव्य के लिये 17-2-83 के लिये पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। (व्यवधान-शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल—

मैंने एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी थी ।

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन के पश्चात् सदन में बैठने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी एक माननीय सदस्य को दिन भर के लिये सदन से निष्कासित कर दिया है और मान्यवर, वे इस समय सदन में बैठे हुए हैं । आप कृपया यह व्यवस्था दें कि क्या वे सदन में, आपकी व्यवस्था के बाद क्या बैठ सकते हैं (शोर-व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

निर्णय तो आपने अभी रिजर्व कर लिया है । तब तक तो वे बैठ ही सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का जो निष्कासन हुआ है वह केवल एक दिन के लिए हुआ है और उसका पालन होना चाहिए । अभी थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे, कार्यवाही को देखेंगे । उसके बाद जब कोई निर्णय हो जायगा, तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी । मैं नेता विरोधी दल से अनुरोध करुँगा कि वह उनसे कहें कि वह कृपा करके हाउस के बाहर चले जांय ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमन्, हम सब लोग लावी में बैठें थे, आपने स्पीच में कहा है कि इस सारे प्रकरण पर विचार किया जायगा कि यह सब नियम संगत हुआ है या नियम विरुद्ध और इसमें मैं बाद में आपको अपना निर्णय दूंगा । तो इसलिए सदन के त्याग को छोड़कर हम लोग सदन में आ गये इस बात पर कि आगे का निर्णय आपने बाद में आने को कहा है । इसलिये जब तक आज के लिए आपका निर्णय न हो जाय, माननीय यदुनाथ सिंह जी यहाँ बैठ सकते हैं ?

(व्वधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

श्रीमन्, यहाँ इस सदन में विधिवत उनके निष्कासन का प्रस्ताव पास हुआ था । यह इस तरह से यहाँ बैठ नहीं सकते हैं । आपने इस प्रसंग में बाद में निर्णय देने को कहा था कि इनको वापस बुलाया जाय या न बुलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव इस सदन से पास हो गया है, उसका पालन होना चाहिए । यदि कोई बाद में निर्णय होगा, हमारे बैठने के बाद, तो फिर उस पर कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

इस तरह से यदि सदन की सर्वोच्च पीठ से दिये गये आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह सदन किस प्रकार चल पायेगा, कैसे यह सदन आगे चलेगा ?

श्री मुहम्मद आजम खां -

श्रीमन्, आपकी गरिमा का ख्याल रखते हुए मैंने खुद ही माननीय सदस्य को यहां से उठाकर ले गया था। क्योंकि आपने उस वक्त यह नहीं फरमाया था कि वह सदन कितने दिन या कितने वक्त के लिए छोड़ेंगे। अब सदन चला तो वह वापस आ गये। अब आपकी बात भी हो गई। अब आप अपना गुस्सा छोड़ें।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन से बाहर चले गये)

(व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

***श्री ऊदल—**

श्रीमन्, मैंने नियम 56 में एक सूचना आपके पास भेजी है। वाराणसी जिले में चकबन्दी विभाग धारा 56 के अन्तर्गत प्रकाशन के बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर घपले-बाजी कर रहा है। सरकार के यहाँ सारे रिकार्ड और नक्शे बदल दिये गये हैं। मैंने एक गांव का हवाला भी दिया है। तहसील चकिया में परवतिया गांव है और चंदौली में ज्ञानपुर में बहुत सी ऐसी कार्यवाहिया की गई हैं। माल मन्त्री को भी मैंने बदले हुए नक्शे के साथ वहां के किसानों की पूरी दरख्वास्त दे दी है। वहां का किसान इससे बिलकुल क्षुब्ध है। इससे लोगों की रोटी रोजी छीनी जा रही है। इसलिए इस पर आप चर्चा करा दें, जिससे उस पर विचार हो सके।

श्री रेवती रमण सिंह—

बार-बार इस सदन में कहा गया कि बिजली बहुत है और चारों तरफ देहातों से शहरों तक बिजली बराबर दी जा रही है लेकिन इलाहाबाद जिले में और शहर में पिछले 10 वर्षों से 12-12 घण्टे के लिए बिजली गायब रहती है और वहाँ के अस्पतालों में भी तक बिजली नहीं रहती जिसके कारण आपरेशन का कार्य बन्द रहता है। दफ्तर जाने वाली बिजली न होने के कारण नहाने के लिये बैठे रहते हैं। रात में भी बिजली गायब हो जाती है और यह निश्चित नहीं है कि बिजली कब आयेगी ?

अखबार की छपाई में भी बड़ा व्यवधान पहुँचता है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि यह बिजली की स्थिति कब ठीक होगी। इसके लिये मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सरकार से आप वक्तव्य दिला दे और इस पर चर्चा करवा दें मान्यवर, इससे जनता में बहुत ही असंतोष और आक्रोष है। मान्यवर, यह बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गयीहै। अगर यही स्थिति रह गई तो आगे चल कर मड़ाई के कार्य में किसानों को काफी परेशानी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्मार रिजवी —

मान्यवर, बिजली के बारे में जो माननीय रेवती रमण जी ने कहा, उसके संबंध में हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार मान्यवर, मेरे पास सूचना है। 7 तारीख को 23-25 घण्टे बिजली दी गयी, 8 तारीख को 24 घण्टे बिजली दी गयी, 9 तारीख को 22 घण्टे बिजली दी गई, 10 तारीख को 21-30 घण्टे बिजली दी गयी, 11 तारीख को 22-25 घंटे बिजली दी गयी, 12 तारीख को 20-55 घण्टे बिजली दी गयी, 13 तारीख की 22-45 घण्टे बिजली दी गयी, 14 तारीख को 22-30 घण्टे बिजली दी गई, 15 तारीख को 22 घण्टे बिजली दी गयी। मान्यवर, फिर भी जो आपने बताया है, इसको मैं दिखवा लूँगा।

श्री रेवती रमण सिंह —

यह मान्यवर, बिजली की कहां की सूचना है ?

श्री अम्मार रिजवी —

यह इलाहाबाद की सूचना है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष —

नियम 56 में जो सूचनाएं दी गयी थीं, उन सबको मैं अस्वीकार करता हूँ। छठीं सूचना श्री मोहन सिंह की पहले से ही वक्तव्य के लिये लगी हुई है। उसको मैंने शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। श्री ऊदल ने जो बात कही है, उसमें मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये, उसको सरकार के पास भेज दिया है। उस पर कार्यवाही की जायेगी और सदन को भी सूचित करेंगे। श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो बात बिजली के बारे में कही है, उस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। उस पर भी कार्यवाही करने के बाद मैं सदन को सूचित करें।

श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन की समाप्ति का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र सिंह —

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय यदुनाथ सिंह के संबंध में जो प्रक्रिया हुई, वह सही है मान्यवर, उनको आपके कक्ष में जाकर कहना चाहिए था, लेकिन मान्यवर, जिन परिस्थितियों में ऐसी चीजें होती हैं, वह श्रीमन् भावावेष में ऐसी जो चीजें हो रही है, जिस तरह से पुलिस पिटाई कर रही है विधायकों की, मैंने ढाई महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं आया कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है। तो मान्यवर, अब सदन ही एक चीज रह जाती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन से कहना चाहता हूँ कि यह जो चीज हो रही है उस पर आप विचार करें, गल्ती हमारी है, तो बतायें, अगर गलती नहीं है तो उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उनको बुला लें और मैं चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री की उनके निलंबन को खत्म करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जहाँ तक माननीय यदुनाथ सिंह के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके संबंध में माननीय नेता विरोधी दल ने स्वयं कहा कि वह आपके कक्ष में जाकर बता सकते थे। मान्यवर, किसी माननीय सदस्य का इस तरह से पीटा जाना, चाहे व किसी भी दल से संबंधित हो, अगर जनता का भी कोई व्यक्ति है, तब भी वह गलत है। लेकिन जोश के साथ मान्यवर, होश भी बाकी रहना चाहिए। अगर तमाम चीजें इस तरह से होने लगेंगी, तो सदन की कार्यबाही कैसे मान्यवर चल सकती है, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव दिया है, मान्यवर मेरा निवेदन है कि उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है, और जिसका समर्थन माननीथ संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है, उन बातों से मे भी अपने को सम्बन्ध करता हूँ। बहुत साफ-साफ एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग 10 करोड़ से अधिक के प्रतिनिधि हैं,....

अगर यहां पर इसी तरह का वातावरण होता रहा तो यह आपको शोभा नहीं देता है और इससे सदन की गरिमा कम होती है यह कोई अच्छी बात नहीं है यदि उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हुयी तो जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा उनको मुझसे मिलना चाहिये था, लेकिन जिस प्रकार यहां पर हुआ अगर यह सब होता रहा तो यह हम सब लोगों को शोभा नहीं देता है। (अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ। प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह के निलम्बन को समाप्त किया जाय ? प्रश्न उपस्थित किथा गया और स्बीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

चूँकि किसी ने नहीं कहा इसलिये यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो गया। मैं श्री यदुनाथ सिंह से कहूँगा कि वह सदन में आ सकते है।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्याशंकर नौटियाल बोल रहे थे, उनका थोड़ा सा समय हुआ था, कृपया अपना भाषण जारी करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन् मैं निर्माण के बारे में कह रहा था। हमारी सरकार बार बार कह रही है कि वह विदेशों में निर्माण करा रही है। वह किस कीमत पर करा रही है मैं यह बताना चाहता हूँ। हमारे अपने प्रदेश से बंधुवा मजदूर जाते हैं। डेढ़ सौ साल पहले फिजी, मारीशश को इसी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, पूर्वी अंचलों से गरीब लोग गये मजदूरी की तलास में जाते थे और आज डेढ़ सौ साल बाद भी अधिष्ठाता जी हमारे यहां से लोगों को भेआ जा रहा है। विदेशों में उनके साथ दुर्व्यहार किया जाता है इससे ज्यादा शर्म की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 15 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

[श्री विद्या सागर नौटियाल]—

बात हमारे लिये और कुछ नहीं हो सकती है। श्रीमन्, हमारी सरकार को इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व है कि वह बड़े-बड़े निर्माण कार्य करा रही है। मेरा निवेदन है कि अगर छोटा निर्माण काय करें तो छोटे आदमी को ऊपर उठने का अधिक मौका मिलेगा। उसकी जिन्दगी बेहतर होगी। यह जो 5 स्टार होटल बनाये जा रहे हैं बजाय इसके छोटे-छोटे निर्माण करें।

(इस समय 1 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

बजाय इसके कि बड़े-बड़े निर्माण करें और छोटा आदमी उसमें दब जाय, पिस जाय, जिंदगी मुश्किल हो जाय इससे ज्यादा बेहतर होता कि छोटे निर्माण कार्य सरकार करती और प्रदेश के अन्दर आज जो स्थिति है उस पर सरकार विचार करती।

आज प्रदेश में 50 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं क्योंकि जितनी कैलोरी एक इंसान को मिलनी चाहिये उसको वह नहीं मिल पातीं हैं। अर्थ शास्त्री कहते हैं कि इनकी संख्या 9 लाख सालाना की गति से बढ़ रही है। हमारी सरकार कहती है कि साधन कहाँ से आयें, साधन कहाँ से जुटायें। इस प्रदेश के अन्दर जितना काला धन है, प्रदेश के बड़े-बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े घरानों, उद्योगपतियों और बड़े बड़े कारखानों के मालिकानों और बड़े बड़े अफसरों और कुछ बड़े बड़े मंत्रियों ने जितना काला धन छिपा रखा है अगर उस पर सरकार टैक्स लगाये और उसे बाहर निकाले तो हमारी कई योजनायें पूरी ही सकती हैं। वित्त मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने कोई नया टेक्स नहीं लगाया है। यह जब टैक्स लगाते हैं तो वह विधान सभा के सामने नहीं आता है, सदन के सामने नही आता है। जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद विजली की दरें बढ़ा देते है। बसों का किराया बढ़ा देते हैं जिससे गरीब आदमी के ऊपर असर पड़ता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मान्यवर, जो बड़े बडे अरबपती इस प्रदेश के अन्दर हैं, वे इस प्रदेश की जनता को लुट कर खा रहे है, अपने घर भर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। श्रीमान् पिछले कुछ वर्षो के अन्दर हमारी सरकार का जो खर्च करने का तरीका है, वह बहुत ही गजब का है।

विकास कार्यो में और विकास के अलावा जो दूसरे कार्य हैं, नान डेबलपमेंट वकर्स का जो खर्चा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 1977-78 में 11.7-09 डेबलपमेंट का एक्सपेंडीचर था, 1980-1981 में यह 1528-75 हुआ। जो नान डेबलपमेंट एक्सपेंडीचर है, अधिष्ठाता महोदय जो, 1977-78 में 364.51 से बढ़कर 1980-81 में 600.42 हो गया, श्रीमन् इस तरह से टोटल आपका बढ़ रहा है। यह जो नान डेबलपमेंट खर्चा है, वह खर्चा आपका दुगना हो रहा है। जिस समय अग्रेज इस देश से गये थे, पुलिस पर 7 करोड़ रुपया खर्च होता था और आज मान्यवर यह कल्याणकारी राज्य, जिसमें जगह-जगह इंदिरा गांधी जी का नाम जोडा जाता है, ताकि उन तक रिपोर्ट पहुँचे कि उनका नाम लिया गया, 150 करोड़ रुपया इस प्रदेश के अंदर पुलिस पर खर्च होता है। 7 करोड़ से बढकर 150 करोड़ रुपया पुलिस पर खर्चा। श्रीमन् 1980-81 में डेबलपमेन्ट के जो खर्चा था वह पिछले वर्ष की अपेक्षा 67 करोड़ ज्यादा रहा और जो नान डेबलपमेन्ट के खर्चे थे; पिछले साल के मुकावले यह 134 करोड़ रुपया बढ़ा है। यह इन्होंने बढ़ा दिया।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर इस समय सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों की हालत बिगड़ी हुई है। इस सरकार पर प्रशासनिक अधिकारी और ब्यूरोक्रेटस हावी हो गये हैं। वैज्ञानिकों की इनसे आपस में वैमनस्यता चलती है। हमारी मन्त्रीगण लोग इन्हें समझाने में ही लगे

रहते हैं। हमारे यहां भूगर्भ शास्त्रियों की ऐसी खराब हालत है कि इनको सरकार ने किसी भी सैल में के अंदर नहीं रखा है, जैसे वह वैज्ञानिक नाममात्र के हों। मान्यवर, इसमें आँकड़ा शास्त्रियों को रखा गया है। धरती में कौन सी खनिज कहा है, कैसे पता चले। हमारे यहां कई प्रकार का खनिज है जिसका उपयोग किया जा सकता है उनके उपयोग की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। हमारे मन्त्री जी को बहुत बड़ी खुशी होती है। मुर्दा शाहों के मुकबरों में रहने वाले लोग झोपड़ी में रहने वालों की हालत क्या जाने। में इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूँ—

मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली
अपने तारीफ मकानों को तो देखा होता
यह चमनजार ये जमना का किनारा ये महल
ये मुनक्कश दरी दोबार ये मेहराब ये ताक
इक शहन्शाह ने दौलत का सहारा लेकर
हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।

मान्यवर, पिछले साल हमने स्वर्गीय प्रेमचन्द का 100 वां जन्म दिवस मनाया। यह प्रेमचन्द की झांकी है। आज भी उस पूर्वांचल से होरी भूखा है, गोबर मेहनत के बाजार में अपने को बेचने लखनऊ में आता है और इधर उधर की ठोकरें खाता है, आज भी वह किसी प्रकार से अपना पेट पालने के लिए। दर-दर फटकता है। हरिजनों के नाम पर हमारी सरकार कितना हल्ला मचाती है। मान्यवर, हमारे टेहरा बाँध के अन्दर जो बंधुवा मजदूर काम करते हैं, मनेरी बांध में जो बंधुवा मजदूर काम करते हैं, उनको देखकर सबको हैरत होती है।

श्री अधिष्ठाता—

नौटियाल जी, आपका समय समाप्त। आप कृपया बैठें।

श्री विद्या सागर नौठियाल—

श्रीमन्, ऐसी सख्त घोषणा न करें। इसको किसी दूसरे रूप में कह दें। इस समय हमारा समय समाप्त हो जायेगा तो बड़ा नुकसान हो जायेगा। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बंधुवा मजदूरों से काम लेते हैं।

[2 बजे अपराह्न]

इस सब काम को सरकार खुद क्यों नही करती है। कौन सी कमी है हमारे इंजीनियर्स में ठेकेदारी प्रथा को खत्म क्यों नहीं करते? अन्त में मैं आभार प्रकट करता हूँ।

डाक्टर ब्रजकिशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी हमारे नौटियाल साहब बोल रहे थे उनको सुनकर एक शेर मुझे भी याद आ गया—

मन की हविश तन को गुनहगार बना देती है
बात बेजार को बीमार बना देती है
इन सूखी अतड़ियों को देश भक्ती सुनाने वालों,
पेट की भूख हर इंशान को गद्दार बना देती है।

[डाक्टर ब्रजकिशोर मिश्र]—

मान्यवर हमारे प्रदेश की 12 करोड़ जनता आज यह आस लगाये बैठी है कि हमारे रहनुमा हाउस में गये है और हमारी समस्याओं का निश्चित समाधान करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ समाधान सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मान्यवर, यहाँ स्थिति कैसी है सारी परम्पराओं को गरिमा को गम्भीरता को समूल नष्ट करके सदन की कार्यवाही शुरू करते हैं जैसा यदुनाथ जी ने उदाहरण अभी प्रस्तुत किया। मैं सम्मानित सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा माननीय गुप्ता जी से, भीखा लाल जी से और चचा रियासत हुसैन से जो विपक्ष में बैठे हैं और मास्टर हरिवंश सहाय से यह बुद्धिमान लोग है। मैं जानना चाहता हूँ और इनसे पूछना चाहता हूँ कौन-सी व्यवस्था इस बजट के माध्यम से नहीं प्रस्तुत की गयी, कौन सी कमी रह गई, इन सब चीजों को कहने के बाद मैं आप लोगों को पूर्वांचल की ओर ले चलना चाहता हूँ वहाँ गाँवों में ले चलना चाहता हूँ वहाँ की गन्ना की समस्या की ओर से चलना चाहता हूँ। जब इनकी हुकूमत थी तो मेरठ में गन्ना खेतों में जलाया गया था और 4-6 रुपया दाम दिया था आपसे किसने कहा था आपसे क्या कर रहे थे आप उस वक्त ? विपक्ष में आ गये हैं तो आंख खुली। मान्यवर, सरकार की कमियों को देखने का इनका कार्य है देखना चाहिये। लेकिन क्या आप भूल गये गत वर्ष गन्ना की कितनी बड़ी समस्या थी लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसा आदेश पारित किया जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। अगस्त के महीने में पूर्वांचल की फैक्ट्रियों को चालू करके किसानों का गन्ना लिया गया था। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार है यह श्री श्रीपति मिश्र की सरकार है इसके कारनामे इतिहास में लिखे जायेंगे। अब मैं इस बजट पर आना चाहता हूँ।

मान्यवर, यह सही है कि किसानों की परेशानियाँ हैं और उसे देखना चाहिए। गन्ने के भुगतान का मामला है अभी विरोध पक्ष के एक नेता बोल रहे थे कि फैक्ट्रियों के तीन रेट हैं जब कि सरकार एक है। मैंने भी इस पर कहा था और आज इस सदन को बताना चाहता हूँ माननीय श्री श्रीपति मिश्र ने यह ऐलान किया और आज पूर्वांचल के किसानों को 20.50 के हिसाब से सारी फैक्ट्रियां भुगतान कर रही हैं।

ला-एण्ड-आर्डर की बात है। जो यदुनाथ सिंह के साथ हुआ, मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे विधायकों से कि आप को भी अपनी मर्यादा की थोड़ी-बहुत रक्षा करनी चाहिए। जो यदुनाथ सिंह पर हुआ वह सारे सदस्यों पर हुआ, निश्चित रूप से वह दरोगा हो चाहे एस०पी० हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ला-एण्ड-आर्डर में काफी सुधार हुआ है और उस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अच्छे कामों की तारीफ और बुरे कामों की निन्दा होनी चाहिए। माननीय सदस्य बैठे हैं, बोल रहे थे, मेरठ और रामपुर की चर्चा बार-बार कर रहे थे, जब उनकी सरकार थी, बेलछी काण्ड क्या वे भूल गये, सिया-सुन्नी काण्ड नहीं हुआ, उस वक्त ये कहां थे....

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझसे मुखातिब होकर माननीय सदस्य ने एक बात कही, इसलिए मुझे उसका जवाब देने का मौका दिया जाय...

श्री अधिष्ठाता—

जवाब न दीजिये, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है....

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उस समय जब हमारी सरकार थी अलीगढ़ में फँसाद हुआ, और शिया-सुन्नी फसाद लखनऊ मे हुआ उस समय मैं यहां नहीं था....

श्री अधिष्ठाता—

इसका जवाब आप बाद में दीजियेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद और मेरठ की बात कही गई है । पहले भी मैं कह चुका है और अब भी जो कहा है और आइन्दा भी कहूँगा वह सब टेप-रिकार्ड बयानात फोटुओं तथा दस्तावेजों के जरिये साबित भी किया था । माननीय सदस्य भी जिस तरह मैंने आप भी उसी तरह से अपनी बातें सबूत आधार पर साबित करे तो अच्छा हो ।

डा० ब्रज किशोर मिश्र—

यह दस्तावेज है मान्यवर, देवरिया का नारायण पुर कांड का, यह दस्तावेज है, इस को देख लें, इनकी सरकार इसी में चली गयी थी । मान्यवर, घटनायें तो होती रही है और होती रहेंगी किन्तु सरकार कहां तक समक्ष है, यह देखने की बात है और अगर सरकार समक्ष नहीं है तो यह आपको देखना चाहिए । गलत है, गलत है, कहते जायें, अच्छे कामों की तारीफ तो कीजिये लेकिन तारीफ शब्द आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं ।

उत्पादन के मामले में मान्यवर, 77-78, 78-79 और 83-84 के बजट को देखें प्राविधान किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, उस को उठाकर देख लीजिये । कितना बड़ा अंतर है उत्पादन में । खाद्यान्न योजना शुरू की इन्होंने सड़कों की, जिसकी दुहाई देते हैं । मान्यवर उस समय को 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की पक्की सड़कों को कोई प्राविधान नहीं किया गया था, कच्ची सड़कों का प्राविधान किया गया था । हमारे खजाने से सारा धन उन कच्ची सड़कों पर लगा दिया । बरसात आयी तो उन सड़कों की मिट्टी तक नहीं रही ।

मान्यवर, दूसरी बात ब्लाकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से हरिजनों को अनुदान दिया जा रहा है. उनके लिये भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उनके लिये पठन-पाठन हेतु विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है । अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूँ ।

*** श्री रियासती हुसैन—**

डा० मिश्र ने कुछ बातों का उल्लेख करते हुए दो-तीन बात कहीं । वह गढ़ा मुरदा उखाड़ने की बात कर रहे थे । जनता पार्टी ने जो कुछ किया वह किया, किन्तु इन ढाई-तीन साल से आपते क्या किया, उसके ऊपर विवेचना होनी चाहिये । जनता पार्टी का रोना क्यों रोते हो । मैं आधे मिनट में तीन-चार बातें ऐसी कहूँगा जिससे उनके कानों को ठण्डाई पहुँच जायेगी । 1978-79 में स्लैब, सूखे को देखते हुए इस प्रदेश मे किया था, क्या यह आपने किया था । यह जनता पार्टी ने किया था । प्रदेश के अन्दर गरीब और मुखमरी से बचने के नाम पर आपने जरूर व्यवस्था की थी । जनता पार्टी ने 47 हजार गाँवों में पेयजल की व्यवस्था की, यह सब जनता पार्टी ने केवल 2 साल के अन्दर किया था, वह क्या आपने की थी । आज 34 साल होने के बाद भी आप वह नहीं कर पाये ।

श्रीमन्, 52 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो बकाया था, जिसे आप छोड़ गये थे, उस 52 करोड़ रुपये का भुगतान जनता पार्टी ने किया था और आप लोग अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]—

तक 32 करोड़ रुपये का पेमेण्ट नहीं कर पाये। 5 एकड़ और 6 एकड़ पर लगान की हमने छूट दी लेकिन आपने उन लोगों का नाम सूची में लिखा जिनका बी. एल. डब्लू. द्वारा आपको रिश्वत मिली थी। मान्यवर, हमने किसानों के लिये अन्त्योदय योजना चलाई थी। श्रीमन्, इससे आगे क्या कहूँ, हमने 30 किलो गेहूँ प्रत्येक आदमी को प्रत्येक माह देने का प्राविधान किया था ताकि गाँवों में लोग भूखे न मरें। जनतापार्टी ने जो किया वह आज भी आप नहीं कर पाये। आज भी बुन्देलखण्ड में भुखमरी है। इन चीजों पर बात करने का समय नहीं है कि जनता पार्टी ने 3 साल में क्या किया इस समय यह देखना है कि आपने क्या किया।

मान्यवर, यह बजट जो 119.29 करोड़ रुपये का डेफिसिएट बजट रखा गया है, डिफिसिएट बजट रखने का शौक हो गया है। श्रीमन् मेरे पास 6 साल की कापी है, मेरी समझ में नहीं आता है कि यह जो फाइनेन्स मिनिष्टर श्री बृहममत्त जी हैं अगर वर्मा जी को बुलाकर उनसे कुछ कनसल्ट कर लेते तो शायद उनको यह मालूम हो जाता। 1967-68 में श्री वर्मा जी ने 85 लाख रुपये का सरप्लस बजट इस प्रदेश के अन्दर प्रस्तुत किया था, किन्तु उसके बाद लगातार बजट डेफिसिएट होता जा रहा है। मान्यवर, वह इसलिये हो गया है कि शुरू में ही डेफिसियेट बजट, रखा जाता है, जिससे बाद में बाई. जी. ओ. द्वारा टैक्स लेने की छूट मिल जाती है।

मान्यवर, जुलाई, 1982 में इन्होंने इन्टरटेनमेण्ट पर 40 परसेन्ट बढ़ाया, पावर कोइन्क्रीज किया, किराया भी बढ़ा दिया। इसके बावजूद भी आपने डेफिसिएट बजट रखा। माननीय आर्या जी या श्री बृह्मदत्त जी मेरी इन दो बातों का जवाब दें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन.... ।

ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन दो चीजें वसूल करता है, रोड टैक्स और इन्शोरेन्स चार्जेज। मैं चाहता हूं कि आर्या जी यह बतायें कि रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ने कितना रुपया सरकार को इन दोनों मदों में दिया है। मालूम भी हो जाय कि उस कारपोरेशन ने जिसके ऊपर इतना फक्र करते हैं, कितना रुपया दिया। चौहान साहब, प्लानिंग मिनिस्टर साहब आये तब यह पता नहीं चला कि रोड टैक्स का और इन्श्योरेन्स टैक्स का। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और रोडवेज के ऊपर कहा कि इन दोनों की हालत बहुत खराब है। जो यह कह रहे हैं कि टैक्स फ्री होगा, हम कैसे मान लें। इस वक्त आपकी क्या हालत है, कि 8.4 करोड़ रुपया प्रति दिन आपका एक्सपेन्डीचर है। आपका टैक्स रियलाइजेशन का खर्च 28 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ हो गया। पुलिस फोर्स के ऊपर 95 करोड़ से बढ़ कर 141 करोड़ हो गया। क्यों हो गया? हो इसलिये गया कि इस वक्त इस प्रदेश के अन्दर तीन डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस हैं, 43 डी. आई. जी. हैं जिस सूबे के अन्दर केवल एक डी. आई. जी. रहा करता था, एक डिवीजन के अन्दर एक डी. आई. जी. रहा करता था, अब इतना हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो उसका नतीजा यह हुआ।

एन. ई. आर. पी. स्कीम में 25 करोड़ रुपये खर्च कर पाये 70 करोड़ रुपये दूसरी मदों में चला गया। आई. आर. डी. स्कीम में 11 करोड़ और 65 करोड़ में से 54 करोड़ दूसरी मदों में खर्च हो गया। श्रीमन् जब आपने रुपया मांगा इस साल प्लानिंग के लिये सेन्ट्रल से तो उसने कहा एन. आर. ई. पी. में 100 करोड़ रुपया दिया था 11 करोड़ का यूटीलाइजेशन हुआ है, यूटीलाइजेशन लाइये और रुपया जीतिये। सेन्ट्रल ने रोक लगा दी। तब फटाफट एन. आर. ई. पी. में काम शुरू हुआ। फावड़ा चलना शुरू हुआ और 82 का प्लानिंग का रुपया एलाट करा लिया। 82 का 173 करोड़ रुपया। दावे के साथ कहते हैं अधिक पैसा लिया पिछले साल के मुकाबले। 1200 करोड़ के मुकाबले 1375

करोड़ रुपया मिल गया, 14.5 प्रतिशत । यह हमारी दीदी बैठी हैं, इनके यहां रोजाना यह मांग है कि अध्यापिका चाहिए । दीदी का खर्च पिछले साल से 25-30 प्रतिशत बढ़ गया । जितना डेवलप्मेंट है, कन्सट्रशन वर्क है, खर्च 75 प्रतिशत बढ़ा है । और 50 प्रतिशत बढ़ गया, मान्यवर, गम्भीरता से सोचने की यह बात है ।

मेरठ राईट की बात तोड़-मरोड़ कर कही जा रही है, खैर इस पर जब डिस्कशन होगा, तो देखा जायेगा, लेकिन जाहिदी साहब और अम्मार साहब इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं, वरना उनकी इस मामले में कुछ मालूमात अवश्य बढ़ती । यह जो लगातार एक बीमारी बन गयी है, जिसे कम्युनल राईट कहा जाता है, यह कैसे समाप्त हो, इसकी चिंता तो सभी को है, चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर का । और होनी भी चाहिए । श्रीमन् आपको याद होगा एक बहुत बड़ा कम्युनल राईट कानपुर में हुआ था जिसमें स्व० गणेश शंकर जी मारे गये थे, इनके अलावा 400 अन्य लोग मारे गये थे और करीब 1200 आदमियों की सूची घायलों से सबधित थी । यह राईट 24 मार्च, 1931 को हुआ था जो 5-6 दिनों तक चला था ।

श्रीमन् उस वक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष थे । उन्होंने एक कमेटी इस घटना की इक्वायरी के लिए बनाई थी, जिसके मेम्बर्स सर्वश्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, ख्वाजा अब्दुल मजीद टी०ए०के० शेरवानी, जफरूल मुल्क तथा पंडित सुन्दर लाल और अध्यक्ष थे इस कमेटी के डाक्टर भगवान दास । श्रीमन् उस कमेटी की किताब मेरे पास है, जिसका नाम है "रुट्स आफ कम्युनल पालिटिक्स" इसकी डिटेल्स मा० जाहिदी सहाब व अम्मार साहब अवश्य पढ़ें । उसमें इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन्स की हैं, उसे मैं मा० सदन को आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूँ जो इस किताब के पृष्ठ 405 पर अंग्रेजी में है, फिर बाद में इसका अनुवाद कर दूँगा । "इफ दि गवर्नमेंट सिन्सियरली डिजायर दैट दीज कमुनल रायट्स शुड नाट अकर, दे हैव ओनली टु लेट इट बी क्लियरली अण्डरस्टैण्ड दैट दि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एण्ड दि सुपरिन्टेण्डेण्ट आफ पुलिस आफ दी डिस्ट्रिक्ट, व्हेयर ए कमुनल रायट अकर्स, शैल बी फार्थविद सस्पेन्डेड ऐण्ड देन एलाउड टु सबमिट इग्जप्लानेशन्स, इफ दिस प्रोसीजर इज एडाप्टेड, वी आर कन्विन्स दैट विल बी वेरी लिटिल पामिथिलिटी लेफ्ट आफ सच रायट्स, मजिस्ट्रेट्स ऐण्ड पुलिस आफिसर्स आट टु नो ऐण्ड डू युजुअली नो दि मिस्चीफ-मेकर्स ऐण्ड प्रोमोटर्स आफ सच ट्रबुल दे हैव ओनली टु टेक प्रीवेन्टिव ऐक्शन अगेन्सट देम. इफ दे डू नाट, देन दे आर नाट वर्थ देयर साल्ट."

वैसे आप लोग समझ तो गये ही होंगे, लेकिन मैं नियमानुसार उसका अनुवाद उर्दू में किये देता हूँ । "वह कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि फिरकेवर ना फसादात न हों तो उसको चाहिए कि जहां कहीं ऐसी बारदात हो तो वहां के डी०एम० और सुप्रिटेंडेण्ट आफ पुलिस को तुरन्त मुअत्तल कर दिया जाए और उनसे एक्सप्लेनेशन्स उस संबध में मांगे जाएं । अगर इस प्रोसीजर को एडाप्ट किया गया तो फिर इस तरह के राइट्स कहीं पर भी नहीं होंगे क्योंकि पुलिस और डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट पूरी तरह से ऐसे अपराधियों को जानती है, अगर उनके खिलाफ पूरी तरह से वह कार्यवाही करें तो यह दंगे न हों ।" यह रिपोर्ट है श्रीमन् जी सन् 31 की और आज 83 हो रहा है, करीब 52 साल हो गये और इस बीच में न जाने कितने राईट्स हो चुके पूरे हिन्दुस्तान भर में और यू. पी. में भी बहुत से राईट्स हुए और अभी हाल में आखिर में मेरठ में हुआ जिसमें यही मांग सामने आती रही कि जिलाधीश और एस०एस०पी० को हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया जा सके । और नहीं किसी मामले में यह नीति अपनाई गयी । अगर इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार क्रियान्वयन नहीं होगा तो इसी तरह ।....

श्री खान गुफरान जाहिदी—

इन लोगों को जल्दी ही अब हटा दिया जायेगा ।

श्री रियसत हुसैन —

जब गले में फंदा पड जायेगा, तब कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर सही वक्त पर इस कमेटी की रिकमेंडेशन्स लागू हो जातीं तो इस तरह के राईट्स कहीं पर भी नहीं होते। तो लॉ एण्ड आर्डर की घटनायें, उसमें कुछ कह चुका और कुछ बाद में कहूँगा। यहाँ दो-तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक इनकाउण्टर्स वाली बात, इन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि इनकाउण्टर्स कम हो गये हैं। मालूम नहीं कम हो गये हैं या कन्सीलिंग आफ क्राइम्स की भेंट चढ़ गये हैं। मैंने परसों सवाल किया था उसका जवाब मिला है कि अक्टूबर के महीने में मुरादाबाद में 6 इनकाउण्टर्स हुए हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो आयी है उसमें 3 के खिलाफ दफा 396/302 के केस थे। इन तीन आदमियों, जिनमें एक हरपाल है, उसके खिलाफ दफा 407/458 में केस था उनका इनकाउण्टर कर दिया गया। दूसरा एक रामसिंह था, उसके खिलाफ दफा 460/458 में केस था, तीसरा रमेश था। बाकी दो में से एक के खिलाफ दफा 395 थी और दूसरे के खिलाफ दफा 25 थी। जो 6 इनकाउण्टर्स किये गये इसमें छोटे-छोटे मुकदमों के आधार पर कौन सी क्रिमिनल हिस्ट्री हो गयी कि इनकाउण्टर कर दिया गया। यह मुख्यमंत्री जी के सोचने की बात है।

अभी हरदोई में एक व्यक्ति के यहां धावा बोल दिया गया उसका सर फाड़ दिया गया उसकी गर्भवती स्त्री को भी मारा गया। उन्होंने एफ०आई०आर० दर्ज करा दी है, सम्भवतः आज मिले भी होंगे मुख्य मंत्री जी से, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह जो इनकाउण्टर्स होते हैं, इसकी हिस्सेदार क्या आपकी स्टेट की पुलिस नहीं है। स्टेट की पुलिस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस बारे में 1956 का न्यायमूर्ति आनन्द नारायण मुल्ला का एक जजमेण्ट था, जो आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश में एक आर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है। सब जानते हैं कि जितने क्राइम्स होते हैं, उसमें अगर पुलिस को निकाल दिया जाय तो 50 प्रतिशत क्राइम्स अपने आप कम हो जायेंगे। इस समय पुलिस को बहुत सपोर्ट मिली हुई है। ये देखते हैं कि किस थाने में पहुँचने के बाद कितना पैसा वहां से खींच कर ले जा सकते हैं। आपके प्रदेश में जहां 7 आई०जी० हो गये, 43 डी. आई. जी. हो गये, फोर्स भी बढ़ गया, रेडियो, वायरलैस और अन्य उपकरण से उनको लैस करने का प्रस्ताव इस मा० सदन ने इसलिये पास किया कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति कुछ सुधरेगी, लेकिन अगर पब्लिक से पूंछें तो उसकी यही धारणा हो गयी है कि अगर पुलिस फोर्स को डिजाल्व कर दिया जाय, 6 महीने के लिये यही तजुर्बा सही, तो देखें कि लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन बिगड़ती है या ठीक होती हैं, तो आम पब्लिक की यही धारणा है कि अगर पुलिस फोर्स को निकाल दिया जाय तो लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन अच्छी होगी। एक तरफ गाढ़ी पसीने की कमाई का टैक्सेशन का पैसा आप पुलिस पर खर्च करते हैं और दूसरी तरफ लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन बिगड़ती है। आप देखें तो छोटे से लेकर बड़े तक हर क्राइम में ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्सा बंधा होता है।

श्रीमन् बजट के अन्दर आप देखें तो कम्पोनेनेंट स्कीम और हरिजनों के बारे में गाना गाया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि वह इस बात का जबाव दें कि इस सदन में 1979–80 की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जातियों से संबंधित जो संयुक्त समिति है उसने अपना प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया था। उसके प्रतिवेदन में पेज 2 और 3 पर उसने अपनी संस्तुति की है कि कितने परसेन्ट अनुसूचित जाति व अनसूचित जन जाति के लोगों को नौकरियों में रखा गया है विभिन्न जगहों पर, इस बात की सूचना 10 जनवरी तक दें। श्रीमन् 20–11–76 को एक शासन से सी० ओ० जारी हुआ था उसी के बारे में समिति ने जानकारी चाही थी कि

हर जिले के स्तर से 10 जनवरी तक उन्हें सूचित कर दिया जाय और सेक्रेटेरियट में 20 जनवरी तक सूचना आ जानी चाहिए थी परन्तु यह नहीं किया गया । फिर दो साल के बाद इस कमेटी ने रिकमण्डेशन की जाँच के उपरान्त जो अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । मैं यह जानना चाहता हूँ कि कमेटी की रिकमण्डेशन की अवहेलना करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को क्या आपने पनिश किया ? यदि यह सूचना आपके पास हो तो हमें बतायें ? हर जगह लोकल बाडीज में, कारपोरेशन्स में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह हरिजनों को नौकरी देने का परसेन्टज है परन्तु इन सब सरकारी आदेशों के बावजूद भी आपका कोई अधिकारी इनका पालन नहीं करता है और कोई दोषी भी नहीं माना जाता है । आपने किसी को सजा नहीं दी है । यदि आपने किसी को भी पनिश किया होता तो मुझे तसल्ली हो जाती कि कमेटी की रिकमन्डेशन पर कुछ तो काम हुआ है ।

श्रीमन्, इसी सदन की और भी बहुत-सी कमेटियां हैं और वे सभी अपनी रिपोर्ट पेश करती रहती हैं । इसी तरह से 1981–82 में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने अपनी रिकमन्डेशन की है जो कि उनकी रिपोर्ट के पेज 2 पर उल्लखित है यह स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज से संबंधित है कि दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय । हथकरघा के बारे में उसकी रिकमन्डेशन है कि " इससे स्पष्ट होता है कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी इस माल के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में उदासीन रहे हैं " हिल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन के लिए इसमें कहा है कि उच्चाधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय । इसी के पेज 23 पर कहा गया है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड दिया जाय । एक ही प्रतिवेदन मे इतने लोगों को दण्डित करने की रिकमण्डेशन की गयी है । इसके सम्बन्ध मे मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी यह बतायें कि इस समिति की संस्तुति के आधार पर कितनों को उन्होंने पनिश किया है, पी० यू० सी० की रिकमण्डेशन के आधार पर कितनो को सजा दी गई है । यदि नहीं, तो फिर प्रजातन्त्र का और इस कमेटी का क्या औचित्य रह जाता है ? यह डेमोक्रेसी है । माननीय सदन को कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि वह काम करें । यहां जो हम बहस करते हैं उसमें सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष की आपस में बातें होने लगती हैं लेकिन कमेटी में ऐसी बातें नहीं होती हैं । कमेटी में दल विशेष का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता हैं इसलिए वहाँ गम्भीरता से काम को अंजाम दिया जाता है । फिर अगर कमेटियों की रिकमन्डेशन्स पर अमल न हो तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा ?

कोआपरेटिव संस्था के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में गन्ना सोसाइटी एक करोड़ रुपए की मकरुज है लेकिन उसके खिलाफ कोई कायवाही नहीं हैं । इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है । श्रीमन्, इतना रुपया खर्च किया जाता है ट्यूबवेल कारपोरेशन्स पर । आज मैंने सवाल भी किया था । मान्यवर, आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी में 31 ट्यूबवेल लगाये गये हैं और उनमें से 0 चालू हुए हैं, उनमें से चालू होने के बाद 2 फट गये । 2-2 साल हो गये हैं, गाँव के किसानों ते 2 बीघा जमीन दे दी कि ट्यूबवेल लग जायेगा लेकिन दो साल से वह चालू नहीं हुआ, तो आपका बीस सूत्री कार्यक्रम का नम्बर एक कहाँ गया, आपके पास पैसा खर्च करने के लिये एक भी नहीं है । आपका यह कार्यक्रम कहाँ चला गया ।

मान्यवर, जल निगम बना । आज तक पता नहीं कि कितनी बोरिंग्स की गयी । 2-4 जगह के प्रधानों से शिकायत मिली है कि उनसे पूछा भी नहीं गया कि कहां पर नल लगाया जाय । एक छोटी सी कुइयाँ बनी थी उसी में बोरिंग कर दी । उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि किस गाँव में नल की जरूरत है ओर किस गांव में नहीं । किसी प्रधान, ग्राम सेवक या बी. डी. ओ. से जो अपने क्षेत्र की जानकारी है जिनको पता

[श्री रियासत हुसैन]—

है कि कहाँ पर नल लगाने की जरूरत है, उनसे कोई पूँछताछ की ही नहीं जाती है। मान्यवर, एक नल पर 3 हजार रुपया खर्च होता है, तह सारा का सारा पानी की तरह से बहाया जा रहा है।

श्री चेतराम गंगवार—

15 हजार रुपया।

श्री रियासत हुसैन—

ठी है, 15 हजार रुपया मा. गंगवार साहेब कह रहे हैं इनको तो पैसा खर्च करना है। वर्ड बैंक का रुपया आ गया है। उसको वापस तो करना है नहीं। 12 रुपया प्रति हैड तो इन्टरेस्ट आता है।

मान्यवर, अब मैं निगमों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में 87 निगम हैं। इन निगमों को सुधारने के लिये जो कमेटी सिफारिशें हैं, उन पर आप विचार कर लें। आर्या जी का सम्बन्ध है, तराई में सरदारों ने कब्जा कर लिया। जिनकी जमीन थी, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनकी जमीनों पर सरदार लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब कोई इन्क्वायरी जाती है तो पता चलता है सम्बन्धित सरदार पंजाब गये हैं। नैनीताल, मुरादाबाद में इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आ गयी है। इस बारे में कई बार आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन को खाली कराया जायेगा और जिनकी जमीन है उनको दी जायेगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि उसमें सुधार लाने के लिये और करप्शन को दूर करने के लिये कोई कन्सट्रेक्टिव कारगुजारी की जानी चाहिए।

***श्री भोला पाण्डेय**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज जो बजट पर बोलने पर का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के आने वाले इतिहास में यह मौजूदा बजट ऐसा है जो एक समाजवादी संरचना को मजबूत करने में एक नयी प्रक्रिया तैयार करेगा। विरोधी पक्ष के लोगों की तकरीर को मैं दो दिनों से सुन रहा हूँ और वे इसका विरोध न करके मात्र किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते रहे हैं। जिस समय उनकी सरकार चल रही थी उस समय के आंकड़ों को आप देखें तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार सही मायने में गरीबों को राहत दिलाने के लिए मौजूदा बजट पेश किया है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा जगत में प्रगति के लिये मौजूदा बजट में चाहे अध्यापकों के चयन का सवाल हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल हो, वह एक सराहनीय कदम रहा है। श्रीमन् यह एक विडम्बना रही है।

जहाँ पर हमारी सरकार बजट का 80 प्रतिशत खर्च करती है चाहे वह नियुक्तियों के सम्बन्ध में हो, विद्यार्थियों के लिये हो या विद्यालयों के लिये हो, मैं मांग करना चाहूँगा माननीय नेता सदन से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि यदि आप शिक्षा जगत में सुधार लाना चाहते हैं, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मत है कि अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है तो चाहे कितना ही बजट आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा के लिये रखिये, शिक्षा जगत में सुधार नहीं होगा। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आपने इस बजट में मजदूरों की सहायता के लिये प्राविधान किया है। इसमें दो राय नहीं हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और मौजूदा बजट उसका प्रस्तुतीकरण है। काफी बड़े पैमाने पर इस दिशा में पैसा खर्च किया जा रहा है। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विकास खन्डों में 100 लघु इकाइयों की स्थापना करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का एक खुला प्रस्ताव है।

1982-83 में इस बात का खुला इजहार किया गया था कि लगभग 6 सौ परिवारों को जो गांवों में बसते हैं, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए, उन्हें लाभान्वित करने के लिये बजट बनाया गया था। 1983-84 का जो बजट है उसमें जो सराहनीय कार्य है वह यह है कि वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। स्थानीय समस्यायें जनपद स्तर पर कैसे दूर हो सकती हैं उसकी पूरी योजना लखनऊ सचिवालय में न बैठकर जिला और ब्लौक स्तर पर पैसा खर्च करने की व्यवस्था की गई है ताकि वास्तव में जिन ग्रामीण लोगों को राहत मिलनी चाहिए उनको राहत मिले, उनके पैसा मिल सकें। उनके लिये योजनायें बनाई गई हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विरोध पक्ष के लोग अपने जमाने के और उससे पूर्व के सालों का इतिहास भी देखेंगे। गाँव में बिजली कितनी मिल पाती थी। आज आप देखें कितनी बिजली गांवों को दी जा रही है। 10 घन्टे बिजली गांवों को दी जा रही है। (व्यवधान)। हमेशा मिल रही है। मौजूदा बजट में विद्युत में उत्पादन में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये हिसाब-किताब इस बजट में हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 13.1 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक रूप से बिजली में हो रही है। इसके साथ ही जब तक बिजली की वितरण प्रणाली को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी योजनायें शक्ति भवन और फाइलों तक ही सिमटी रह जायेंगी। इसलिये बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही साथ उसके पुनर्गठन की जो योजना बनाई गई है, वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

उद्योग के बारे में, चाहे वह उद्योग बन्धुओं के माध्यम से चाहे हाई पावर कमेटी बनाकर हो उद्योगों को प्राइवेट सैक्टर से पब्लिक सैक्टर मजबूत करने के लिये योजनायें जरूर उद्योग विभाग द्वारा बनाई गई हैं उसका सही रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए। किसानों को सही मायनों में सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई को सुव्यवस्थित करने के लिये मौजूदा बजट में प्राविधान किया गया है और उसके लिये कमेटी बनाई गई है और जो सिंचाई की सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उसको इस सरकार ने सही तरीके से कैसे किसानों को पहुँचाई जाय, इसके लिये योजनायें बनाई गई हैं। बहुत देर से उधर से गन्ना किसानों के बारे में कह रहे थे कि उनके पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है।

मैं पिछले आंकड़ों को दे सकता हूँ सन् 1979-80 में 155.18 करोड़ का भुगतान किया गया, 1980-81 में 286.81 करोड़ रुपये का भुगतान इस सरकार द्वारा गन्ने का किसानों को किया गया 1981-82 में 470.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जिसमें से 440 करोड़ का भुगतान हो चुका है केवल 30 करोड़ का बाकी रह जाता है वह भी जल्दी किया जाने वाला है। 21 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ (लाल बत्ती होने पर) अभी मान्यवर, समय नहीं हुआ। माननीय रियासत साहब अराजकता और सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जगह-जगह जोर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय बड़ी शर्मनाक घटनायें चाहे वह कानपुर में श्रमिकों की हो या पंतनगर में हो या गोरखपुर में हुई हो उनकी सरकार के जमाने में जोरजुल्म हुआ। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अन्दर शमशान की शांति कायम नहीं करना चाहती है, कांग्रेस की सरकार मधुवन की शांति कायम करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री भोला पाण्डेय—

यह सरकार सांप्रदायिकता दूर करना चाहती है । मान्यवर, आपने जो कम समय दिया उसके बावजूद भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, हमारा भी नाम दिया हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता —

दिया गया होगा लेकिन मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

अधिष्ठाता महोदय, में बजट पर बोलने के पहले एक युक्ति माननीय भोला पाण्डेय जी और उससे पहले शर्मा जी बोले उनको सुनाना चाहता हूँ । यहां पर कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार ने यह किया, जनता पार्टी की सरकार ने वह किया उसी पर में कहना चाहता हूँ । हमारे गांव में एक पंडित जी थे वह शाकाहारी थे उनसे एक सज्जन उनकी थाली मांग कर ले गये और उन्होंने उस थाली में मांस खा दिया । इस पर पंडित जी बहुत नाराज हो गये, कहने लगे कि तुमने भ्रष्ट कर दिया है मेरा बर्तन खराब कर दिया है और वह गाली देने लगे अन्त में कहने लगे कि देखना मैं इसमें मैला न खा दूं । तो यही बात है अगर जनता पार्टी ने मांस खा लिया तो आप मैला तो न खाइये । अब मैं मान्यवर, बजट पर आता हूँ ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

मेरा व्यवस्था क प्रश्न है । माननीय गुप्ता जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह निन्दनीय है उसको प्रोसीडिंग से निकाल देना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बजट किसी व्यापारिक संस्था की बैलेंस शीट नहीं होता है । बजट सरकार के आदर्शों और नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है कि समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए । सरकार की प्रगति का क्या लक्ष्य है यह बजट के माध्यम से परिलिक्षित होता है । यह जो बजट 1983-84 का विचाराधीन है यह एक परम्परागत तरीके से पेश किया गया बजट है, यह एक दिशाहीन बजट है इसमें कोई दिशा का उल्लेख नहीं है । इससे किसी प्रगति की आशा करना बिल्कुल मिथ्याकल्पना है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ । अभी माननीय रियासत साहब ने वार्षिक योजना की चर्चा की । आप उसे देखने की कृपा करें । वित्त मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना को जो 16 अरब 71 लाख की है इस योजना को यदि केन्द्र सरकार ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकार नहीं किया तो इसका प्रदेश पर बुरा असर पड़ेगा जिसको हमारे वित्त मन्त्री ने स्वीकार किया है। तो यह सरकार केन्द्र सरकार से वांछित वार्षिक योजना पास कराने में असफल हुई है। मान्यवर, केन्द्र सरकार का कार्यकारी दल जो यहां उ० प्र० में आया था उसने स्वीकार किया था कि 15 अरब 70 करोड़ रुपया स्वीकार होना चाहिए था लेकिन पिछले वर्ष की 12 अरब 2 करोड़ की योजना जो थी उसके मुकाबले 1,375 करोड़ की योजना स्वीकार हुई। जो 1985 में योजना समाप्त होगी 62 करोड़ रुपये की उसमें 14 करोड़ रुपये बच जाता है जो आगे के वर्षों में खर्च होगा।

मंहगाई के बारे में उल्लेख हो चुका है, इसलिए उसमें नहीं कहूँगा लेकिन जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो विकास के कोई कार्य नहीं होने हैं, इसलिए कुछ आशा करना बेकार है। मान्यवर, केन्द्र सरकार हमारी मदद कर सकती है और अपनी योजना में से हमको आबंटित करती लेकिन उसमें भी मंत्री जी कुछ लेने में असफल हुए हैं। हमारे प्रदेश का पिछड़ापन जिसको केन्द्र के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुकर्जी जो यहां आये थे तो उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे मुकाबले में पंजाब की प्रति व्यक्ति औसत आय ढाई गुना अधिक है। हमारे प्रदेश में जो कंपनियां लगी हैं उसमें भी पंजाब के मुकाबले 4.7 प्रतिशत हैं। अब मैं दूसरा तर्क देना चाहता हूँ कि पूरे बजट में कुछ नई योजनायें हैं और 34 करोड़ में से मात्र 7 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए आबंटित किया गया है, शेष पैसा 1983-84 में साज-सज्जा और रख-रखाव में खर्च किया जायेगा। मान्यवर, इस बजट में एक नई बात और देखने को मिली। यदि आप पिछले वर्ष का बजट देखें तो वित्त मन्त्री के भाषण में जिक्र होता था कि इतनी सड़कें, इतने स्कूल, इतने अस्पताल आदि बनेंगे लेकिन इस बार आप देखें तो किसी भी अंश में किसी मद का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं बजट में देखने को इच्छुक हुआ कि नये वर्ष में क्या होगा तो केवल दूसरे खंड में यह मिला कि 7 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य होंगे यह मिला और उसमें चंद जिले, जहां मंत्री हैं, सब को मिलाकर 200-300 किलोमीटर सड़कों का जिक्र है।

इसलिए निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, निर्बल वर्ग की बड़ी चर्चा की जाती है, उनको उठाने के बारे में यह सरकार कितना जागरूक और गतिशील है उसके सम्बन्ध में मैं सदन को कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ—मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 45 लाख हरिजन परिवार हैं, सरकारी आंकड़े 30 लाख के हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख परिवारों को ऊपर उठाने का प्राविधान है। 9 लाख हरिजन परिवार चालू वर्ष में मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से केवल 65 हजार परिवारों को सहायता दी जा सकती है जबकि साढ़े चार लाख परिवारों की सहायता होनी चाहिए थी। यह आंकड़े आपकी दिशा हीनता को साबित करते हैं कि आप हरिजनों के प्रति कितनी रुचि रखते हैं। मान्यवर, 1981-82 में 24 हजार परिवार थे जिनको सहाता दी जानी थी जबकि पौने चार लाख परिवारों को सहायता मिलनी चाहिए थी।

1982-83 का जो हमारा टोटल प्लान आउटले था 121.3 करोड़ का, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिये उसमें से हम केवल 42 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये हैं। जो यह स्मृति-पत्र दिया गया है इसमें आप आँकड़ों को अगर देखेंगे तो दिसम्बर तक, कृषि, सिंचाई, सामाजिक विकास, सहकारिता, आदि जो भी सामाजिक सेवा वाले विभाग हैं उनमें आधा रुपया ही खर्च हो पाया है। साल के शेष तीन महीने में आप कैसे शेष रुपया खर्च कर लेंगे ? इसके अलावा साल के आखिर में जितना पैसा बचता है आप उसे पर्सनल लेजर एकाउन्ट में डाल लेते हैं। उसका न कोई हिसाब रखा जाता है और ही उसका आडिट होता है।

मान्यवर, पिछले 3 वर्षों में 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में जो 73

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

करोड़ रुपया हमें केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये मिला उसमें से हम केवल 25 करोड़ ही खर्च कर पाये, बाकी सब पैसा बच रहा ।

अनुसूचित जाति विकास निगम जो निर्बल वर्ग को ऊपर उठाने के लिये बना है, इसकी केन्द्रीय सरकार से 74 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये सब्सीडी मिली थी, मगर 41 हजार की ही वह मिल पायी, इसका भी 17 हजार रुपया दूसरी मद में डाइवर्ट कर दिया गया ।

मान्यवर, जो हमारा 1983-84 का बजट है, इसको अगर देखा जाय तो यह बड़ा ही निराशाजनक है । हमारे प्रदेश में जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता । मगर कृषि की जो मद संख्या 10 है, उसको आप देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष 22 करोड़ रुपया कम रखा गया है । पृष्ठ 154 पर, स्मृति-पत्र के दैवी आपदाओं के कारण सहायता समाप्त कर दी गयी है । लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा, कृषि पर पूँजीगत परिव्यय तथा कृषि के लिये कर्ज, आदि में पिछले वर्ष से कम रकम रखी गयी है । मैं चाहता हूँ कि आप कृपया इसको पढ़ें, और यहां न सही, कम से कम आप (सत्ता पक्ष) अपनी पार्टी में तो आलोचना करें ।

इसी प्रकार मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 16 करोड़ रुपया कम रखा गया है । बताया यह गया है कि खाद्यान्नों की खरीद में कमी की गयी है । यह आपकी योजना का खोखलापन दिखाई दे रहा है ।

इस बजट में इस वर्ष एक भी नया अस्पताल खोलने की व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं माननीय अम्मार रिजवी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उनके ही क्षेत्र के एक व्यक्ति ने, यह कहा कि हम चांदपुर में एक अस्पताल के लिये 10 इन्डोर बेड्स की इमारत बनवाकर, जो वहां एक ट्स्ट है गंगाराम ट्स्ट, वह उसे उपलब्ध कराने को तैयार है, वहाँ अस्पताल खुलवा दिया जाय । उसने माननीय मन्त्री जी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उसका जवाब सरकार की ओर से यह दिया गया कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोलने के लिये समर्थ नहीं है । अस्पताल आपको खोलना कहाँ है, आपको तो केवल स्वीकृति देनी है, वह बिलिडंग देगा । आपको यह कहना चाहिये था कि आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दो ।

[3 बजे अपराह्नात]

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)—

नये चिकित्सालय खोलने की बात नहीं, खोलने का अधिकार अब माननीय सदस्यों के पास है । माननीय गुप्त जी, सीतापुर के विधायक हैं उन्हें चाहिये था कि सीतापुर में जो जिला नियोजन समिति है, यह जो प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है वह उस प्रस्ताव को उस समिति में भेज कर स्वीकृत करा देते । अब इसमें यह अधिकार हमारे पास नहीं है, माननीय सदस्यों को है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अच्छा होता कि आप उसको यही उत्तर दे देते, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टी बात कह दी । अभी यहां पर बिजली बोर्ड की चर्चा हुई । इस संबंध में केन्द्र से एक दल आया था, उसने साफ कह दिया है कि यहां का बिजली बोर्ड एक सफेद हाथी है । उसने

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह भी कहा है कि यहां पर विद्युत उत्पादन में 24 प्रतिशत छीजन है और यह 24 प्रतिशत छीजन हिन्दुस्तान के किसी बिजली बोर्ड के मुकाबिले में दुगने से अधिक है। श्रीमन्, यह लाइन लासेज नहीं है, चोरी है। एक बात और है कि 10 करोड़ रुपयों से माननीय विश्वनाथ सिंह ने एक कोष बनाया था जिससे हिन्दी की सेवा और विकास हो सके लेकिन वह 10 करोड़ रुपया 4 प्रतिशत ब्याज पर बिजली बोर्ड को दे दिया गया था। उस पैसे से बिजली बनेगी। यह दस करोड़ रुपया यदि आप कहीं उधार दे देते तो इससे कहीं ज्यादा रुपया मिलता और हिन्दी को लाभ पहुँचता। मैं चाहता हूँ शासन पक्ष वालों से कि उसे वे अपनी पार्टी मीटिंग में उठावें।

सरकार को बराबर समाज के विकलांग लोगों की चिन्ता होती है और वह कहती है कि हम समाज के विकलांगों के लिये चिन्तित हैं। इस सरकार ने वर्ष 1981-82 को विकलांग वर्ष के रूप में भी मनाया था। मैं अपने जिले सीतापुर की बात कहना चाहता हूँ कि वहां पर इसके लिये 77-78 में 3 हजार रुपया, 1978-79 में साढ़े तीन हजार रुपया, और 1979-80 में 4,000 रुपया दिया गया विकलांगों की पेन्शन के लिये। लेकिन वर्ष 1980-81 में सीतापुर में एक नया पैसा भी इसके लिये नहीं दिया गया है। यह घोषणा हुई थी कि 1981-82 के वर्ष में प्रत्येक जिले को 50,000 रुपया इसके लिये मिलेगा। आप फार्म भरवाईये। तो हमने भी फार्म भरवाये और इस हिसाब से करीब सो फार्म सामने आने चाहिये थे। हमने भी फार्म भरवाये और अब समारे पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि रुपया नहीं मिला तो नहीं सही आप कम से कम फार्म तो वापस करा दीजिये। क्योंकि उसमें खर्च करके उस पर अपना फोटो लगाया है और अस्पताल में डाक्टरी करवाई है।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश में एक भी विकलांग व्यक्ति को आपने पेन्शन दिया होता तो यह विश्वास होता। अभी विकेन्द्रिय योजना की बात हो रही थी, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है लेकिन ईमानदारी से उसका पालन तो करवाईये। मैं सीतापुर की जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि इस बार जुलाई माह में जो मीटिंग हुई, क्या यह सही नहीं है कि उसके लिये हर विभाग ने एक डाईरेक्ट सरकुलर भेज दिया कि इतना-इतना काम करो, तो यह हर विभाग को चला गया, अब हमारे पास बचा क्या। तो यहां से चला जाना है लेकिन नाम है विधायकों की कमेटी का। वरना हमको पूरा अधिकार विचार-विमर्ष करने के लिये मिलना चाहिये था।

अभी 20 सूत्री कार्यक्रम की बात आयी और आप आरोप लगाते हैं। विपक्ष पर कि हमें यह सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन अपने मन में पूर्वाग्रह रख कर आपने यह कमेटियां बनाई हैं। क्या आपने उसमें किसी प्रतिपक्ष के व्यक्ति को रखा है ?

आप अगर कमेटी में नहीं रखेंगे और इस पर शंका करेंगे, तो यह शंका मान्यवर, अपने मुँह पर तमाचा मारने के समान है। मान्यवर, यह वित पोषण कैसे हो रहे हैं, बजट का सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए और पैसा वसूल करने के लिए सबसे पहले सरकार का हाथ बड़े आदमी की जेब में जाना चाहिए। इस सदन के माननीय सदस्य ने आवाज उठाई कि गन्ने से चुंगी माफ होनी चाहिए। सरकार सहमत होगी। डा० जैन हैं, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से, एक राजाज्ञा सं० 52 एम०बी०। 11-9-82।26।82 दिनांक 3 जून, 1982 को निर्गत हो गयी सीतापुर में नगरपालिका में माननीय मंत्री जी एक रु० फी कुंटल चुंगी है। हमने क्षेत्र में जाकर कहा कि वह चुंगी माफ हो गयी, लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप झूंठ भी बोलते हैं।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

मान्यवर, मैंने उनको जी० ओ० की कापी भी दिखाया कि चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के लिए चुंगी से छूट दे दी गयी है। मान्यवर, नगरपालिका में स्थित बिसवां का परचेजिंग सेंटर खैराबाद में है, तो वहां पर चुंगी पड़ेगी, मान्यवर, 18 लाख कुंटल पिछले साल बिसवां ने खरीदा, जो सीतापुर, खैराबाद में रखा गया, तो उससे आप काश्तकार से एक रुपया प्रति कुंटल चुंगी ले लेंगे। यू०पी० म्युनिस्पौलिटीज ऐक्ट, 1916 28(VII) ऐन आक्ट्राई आन गुड्स आर एनीमल्स ब्राट विधइन दि म्पुनिसपिलिटी फार कम्जम्पशन यूज आर सेल देयर इन"।

इसका हिन्दी मतलब जो मैं समझ पाता हूँ वह यह हुआ कि जानवर और माल जो नगर-पालिका के भीतर आते हैं, उन पर चुंगी नहीं पड़ेगी। सीतापुर नगरपालिका को रोंदता हुआ अगर लखनऊ आ जाय, तो उस पर चुंगी नहीं पड़ेगी। गन्ना सीतापुर में इस्तेमाल नहीं हुआ, वह चला जाय रेलवे की जमीन में बेचने के लिए। तब भी आप चुंगी ले लेंगे। मैंने हड़ताल करवा दिया और माननीय मुख्य मन्त्री ने उस पर लिख दिया कि सचिव, कृपया बात करें। जब मैं सचिव से मिला, तो सचिव ने कहा कि हमको एक बात देखना है कि जो नगरपालिका का नुकसान हो रहा है, उसको कैसे पूरा करें। मैंने कहा कि उसको पूरा कर लेना। जब माननीय मुख्य मंत्री ये मान्यवर बने थे, मैंने इनका भाषण पढ़ा था कि जो मंत्री अपने दायित्व पूरा नहीं करेंगे, उनसे उनके विभाग छीन लिया जायगा। मान्यवर, उनका बक्तव्य पढ़ कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि राशन गांवों में भी जाय। आज वितरण की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सहकारिता विभाग की है और सहकारिता विभाग आपके पास है। मान्यवर, इनकी अक्षमता साबित हो गयी है इसलिये माननीय खाद्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्री को हटा दें और किसी दूसरे आदमी को यह दोनो विभाग दें।

दोनों मन्त्री जनता को राहत पहुंचाने में फेल हो गये हैं। सहकारिता मंत्री औकात पर आ गये हैं क्योंकि कर्मचारियों ने फैसला कर लिया है। मान्यवर, सरकार की नीतियों को अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन देखिये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अधिकारी आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है। वह आपके नियंत्रण से बाहर हो गये हैं। पी०सी०एस० के लोग 25-25 साल तक प्रमोशन नहीं पा पाते हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जी० ओ० फरवरी, 82 में किया था। 12 पद 2300-2700 के वेतनमान में और 3 पद 2700-3000 के वेतनमान में किये गये थे। एक साल फरवरी में पूरा हो रहा है। एक वर्ष में समाप्त होना था पर बढ़ा दिया गया है।

यह झगड़ा नीचे से ऊपर तक पहुँच गया है। मान्यवर, एक आई०ए० एस० मि० आर०एन० त्रिवेदी हैं। 'नेशनल, हेराल्ड' में 22-1-83 को उन्होंने छपवाया, एक उनका लेटर निकला है। मान्यवर, अंग्रेजी में यह है, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं, इसकी हिन्दी मैं कर दूगा। इससे ज्यादा अमर्यादित बात क्या होगी। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ

"आई हैब इन्टीमेटे नालेज ऑफ सम फैक्टस विच हैव नाट बीन ब्राट टू दि पब्लिक नोटिस आई वान्ट टु पुट दिस विफोर यू फोर पब्लिकेशन इन योर कोलम्स"

व कहते हैं कि कुछ तथ्य जो नहीं आये हैं उनको मैं जनता की जानकरी में लाना चाहता हूँ। आगे कहते हैं।

"इट सीम्स दैट डिउ टु दिस लेंक आफ नालेज आफ बेसिक इसूज इन्वाल्बड दि देन चीफ मिनिस्टर इनफारमली गेव एन असोरैन्स टु दि पी.सी.एस. असोसियेशन दैट देयर डिमाण्डस उड्ड वि मेट"

मुख्य मन्त्री के लिये लैक आफ नालेज कहा जाय यह गंभीर बात है।

"हाऊएवर प्रेसर केप्ट आन माउन्टिगं आन दि देन चीफ मिनिस्टर टु इम्पिलीमेंट दि डिसीजन बाई इसूइग दि जी० ओ०"

कोई अधिकारी यह कहे कि दबाव वंश मुख्य मंत्री ने यह किया यह अनुचित है मान्यवर, यह हम कहेंगे कोई बाहरी व्यक्ति हमारे खिलाफ नहीं कह सकता है। यह नयी परम्परा डाली जा रही है, सरकार अधिकारी समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित कराये यह अनुचित है। क्या उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो यह पाप आप कर रहे हैं यह पाप आपके खिलाफ आयेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। एक और गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महानगर में मकान गिराये गये। आप जांच करा लें। 1 लीज को कैंसिल करके मकान गिराये गये लेकिन उद्योग मन्त्री केन्द्र सरकार के, श्री नारायण दत्त तिवारी की गली को नहीं गिराया गया। आप लीज खत्म करें यह आपकी बात है। लेकिन हमारा कहना यह है कि उसमें भेद भाव न किया जाय। आरिफ कांस्ट्रक्शन को मदद पहुँचाने के लिये ऐसा किया गया है। आपने वादा किया था कि भेदभाव दूर किया जायगा। दीदी बैठी हैं आपके सामने की बात है। आरिफ कांस्ट्रक्शन कौन है। सरकार की तरफ से विज्ञापन निकलता है कि 2 साल छूट दी जायगी अगर वह आरिफ कांस्ट्रक्शन में रजिस्टर करा लें। यह प्राइवेट कालोनाजर्स हैं, सरकार प्राइवेट कालोनाजर्स को प्रश्रय दे रही है। उसकी कालोनी के लिये, वैल्यू बढ़ाने के लिये सड़क का विस्तार किया जायगा यह अनुचित है। मंत्री को छोड़कर दूसरों के मकान गिरा दिये जायं यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। यह सारी चीजें सरकार की नीयत प्रकट करती हैं, इस बजट से कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने जो इस वर्ष का बजट इस आदरणीय सदन में रखा है, मान्यवर, वास्तव में वह एक आर्दश बजट है। मान्यवर, मैंने बजट को सामान्य चर्चा पर इस सदन के माननीय नेता विरोधी दल का भाषण बड़े ध्यान से सुना था। माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के बाद विरोध पक्ष के अन्य माननीय नेताओं का भाषण मुझे सुनने का सौभाग्य मिला और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के वीर दीपशिखा सखा श्री गुप्त जी की अमर वाणी सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। मान्यवर, इस सम्पूर्ण विरोध पक्ष को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कि हमारे विरोधी दल के नेताओं को सबसे बड़ी पीड़ा जो है जो उनको बार-बार कचोटती है, और उनकी रातों की नींद हराम किए हुए है, वह केवल एक बात कि श्री श्रीपति मिश्र ने कोई कर क्यों नहीं लगाया। अगर कर लगा होता तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता और वह गली-गली चिल्लाते। चूँकि श्रीपति मिश्र ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आज इन माननीय सदस्यों को बड़ी पीड़ा है।

मान्यवर, घाटे का बजट, जिसके बारे में हमारे माननीय नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने यहाँ स्पष्ट घोषणा की, माननीय गुप्त जी आप इस पर गौर करें, अधिष्ठाता महोदय आप भी जानते हैं, इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर सरकारी कोष का जितना रुपया बकाया है, अगर वह सारा का सारा वसूल हो जाय, तो यह बजट ऐसे ही चल सकता है।

एक सदस्य -

आप मन्त्री बना दिये जायेंगे ।

श्री श्यामलाल वाजपेय --

मन्त्री बनूँगा अपने भाग्य से, आपके भाग्य से नहीं ।

एक सदस्य—

आप बनने वाले हैं ।

श्री श्यामलाल वाजपेय—

आपकी वाणी फलवती हो ।

मान्यवर, मैंने अभी इंगित किया कि इस प्रदेश में बड़े-बड़े धन पशु पड़े हुए हैं, जिन पर करोड़ों रुपया इस प्रदेश सरकार का बाकी है अगर 500 रुपया किसी गरीब पर बाकी होता है, तो उसका कनेक्शन कट जाता है, उसके घर के सामान की कुर्की हो जाती है, और जेल में बन्द कर दिया जाता है । मगर इस प्रदेश की दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी मोहन मीकिन्स पर पिछले 10 वर्षों से 85 लाख रुपया एक्साइज का बाकी है । पिछले 10 वर्षों से । जिनमें कुछ वर्षों तक जो विरोध पक्ष में विद्यमान हैं, उनको भी शासन में रहने का मौका मिला, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये उनके बकायों की वसूली करते । लेकिन अब हमने अपनी सरकार से आह्वान किया है कि इन धन पशुओं के घरों पर हमला करें । यदि इस वर्ष इन धन पशुओं के घर पर हमला नहीं हुआ तो मैं यह समझूगा कि हमारे सदस्य होने की सार्थकता ही नहीं है । बरेली में एक रबड़ फैक्ट्री है इस पर 22 करोड़ रुपया बाकी है । वह शैतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही है ।

मान्यवर, अगर यह 85 लाख रुपया मोहनमेकिन से लेकर राष्ट्रीय बचत योजना में डाल दिया गया तो यह रुपया अब तक चौगुना हो गया होता । मान्यवर, 85 लाख वैसे का वैसा पढ़ा है एक भी पैसा देते नहीं हैं और फिर भी आँख दिखाते हैं । हमारे नेता और विरोधी दल और विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों के मुँह से एक शब्द बधाई का नहीं निकला कि इस वर्तमान सरकार ने श्रीपति मिश्र की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है । मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस निर्णय का कड़ाई के साथ पालन करेगे । पिछला बकाया इस वर्ष के अन्त तक अवश्य वसूल होगा चाहे वह मोहन मेकिन हो या बिड़ला पर हो । मान्यवर, मैं ज्यादा विस्तार में नही जाऊँगा क्योंकि बड़े-बड़े लोग इस पर बोल चुके हैं और नेता विरोधी दल के पास बहुत सी कतरने थी हाँलाकि उसके पास मैटेरियल कुछ नहीं था । मैं एक बात कहना चाहता हूं एक बात कही गयी नीति और नियत की ।

मान्यवर जो हमारी नीति है, कांग्रेस की नीति है वह दर्पण की तरह स्पष्ट है । जो बात है वह है । वैसे तो हम महायज्ञ भी करेंगे तो आपको गौ हत्या नजर आयेगा इसके लिये क्या कहा जाय । हमारी नीति ऐसी है जिससे हम देश और प्रदेश में प्रगति चाहते हैं परन्तु इन नीतियों का क्रियान्वयन, परिचालन और संचालन भारतीय गणतन्त्र की स्थापना के दिन से जिन अफसरों के हाथ में है उसमें हमारी मर्यादायें और सीमायें है वर्तमान संविधान के तहत हम सब नेता विरोधी दल के दल को भी यहां सत्ता में बैठने का मौका मिला था किस को फाँसी पर चढ़ा दिया आपने । एक प्रक्रिया है क्या कुछ छिपा है । यह

आई० ए० एस० जो हिन्दुतान की सारी प्रभुता का भोग कर रहा है सारी सुख और सुविधाओं का चरबन कर रहा है । यह बड़ा ही कायर है विलाशी है, यह कागजी जादूगर है यह गंगा और विकास का कार्य कागज पर करता है कागज पर बोलता है और कागज पर काटता है जिस कागजी जीवन में हम और आप जी रहे हैं उस कागजी जीवन में वर्तमान सरकार ने बेहतर जीवन देने की कोशिश की है । इसको भाई भीखालाल जी और रियासत साहब तागोद करेंगे ।

अब रही बात नीयत की । नीयत के बारे में माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल से और अन्य नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एकबार आप अपने भाई पर शक कर सकते हैं अपनी पत्नी की वफादारी पर शक कर सकते हैं । लेकिन श्री श्रीपति मिश्र की सरकार पर और उसकी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते । मैं नेता विरोधी दल को मोहन सिंह के द्वारा यह कहलवाना चाहता हूँ और पहुँचाना चाहता हूँ । आप हमारे नेता की नीयत पर शक नहीं कर सकते । वह गंगा की तरह पवित्र और दूध की तरह स्वच्छ है । मान्यवर हमारे विरोधी दल के साथियों को एक बात खाये जा रही है हरिजन की बात, विकास सम्बन्धी घपले की बात यह कहते जाते हैं । जिस वक्त में हम और आप जी रहे हैं इसमें दोषी कहते हैं तो सबसे पहले हम दोषी हैं । हमने अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की मीटिंग की, सारे लोगों ने कहा···· जैसा कि अन्त्योदय योजना है, डेढ़ हजार अनुदान होता है, दो हजार कर्ज । मगर उसमें डेढ़ हजार से होता क्या है । डाक्टर, बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ०, खा लेते हैं और वह कर्जा का कर्जा । हमारे विधायक इस चीज के लिए संकल्प कर ले कि हम अपने ब्लाक स्तर पर यह भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, इसके लिये कोई मन्त्री दोषी नहीं है । इसके लिए हम भी दोषी हैं । हम क्यों इस चीज को नहीं देख रहे हैं । अगर विधायक इस चीज पर अड जाये कि हमारे ब्लाक के अन्दर ये सब चीज नहीं होगी, तो नहीं हो सकती । बार-बार इन चीजों के बारे में कहते हैं तो हमें भी देखना होगा जिन पैरों से हम उठे हैं, जहाँ से भ्रष्टाचार पल रहा है, उसको रोकने के लिये हमें उन प्रधानों का सहयोग लें तभी हम वी. डी. ओज. पर अंकुश लगा सकते हैं । मैं एक छोटा सा विधायक हूँ इसलिए समय भी छोटा ही रहेगा ।

कानून और व्यवस्था की बात बहुत बार कही गयी । मैं तो मान्यवर, फितरतन अफसरों का पैदाइशी बिरोधी हूँ, जब से आँख खुली है पुलिस के डंडे खाये हैं, जेल गया हूँ और आई. ए. एस. अफसरों के तुर्रे देखे हैं । हमारी नैतिकता कहती है कि अच्छे कामों की सराहना की जाये । इस प्रदेश की बहुचर्चित डकैत फूलनदेवी ने मध्य प्रदेश म समर्पण कर दिया । कुछ हो या कुछ भी न हो मगर फूलन का एक-एक शब्द इस चीज का साक्षी है कि वह हमारे प्रदेश की पुलिस से भयभीत थी । उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी डकैत को हीरो बनाकर नहीं रखना चाहती । अगर खून किया है तो खून का बदला खून से देना चाहती है । जिन अधिकारियों ने समर्पण कराया है, ठीक है, लेकिन फूलन ने जिनकी हत्यायें की है, उन मृत आतमाओं का तर्पण भी नहीं हुआ, मुझे विश्वास है मान्ववर, आपके माध्यम से कि यह सरकार उनका तर्पण करायेगी । अगर उसने समर्पण किया है, तो करने दें, लेकिन यह इस चीज का परिचायक है कि अगर वह मिलती तो उसको माला पड़ती बल्कि पुलिस की गोली उसके सीने को पार कर जाती । इसलिये जो कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वह इतनी मजबूत होती जा रही है मिश्रा जी के जमाने में कि भयंकर से भयंकर डाकू भी चूहे की तरह सरकता हुआ दूसरे प्रदेशों की ओर भागता जा रहा है ।

[श्री श्यामलाल बाजपेयी]—

कम से कम 20 मिनट का टाइम देते मान्यवर, मेरा सारा समय तो भूमिका में ही चला जाता है। इसके बावजूद भी मैं अपने ब्रह्म दत्त जी द्वारा, जो वित्त मंत्री हैं, जो बजट रखा गया है उसका हृदय से समर्थन करता हूँ और आदर्श बजट रखा है, विरोधी दल के नेताओं से और जो बड़ी-बड़ी शमशीर निकाल रहे, देहलवी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कथन को हृदय से समर्थन करेंगे तथा इस चीज की ताईद करेंगे कि वास्तव में मिश्रा जी की जो सरकार है वह प्रदेश का विकास चाहती है, प्रदेश की समृद्धि चाहती है, इसको स्वीकार कर वह हमारी सरकार का समर्थन करें। यह मुझे उनसे आशा है।

धन्यवाद।

श्री छनीराम वर्मा—

मान्यवर, इस गरीब प्रदेश का 85 प्रतिशत किसान और मजदूर कातर दृष्टि से देख रहा था कि इस समय 1983 और 84 के बजट में कुछ राहत मिलेगी परन्तु जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ उस 85 प्रतिशत प्रदेश में रहने वाली किसान और मजदूर जनता को घोर निराशा हुई क्योंकि यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे न किसानों को और नहीं मजदूरों को किंचित मात्र भी राहत मिली है। यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है और देश भी कृषि प्रधान है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने, जो चाहती है कि प्रदेश और देश का विकास कराये, 70 प्रतिशत किसानों और उस पर निर्भर रहने वाले मजदूरों का विकास अवरुद्ध कर रखा है। 22 करोड़ रुपया पिछले वर्ष से इस वर्ष कम कर रखा है। वह कृषि जो इस प्रदेश के बजट का करीबन 50 प्रतिशत आमदनी देती है, उसके विकास के लिये किंचित मात्र भी सरकार ने बजट में प्राविधान नहीं किया है। मुझे खुशी होती यदि इस बजट में सब्सिडी के नाम पर कुछ पैसा रखा जाता।

किसानों को यूरिया की बोरी 123 रुपये में, डी० ए० पी० की बोरी 190 रुपये में मिल रही है, उसमें कुछ राहत मिलती। पिछली सरकार में 54 रुपये में खाद छोटे काश्तकार को और 75 रुपये में बड़े काश्तकार को यूरिया की बोरी दिलाई गयी। किसान ने भरपूर खाद का प्रयोग किया और पैदावार भी भरपूर हुई। 77 के पहले जो कांग्रेस सरकार विदेशों से गल्ला मंगाती थी वह बन्द हो गया। इस सरकार ने पुनः कीमतों में वृद्धि की। किसान जो खाद का प्रयोग करता है, डीजल का प्रयोग करता है, उसके प्रयोग में आने वाली चीजों के दामों को बढ़ा दिया। मूल्य में दो गुना, ढाई गुना वृद्धि कर दी। डीजल 1.65 रु० था, तीन-साढ़े तीन रुपये हो गया। बिजली की दर जो पिछली सरकार के समय 12 रुपये प्रति हार्स पावर थी, साढ़े बाइस रुपये हो गयी। अब कैसे यह हो सकता है कि कृषि प्रधान देश और प्रदेश की जनता को राहत मिले। संभव नहीं है। खेती सुधर सकती थी पैदावार बढ़ सकती थी यदि सिंचाई के साधनों में कोई वृद्धि होती। लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने सोच रखा है कि कोई वृद्धि नहीं करेंगे। कोई भी नई माईनर इस सरकार ने नहीं खुदवायी।

मैंने प्रस्ताव रखा था कि रबी की फसल में कोई माईनर न खुदवायें, कम से कम बरसात का काफी पानी होता है, इधर उधर फैलता है नालियों में, नई माइनर खोलकर व्यवस्थित कर दिया जाय। इस प्रकार ढाई गुना, दो गुना पैदावार बढ़ सकती है। प्रदेश में किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। खाद्यान्न से अपने प्रदेश का काम चल सकता है और बाहर भी दे सकते हैं। कृषि पर ही आधारित किसानों के लिये पशुपालन है, उसकी ओर भी सरकार ने किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया। उनकी बीमारियों के निवारण के लिये अस्पताल नहीं है और अगर अस्पताल हैं भी तो दवाइयाँ नहीं हैं। हजारों नहीं लाखों पशु

प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में दवाइयों के अभाव में मर जाते हैं, किन्तु यह सरकार आज भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही सारी प्रगति की कुंजी है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने हाई स्कूल क्लासेज में सामान्य विज्ञान कम्पलसरी कर दिया है, परन्तु सामान्य विज्ञान बच्चों को पढ़ाने के लिये कितने साइन्स लैब तैयार करने का प्राविधान किया गया है, साइन्स पढ़ाने, के लिये अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है । मान्यवर, जो अध्यापक उन स्कूलों में आए साइंस के विषय पढ़ा रहे थे, वही अध्यापक सामान्य विज्ञान पढ़ायेंगे । पुराने जो साइन्स के अध्यापक थे वही बच्चों को सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं । जहाँ न तो लैब्स हैं, न साइन्स टीचर हैं और न साइन्स का सामान ही है, इस प्रकार सामान्य बिज्ञान को कम्पलसरी करके छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

मान्यवर, प्रदेश में हजारों नहीं लाखों प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है । हर जिले में सौ, दो सौ और कहीं-कहीं तो एक हजार प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहाँ हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, सहायक अध्यापक ही वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । मान्यवर, इतना ही नहीं बिल्डिंगों के नाम पर खुले आकाश के नीचे छात्र चाहे वह गर्मी हो या सरदी, विद्याध्ययन करते है । कैसे सम्भव हो सकता है हमारे देश के गरीब और मजदूर के बच्चे के लिये कि वह इन पूँजी-पतियों के बच्चों का मुकाबला करें, जो अपने बच्चों को दो दो हजार रुपया प्रति माह खर्च के लिये देते हैं और उन पर खर्च करते हैं ।

मान्यवर, पौष्टिक आहार योजना के नाम पर यह सरकार लूट कर रही है । आज किसी बच्चे को पोष्टिक आहार नहीं मिल रहा है । प्रौढ़ शिक्षा की व्यबस्था की जा रही है, उसमें एस०डी०आई खुले आम लूट कर रहा है । वहां नियुक्ति के पैसे बँधे हुए हैं । वहाँ कितने रात्रि क्लास लगते हैं और उनकी पढ़ाई हो रही है या नहीं ।

मान्यवर, इतना ही नहीं सरकार के जो निगम हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है, इन सफेद हाथियों को खुले आम छूट दी जा रही है । आज प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का लगभग 66 लाख रुपया प्रतिदिन ये निगम के सफेद हाथी खा जाते हैं और प्रतिवर्ष 2 हजार 7 सौ करोड़ रुपये ये सफेद हाथी डकार जाते हैं । आज भी इन निगमों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता ।

मान्यवर, इतना ही नहीं, बजट के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारा सारा बजट स्वीकार हुआ है और उसके लिये अप्रेल के प्रथम सप्ताह में सारे के सारे आदेश जारी कर दिये गये उसके खर्च के लिये । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी उस बजट का आधा पैसा खर्च नहीं हुआ है और मार्च के माह में यह सारा पैसा अधिकारियों के जेब में चला जायेगा । वे इस बजट को सही रूप में क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं । जो गरीब मजदूर दिन भर काम करता है, और जिसे मजदूरी मिल भी नहीं रही है, उनको लाइन में लगना पड़ता है । जहाँ वे काम करते हैं, उनको वहीं गल्ला मिल जाना चाहिये । पिछली सरकार ने खाद्यान्न योजना चलाई थी, जिसमें मजदूरों की मजदूरी के बजाय गल्ला वहीं पर मिल जाया करता था । उनको लाईन लगाने की आवश्यकता नहीं होती यही व्यवस्था फिर चालू करनी थी । इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ ।

श्री राम समुझावन --

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, परन्तु जहाँ कि बजट के प्रस्तुत करने का प्रश्न है, वह प्रति

[श्री राम समुझावन] —

वर्ष सदन में प्रस्तुत होता है चाहे सरकार किसी की भी हो, हरेक को साल भर में एक मर्तबा अपने आंकड़े पेश करने पड़ते हैं, जिसमें अमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। यहाँ पर तो मैं यही देखता आ रहा हूँ कि चाहे वे विरोध पक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के, दोनों ही इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक दूसरे की अलोचनाएं की जाएं और इस दौरान कौन-कौन सी ऐसी चीजें बताई जाएं जिसका सिवाय इसके कि उसका कोई उपयोग न हो, जिससे होता यह है कि बेकार में समय नष्ट होता है और हल कोई नहीं निकल पाता है। इस बजट द्वारा जिलों को करोड़ों रुपया दिया जाता है, विकास कार्यों के लिए, इसमे सरकार को यह देखना चाहिए कि सचमुच उस पैसों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और इनमें जो कमी पायी जाए, उसकी ओर भविष्य में बजट आँकड़े प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इस ओर कदापि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति हर विभाग की है, चाहे वह उद्योग हो, चाहे स्वास्थ्य हो या चाहे परिवहन विभाग हो।

जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति खुले शब्दों में यही कह रहा है कि आज हर विभाग में जोरों पर भ्रष्टाचार है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां पर यह कमियाँ सामने आएं उसको दूर करने के कोशिश करें। और सहकारिता विभाग मे जो आज वितरण प्रणाली में सुधार की बात कही जाती है, यह सही है कि इससे आम जनता को सुविधा पहुँचती है, इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि जो वस्तुएं गरीबों तक पहुँचनी चाहिए वह पहुँच रही हैं या नहीं चाहे गेहूँ हो या चावल अथवा शकर व मिट्टी का तेल आदि गरीबों तक समय से पहुँचने की चिंता सरकार को अवश्य होनी चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि जो मध्यम किस्म के लोग हैं, वही इन चीजों को अपने गट्स से ले जाते हैं और गरीब बेचारा नहीं ले पाता है। मान्यवर उद्योग के संबंध में हमारे जनपद से संबंधित यह कहा गया कि वहाँ पर एक सूती मिल की स्थापना की जायेगी, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जबकि जौनपुर हर क्षेत्र में चाहे वह कोई भी मामला हो, अग्रणी रहा है, उन चीजों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ केवल इतना अवश्य कहूँगा कि वहाँ के पिछड़ेपन को शीघ्रता से दूर किया जाए और उस मिल के बारे में जो कहा गया था, जिसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है यहाँ तक कि स्थान का चयन भी अभी नहीं हो सका है कि वह कहाँ पर खुलेगी। छोटे उद्योगों के बारे में हर जिले में एक दफ्तर खोल दिया गया है, उसके अफसर और बाबू लोग हैं। उद्योग के नाम पर काफी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन जैसा विकास होना चाहिये था, नहीं हो रहा है।

परिवहन के बारे में हर जिले में सड़कें हैं, जिन पर रोडवेजों की बसें चलती हैं। मैंने बसों के चलने के विषय म परिवहन मंत्री से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बसें नहीं है और हैं भी तो चलने लायक नहीं हैं। सड़कें हैं तो सरकारी वाहन चलाये जायं जिससे कि सुविधा हो।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

श्री राम समुझावन—

एक मिनट और लूँगा।

इस प्रकार से जहाँ तक हरिजनों का सवाल है, उस सम्बन्ध में उनको जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले हैं, उनको जो भी चीज दी जाती है उसको हम और आप देखते हैं और जानते हैं, लेकिन होता यह है कि अगर उनको भैंस दी गयी तो एक तो कीमत बढ़ा दी गयी और दूसरे वे भैंसे दूध नहीं देती। चाहे भैंस दी जाय, इक्का दिया जाया जाय या रिक्शा दिया जाय, उसका मुनाफा अधिकारियों के पास रह जाता है। थोड़े दिन चलने के बाद गरीब घाटे में रहता है।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मा० अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस बजट चर्चा पर बोलने का मुझे समय प्रदान किया।

वित्त मन्त्री जी का यह बजट अन्य वर्षों की भाँति घाटे का कर रहित बजट है। मेरा दृढ़ मत है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी यह बजट देखने के लिये कर रहित हो सकता है परन्तु प्रदेश की जनता के लिये यह वर्ष भी कर रहित वर्ष नहीं होगा। यह पिछले दरवाजे से किसी न किसी तरह से जनता के ऊपर कर लगायेंगे। घाटे को पूरा करने के लिये वित्त मन्त्री जी ने वही पुराना तरीका बताया है कि जिसमें आज तक वे असफल रहे हैं। मितव्ययता की बात कही है। मैं एक उदाहरण दूँगा कि इस गरीब देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले त्रिपुरा यात्रा पर गयी थीं, उनकी यात्रा का व्यय 10 लाख 50 हजार रु० का आया। मैंने इस विधान सभा में प्रश्न किया था कि गढ़वाल संसदीय उप चुनाव में 10 मई, 1981 से 30 जून 1981 की अवधि में राज्य के मन्त्रियों द्वारा जिला चमोली, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी आदि जगहों की यात्रओं पर कितना धन व्यय हुआ। जिसका जो जवाब मिला उसमें यह कहा गया कि, इस एक महीने के अरसे में माननीय ब्रह्मदत्त जी ने 10,471.20 भत्ता लिया। श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य मन्त्री ने 4,570.30 भत्ता लिया। श्री राम रतन सिंह, मन्त्री जी ने 3,945.43 भत्ता लिया और श्री गुलाब सिंह, राज्य मंत्री ने 3,372,00 भत्ता लिया।

श्री चेतराम गंगवार—

यह प्रेट्रोल के लिये लिया गया है।

***श्री कुँवर सिंह नेगी—**

आपके कहने का मतलब है कि यह जवाब गलत है। इसके अतिरिक्त इस सरकार ने अधिकारियों की पलटन की पलटन खड़ी कर दी है न जाने कितने चीफ इंजीनियर हो गये हैं, कितने आई० जी० तथा डी० आई० जी० हो गये हैं। सबकी संख्या बढ रही है। कर्मचारियों की भी पलटन की पलटन खड़ी कर दी गयी है परन्तु उस पर इनका नियंत्रण नहीं रहा। माननीय बच्चा पाठक जिस जिले के एम० एल० ए० हैं वहाँ के राजपत्रित अधिकारियों ने उनसे कह दिया कि हम माननीय मन्त्रीजी के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। यदि वे हमें बुलायेंगे तो हम नहीं जायेंगे और यदि जायेंगे भी तो बिना बाडीगार्ड के वहां जायेंगे। इसके माने हैं उनका कि वहां पर अंकुश नहीं रह गया है।

अभी माननीय गुप्ता जी ने कहा था कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में झगड़ा हो गया और प्रशासन का काम काज यहाँ ठप्प हो गया, तो इस तरह मे कोई काम होता नहीं है। यह कहते हैं कि हम योजनायें बनाते हैं परन्तु उन योजनाओं पर कितना काम होता है, यह देखने वाला कोई नहीं है। हमने गुलामी तन्त्रको अपनाया हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेगी]—

गुलामी में शासन तन्त्र ऊपर होता है और जनता नीचे रहती है। हमने अंग्रेजों का शासन तन्त्र अपनाया हुआ है जिसमें जनता नीचे है। शासन पर आपकी कोई लगाम नहीं है इसलिये आप अपनी योजनाओं का कार्यान्वियन नहीं करा पाते हैं। यहां पर बहुत जोर से कहा गया एकीकृत विकास योजना के द्वारा आप 600 परिवारों को एक साल में लाभान्वित करेंगे और कर भी रहे हैं। परन्तु कोई भी विधायक इस बात को कह दे कि किसी भी विकास क्षेत्र में इस 600 के लक्ष्य को प्राप्त किया हो। मैं यहाँ बतला देना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं 8 पर्वतीय जिलों का भ्रमण किया है और वहां पर किसी भी जगह 300 से ऊपर का लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है इस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रशासन पर आपकी सरकार का डाइरेक्ट नियन्त्रण होना अवश्य है।

यह जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है इसमें पर्वतीय क्षेत्र के हितों का घोर विरोध है। एक नियम बना दिया है "वन संरक्षण अधिनियम" और इसका अन्धेपन से पालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वहां पर कोई भवन नहीं बना सकता है, कोई स्कूल नहीं बनाया जा सकता है, कोई नया काम वहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि इससे वहाँ के पर्यावरण को खतरा है। मैं कहता हूँ कि पर्यावरण की यदि आपको इतनी ही चिंता है तो यदि एक पेड़ कट जाता है तो आप उसकी जगह 10 पेड़ लगाइये। वृक्ष का रिप्लेसमेंट करिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय, सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

श्री कुँवर सिंह नेगी।—

जी अच्छा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि बहुत देर से उठा बैठकी के बाद मुझे समय दिया। अभी हम लोग इस आम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमन् माननीय रियासत भाई ने न जाने क्या बात है पुलिस से उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी है 95 करोड़ से बढ़ाकर 143 करोड़ पुलिस का बजट कर दिया गया, इस पर उनकी बहुत ही नाराजगी है। उनकी तो इच्छा ऐसी है कि इस पुलिस विभाग को बिलकुल भंग कर दिया जाये या डिजाल्व कर दिया जाये, तो बहुत अच्छा होगा। माननीय नौटियाल साहब ने भी इस तरह की बात कही। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वह इस देश और प्रदेश में और अधिक अराजकता लाना चाहते हैं। पोथी, महबीरा और फूलन का राज्य फिर से क्या लाना चाहते हैं। जब सब चीजों में बढ़ोत्तरी हो रही है तो पुलिस विभाग का भी बजट बढ़ेगा और पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो इसमें कौन सी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि क्राइम बढ़ रहे हैं और पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्राइम्म को आप ही ने इस सरकार को विरासत में दिया है। आपके शासन काल में डाकूओं की समस्या बढ़ गयी, हमारी सरकार ने उनका सफाया किया, जितने भी बड़े बड़े गैंग थे उनका हमारी सरकार ने सफाया कर दिया है।

अभी माननीय रियासत साहब ने सरदार पटेल कमेटी रिपोर्ट का हवाला दिया, जो सम्प्रदायिक दंगों के बारे में थी। मान्यवर रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ

कि अलीगढ़ में 1978 में साम्प्रदायिकता की आग भड़कती रही और यह माँग की जाती रही कि वहां के एम०पी० और डी० एम० को हटाया जाये लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उनको नहीं हटाया, किसी को मुअत्तल नहीं किया गया, केवल यह बात तो कहने की है, लेकिन अमल नहीं किया गया है। ढाई साल के शासन काल में इनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। माननीय गुप्त जी ने और कुछ दूसरे साथियों ने कहा कि सेल्स टैक्स का बहुत सा पैसा बकाया है और उसकी वसूली के लिए यह सरकार कुछ नहीं करती है। जो गरीब किसान हैं, गावों के रहने वाले हैं उनका अगर हजार पांच सौ रुपया बकाया होता है तो उनको पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से कोई भूल नहीं है, बल्कि जो अधिकारी हैं वह इसमें घपला करते हैं वह बड़े-2 व्यापारियों से मिल जाते हैं जिसके कारण सेल्स टैक्स का पैसा वसूल नहीं हो पाता है। आज किसान सूखे या बाढ़ से पीड़ित रहता है कुछ समय पहले उसकी फसल ओले से नष्ट हो चुकी है परन्तु रेवेन्यू विभाग के अधिकारी उससे वसूलियां करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वसूलियाँ हैं उनको मई जून तक स्थगित कर दिया जाय। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से एक दिशा को प्रदर्शित करता है। यह बजट देश और प्रदेश जो ग्रामीण अंचलों में बसता है उसके कल्याण के लिए है।

मान्यवर, हर ब्लाक को 8 लाख रुपया आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत दिया जा रहा है। जो 600 गरीब परिवार हैं उनको ऊँचा उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है लगभग 100 लघु उद्योग इकाइयां खोली जायेंगी जो गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होगी। विरोध के लोगों ने कहा कि यह बजट दिशा विहीन है, यह गलत है हमारा बजट बहुमुखी विकास वाला है और निश्चित विकास करने वाला है। मान्यवर एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने नलकूपों का भार 15 रुपये प्रति हार्स पावर से बढ़ाकर साढ़े बाइस रुपया कर दिया है, इससे 50 प्रतिशत का बोझ किसानों पर बढ़ गया है।

[4 बजे अपराह्न]

और जो साढ़े सात प्रतिशत हार्स पावर बढ़ाया गया है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उसको हटा दिया जाय और जो बकाया वसूली सेल्स टैक्स पड़ी हुई है उसको वसूल किया जाय। इन शब्दों से मैं कहूँगा कि जो बजट है वह बहुत सुन्दर है और सामाजिक ग्रामीण उत्थान के लिये है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे आम बजट पर बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। सबसे पहले मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा। उसके तहत मौजूदा सरकार ने गरीब हरिजनों और भूमिहीनों को उनके विकास और उत्थान के लिये काफी ढिंढोरा पीटा है। एक छोटी-सी मिसाल देना चाहता हूँ। इसको सारे लोग जानते हैं। पिछले वर्ष संजय गांधी शोध संस्थान आपके लखनऊ में खोलने की बात हुई थी राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था। यहाँ से वह मेडिकल कालेज हटा दिया गया और लखनऊ रायबरेली रोड पर ले जाया गया। जो जमीन इस संस्थान के लिये अर्जित की गई थी उसे इस सरकार ने पिछले वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सैकड़ों हरिजनों को मुफ्त में दी थी और उनको उसका पट्टा भी दे दिया था। लेकिन जब संस्थान बनने की बात आयी तो उस जमीन को उनसे ले लिया गया और हरिजनों को उसका एक भी पैसे का प्रतिकर के रूप में नहीं दिया गया। उन हरिजनों ने उस जमीन को बड़ी मेहनत और लगन से उपजाऊ बनाया था और जब वे उसका पैसा माँगने लगे तो कहा गया कि तुम्हें मुफ्त दी गई थी और मुफ्त ही ली गई।

[श्री गोपी नाथ वर्मा]—

इस बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उनके नाम पर बजट देते हैं लेकिन उन तक वह बजट नहीं पहुँच रहा है। अभी माननीय बाजपेयी जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रि-मंडल में जो मौजूदा मुख्य मन्त्री हैं वे गंगा जल की तरह पवित्र हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन जहाँतक मेरी जानकारी है हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री हैं वे बड़े ईमानदार हैं लेकिन उनके बारे में जो टिप्पणी छपी है उसमें साफ कहा गया है कि जब वे अध्यक्ष नहीं थे, मात्र विधायक थे उस समय आपके नाम मुख्य मन्त्री के नाम मकान किराया 65 हजार रुपया बकाया था और विधान सभा के अध्यक्ष होते ही आपने उसे माफ करवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय बाजपेयी जी से कि अगर यह गलत है तो मुख्य मन्त्री जी को उन पत्र-पत्रिकाओं के खिलाफ कार्य-वाही करनी चाहिए। (व्यवधान)। हमारी बात का आप जवाब दीजिये।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मैं केवल इतनी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे, मेरे घर वाले के, बीबी के, बच्चे के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कुछ जमा नहीं है, मेरे पास कर्जा ही हो सकता है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आपके नाम पैसा जमा है या नहीं इस पर तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साफ हैं तो जिस पत्रिका में यह निकला है...

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

अब तो छाती ठंडी हो गई वर्मा जी।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

65 हजार बाकी था उसको माफ कर लिया। अगर उस पत्रिका ने गलत छापा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता था, और मेरा कोई इरादा नहीं है।

दूसरी बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री जी का बयान हुआ था कि हमारे जितने भी मंत्रि-मंडल के सहयोगी होंगे उनका समय महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च होंगे तथा काम ठीक ठाक होगा। हमारे जनपद में जेल मन्त्री श्री नश्तर साहब गये। उनका कार्यक्रम मुझे भी मिला। उसमें साफ लिखा था माननीय मन्त्री जी इतने बजकर इतने मिनट पर फैजाबाद के सरकिट हाउस में आयेंगे और वहाँ पर जेल की एक नई बनी हुई फ्लश लेट्रिन का उद्घाटन करेंगे। इस तरह से आज के मंत्रियों का काम केवल फ्लश लैट्रिन को उद्घाटन करने का रह गया है। और इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री संजय गांधी संस्थान का या संस्थानों का उद्घाटन करके समय बरबाद करते हैं महत्वपूर्ण कार्यों पर मन्त्री मण्डल का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ आपने लालबत्ती जला दी। मान्यवर, मैं कह रहा था किसानों के नाम पर जो आपने बजट पेश किया है वह बहुत कम है, आपने खाद में कोई छूट नहीं दी, विद्युत की दर में कोई कमी नहीं की। किसानों के नाम पर जो बजट पेश किया है मात्र भुलावा है। यह बजट तरक्की का बजट नहीं है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। हमारे विरोधीपक्ष के लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश के निर्माण में नीतियां बनाती हैं (व्यवधान) हमारे विरोधी पक्ष के लोग हमारी सही नीतियों की आलोचना करने में लगे हुए है, आप हमारी जनप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्य मंत्री जी के कार्यों का विरोध करने में जुटे हुए हैं। मैं विरोधी पक्ष को बताना चाहता हूँ कि ढाई वर्षों में जब इनका शासन रहा इन्होंने हरिजनों की छात्रवृत्ति बन्द कर दी उनके अनुदान बंद कर दिये।

हमारी प्रधानमंत्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया तो उसमें इन्होंने रुकावट खड़ी कर दी देश को इस बीच उन्होंने कंगाल कर दिया। लेकिन पुनः हमारी जनप्रिय प्रधान मंत्री, कांग्रेस शासन और हमारे मुख्य मंत्री जी ईमानदारी के साथ आगे ले जाने में प्रयत्नशील हैं। जो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम की योजनायें बंद हो गयी थी हरिजनों के उत्थान की योजनाओं को पुनः चालू किया गया है। हरिजन विद्यार्थियों को और अधिक छात्रवृत्तियां दी गयी हैं तथा 9 एवं 10 वी कक्षा के छात्रों के लिए कंप्लसरी कर दिया गया है। यही नहीं हमारी सरकार हरिजनों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम चला रही है और स्पेशल कंपोनेंट प्लान में प्रत्येक ब्लाक में 6 सौ परिवारों को जो बेरोजगार हैं रोटी रोजी देने की बात की गयी है। मैं विरोध पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वे जनता का भला करना चाहते हैं तो उनके क्षेत्र में जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहीं पर उसको उठायें तो इससे उनका भला होगा और यहां उसे उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इनको तो केवल विरोध करना है, इनको हरिजनों की चिंता नहीं है। यह चाहते हैं कि हरिजन मारे जायं ताकि यहां पर कुछ कहने का मौका मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ आप चाहते हैं कि हरिजनों के पैसे का दुरुपयोग न हो तो जहां जिलों म दुकानों का निर्माण हो रहा है वहां पर जिलाधिकारियों से शिकायत करिये कि यहां पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन आप वह चाहते नहीं है। आप चाहते हैं कि हरिजनों के पैसे को लूट लिया जाय, उनके लिए भैंस और गाय देने की जो योजना है उसको गायब कर दिया जाय जिससे यहां पर कहने का मौका मिले। आज योजनाओं को विकेन्द्रित करके जिलों को दे दिया गया है लेकिन आप माइट इज राइट में विश्वास रखते हैं जो बोलते थे उसी को फायदा मिलता था। लेकिन अब हमारी विकेन्द्रीकरण योजना से, जिले के विधायक जिनको यहां बोलने का मौका नहीं मिलता है, आलोचना नहीं करते हैं उनके, क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण योजना से ज्यादा काम हो रहा है। इसी तरह मैं विरोध पक्ष के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का कहना है कि उच्च अधिकारियों को कई पत्र लिखने पर भी कार्य नहीं होता को बताना चाहता हूँ कि अपने स्तर से अपने जिले में 2-3 अस्पताल खुलवा रहा हूँ और इसी तरह अपने यहां ब्लाक में सुधार के काम करवा रहा हूँ। नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ ब्लाक में दुकानें जंगल में खुलवा दी गयी हैं जहां कोई नहीं जाता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब उनके क्षेत्र में ब्लाक में दुकानें बनायी जा रही थीं तो बी०डी०ओ० से अच्छी जगह पर दुकानें बनवाने के लिए क्यों सलाह नहीं दिया था। इसलिये यदि वह हरिजनों के हितैषी थे तो उनको पहले से सुझाव क्यों नहीं दिया था ?

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर जनपद इलाहाबाद शहर से 80 किलोमीटर दूर है। मेरा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग लगाने की व्यवस्था मा० मुख्य मंत्री जी करायें जिससे वहां का पिछड़ापन दूर हो सके।

[श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी]—

मान्यवर, हरिजनों के कल्याण के लिए हरिजन समाज कल्याण विभाग ने 119 महिलाओं को नौकरी दिया है। यह हमारी सरकार ने प्रतिष्ठा का काम किया है।

अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं मा० श्री श्याम लाल बाजपेयी के विचारों से और डा० मिश्रा के शेर से मैं बड़ा उत्प्रेरित हुआ हूँ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

प्रभावित हुये हैं कि नहीं ?

श्री मोती लाल देहलवी -

मान्यवर, यह बजट जनता के लिये जनता के पैसे से बनाया जाता है। तो एक मौलिक प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हर वर्ष बजट बन रहा है लेकिन आज तक आपने जनता को क्या दिया है ? जनता के अन्दर आपने क्या चरित्र पैदा किया है, क्या जनता के जीवन को आपने प्रभावित किया है ? मैं यह चाहूँगा कि मुख्य मंत्री से लेकर जितने सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सभी अपने दिलों पर हाथ रखकर टटोलें कि अंग्रेजों के जाने के बाद से अब तक आपने जनता को क्या दिया है ? मान्यवर, क्या यह गलत है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से इस देश में चरित्र की गिरावट आयी है ? कोई ऐसी चीज बता दें जो बिना मिलावट के मिल रही हो। कोई विभाग बता दें जहां बिना रिश्वत और घूस के काम हो रहा हो।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

(व्यवधान) मेरे सामने तो देहलवी जी का चरित्र है।

श्री प्रमोद कुमार—

अभी माननीय देहलवी जी ने कहा कि कहीं कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां रिश्वत न हो, वे भी मंत्री रहे हैं, उनके समय में भी क्या यही स्थिति थी ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि आज कोई विभाग ऐसा नहीं रह गया है जहाँ रिश्वत न ली जाती हो। अगर कोई नौकरी के लिये जाता है तो बिना रिश्वत दिये उसे नौकरी नहीं मिलती। मैं सदन में गलत बयानी करना सबसे बड़ा पाप समझता हूँ क्योंकि यह एक पवित्र मंदिर है। मेरे पास पचासों लोग आते हैं जो यह कहते हैं कि बिना रिश्वत दिये नौकरी नहीं मिलती, और यह रिश्वत मंत्री तक पहुँचती है।

मान्यवर, उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि यहाँ सदन में शोर शराबा होने से सदन की छवि धूमिल होती है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आज इस

रिश्वत के कारण उनकी सरकार की छवि जनता में बुरी तरह से धूमिल हो रही है या नहीं ? (व्यवधान)

गांधी जी के युग में अगर कोई खादी पहनता था तो उसे संत महात्मा के रूप में देखा जाता था। आज अगर कोई खादी पहन कर निकलता है तो लोग उसे चोर डाकू समझ कर उसकी आलोचना करते हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं तो माननीय देहलवी जी को आज भी संत मानता हूँ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मुख्य मंत्री जी, जिस युग में आप हैं आज तो आप अपनी वाक् चातुर्य के बल पर निभा ले जायेंगे, मगर यदि इसी युग को इसी प्रकार आप छोड़ जायेंगे तो उसके लिये आगे आने वाली संतान आपको माफ करने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया समाप्त करें, समय नहीं है। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

ऐसे युग से छुटकारा कैसे होगा, कब होगा इसके लिए मैं श्याम लाल बाजपेयी को राय देना चाहता हूँ कि अब आपकी नजर थोड़ा और आगे जाए, केवल नौकरशाहों तक न जाए।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

हम तो केवल देहलवी साहब की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर लेंगे, यह चाहे जहां ले जायं।

श्री मोती लाल देहलवी—

नौकरशाही का आज जो रवैय्या है, वह राजनीतिक लोगों के चरित्र का कुफल है। इसमें केवल नौकरशाही का दोष नहीं है और इसलिए नहीं कि बाजपेई जी आप जानते हैं कि आज किसी थानेदार के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही होने वाली होती है तो विधायक और मंत्री लोग उसकी सिफारिश करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह राजनीतिक कुफल है, जो भोगना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है और अगर यही रवैय्या जारी रहा तो ऐसा दुर्दिन देखने को मिल सकता है कि जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तो विधायकों की पिटाई हो रही है, किसी न किसी दिन नौबत यह आएगी कि मंत्रिगण भी पीटे जायेंगे। कैसा समय आ गया है, माननीय शाक्य जी को इस सदन में कसम खानी पड़ी और उन्होंने अपना शपथपूर्वक बयान दिया कि मैंने उस परगनाधिकारी के विरुद्ध, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? मुझे विश्वास है कि शाक्य जी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप जरूर समाप्त कर दें आप पांच मिनट ज्यादा ले चुके हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं मुख्य मंत्री जी की शुद्धता और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन हरिजन उत्थान की जो दुहाई दी जाती है, वह हमारे गले के नीचे कतई नहीं उतरती है। मेरे गले में कम से कम नहीं उतरने वाली है। अभी हम 10/11 हरिजन विधायक माननीय मुख्यमंत्री से उनके कक्ष में 10 फरवरी को मिले थे, रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाने के दरोगा ने एक हरिजन की 8 लाख रुपयों की सम्पत्ति बिना उसे कोई लिस्ट दिये हुए उठा ली। दरोगा उसे उठा ले गया और 6 हजार रुपये की उसकी कलौंजी कुएं में डालकर बर्बाद कर दी। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि यदि यह दोनों बातें गलत हों तो मैं अपने चरित्र का ध्यान रखते हुए एक मिनट में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि इस पर इमीजियेट कार्यवाही होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह दरोगा ज्यों का त्यों उस थाने में वरकरार है। हरिजनों पर कम से कम पचास थानों में इस तरह की कार्यवाहियां हुई हैं, उनका घोर उत्पीड़न हुआ है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। मैं आखिर में आपसे एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आप उन हरिजनों की बात न करें, जो मेरे जैसे हो गये हैं। आप उस हरिजन की भी बात करें, जो सड़क पर बैठकर पालिश करके मुसीबत से रोटी खाता है। यह तभी होगा जब आम हरिजन खेत का मालिक होगा, जो अपने हाथ से हल चलाएगा वही खेत का मालिक होगा। मान्यवर, हरिजन उत्थान उसी दिन होगा।

श्री श्याम लाल बापेजयी—

इनके मुंह से तो यह लोहिया साहब की आत्मा बोल रही है, लेकिन चौधरी साहब की बात का भी यह ध्यान रख लिया करें।

***श्री अम्बिका सिंह—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1983-84 का हमारी सरकार ने जो बजट रखा, उस पर चर्चा का आपने अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। सबसे प्रथम इस सामान्य चर्चा के ऊपर हमारे देहलवी साहब जो हमसे पूर्व में विपक्ष से बोल रहे थे, उन्होंने बजट के ऊपर चर्चा न करके प्रदेश में कमियां क्या हैं, उन्होंने उसके बारे में गाथा गाया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद से इस सरकार ने या जो भी हमारे सामने सत्ता पक्ष या कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, उन्होंने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कि सबसे बड़ी चीज कांग्रेस पार्टी ने यह किया कि आपको आजादी दी, जिसके माध्यम से आप सारी बातें सदन के सामने रख रहे हैं। पिछले तीस साल में जितनी प्राप्ति हुई है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब कांग्रेस शासन की ही देन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट पर आना चाहता हूँ। 1983-84 का बजट जो यह लोकप्रिय सरकार ने प्रस्तुत किया है, एक भी कर प्रदेश के किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर नहीं लगाया है। यह बजट जो है गरीब जनता, किसानों की आकाँक्षाओं का प्रतीक है। जो समाज का सबसे गिरा तबका है हरिजन, उन्हीं के ऊपर आप देखें कि जो उत्पीड़न की कार्यवाही उनके खिलाफ होती थी सरकार ने उनकी देय धनराशि 1 हजार रुपये और 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपया तक उनको अब दिया जायगा। अगर उनकी हत्या की जायगी या उनका अंग भंग किया जायगा, तो उन्हें 10 हजार रु० दिया जायगा। कक्षा 9 और 10 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं. उनको अधिक छात्रवृत्ति सारे छात्रों को दी जायगी। पिछले सालों तक यह था कि कुछ परसेंट छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती थी, जो हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हें निश्चित रूप से छात्रवृत्ति अब दी जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो निर्बल वर्ग आवास के नाम से आवास की योजनाएं चल रही हैं, 2 हजार रु० और 3 हजार रु० जो उनके आवास के लिए दिया जाता है, वह कम है, हमारी सरकार से मांग है कि हरिजनों के मकान मैदानी इलाकों में जो बन रहे हैं, उसमें 5 हजार रु० रखा जाय ताकि उनके 3-4 व्यक्ति परिवार के रह सकें। जो मकान अब तैयार हुए हैं, उससे ऐसे कोई मकान नहीं बन रहे हैं, जिसमें कि वह रह सकें। सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के और इण्टरमीडिएट कालेज तक के अध्यापकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दो आयोगों का निर्माण किया है और वह एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। जहां तक रहा सिंचाई का सवाल, हमारी सरकार ने 19 लघु सिंचाई योजनाओं को और 27 वृहद सिंचाई योजनाओं को लागू किया है और उन्हीं के तहत बस्ती, गोरखपुर, बहराइच जिलों में 299 करोड़ की लागत से जो सरयू नहर परियोजना चालू की गयी है, अगर वह पूरी हो गयी, तो ये सारे जिले लाभान्वित होंगे।

सिंचाई की भरपूर व्यवस्था लघु सिंचाई और राजकीय नलकूपों और नहरों के माध्यम से की गई है। वहां पर हम सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने सिंचाई के बजट में, जिसमें बाढ़ कार्य भी देखा जाता है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में बाढ़ का भयंकर प्रकोप होता है और वे जिले तबाह हो जाते हैं और दैवी आपदा से निपटने के लिए लाखों रुपया हर साल बरबाद होता है। हमारी सरकार ने लाखों रुपये राहत कार्यों में पहुँचाये हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि घाघरा नदी के कटान से हर साल बड़ी क्षति होती है। घाघरा नदी से कटान जो होता है उसको रोकने की व्यवस्था की जाय। बहुत से घर हर साल गिर जाते हैं। 200, 400 रुपयों से काम नहीं चल सकता है तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिनके घर गिर जांय आप उनको 5 हजार 10 हजार रुपये की सहायता दें ताकि वह अपने घर बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और मान्यवर, आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम धनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझको सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैंने बजट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा, मैंने इस बजट से जानना चाहा कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार गरीबों और हरिजनों के लिए क्या करने जा रही है। मान्यवर, बजट से शासन की नीति और नियत की दिशा मालुम होती है। मुझे इस बजट से ऐसी कोई दिशा नहीं मालुम पड़ी जिससे पता चल सके कि गरीबों, हरिजनों, बेरोजगार छात्रों के लिए कुछ किया गया है। पिछली सरकार की बात आयी, मान्यवर, इतिहास साक्षी है कि जब कांग्रेस सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिये थे, तो जनता पार्टी की सरकार जब आयी तो बढ़ी हुयी खाद के दाम को कम किया।

102 रुपये खाद, यूरिया का जो दाम था उसको 75 रुपये 52 रुपये कर दिया। लेकिन कांग्रेस की जब हुकूमत आयी तो हमने देखा कि खाद के दाम पुनः बढ़ गये। खाद के दाम ही नहीं बढ़े, बल्कि जब बाढ़ और सूखा था तो बिजली के रेट भी बढ़े। ऐसी स्थिति में यह जो

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री राम धनी]—

श्रीमती इंदिरा गांधी की दुहाई देते हैं कि किसानों की सरकार है, हरिजनों और गरीबों की सरकार है लेकिन ऐसा लगता है कि यह पूँजीपतियों की सरकार है, गरीबों और किसानों की सरकार नहीं है। अगर गरीबों और किसानों की सरकार सही मायने में होती तो किसानों की मदद करती। चौधरी चरण सिंह की सरकार गरीबों और किसानों की सरकार थी कांग्रेस सरकार नहीं है। इस बजट में प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत सफाई दी है लेकिन यह प्रशासन लुंज पुंज हो गया है, विवश हो गया है। इस शासन में इतनी अव्यवस्था है जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ जनपद गाजीपुर में सैदपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल होते हैं। गाजीपुर जिले में लगभग पचासों इंकाउन्टर किये गये।

सैदपुर क्षेत्र में 8–9 महीनों में बहुत से कत्ल हुए हैं। बी० बी० सी० लंदन के रेडियो ने ब्राडकास्ट किया है कि जनपद गाजीपुर चंबल होने जा रहा है सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। इनकाउन्टर बढ़ रहे हैं दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में 2 राजनीतिक हत्यायें हुयीं। जहाँ पर थाना और तहसील मुख्यालय है वहाँ पर 6 बजे के करीब 2, 2 बम कांड किये गये लेकिन आज भी सरकार, 2, 3 महीने हो गये हैं अभियुक्तों का पता नहीं लगा सकी है। वहाँ एस० पी० यह कहते रहे कि बम उस व्यक्ति की पाकेट में था। मैं जानना चाहता हूँ शासन से, मुख्य मंत्री से, कि वह व्यक्ति मारा गया, उसके पाकेट में कागज था। और कागज पर कोई असर नहीं आया। जैसा कि एस० पी० ने कहा बम उस व्यक्ति की पाकेट में था। दूसरी तरफ शासन के जो पौलीटिकल आदमी थे, जो कांग्रेसी थे, लोकदल के थे, लगभग 10-15 लोगों की कुर्कियां की गयीं उनको लखेदा गया, उन पर गलत मुकदमे कायम किये गये। उनको 120 बी० में फंसाया गया, जब कि नामजद कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसके दो चार दिन बाद एक दूसरी घटना हुई सैदपुर में ही। श्यामलाल जायसवाल जी 15-20 दिन पहले काँग्रेस वरिष्ट कार्यकर्त्ता थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सैदपुर और जनपद गाजीपुर में पूर्वांचल के जो मन्त्रीगण गए हुए हैं उनके यहाँ दावत खाये होंगे।

अभी महीना पर पहले दो कांग्रेसी माननीय श्री काशीनाथ मिश्रा और सहकारिता राज्य मन्त्री बच्चा पाठक उनके यहाँ दावत खाये थे। लेकिन जब 18 दिसम्बर को महती सभा में चौधरी साहब के सामने श्यामलाल जायसवाल लोकदल ज्वाइन किये, उसके ठीक बीस दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तार होने के बाद बड़ी शर्मनाक घटना हुई। उनको चारों तरफ घुमाया गया। क्षेत्रीय विधायक माननीय रामकरन जी ने टेलीग्राम करवाया, थाने पर गये, एस० पी० के वहाँ गये, जब जाकर उनकी जान बची। उनकी बसें चलती हैं, वे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आज तक उनके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है। जबकि बस उन्होंने कभी स्वतः नहीं चलायी, ट्रक नहीं चलायी, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि बिना लाइसेंस के ड्राइवरी कर रहे थे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? वहाँ के ब्लाक प्रमुख रामधारी यादव लोकदल सक्रिय कार्यकर्ता, कार्यकरिणी के सदस्य राममूर्ति यादव को गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है यह शासन की कुव्यवस्था है।

मान्यवर, हरिजनों की बड़ी दुहाई दी गयी। अभी भाई साहब बता रहे थे कि हरिजनों के लिए मकान की व्यवस्था है, उनके लिये दुकानें बनवायी जा रही हैं इस संबंध में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरिजनों के व्यापार करने के लिये दुकानें नहीं बनायी जा रही हैं, बल्कि यह शासन हरिजनों का खुद ही व्यापार कर रहा है। बहुत दिनों तक यह हकूमत हरिजनों के नाम पर की जा रही है और आज तरह-तरह के प्रलोभनों, तरह-तरह की लालचों में हरिजनों को फंसाया जा रहा है। जहाँ तक जानवरों के क्रय का प्रश्न है, गायें खरीदी जा रही हैं, भैंस खरीदी जा रही हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है,

घर घर में जाकर देखा है कि जो छूट मिलती है वह सब अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चली जाती है। अगर पांच सौ, एक हजार छूट है तो वह ग्रामसेवक की पाकेट में, बी० डी० ओ० की पाकेट में अथवा डाक्टर की पाकेट में जाती है। जितने भी अधिकारी हैं उनके पेट में चली जाती है। ऐसी स्थति में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बजट में जो प्राविधान है हरिजनों कीमदद का, वह हरिजनों की मदद के लिये नहीं, वल्कि यह जिले के छोटे और वड़े अधिकारियों के पालन करने के लिए हैं जिससे जिले के बड़े अधिकारी मोटे होते हैं, हरिजन बेचारा कुछ नहीं पाता।

हरिजनों को केवल कर्ज ही मिल पाता है। दूसरी घटना मैं कहना चाहता हूँ खाद की व्यवस्था के वाबत। जनपद गाजीपुर में फर्जी खाद बेची गयी है। यूरिया के नाम पर राखी और मिट्टी मिलाकर के बेची गयी है। कृषि अधिकारी ने, जिले के जिलाधीश अथवा दूसरे अधिकारियों ने मिलकर खाद बिकवाया है। फर्जी खाद को वेचते हुये बनारस विभाग के कुछ अधिकारियों ने कुछ जगहों पर छापा मारा है और लोगों को पकड़ा है। लेकिन जिसको पकड़ा गया उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात आती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान केवल धोखा है इसमें हरिजनों को कुछ मिलने वाला नहीं है यह केवल धोखा ही धोखा है। मेरा सुझाव है कि अगर उस हरिजन का कुछ इन्तजाम करना है उससे विजनेस करवाना है तो सरकार पैसे स्वयं दे। वह स्वयं दुकान बनवाये और बिजनेस करें। किसी सरकारी अफसर के हाथ में अगर लोन या ऋण देने का कार्य रहेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है।

मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ जितनी भी हैंडपाइप लगाई गयी उनमें गाँवों में बैल बांधने का काम होता है वह सब बेकार पड़े हैं। यही हालत पानी की टंकी की है। वहाँ पर सड़ी पाइपें नालियों में घुसेड़ी गयी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारी व्यवस्थाओं में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना आवश्यक है। जनप्रतिनिधि के सहयोग के विना हरिजनों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सब पैसा बर्बाद हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बजट किसान विरोधी है नौजवान और छात्र विरोधी है तथा वे बेरोजगार विरोधी है।

***श्री प्रवीन कुमार शर्मा—**

मान्यवर आपने सामान्य चर्चा में भाग लेने का समय दिया····

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। आप बैठें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं। पहली सूचना श्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की झांसी स्थति राजकीय पालेटेकनिक के वर्कशाप पर हथियार बनाने का कारखाना पकड़े जाने के संबंध में है, दूसरी श्री हरिवन्श सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह भी उसी से सम्बन्धित है, तीसरी सूचना श्री कुँवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह की भन्डारी, की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रासायनिक खादों में मिलावट के सम्बन्ध में है, चौथी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]—

सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की हमीरपुर जनपद में महोबा नगर को जिला बनाने के सम्बन्ध में है, पाँचवीं सूचना श्री मोती लाल देहलवी की जनपद इलाहाबाद के पुलिस कर्मचारियों में हरिजन सवर्ण की भेदभाव भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रियासत हुसैन और श्री नन्द किशोर सिंह की शहर बदायूँ में मंजू नाम की महिला को जहर देकर मार डालने के सम्बन्ध में है। मैंने वक्तव्य के लिये श्री मोती लाल देहलवी का स्वीकार किया है। मोहन सिंह और राजेन्द्र कुमार गुप्त, हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर की शासन को भेज दी गयी है देखभाल करने के लिये और छनबीन करने के लिये, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की भी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है और भेज दी गई है।

श्री मोती लाल देहलवी

वक्तव्य कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष —

नेता सदन समय के लिये संकेत दे दें।

श्री श्रीपति मिश्र —

अगले हफ्ते।

श्री रामस्वरूप वर्मा —

मान्यवर, एक हमारा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आपने 10 तारीख को स्वीकार किया था और कहा था कि 15 तारीख को वक्तव्य होगा लेकिन आज तक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष —

इसको मैं दिखवा लूँगा जैसा आश्वासन दिया था उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ स्थित जवाहर भवन में एक सब इन्सपेक्टर द्वारा रिटायर्ड जज को पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्र) श्री गुलाब सेहरा —

दिनाँक 8-2-83 को श्री एम. एल. अग्रवाल, एडवोकेट, लखनऊ के द्वारा थाना हजरतगंज में दिन के 2 बजे इस आशय की सूचना दी गयी कि वह उस दिन जब 12 बजे के लगभग जवाहर भवन स्थित ट्रिबुनल नं० 1 से 3 की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक आदमी, जिसका नाम बाद में भगवान सहाय सिंह उप निरीक्षक, अभिसूचना विभाग ज्ञात हुआ, ने उन्हें रोका और उनसे श्री पी.एन. सिंह, एडवोकेट के बारे में पूछा। उनके द्वारा यह कहे जाने पर कि उन्हें पी.एन. सिंह, के बारे में यह नहीं मालूम कि वह कहाँ है उस व्यक्ति (भगवान सहाय सिंह) ने उनसे यह कहा" तुम बड़े पागल हो जो वकील होते हुये वकील के बारे में नहीं जानते"। इस बारे में उन्होंने यह उत्तर दिया कि तुम स्वयं ही पागल की तरह बोल रहे हो, जिस पर उस व्यक्ति (उप निरीक्षक, भगवान सहाय सिंह)

ने उन्हें एसाल्ट (एसाल्ट) किया। श्री एम. एल. अग्रवाल के द्वारा दी गयी उक्त सूचना के आधार पर थाना हजरतगंज में मुकदमा अन्तर्गत धारा 352/504 भा. दं. वि, का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी घटना के बारे में श्री भगवान सहाय सिंह उप निरीक्षक, अपराध सूचना मुख्यालय द्वारा यह सूचना दी गयी कि वह दिनांक 8-2-83 को श्री पी. एन. सिंह नाम वकील को 100/, देने गये, जहाँ एक वकील, जिनका नाम श्री एम. एल. अग्रवाल ज्ञात हुआ, मिले। उसने श्री एम. एल. अग्रवाल से श्री पी. एन. सिंह वकील के बारे में पूछा और इसके द्वारा यह कहने पर कि वकील होने के नाते श्री अग्रवाल को श्री पी. एन. सिंह के बैठने का ठिकाना ज्ञात होगा, श्री अग्रवाल नाराज हो गये और उसे पागल कहा। उसने जब इस सम्बन्ध में श्री अग्रबाल से यह कहा कि पागल नहीं वह पुलिस का सब इसपेक्टर है तो इसी पर बात बढ़ गयी और श्री अग्रवाल ने उसके चांटा मारा और देखते देखते वहाँ पर श्री ए. पी. सिंह वकील और उनके 6-7 अन्य साथी मौके पर आ गये और उसे जबरदस्ती बार के रूम में बैठा दिया। जब घटना स्थल पर डी. एम. सिटी व पुलिस अधीक्षक (नगर) सी. ओ. एवं इन्सपेक्टर हजरतगंज पहुँचे तो उन्होंने ढाई बजे के लगभग उसे छोड़ा। इस सूचना पर थाना हजरतगंज पर मु. अ. सं. 169 अन्तर्गत 147/342-323/504 भा. दं. वि. का पंजीकृत किया गया। श्री भगवान सहाय सिंह की डाक्टरी रिपोर्ट में उन्हें 3 चोटें पायी गयी।

श्री एम० एल० अग्रवाल के द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में मुकदमा धारा 332/323/504/506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिये। इस पर श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा पूर्व पंजीकृत कराये गये अपराध अन्तर्गत धारा 352/504 भा. दं. वि. के क्रम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में धारा 332/323/504 भा. दं. वि. के अन्तर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया। इन अभियोगों की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सिंह को निलम्बित कर दिया गया है।

नोटिस में दिये गये दूसरे मामले में श्री आर० पी० श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक-7-1-83 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने कानि० नरेन्द्र कुमार व निरीक्षक श्री जंग बहादुर सिंह के विरुद्ध श्री ए० पी० सिंह नामक वकील से दुव्यर्वहार करने व वकीलों से अपशब्द कहने के आरोप लगाये थे। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि आजमगढ़ की घटना के क्रम में लखनऊ में भी वकीलों के द्वारा दिनांक 5-2-83 से हड़ताल की जा रही थी। यह हड़ताल समाप्त हो चुकी है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एस० आई० के वहाँ जाने का कारण दिखाया गया है कि 100/, रुपये देने के लिये वहां वह किसी वकील के पास गये थे, तो क्या उनके वहां जाने हेतु रवानगी आदि किसी रोजनामचे आदि में दिखायी गयी।

श्री गुलाब सेहरा—

वह सी० आई० डी० में हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न यह नहीं है कि वह कहाँ हैं। सी० आई० डी० में हैं या इन्टेलीजेन्स में हैं। मेरा बेसिक प्रश्न यह है कि जो केवल 100/, देने किसी वकील साहब के पास गये थे तो दिखाया यह गया कि आनडयूटी गये थे, और आन-ड्युटी लिखा गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आन-ड्यूटी का कारण दिया गया है तो वह किस बात के रुपये देने जा रहे थे और क्या उनकी रवानगी कहीं दर्ज की गई है कि मैं इस आफिशियल ड्यूटी के लिये जा रहा हूँ ?

श्री गुलाब सेहरा —

जो एफ० आई० आर० लिखायी गयी है मैंने उसी के सन्दर्भ में यह पढ़ा है। वह मुख्यालय पर हैं वहाँ इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन –

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था ...

(श्री हुकमसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

***श्री हुकम सिंह—**

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूँ कि आपने जो बयान दिया है उसमें आखिरी पैरा में है कि श्री एम० एल० अग्रवाल के द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया कि इस सम्बन्ध में मुकदमा धारा 332।323 504।506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिये। मान्यवर, यह मुकदमा श्री एम. एल. अग्रवाल की प्रार्थना पर इन्सपेक्टर के विरुद्ध दर्ज हुआ है या श्री एम. एल. अग्रवाल के विरुद्ध दर्ज हुआ है। श्री अग्रवाल सरकारी नौकरी पर तो हैं नहीं, वकील हैं, उनके खिलाफ 332 में तो दर्ज नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त श्री रियासत हुसैन जी ने जो सवाल पूछा है उससे मैं अपने को सम्बन्ध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

एक वक्त में एक ही सवाल कीजिये।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, तीन एफ. आई. आर. हैं। एक श्री एम. एल. अग्रवाल ने की। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दी। इस पर 11-2-83 को आदेश कर दिया कि यह मुकदमा एफ. आई. आर. के क्रम में दर्ज किया जाये।

श्री हुकम सिंह—

किसके खिलाफ है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सब इन्सपेक्टर के खिलाफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फखरे आलम—

मा. मंत्री के स्टेटमैंट से यह मालूम होता है कि सब इन्सपेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है। यह किस वजह से हो सकता है, डिपार्टमेंटल ऐक्शन हो या इस लिये कि मुकदमा चल रहा है। यदि डिपार्टमेंटल ऐक्शन में निलम्बित किया गया है तो यह बताया जाय कि उस पर चार्ज लगाये गये, चार्जशीट दी गयी ? यदि दी गयी तो क्या चार्ज लगाये गये ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मुकदमा कायम हो गया तो सस्पेंड कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मा० मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दरोगा सस्पेंड किया गया। यह इन्सपेक्टर रैंक का था। मुकदमा कायम होता है। इन्वेस्टीगेशन किसको दिया गया, उनके नाम पते क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जहाँ मुकदमा कायम किया गया, विवेचना भी वहीं के सब इन्सपेक्टर कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह जानना चाहा था। हमारे नियमों की व्यवस्था है, आप भी जानते हैं, कोई भी उत्तर कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिये। मैंने यह चाहा था कि संदर्भित इन्सपेक्टर निलम्बित किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। आई० ओ० कौन है, नाम और पता क्या हैं मेरी जानकारी के अन्तर्गत इन्सपेक्टर से बड़े अधिकारी को होना चाहिये। कल्पना पर आधारित उत्तर दिया है, स्पष्ट उत्तर दिला दें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं मा० सदस्यों को बता दूँ। यह मुख्यालय के सब इन्सपेक्टर हैं, उस थाने के नहीं। पहले दिन जहाँ एफ. आई. आर. दर्ज हुई, वहीं विवेचना चल रही है।

श्री संतबक्श रावत—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो सूचना है कि श्री आर. पी. श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 7-1-83 को पुलिस महानिरीक्षक को सम्बधिन्त एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच हो रही है। जाँच कौन कर रहे हैं और वह कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् दूसरा वाला मामला पूँछ रहे हैं, ए. पी. श्रीवास्तव वाला।

श्री संतबक्श रावत—

फिर दोहरा देता हूँ, मान्यवर ।

नोटिस में दिया गया है दूसरे मामले में कि श्री आर० पी० श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 7-1-83 को पुलिस महानिरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने के लिये आरोप लगाये, सूचना है कि जांच कराई जा रही है । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जांच कौन कर रहा है और इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् प्रार्थना-पत्र डी. जी. को दिया था । डी. जी. उसकी जांच एस. पी., लखनऊ के द्वारा करा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि जो अभी हमारे श्री हुकम सिंह जी ने कहा उसी संदर्भ में, श्री अग्रवाल, एडवोकेट को जो एफ० आई० आर० थी और फिर चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन देकर मुकदमा रजिस्टर करने की बात कही गई है, उसमें दफा 352 लिखा हैं । मान्यवर, 332 मैं तो सरकारी काम में डिस्टरबेन्स है जबकि श्री अग्रवाल सरकारी आदमी नहीं है तो फिर यह दफा कैसे लगा दी गई ?

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मान्यवर, एक प्रार्थना-पत्र चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया कि इस दफा में × एक अपराध हुआ है तो चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी की इस दफा में रजिस्टर कर दीजिये । इनवेस्टिगेशन के बाद जो दफा लागू नहीं होगी उसे निकाल दिया जायेगा । अदालत के आदेशों की तो अवहेलना नहीं की जा सकती ।

श्री रियासत हुसैन –

श्रीमन्, एक ही तारीख में दो घटनायें हुई, तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री एम०एल० अग्रवाल साहब की रिपोर्ट का टाइम और आपके इन्सपेक्टर साहब की रिपोर्ट का टाइम क्योंकि ये दोनों एक ही थाने, हजरत गंज में दर्ज थीं, क्या था ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् अग्रवाल साहब की एफ०आई०आर० का समय 14 बजे है और इंसपेक्टर का टाइम 15-50 बजे का है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट का आर्डर था कि दफा 332 के अन्दर दर्ज करा दीजिये । और आपने कहा कि हम अदालत के सामने मजबूर हैं । लिहाजा क्या सरकार की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से उस फैसले को रद्द किये जाने की अपील शैसन कोर्ट में हुई है या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, मुकदमा रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर होने के बाद इनवेस्टिगेशन होगा, जो दफा लागू होगी वह रहेगी और जो दफा लागू नहीं होगी वह निकाल दी जायेगी। अपील का कोई प्रश्न नहीं होता है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि सौ रुपये लेकर इंसपेक्टर महोदय जवाहर भवन पहुंचे तो क्या वह अपने निजी कार्य के लिये गये थे या सरकारी कार्य से गये थे।

श्री गुलाब सेहरा—

वह निजी कार्य से गये थे या सरकारी कार्य से गये थे इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

इटावा और मुरादाबाद जनपद में कई व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने तथा श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नही है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप अपना समय इन्हें दे रहे हैं ?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त बैठ गये)

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक फरवरी को माननीय मुख्य मन्त्री के कार्यकाल का पहला बजट अधिवेशन शुरू हुआ जो कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के जीवन के इतिहास का पहला अध्याय था और इसके साथ ही साथ उनके जीवन-इतिहास का एक अन्य पृष्ठ भी तैयार हो रहा था हमारे आगरा जिले से संलग्न व इटावा जिले के जसवन्त नगर थाने के कछपुरा गाँव में जिसमें दुर्दान्त डाकू अपनी रायफलों और एस० एल० आर० की गोलियों से, मासूम बच्चों के खून से, 90 वर्षीय वृद्धा अजस्र बहने वाली आँसुओं की धार से। मान्यवर, यह इतना करुण, मार्मिक और हृदय विदारक दृश्य था कि मानवता का भी हृदय फट जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस काण्ड को देखने गये थे और उनके सामने घर में बची एक मात्र 90 वर्षीय वृद्धा पान कुवरि ने मुख्य मंत्री जी के सामने जो गला फाड़ कर रुदन किया था महोदय, उसे सुनकर धरती और आसमान का भी कलेजा फटा जा रहा था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो देखने में अत्यधिक कोमल और सहृदय दिखाई पड़ते हैं इस हृदय विदारक घटना को देख कर भी न तो उनकी आँखों से आँसू की एक बूंद दिखाई दी और न उनका उदार हृदय कहीं से पसीजा। यही नहीं उन्होंने इटावा आकर जो

[श्री बिजय सिंह राना]—

बयान दिया उसने तो घटना की गम्भीरता को ही निचोड़ कर रख दिया। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा घटना आपसी रंजिश का मामला है। यह नितान्त झूठी और मनगढ़त बात है कि कछपुरा की घटना किसी आपसी दुश्मनी और रंजिश के कारण घटी है। मान्यवर, वास्तविकता इसके बिल्कुल भिन्न है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने एक बात और कही कि राजबीर सिंह का इतिहास भी अपराधिक रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह दो बातें जो उन्होंने कही हैं उनका आधार क्या है, उनकी सच्चाई क्या है।

श्री धर्मपाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) माननीय सदस्य शायद सदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं रखते है, इसलिए असंसदीय शब्द "झूठ" का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर झूठ शब्द इनके द्वारा बोला गया होगा तो उसे कार्यवाही देखकर निकाल दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कछपुरा में श्री राजबीर सिंह के यहां जो काण्ड हुआ है वह किसी दुश्मनी या रंजिश की बिना पर नहीं केवल एक मुखबिर की व्यक्तिगत रंजिश पर घटित हुई है। महोदय, नगला सलादी का राम प्रसाद पंडित जसवन्त नगर थाने के दरोगा नारायण दुबे का मुखबिर है और दुबे के माध्यम से ही वह एस० एस० पी० रतूडी का मुखबिर बनकर पुलिस का एकदम विश्वासपात्र बना। इस राम प्रसाद से बी० एस० डी० कालेज में राजबीर से मारपीट और झगड़ा हुआ था। उसी पर इन दोनों में दुश्मनी और रंजिश बनी और इसी दुश्मनी में इसी राम प्रसाद ने उक्त राजबीर को झूठे अपराधों में झूठा फँसाकर राजबीर के इतिहास को अपराधी बनाया और इसी राम प्रसाद ने राजबीर के लिए झूठी बातें प्रचारित कर तथ्यों को बदल कर रखा। राम प्रसाद ने जो उमेशा और राजबीर के बीच में दुश्मनी लिखाई है उसका विवरण यह है कि 14 जून, 82 को नगला सलादी के पंडित नेत्रपाल के तीन लड़कों की हत्या हुई जिसके लिए राम प्रसाद कहता है कि राजबीर ने कराई। जबकि सच्चाई यह है कि इस 14 जून को राजबीर नगला विष्णु से तिलक सिंह के लड़के की बरात में फफँद (इटावा) स्टेशन के पास डिवियापुर गया था। जिसमें पंडित नेत्रपाल राजबीर के साथ रहे और राजबीर सिंह की रायफल श्री नेत्रपाल के पास ही रही (व्यवधान) अतः यह बात गलत है। दूसरी एक बात और कही जा रही है कि मदान की खटीक की पकड़ पर जो फिरौती ली गई थी उस पर उमेशा और राजबीर के बीच झगड़ा था। पर घटना के बाद दो घटनायें घटी। पहली जब 16 अगस्त, 1983 को राजबीर को डकैतों को संरक्षण देने के अपराध में धारा 216/ए०8 में गिरफ्तार किया था तब राजबीर पर बलवीरा और विनोदा गैंग को संरक्षण देने का आरोप था। ठीक है उमेशा से दुश्मनी रही पर जब 3 जनवरी, 1982 को उमेशा व नरेन्द्र पकड़े गये तब उस अपराध में राजबीर भी सह अपराधी था तो उमेशा और राजबीर पुलिस की एक लिस्ट में दुश्मन है और दूसरी में साथी, बतायें कौन सी बात सही है। यही नहीं राजबीर को बी० एस० डी० कालेज के प्रधानाचार्य श्री यदुनाथ सिंह तोमर का खास आदमी बताया जाता है और है भी। पर यदुनाथ सिंह को स्वयं धारा 216 में इसी उमेशा को संरक्षण देने में गिरफ्तार किया था। यह सब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। यह नेक्शा गिरोह हमारे आगरा जिले का है। हमारे यहाँ एक राजनीति पनप रही है कि वाह क्षेत्र में ब्राह्मण-ठाकुरों के वोट बराबर-बराबर हैं। वर्तमान विधायक महाराजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह वहाँ के विधायक हैं और सन् 1957 से बराबर वह विधायक स्वयं या कभी उनका एक हरिजन विधायक बनते रहे हैं। इनके विरुद्ध हर चुनाव में ब्राह्मण-ठाकुरों का सवाल पैदा किया गया पर हमेशा ब्राह्मणों का 60 प्रतिशत मत महाराजा साहब को मिला। इस पर ब्राह्मणों को एक जगह इकट्ठा करने के दृष्टिकोण से तथाकथित कांग्रेसी नेता श्री सेवाराम शर्मा व ओमप्रकाश दुबे के संरक्षण में ब्राह्मण-ठाकुरों की लड़ाई पैदा करने के लिये नेक्शा गिरोह तैयार किया गया उसे चन्दा करके हथियार दिये गये और उसे हर प्रकार का पुलिस का, राजनीति का संरक्षण दिया। तब नेक्शा गिरोह द्वारा बाह क्षेत्र में ठाकुरों की हत्या का सिलसिला प्रारम्भ किया गया उसमें वह ब्राह्मण भी मारे गये या पकड़े गये जो महाराजा साहब के आदमी थे।

मान्यवर, मैं उन सभी हत्याओं और अपहरण के मामलों को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। दिनांक 24-4-81 की पारना में इसी नेक्शा गिरोह द्वारा 5 ठाकुरों को गोली मारी गयी जिसमें से 3 मर गये और पुत्तन सिंह व एक अन्य बच गये। 24-4-82 को ही गढ़वाल गांव में 6 ठाकुर मारे गये 3 घरों में आग लगायी गयी और सत्रह खलिहान जलाये गये। 1 फरवरी, 82 को गढ़वाल गाँव में ही जयश्री जोशी को मारा गया और इसी गाँव के एक अध्यापक श्री रामसेवक का अपहरण हुआ। यहीं से 28-1-81 को श्री चन्दन सिंह की पकड़ की गयी जो आज तक लौटकर नहीं आये। सम्भवत: मारे गये। इसी दिन गुरु बख्श सिंह के लड़के की पकड़ हुई। लेकिन अभी तक पता नहीं है। जब रिपोर्ट लिखाने गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी 1-3-82 को नांगवा में एक आदमी और एक औरत मारे गये व एक घायल हुआ। पुलिस गार्ड यहाँ मौजूद था किन्तु डकैतों के सामने जाना तो दूर बाद में मरे हुए लोगों के पास भी नहीं गया। और एक आदमी की लाश को कुत्ते खा गये। जून, 82 में पारना में एक सिपाही मारा गया तो उसके पास नेक्सा गिरोह के दूरबीन और एक डायरी रह गयी थी। उस डायरी में बहुत-सी बातें थीं। उसमें वह सब हिसाब किताब भी लिखा था जिसके इस गिरोह को हथियार खरीदवाये थे। कहां-कहां हैं और किस-किस आदमी को चन्दा मिला इसका पूरा विवरण था। मान्यवर, इस प्रसंग में, मैं यह भी बता दूँ कि इस गैंग को राजा भदावर व लोकदल के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को मरवाने के लिये चन्दे के द्वारा पैसा दिया गया था। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि वह इस डायरी का पता लगायें कि अब वह कहां है और किसके पास है ? और उसकी लिखी बातों के आधार पर लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें। दिसम्बर, 82 में पं० इन्द्रजीत पाठक का अपहरण हुआ था। वह 43 दिन तक जसवन्त नगर थाने के लखनपुरा गाँव में रखे गये थे। छूटकर आने के बाद उन्होंने यह बात जनता और पुलिस के सामने स्पष्ट कर दी थी। आप बतायें अपहृत व्यक्ति 43 दिन तक एक ही गाँव में रहे और पुलिस को मालूम भी न हो मान्यवर यह सम्भव नहीं हो सकता।

अत: यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय, एस० एस० ओ० इटावा, श्री रतूड़ी का इस गिरोह को खुला संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद 26-1-83 को सूरज नगर में दो व्यक्तियों की हत्या हुई उमरेठा में दो जाटव मारे गये और सन 82 में एक नाई मारा गया। 26-1-82 को बाउथ गांव से श्री अमर सिंह का अपहरण हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहता हूँ कि यदि पुलिस चाहती तो यह कछपुरा की दर्दनाक घटना नहीं होती। क्योंकि पुलिस को इसकी पूरी सूचना थी। बी० एस० टी० कालेज के प्रधानाचार्य श्री यदुनाथ सिंह तौमर ने 24-1-83 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर पुलिस

को सूचित कर दिया था कि नेकसा गिरोह पुलिस के संरक्षण में सक्रिय है यदि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी तो श्री राजवीर सिंह का पूरा परिवार मारा जायेगा। पर मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही नहीं मान्यवर, जब राजवीर सिंह के पूरे परिवार को गोलियों से भूना जा रहा था तो डेढ़ दो किलोमीटर दूर नाला सलादी गांव में पी० ए० सी० पड़ी थी। पर मौके पर नहीं गयी। दो आदमी जसवन्तनगर थाने को भी सूचित कर आये थे पर कोई नहीं आया। सुबह 3 बजे नाला सलादी से पी०ए०सी० और 5 बजे जसवन्तनगर थाने की पुलिस आयी। यही नहीं इस घटना मे दो घण्टे पहले तथा शाम को 7-30 बजे यही गैंग पारना गांव म था और वहां के दीवान साहब के लोगों से मोर्चाबन्दी हुई थी। बाह व जैतपुर की पुलिस वहाँ पहुँच गयी थी इटावा की पुलिस को इसकी सूचना न हो ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। पर उसने जानबूझकर बचाने का प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, एस० एस० पी० रतूड़ी का इस नेकसा गिरोह को खुला संरक्षण मिला हुआ है इसकी भी सूचना समय-समय पर शासन को दी गयी है। 4 अक्टूबर, 1982 को श्री महाराज सिंह यादव व श्री गया प्रसाद वर्मा जो इटावा लोक दल के पदाधिकारी हैं ने आगरा में एडीशनल आई० जी० श्री तुषार दत्त को इस सम्बन्ध में सभी सूचनायें दे दी थी। मैं स्वयं साथ गया था। इसके बाद नवम्बर, 4, 1982 को श्री मुलायम सिंह यादव ने बिजलेंस सचिव को पत्र लिखा और मुख्य रूप मे शिकायत थी। 18 जनवरी, 83 को श्री यदुनाथ सिंह ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि नेकसा गिरोह आस-पास नगला तोर, नगला सलहदी व बहुधा गाँवों में रहता है और एस० एस० पी० रतूड़ी का उसे खुले में संरक्षण प्राप्त है। इसी के बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में सारी बातें एस० एस० पी० रतूड़ी को भी पत्र लिखकर बताई थीं। 28 जनवरी, 83 को एडीशनल एस० पी० आगरा ने वायरलेस पर एस० एस० पी० इटावा को बताया था कि नेकसा गिरोह आपके क्षेत्र में सक्रिय है, आप देखें और इलाज करें पर कोई इलाज नहीं किया गया। अब इस कछपुरा गांव की घटना के बाद भी लोकदल के राष्ट्रीय मन्त्री श्री सत्यपाल मलिक व संसद सदस्य कछपुरा गांव गये थे। तो क्षेत्र में खबर हो गयी और यह भी पता लगा कि इन लोगों के साथ महाराजा भदावर जी आ रहे हैं तो इसी नेकसे गिरोह के 17 आदमी हथियारों से सुसज्जित होकर वहां पहुँच गये। यह लोग पाँच मिनट पहले लौट आये अन्यथा सबके सब मारे जाते। अब इस घटना के बाद भी यहां यह गिरोह खुले में घूम रहा है ? इसकी सूचना वहां से अखबारों में भी प्रकाशित हुआ किन्तु क्या कुछ हुआ कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री विजय सिंह राना -

मैं बस समाप्त ही कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल यह आता है कि इतना बड़ा काण्ड हो गया जिसमें कितने ही मासूम बच्चों की जानें गयीं। कितने ही लोग मारे गये और वह भी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर। जब इस प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण के नाम पर गिरोह बने हैं और जाति आधार पर उन्हें बड़े राजनीतिक लोग संरक्षण देंगे तो इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो सकेगी। मान्यवर, यह प्रदेश की जनता के लिये एक चिन्तनीय विषय बन गया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से केवल इतना चाहता हूँ कि जातीयता के आधार पर होने वाली खून-खराबी रोक ली जाय। आप प्रयास करें कि जातीयता के आधार पर इस प्रकार के गिरोह पैदा न हों नहीं तो यह प्रदेश मिट जायेगा। जाति के आधार पर जो गिरोह पैदा हो रहे हैं उन्हें तुरन्त समाप्त किया जाय और आम

जनता की सुरक्षा की जाय। जो वास्तविक तथ्य हैं शासन को चाहिए कि उन पर गहराई से विचार करें और प्रभावी निर्णय लें। इस पर न तो किसी का प्रभाव माना जाना चाहिए और न किसी के सामने दबने झुकने का सवाल है। आप चाहे तो जनता से भी जांच कर लें। जनता में सभी बातें साफ-साफ जाहिर हैं उससे कोई बात छिपी नहीं है। बाह और जसवन्तनगर के कोने से यह सब बातें मालूम हो जायेंगी। मान्यवर, अभी पता चला है कि उमेश मिश्रा को सिलण्डर किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। लोगों को साफ जाहिर हो जायेगा कि मुख्य मंत्री ब्राह्मण हैं इसलिये ब्राह्मण को बचा रहे हैं। और पुलिस के हाथ न देकर उसे सुरक्षित कर देना चाहते हैं। अतः मैं चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में यह समर्पण नहीं होना चाहिये। इसका पूरा दायित्व माननीय मुख्य मन्त्री पर है। और सम्पूर्ण शासन पर है।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा का विषय मैंने अपने विवेक से दस मिनट के लिये बढ़ा दिया था। अगर प्रस्ताव आयेगा तब फिर समय बढ़ाया जा सकेगा। अन्यथा दस मिनट में इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, हमें दो-तीन बातें और कहना था कि राजवीर सिंह का परिवार अपराधी प्रवृत्ति का बिल्कुल नहीं है उसके खिलाफ कहीं कोई अपराध किसी धारा में दर्ज नहीं है। पुलिस उसे झूठा अपराधी साबित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो जांच हो रही है। उसमें एक एस० एस० पी० सीधा संलग्न है। अतः यह जांच एस० एस० पी० रेंज से ऊपर का अधिकारी करें तीसरे एस० एस० पी० रतूड़ी का वहां से स्थानान्तरण किया जाय उसके रहते जांच सम्भव नहीं है। और अन्तिम बात यह है कि राजवीर सिंह की रायफल जो जमा है वह वापस दिलायी जाय।

श्रीमती महारानी दोहरे—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। आज इस सदन में इटावा में कछपुरा काण्ड पर चर्चा चल रही है, इस सम्बन्ध में मैं खुद महसूस करती हूँ कि आज कछपुरा का जो काण्ड हुआ है यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बड़े जोर शोर से ब्राह्मण और ठाकुर की बात को उठाया और उसकी निन्दा की। यह जो काण्ड हुआ उसमें सामूहिक नर संहार हुआ इससे जनता का दिल कराह उठता है। उसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं है। वास्तविकता तो इसमें है कि क्या इटावा की जनता को इन चीजों से राहत मिलेगी और क्या वहां की पुलिस को कोई दिशा दी जायेगी। यह कोई कछपुरा का ही सवाल नहीं है, बल्कि यह तो प्रदेश भर का सवाल है। मैं हरिजन कोटा से यहां पर चुन कर आयी। मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी गाड़ी इटावा से गुजरती है तो लोग डिब्बे की खिड़कियों को नीचे कर देते हैं और कहते हैं कि इटावा आ गया है तो यह स्थिति है। यह बड़े ही शर्म की बात है।

माननीय सदस्य को किसी जाति विशेष के आधार पर न कहकर मानवता के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए। यह न ब्राह्मण है और न ठाकुर, न हरिजन हैं। मान्यवर 333 जातियां हैं हिन्दुस्तान में, जब मैं इस सदन में बैठी हूँ तो जातीयता के आधार पर किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी गाँव में ठाकुर रहते हैं, किसी गांव में ब्राह्मण रहते

[श्रीमती महारानी दोहरे]—

हैं, किसी गांव में हरिजन रहते हैं। मैं अपने सम्मानित विरोधी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं इटावा जनपद की रहने वाली हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इटावा में जब भी कोई कांड होता है तो वह पार्टीबाजी के आधार पर जोड़ दिया जाता है। सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जाती है। क्या आप इसका जवाब देंगे ? यादवपुर जो कांड हुआ था उसमें 14 लोगों की हत्या की गई थी। ट्रैक्टर में भरकर लोगों को ले जाया गया था और होली की तरह उन्हें जलाया गया था मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें उस पार्टी के किसी सदस्य ने संरक्षण नहीं दिया था ? मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं करना चाहती हूँ किन्तु अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इटावा जनपद के नागरिकों के लिए निवेदन करना चाहती हूँ कि हमको मानवता के आधारपर और जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो हमारा जीने का अधिकार है सुरक्षा का अधिकार है आर्थिक अधिकार है उसे हम यदि व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ों के आधार पर समानता के आधार पर दफना देंगे तो मैं समझती हूँ कि हम अपने ही हाथों अपने संविधान का गला घोंट रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है। और जातीयता के आधार पर बात की जाती है।

मान्यवर, ऊठन के नगला में 5 हरिजनों की हत्या की गई। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जहां आपके नाम पर इस तरह से आरोप लगाकर काला टीका लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं कहना चाहती हूँ कि आप हरिजनों को संरक्षण दें, उनकी सुरक्षा करें और हमें पूरा विश्वास है कि आपके शासनकाल में उनको अवश्य संरक्षण मिलेगा ताकि इटावा जनपद के लोग यह महसूस करें और यह मानने पर मजबूर हो जायं कि हम किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी वर्ग के नहीं, किसी रंग के नहीं हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इन दो-तीन सालों के अन्दर यहां पर कई कांड हुए हैं जो कि उनकी आपसी रंजिशों के कारण हो सकते हैं और यह उनका आधार हो सकता है लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अखबार, कवि लेखक, नेता और अभिनेता ये पांच ऐसे तत्व हैं जो कि समय आने पर समाज को एक नई दिशा देंगे। लेकिन जो छोटे-छोटे अखबार के लोग होते हैं वे किसी समस्या को जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर उसे और उभाड़ने की कोशिश करते हैं। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर लिखते रहते हैं, और आग फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो न तो आप उसे रोक सकेंगे, न हम रोक सकेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी जाति का आदमी बैठा है। (व्यवधान)। मान्यवर, यहाँ पर 8 लोगों की हत्या हो गई, कछपुरा की बात हो रही है और ये मुस्करा रहे हैं। एक तरफ तो आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हत्या न हो और दूसरी तरफ यहां पर इस तरह का ड्रामा करते हैं।

मान्यवर, अगर ऐसा होता रहा तो मैं सोचती हूँ कि हमारे और आपके द्वारा प्रजातंत्र का गला घोटा जायेगा और इस तरह से न कानून रहेगा और न कानून के बनाने वाले रहेंगे। ऐसी भावना रही तो कोई नहीं बच पायेगा। प्रदेश और देश को सही रूप से चलाने के लिए कुछ नीतियां होती हैं, कुछ रीतियाँ होती हैं उनका पालन किया जाता है। जहां तक डकैतों का सवाल है, वह किसी धर्म के नहीं होते, किसी जाति के नहीं होते, किसी वर्ग के नहीं होते और वे अपने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ते। जो डकैतों का इतिहास है वह प्रजेन्ट इतिहास नहीं है। मानसिंह सुल्ताना आदि बड़े-बडे डकैत हुए हैं लेकिन क्या यह कहना सच न होगा कि उन डकैतों का इतिहास देखिये जो उन्होंने काम किये हैं, उनके कार्य अलग हैं, उनकी कहानियां अलग हैं जो सम्मान के साथ पढ़ी जाती हैं लेकिन आज जो बदमाश बन रहे हैं जो हमारे और आपके बीच से आते हैं। जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे और आपके रिश्तेदार नहीं हैं। इस पर आप को चिंतन करना पडेगा अगर इस पर नहीं सोचेंगे तो न

आपका यह उत्तर प्रदेश रहेगा और न आप रहेंगे न हम रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जातिवाद न भड़काइये। कभी यहां पर हिन्दू मुसलमान के नाम पर, कभी सवर्ग और हरिजनों के नाम पर कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर दंगे उभारने की चेष्टा की जाती है। श्रीमान् जी आप लड़ेंगे लेकिन हम कहां जायेंगे कटार तो हमारे ऊपर पड़ेगी। गांव में जब ब्राह्मण और ठाकुर लड़ेगा तो कटार हमारी गरदन पर पड़ेगी। मैं एक शेर कह कर अपनी बात खत्म करूँगी।

कातिल ने मुकर जाने का अच्छा बहाना निकाला है,
और हम ही से पूछता है कि किसने मारा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि हमारे इटावा कांड की सच्चाई सामने आनी चाहिये और वहां की जनता को राहत मिलनी चाहिये। इसमें कड़ाई से जांच कराइये और जो लोग शामिल हैं उनको सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि आगे आने वाली पीड़ी कल को हमसे यह न कहे ये मेरी मां, ऐ मेरे बाप तुमने सदन में क्या किया। क्यों आज का वर्तमान कल का भविष्य है।

श्री अध्यक्ष—

काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसमें 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, हमारा इटावा जनपद इस समय माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और पुलिस अधीक्षक श्री रतूड़ी की सांठ-गांठ से त्राहि-त्राहि कर रहा है। इसी सांठगांठ के कारण एस० पी० श्री रतूड़ी डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं। इस संबंध मे जो बातें राणा जी ने कही उनको नहीं दोहराऊंगा उसके अतिरिक्त कहूँगा और उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। सही न हो तो आप उसका उत्तर दे दें। एक बार पंडित राम प्रकाश और राजवीर सिंह चौहान का खेत में पानी लगाने की बात पर झगड़ा हुआ। और पंडित राम प्रकाश को पुलिस ने संरक्षण दिया जो एस०आई० जसवंतनगर के एच०एन० दूबे हैं उनका राम प्रकाश को संरक्षण मिलता है इस झगड़े में पंडित राम प्रकाश को मुखबिर बना दिया गया और एस०आई० उनकी मुलाकात रतूड़ी से कराते हैं उसके बाद उनका रतूड़ी के साथ आना जाना होता है। पंडित राम प्रकाश ने निकसे गिरोह से सांठगांठ करके कछपुरा में 8 लोगों की हत्या करादी। छबिराम के नाम पर बहुत से लोगों की हत्या कर दी गयी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दफा 216 के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं की। मलखान सिंह के नाम पर ठाकुरों की गिरफ्तारी की, फूलन देवी के नाम पर मल्लाहों की पिटाई की और उनको गिरफ्तार किया। आप एक भी आदमी को बता दें जिसको 216 में गिरफ्तार किया हो। इसी तरह से इटावा में 20-25 आदमियों की हत्या कर दी लेकिन एक भी व्यक्ति को 216 में गिरफ्तार नहीं किया गया। वह इसलिए नहीं किया कि वह ब्राह्मण थे। और एस. एस. पी. भी ब्राह्मण था।

मान्यवर, इतना ही नहीं दो डकैत पकड़े गये नरेन्द्र सिंह और उमेश मिश्रा, दोनों निक्से गिरोह के सदस्य थे। उमेश मिश्रा को 216 धारा में गिरफ्तार किया गया और नरेन्द्र सिंह को मीसा के तहत 5-6 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उमेश मिश्रा छूट गया और निक्से गिरोह से मिलकर यह काम किया। राजबीर सिंह 2 फरवरी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनीराम वर्मा] —

छूटा। राजबीर सिंह डकैत नहीं था। लेकिन मान लेते हैं कि डकैत था, तो मेरा कहना है कि नरेन्द्र सिंह और उमेश दोनों डकैतों को एक ही धारा में मीसा में बंद करना चाहिए था और यदि ऐसा होता तो यह हत्याकांड न होता। जुल्म की पराकाष्ठा हो गयी है कि रात में 9 बजे कांड हो गया लेकिन एस० पी० रतूडी दूसरे दिन दोपहर 12 बजे जसवन्तपुर पहुँचे और फूलकुंवर से जो दुखी थी यह लिखकर उससे अगूंठा लगवा लिया कि इसमें निक्से का हाथ नहीं था बल्कि उमेश मिश्रा का हाथ था। 6 फरवरी को रात में जनता ट्रेन से राजबीर सिंह और उनके साथी मुख्य मंत्री से मिलने के लिये जा रहे थे, जो रिपोर्ट में लिखाया गया है। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि पुलिस के 50 जवान वहां लगे रहे और राजबीर सिंह को जनता गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। श्री राजबीर सिंह के साथ श्री राम प्रताप सिंह चौहान, श्री यदुनाथ सिंह तोमर भी थे तो इनसे पुलिस की जीप में बैठने के लिए कहा गया, लेकिन यह लोग नहीं बैठे। यदि बैठ जाते तो पता नहीं क्या होता।

मान्यवर, 11 फरवरी को शोक सभा जसवन्तनगर कस्बे में आयोजित की गयी। दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार एक गाड़ी पर थे, दूसरी गाड़ी पर श्री राम सिंह शाक्य, एम० पी०, श्री यदुनाथ सिंह तोमर, प्रिंसिपल और श्री राम प्रताप सिंह चौहान आदि व्यक्ति थे जो शोक सभा में जा रहे थे। श्री राजबीर सिंह ने श्री राम सिंह शाक्य से उनके चलते समय कहा कि मेरे परिवार के जिन 8 लोगों की हत्या की गयी है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जसवन्त पुर में सभा हो रही है उसमें जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बैठ जायं तो यह लोग बैठ गये। श्री शाक्य की गाड़ी दो किलोमीटर चली होगी कि पुलिस ने उनकी गाड़ी रुकवाई और राजबीर सिंह को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर पता नहीं पुलिस उनको कहां ले गयी और राजबीर सिंह को शोक सभा में भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। इन सारी बातों से पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तरीके से एस० एस० पी० रतूडी का इस हत्या में हाथ था और जो ग्राम्य विकास मंत्री ने कल वक्तव्य दिया था उससे और भी स्पष्ट है कि श्री मुलायम सिंह से श्री रतूडी की दुश्मनी है। तो एस० एस० पी० रतूडी और मुलायम सिंह में क्या दुश्मनी हो सकती है। इसलिये राजनीतिक नेता का पुलिस को इस तरह से संरक्षण देना जनता के लिये हितकर नहीं है। इससे पुलिस जुल्म और बढ़ेगा।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि एस० एस० पी० रतूडी को तुरन्त मुअत्तल किया जाय और उनके खिलाफ धारा 120(बी) के तहत षड़यन्त्र का एवं हत्या का मुकदमा चलाया जाय और ग्राम्य विकास मंत्री को भी तुरन्त हटाया जाय।

***श्री प्रमोद कुमार—**

मान्यवर, यह कछपुरा वाली जो घटना घटित हुई है, वह निसन्देह दुखद है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दुखद यह है जब हमारे राजनीतिक लोग उसे जातीयता का रंग दे देते हैं। इस तरह से यह लोग उस घटना को और भी ज्यादा भयंकर बनाकर सारे वातावरण को दूषित बना देते हैं। अफसोस तब और ज्यादा होता है जब यह नाम उन पर आता है, जिनके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं। अपनी बात के आधार पर मैं इटावा जनपद से प्रकाशित होने वाले अखबार का हवाला देना चाहता हूँ। 'देशधर्म' ने दिनांक 9-1-82 के अपने अंक में प्रकाशित किया है। उन पर आरोप यह था। उसने लिखा है कि यदुनाथ सिंह तोमर को दफा 216 के अन्तर्गत नरेन्द्र व उमेश ऐसे दुर्दान्त डाकुओं को अपने यहाँ शरण देने के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने यहां डाकुओं को शरण दी थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस लोकतन्त्र में लोकतन्त्र और इस सदन का सिर शर्म से झुक जाता है यह जानकर कि यह यदुनाथ सिंह और कोई नहीं, वह व्यक्ति थे, जो विगत आम चुनाव में लोकदल के टिकट पर इटावा निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए थे। इसी संदर्भ में मैं आपसे और कहना चाहता हूँ लोकदल के पकड़े गये नेता श्री यदुनाथ सिंह तोमर ने पुलिस के सामने यह कबूल किया है कि वह डाकुओं को, विशेषकर ठाकुर गिरोहों को, जिनमें मलखान और बलवीरा के गिरोह भी आते हैं, शरण देते रहे हैं। और यह नरेन्द्र भी ठाकुर जाति का एक पुत्र है····(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य सदस्य बोलते रहे जो लिखा नहीं जा सका)

श्री विजय सिंह राना—

उमेश मिश्र और नेकसे गिरोहों को शरण देने में यह आगे रहे हैं, सारी वहां की जनता इसके लिए उनको जानती है।

श्री प्रमोद कुमार—

(व्यवधान) उससे भी अधिक दुखद तब है, जिसका जिक्र किया गया है उसकी हत्या भी राजनीतिक द्वेष से की गई थी और यह जानकर आप हमको दुख होगा कि एक राइफल जो उनके पास से चीनी बरामद हुआ है, उसे इनके दल के नेता ने ही 22 हजार रुपया देकर उसे बेचा था (व्यवधान) मान्यवर, और दुख तो इस बात का है कि यह सर्व-मान्य सच्चाई को जानने के बाद भी यह लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी होती जब आप मेरे साथ इस बात को स्वीकार करते कि वह सम्भवतया उनके दल का एक ऐसा व्यक्ति है, जिससे अब उनका रिश्ता नहीं है। इनके ही दल के एक नेता विधान परिषद् के सदस्य हैं, वह भी बराबर इन बदनाम गिरोहों को अपने पास शरण देते आये हैं और मैं उसके तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह जब इटावा से अपना चुनाव लड़ रहे थे और सुखदा मिश्रा, जो विधान सभा की वर्तमान सदस्या हैं, चुनाव लड़ रही थीं और उनके विरुद्ध छोटे सिंह जो चुनाव लड़ (व्यवधान) रहे थे, उसके साथ माननीय मुलायम सिंह एक ही मंच पर विराजमान थे।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आरोप प्रत्यारोप तो इस सदन में लग रहे हैं और एक दूसरे के प्रति भी लग रहे हैं···

श्री प्रमोद कुमार—

श्रीमन्, इस तरह से यह व्यवस्था है या अव्यवस्था है ?

श्री हुकम सिंह—

आपको मालूम है कि इनका उत्तर देने का तो हम लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन जो सदन के सदस्य नहीं हैं, हम उन पर आरोप लगायें तो उनके लिए अपना जवाब देने का अवसर कहां होगा ? इन्होंने कहा है कि लोकदल के नेता जो विधान परिषद् के सदस्य हैं। उस सदन में उन पर आरोप लगता तो उनको अवसर मिलता सफाई देने का, लेकिन यहां पर उनके विरुद्ध कोई आरोप इस तरह से बिना प्रमाण के लगा दिया जाय और उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]—

अवसर भी न मिले, उस आरोप का प्रत्युत्तर देने का तो यह क्या उचित होगा ? आपकी इस पीठ से एक बार नहीं अनेक बार ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में न कहा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक सम्भव हो, जो इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं हैं, आपको यहां पर उन पर आरोप नहीं लगाने चाहिए । आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों को एवायड किया जाय ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

फूलन देवी भी तो इस सदन की सदस्य नहीं हैं, फिर उनका नाम बार-बार क्यों लिया जाता है ?

श्री प्रमोद कुमार—

यह मान्यवर, भरसक प्रयत्न किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न आवे, जो इस सदन का सदस्य न हो । लेकिन मान्यवर, इनकी तरफ से बार-बार फूलन देवी का नाम लिया जाता है और भी बहुत से नाम लिये जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह लोक दल के लिए लज्जा की बात है ।

श्री धनीराम वर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने देखा होगा, बहुधा देखा होगा कि माननीय श्यामलाल बाजपेयी जी किसी के भी बोलने पर तुरन्त बोलते हैं, उनके लिए लाउड स्पीकर हमेशा आन रहता है । मान्यवर, मैं चाहूँगा कि जो भी माननीय सदस्य कहना चाहें, उनके लिए भी लाउड स्पीकर आन रहे और सबको कहने का मौका मिले ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, अव्यवस्था के जन्मदाता माननीय धनीराम वर्मा को आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरा माइक खुला रहता है और माइक जब ये तोड़ते हैं, तो इनको पीड़ा नहीं होती है । माइक हमारा हमेशा खुला रहेगा और मैं हमेशा बोलता रहूँगा ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, फिर ये अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, एक जनसभा हो रही थी, जिसमें तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री मुलायम सिंह जी के बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति को मुलायम सिंह जी ने माला पहनाई। मान्यवर, उसी समय जन समूह के बीच में एक अबला चिल्लाई थी कि इसने कल मेरे घर में डकैती डाली थी और बलात्कार किया।

(शोरगुल)

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

हर मामले पर व्यवस्था नहीं चलेगी। आप शांतिपूर्वक बैठिये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, उस जनपद का दुर्भाग्य है, जिस जनपद के एक कैबिनेट स्तर के मन्त्री अपने हाथ से एक कुख्यात अपराधी को माला पहनायें। उत्तर प्रदेश में सम्भवतः साढ़े तीन सौ से ऊपर कारबाइन के लाइसेंस नहीं हैं, लेकिन इटावा जनपद में तत्कालीन सहकारिता मन्त्री के शासन काल में ढाई सौ कारबाइन के लाइसेंस दिये गये। मान्यवर, यह वही कारतूस हैं, जिसे कभी महाबीरा, फूलन देवी, मलखान, राजबीर इस्तेमाल करता रहा है। मान्यवर, यह दोहाई आ रही है कि तमाम मासूसों का खून हुआ है। यही नहीं मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूँ, मेरी निश्चित जानकारी है, जिस किसी गैंग ने यह डकैती डाली हो या किसी ग्रुप ने, मान्यवर, यह सरकार उसे बख्शने वाली नहीं है। लेकिन इतना याद रखिये कि जिस घर में खून हुआ है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाइये, जिस दिन यह हत्याकाण्ड हुआ है, उस दिन एक अमानवीय जुर्म में राजवीर सिंह जेल में था, उसकी उसी दिन जमानत हुई है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, मान्यवर, ये दो दलों के बीच में, दो कुख्यात डकैत-बदमाश दलों के बीच में पुरानी अदावट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।

श्री विजय सिंह राना—

यह बिल्कुल झूठ है। (शोर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह बोलें तो सत्य और हम बोलें तो झूठ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, अपनी बात को मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। जो खास किस्म की चीनी रायफल और कारतूसों की शानदार बैल्ट की बरामदगी, दस्यु शरणदाता लोकदल के महत्वपूर्ण नेता की गिरफ्तारी और दो दुर्नाम डकैतों को बंदी बनाने के पश्चात यदि पुलिस चाहे तो दस्यु और राजनीतिक नेताओं के संबंधों की एक लंबी श्रंखला का पता

[श्री प्रमोद कुमार]—

लगा सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो दुर्घटना हुई है अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाया जाय तो वह चेहरे सामने आयेंगे जिनकी तरफ से अभियोग आया है। अगर किसी के हाथ मासूमों के खून से रंगें हैं तो उस ओर बैठे सदस्यों के एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इनका उम्मीदवार था, अगर वह चुनकर आ गया होता तो वह इनके दल का सदस्य होता और उसके नेता राजेन्द्र सिंह होते। तो यह मजबूत सरकार श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि जब 36 से अधिक पंजीकृत डकैतों के गिरोहों का सफाया हो गया है तो नैकसे जैसा मामूली डकैत जो इनके संरक्षण में पला है और इनके कार्यकाल में बढ़ा है उसको समाप्त करके इस प्रदेश की जनता को राहत दें।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इटावा और मुरादाबाद में जिसमें इटावा में 8 और मुरादाबाद में 5 आदमी एक रात में मार डाले गये, यह जो घटना है इस घटना को मैं प्रशासन के लिये और शासन के लिये और इस पूरे माननीय सदन के सदस्यों लिये एक चैलेंज की तरह मानता हूँ। यह असमाजिक तत्वों का एक चैलेंज है तो उन्होंने प्रशासन, शासन और आपको दिया है। खेद का विषय यह है कि इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनायें पहले मुरादाबाद में हुई हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुरादाबाद में खंडसाल गांव में 11 आदमियों का कत्ल किया गया केवल एक लड़की बची थी। थाना बेहटा के जयसिंह गांव में जहां यह घटना हुयी तो इसी तरह से थाने शमशोई के अन्दर पहले 10 आदमियों, पूरे परिवार का कत्ले आम किया गया है। इसी तरह के साढ़ूपुर, देहुली कांड इस प्रदेश में होते चले आये हैं। सोचने की बात यह है। चैलेंज की बात इस तरह आती है कि आज जो असमाजिक तत्व हैं उन्होंने कत्ल करने का एक प्रोफेशन बना लिया है। वह लोग चाहे आपसी मुखालिफत की बात हो, चाहे झगड़े की बात है, मुकदमेबाजी हो या राजनीतिक कारणों से हो कुछ लोगों ने कत्ल करने का एक पेशा बना लिया है।

हमारे लिये चैलेंज की बात यह है कि ऐसे लोगों को कहीं बिरादरी वाद के नाम पर या राजनीतिक समर्थन के नाम पर संरक्षण तो नहीं मिलता, मैं इसको इसलिये प्रशासन के लिये चैलेंज मानता हूँ। एक बदमाशों के पास हथियार जो मिल रहे हैं वह लोहारों के यहां के बने नहीं मिल रहे हैं। बंदूकें, राइफल और कारबाइन, एस० एल० आर, 315, मैगजीन जो लाइसेंस के ऊपर ईशू होती हैं वह उनके पास मिलती हैं और इन बड़े बड़े कांडों में यह हथियार इस्तेमाल होते हैं। अब जिम्मेदारी प्रशासन की क्या नहीं आती है। जिस वक्त लाइसेंस के लिये कोई आदमी दरखास्त देता है तो आपका थानेदार 200,400 रुपये लेकर सिफारिश लिख देता है। मान्यवर, सिफारिश लिख दी। तो वह डैमोकेसी है। प्रजातन्त्र है हमने आपने यह महसूस किया कि मना कैसे करें। क्योंकि इलैक्शन में वोट मांगने जाना है, उनकी मदद लेनी है, उनके रिश्तेदारों से मदद लेना है, उसकी सिफारिश कैसे नहीं करेंगे। हम उसकी सिफारिश में चले गये, उसे लाइसैन्स दिलवाने के लिए। ऐसे केसे जो बहुत से आये हैं भानपुर के अन्दर कुछ ऐसे लोगों की सिफारिश थीं बन्दूकों के लाइसैन्स की। 1-2 लाइसैन्स मजूर भी हो गये। ऐसे लोगों के लाइसेन्स मंजूर हुए जिनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं। जिस थानेदार से सिफारिश की थी, वह थानेदार वहां से बदल गया। अब दूसरा थानेदार आ गया उससे उस बदमाश से नहीं पटी तो उसने रिपोर्ट कर दी कि उसे गलत लाइसेंस दिया गया है, उसके ऊपर 4-4 मुकदमे चल रहे हैं। अभी दो मसले आये तो मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कि लाइसेंस कैसे मंजूर हुए। पता यह चला, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक केन्द्रीय मन्त्री, मान्यवर केन्द्र के मन्त्री, उनके यह घनिष्ठ दोस्त हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजनीतिक दोस्त हैं, वे डी० एम० साहब के पास गये और कहा कि इसकी लाइसेंस दे दीजिए, उस पर थानेदार ने 500 रुपए लेकर सिफारिश की थी। तो इतने बड़े आदमी के कहने पर लाइसेंस मंजूर हो गया। इतने बड़े राजनीतिक आदमी आये थे, कैसे डी० एम० साहब मना करते। आप म लूम कर लें। यह बड़ी खराब बात है जब उनकी बिरादरी नहीं है हम यह कहते हैं, तो फिर नेक्से को, फूलन को बिरादरी के आधार पर संरक्षण क्यों मिलता है ?

यहां जब कोई मसला बहस में आता है, देखने में आता है कि राधे और संतोषा ने दिहुली काण्ड किया उस वक्त यह हुआ कि और आदमियों को लिकवीडेट करा दिया, गोली से मार दिया, इनकाउण्टर हो गया। लेकिन राधे संतोषा इनकाउन्टर में नहीं मारे गये, उनको प्लान करके सरेंडर करा दिया गया। अभी जब में दिल्ली गया था तो पता चला कि नेक्से और इनके छिपने की जगहें आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट के मेम्बरों के कमरे में हैं। वहां पता चला कि राधे संतोषा के जवाब के लिए नक्से को तैयार किया जा रहा है। तो जब नेक्से तैयार हो गया तो इटावा के अन्दर कांड करा दिया। इन्कवायरी चल रही है। तो फिर वही हुआ कि हम वोट के लिए देखते हैं कि कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं तो यह क्या तमाशा है। फूलन डकैत थी। तो फूलन को यह कहा जाय कि सब मल्लाहों के वोट लाने के लिए उसे संरक्षण प्राप्त था। यह मजाक नहीं है तो और क्या है। यह मुख्यमन्त्री जी को खुला चेलेंज है कि इस तरह की घटनाओं पर बहस करें। हर इस सदन के माननीय सदस्यों को, इस मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रियों को अपनी-अपनी गिरेबान में मुंह डालकर देखना होगा कि कहीं इस प्रकार के बदमाशों को समाजिक तत्वों को संरक्षण देने के मामले में आपका हाथ तो नहीं है।

मान्यवर, हम जनता के प्रतिनिधि होकर यहां आते हैं, 2-2 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते है। यहाँ आकर मांग करते हैं कि हमको शैडों दे दीजिए तो शैडों किसलिए चाहिए, जिस जनता से आपको चुनकर भेजा है, उस जनता के डर से आपको शैडो चाहिए। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आप उसका प्रतिनिधित्व करें और उसी का काम शैडो की निगरानी में करे। उससे पहले कि हमें शैडो की आवश्यकता हो, हमें शैडो की जरूरत पड़े, हमें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे आपको जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। हम लोगों में से एक तिहाई का पत्र जाता है मुख्यमन्त्री को कि हमको शेडो चाहिए, किस लिए, क्या आपको कोई भला आदमी मारेगा, आपका जब कोई विरोधी होगा तो उसी से आपको डर लगेगा, तो उसमें आपको बदमाश मिलता होगा। आपको देखना चाहिए कि कहीं आप किसी बदमाश के गेंग की पार्टी में शामिल तो नहीं हो गये तो फौरन आपके दिल में यह बात पैदा होगी कि हम मार दिये जायेंगे हमको शेडो चाहिए। हम जनता के नुमाइदें हैं।

आपको शेडो किसलिए चाहिए। आप कहीं यह तो चाहते कि शेडो के मिल जाने से जिले में आपका रोआब बन जाय और जनता यह समझे कि हमारे मन्त्री जी या विधायक जी आते हैं तो उनके साथ एक इन्सपेक्टर या कांस्टेबिल साथ रहता है। श्रीमन् एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए शेडो इसलिए जरूरी हो जाता है कि उन्हें इस तरह से उनका बिस्तर उठाने वाला मिल जाता है बिस्तार बाँधने वाला मिल जाता है। और बिस्तर फैलता है रेल के अन्दर और उन विधायक का रोब बन जाता है। मैंने बार-2 कहा है कि इस प्रजातंत्र के अन्दर इस डेमोक्रेसी के अन्दर जब अंग्रेज हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले गये कोई अधिकारी नहीं रह गया सब छोटे से लेकर बड़ा सभी सेवक हैं। लेकिन इस प्रशासन ने तो गांव में ग्रामसेवक तक को अधिकारी बना दिया कोई सेवक छोड़ा ही नहीं। दुहाई देते हैं गांधी जी की बापू की, और बनते हैं अधिकारी। अगर आप चाहते हैं कि

[श्री रियासत हुसैन]

इस डेमोकेसी में प्रशासन का शासन पर कण्ट्रोल रहे तो इस अधिकारी शब्द को हटा दीजिये और उसकी जगह पर एस लगा दीजिये और सबको सेवक बना दीजिये । हम सब प्रदेश की जनता के सेवक है ।

जब तक यह महसूस नहीं होगा अधिकांश के दिमाग से यह बात नहीं निकलेगी कि हम अधिकारी हैं तब तक आप इस प्रकार के कांडों को रोक नहीं पायेंगे । आपके जितने अधिकारी हैं चाहे पुलिस का हो या एस०डी०एम० हो जब वह किसी जिले में जाता है तो वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है और देखता है कि कौन हमारी बिरादरी का है और किसका हमको फेवर करना चाहिये । इस चीज को आप निकालिये । मैं श्रीमन् कहना चाहता हूँ यह सारी चीजें ला एण्ड आर्डर से सीधे सम्बन्धित हैं यह हमारी और आपकी इज्जत की बात है । हमको बैठकर गहराई से विचार करना होगा कि आखिर क्या पोलिसी होगी इस प्रकार के काण्डों को रोकने के लिये । यह सारी चीजें गंभीरता से विचार करने वाली है और इससे सबक हासिल करने की जरूरत है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

श्रीमन्, अभी जो मामला सदन में विचार के लिये आया है इसके सम्बन्ध में एक बात कहनी है । इसमें दो राय नहीं कि जिस मामले के ऊपर चर्चा चल रही है वह वास्तव में इंसानियत के लिये शर्मनाक चीज है । यह ऐसी घटना है, जब इंसानियत के ऊपर घटना होती है तो हर इन्सान का सिर शर्म से झुक जाता है । लेकिन देखने की बात यह है कि यह बदमाश कौन है किस बिरादरी के हैं । बदमाशों की कोई बिरादरी नहीं होती है । लेकिन देखने में यह आया है कि जब भी इस प्रकार की घटनाओं को रंग दिया गया है विरोधी दलों ने इसको बिरादरीवाद और जातिबाद का रंग दिया है । बदमाश है उसकी बिरादरी नहीं होती लेकिन विरोधी दल इसको जाति के नाम पर उछालते हैं और गुनाह शासक दल के मत्थे मढ़ते हैं । जो विरोधी पक्ष द्वारा हरिजनों की दुहाई दी जा रही है इन्होंने अपने शासन काल में हरिजनों को जो जमीन पट्टा किया था उस पर कब्जा कर रखा था चेतराम जी गंगवार जी उसके सबूत बैठें है कि इन्होंने उस अवैध कब्जे को हटवाया था । आज यह घड़ियालू आसूँ बहा रहे हैं । मैं चश्मदीद गवाह हूँ निधौली कलां में जब चुनाव हो रहा था राम नरेश यादव का उस शासन काल में 30 कारबाइन के सबसे अधिक लाईसेन्स तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने दिलवाये थे और मुख्य सचिव एटा के डाक बंगले में बैठकर गुण्डों और बदमाशों को लाइसेन्स देते थे ।

[6 बजे अपरान्ह]

मान्यवर, यह सबूत है इस बात का कि डकैतों को किसने दिया है संरक्षण । अभी आरोप लगाया बलराम सिंह यादव पर, क्या कभी उन्होंने अपने गिरेहबान में झाँक कर देखा है कि इन लोगों ने किस तरह से डकैतों को संरक्षण दिया है । हरिजनों की बात करते हैं···

(व्यवधान)

राजनीतिक स्वार्थ उठाना चाहते हैं । यह सही है कि कांग्रेस के शासन में इनकाउण्टर हुए हैं लेकिन जो मुल्जिम इनकाउण्टर में मरे हैं वे सब लोकदल के कार्यकर्त्ता थे और जो लोग मरे हैं वे सब हिस्ट्रीशीटर थे या नहीं, उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत थे या नहीं ? हमने तो इन बदमाशों को निबटाया है । हम बदमाश नाम की चीज को नहीं छोड़ेंगे, उनको संरक्षण नहीं मिलेगा···

(व्यवधान)

इस शासक पार्टी के एक सदस्य के नाते मैं कहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी जिम्मेदार आदमी ने डकैत को संरक्षण दिया तो हम आवाज उठायेंगे यह मैं आश्वासन देता हूँ। लेकिन ये लोग जो बैठें है हमेशा अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं। जो प्रदेश के अन्दर किसी हरिजन को मतदान का अधिकार तक नहीं देते। जहाँ के इनके नेता चौ०चरण सिंह हैं, वहां हरिजनों पर इनका दबाव है मैं तो इनकी लोकदल की पार्टी को लट्ठ पार्टी कहता हूँ, वहां वोट डालने तक का अधिकार नहीं देते। यह लोकतन्त्र के लिए शर्मनाक है। हिन्दुस्तान के निर्माताओं ने, आजाद कराने वालों ने पवित्र संविधान का निर्माण किया और देश के हर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया है लेकिन इन लोकदल के हत्यारों ने उसका भी अधिकार छीन लिया....

(व्यवधान)

(शेम-शेम की आवाजें)

मेरा कहना यह है कि जो बगल में छुरी और मुँह में राम लिये हैं ये हरिजनों का नाम लेते हैं। मान्यवर, यह वैसे ही है जैसे भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़े हुए हो, यही इन लोगों के ऊपर चरितार्थ होता है। मैं छोटा हूँ इनसे उम्र में लेकिन नसीयत देता हूँ कि जब इन्सानों पर हमला हो वहाँ मामला उठायें लेकिन जब इनके नेताओं द्वारा कोई जुल्म होता है तो ये ही लोग छिप कर बैठ जाते हैं, वहाँ भी ये जुल्म के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज हम सत्तापक्ष की इस कुर्सी पर बैठें हैं। जनता ने यह कुर्सी हमारी पार्टी को सौपी है यह प्रमाण है कि हम जनता की सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा संविधान की रक्षा करने में संक्षम हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था की बात है ?

श्री सुरेन्द्र कपिल—

इस प्रकार की चर्चा उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ती है, जातिवाद को बढ़ाती है, इस तरह की चर्चा यहां इस सदन में न करें तथा जातिवाद का रंग देकर तथ्यों को न मरोडें इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

मान्यवर, जो कछपुरा में हुआ वह अत्यन्त शर्मनाक और इस बात का द्योतक है कि प्रशासन की पकड़ परिस्थितियों से खतम हो गई है और मुझे यह भी बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मन्त्री जी की भी पकड़ नहीं रह गई है प्रशासन पर। समस्या की परिस्थिति को उजागर करने के बजाय प्रतिपक्ष और शासन के बीच के झगड़े को ही उजागर कर रहे हैं। अभी राना जी चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन उससे कुछ मुद्दे जरूर उजागर हुए हैं और उन पर विचार आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई विचार न होगा तो समस्या का कोई समाधान न हो सकेगा। उधर से कहा गया कि उसका जो परिवार था उसकी हिस्ट्री असामाजिक थी। अगर उसकी हिस्ट्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

असामाजिक थी तो क्या उसे शासन से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। गुण्डे मार दें, आपत्ति नहीं हैं, शासन से सरक्षण प्राप्त करने का अधिकार तो है। दो-तीन प्वाइंट उठाता हूँ। सबसे पहले यह कि एस०पी० को पत्र मिल गया जिसका हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया। एस०पी०के कार्यालय में 28 तारीख को वह एकनालेज किया जाता है। जब एस०पी० की चिट्ठी मिल गयी तो क्या उनको उसकी सुरक्षा करने का काम नहीं था। 9 बजे घटना प्रारम्भ हो जाती है। गंगादीन नगला सालाब जाता है, दाऊदपुर में पी० ए० सी० पड़ी है। गोलियों की आवाज पी० ए० सी० के कानों में पड़ रही है, आग जलाने की आवाज आ रही है।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पी०ए०सी० वालों का यह काम नहीं था कि गांव में पहुँचते। वह भाग कर रेलवे स्टेशन जाता है, इटावा जाता है, शिकोहाबाद जाता है, वहां से टेलीफोन करता है। इस सबके बाद फिर पांच बजे चौदह किलो मीटर रास्ता चल कर पुलिस आती है। कितनी जाने गयी, छोटे बच्चे थे, अस्पताल में मरे, कोई दो घंटे बाद, कोई चार घण्टे बाद, कोई 6 घण्टे बाद। यदि गांव में पुलिस पहुँच गयी होती तो क्या मासूम बच्चों को बचाया नहीं जा सकता था मेडिकल ऐड देकर। पी० ए० सी० के पास वायरलेस क्यों नहीं था। नगला सालाब की पुलिस के पास वायरलेस था। इसकी सूचना पुलिस को देरी से कैसे मिली। मेरी जानकारी है कि गृह सचिव के पास पत्रकार पहुँच गये थे। उनसे पूँछा उन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी है। क्या यह प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव नहीं है। घटना के बाद भी रात में चारों तरफ आवाज सुनाई देती रही, आग जलने की आवाज सुनाई देती रही। मैं गांव में पहुंचा। पी० ए० सी० वालों से पूँछा कि तुम्हारे पास वायरलेस है। उन्होंने कहा हमारे पास वायरलेस नहीं है। दूसरी बात मुख्य मंत्री जी से जानना आवश्यक है।

मा० मुख्य मंत्री जी वहाँ गये थे। क्या यह सही है कि मा० मुख्य मंत्री जी गांव में पहुंचे तो संभवतः गांव में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। वहाँ के लोग पोस्ट मार्टम के लिये इटावा आये थे, क्या उनका कर्तव्य नहीं था, वहां बुढ़िया थी, आस पड़ोस के लोग थे, कि उनसे वह तथ्यों की जानकारी कर लेते। उन्हें क्या एस० पी० की जानकारी पर ही विश्वास करना था जिसके हाथ खून से लथपथ हैं। नैक्से घायल हुआ जसवन्त नगर में, मेरी जानकारी है, वहां पर कोई पकड़ा नहीं गया। ए.एस.पी. था, उसको पता था, ए.एस.पी. को हटा दिया गया। यह भी कह दिया मामला आपसी रंजिश का है। दोनों बाते कैसे सही हो सकती हैं। जो आपसी रंजिश में मारे जायें उनको क्या पैसा देंगे। वस्तु की गम्भीरता को मिट्टी में मिला दिया। घटना घटना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि शासन के पास तथ्य हैं। नैक्से की मदद कोई करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, हमारी कोई शिकायत न होगी। एक नहीं दो नहीं कितनी शिकायतें हैं। मान्यवर, मुझे बताया गया है कि उस एस० पी० का चार बार वहाँ से ट्रांसफर हो गया है लेकिन चारों बार उसका ट्रांसफर रुकवा दिया गया। इसी एस०पी० ने 25 तारीख को पत्रकारों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था और पत्रकार घायल हो गये थे। मैं श्री बलराम सिंह जी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अगर वह श्रेष्ठ एस०पी० है तो उस एस०पी० की पुण्य सेवाओं का लाभ केवल इटावा को ही नहीं और किसी जनपद को भी देने की कृपा करें ताकि इटावा को बरबाद होने से बचा लिया जाय। मैं पिछली बार वहां गया था तो एक महिला ने कहा कि यहाँ डग्गा मार बसें चलती हैं, मैंने अपने सामान्य ज्ञान से सोचा कि डग्गा-मार बसें वो होंगी जो खचड़ा बसें होगी। तो उसने बताया कि डग्गा मार बसें वो हैं जो बिना परमिट के राजनैतिक संरक्षण में चल रही हैं।

मैंने पूछा आपके पास लाइसेंस है, जानकारी के बाद आपको भी साबित हो जायेगा

कि ये सभी ऐसी बसें पुलिस के संरक्षण में चल रही हैं। इन सब की जानकारी के बाद आपको मालूम हो जायेगा कि इस रतूडी, एस०पी० का ट्रांसफर कौन रुकवाता है और आपको यह भी मालूम हो जायेगा कि वह निहित स्वार्थी आदमी कौन हैं जो इस एस० पी का ट्रासफर रुकवा रहे हैं। अभी डाकुओं के उन्मूलन के अभियान की चर्चा आप कर रहे थे राम प्रकाश की चर्चा हुई। यह राम प्रकाश दुबे नाम का दरोगा आपके रिकार्ड में होगा, उसका ट्रांसफर हुआ लेकिन वह वहीं रहता है।

मान्यवर, 6 तारीख को मैं वहाँ गया था। 6 तारीख तक, वह जो एफ०आई०आर० लिखी गयी थी, राजवीर सिंह को नहीं मिली, उस समय वह भावावेष थी, पागल हो रही थी, उसने देखा कि उन दरिन्दों ने महिलाओं के गुप्तांगों में गोली चलाई गई, बच्चों को मार दिया और बन्दूक के आगे जो छुरी होती है उसे भौंक कर मार दिया गया। क्या यह सही नहीं है कि उसे एफ०आई०आर० की कापी दी जानी चाहिये थी। तो मान्यवर, इससे सन्देह स्पष्ट होता है कि एफ०आई०आर० कुछ लिखी गई और स्थिति कुछ और बना दी गई। इस पर जरूर बिचार होना चाहिये, इसमें कोई इधर-उधर की बात नहीं है। डांकू उन्मूलन का प्रश्न है, असमाजिक तत्वों के सफाया करने का प्रश्न है। मान्यबर, मैंने समाचार पत्रों में कहा था कि जो लोग आपसी रंजिश की बात करते हैं और जो जातीय संघर्ष की बात करते हैं, वे लोग स्थिति को उलझाने और सत्य पर परदा डाल रहे हैं। किस जाति में नहीं है, होता है। ब्राह्मण और ठाकुरों··· (व्यवधान)

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री—(श्री गुलाब सेहरा)—**

अध्यक्ष जी, विपक्ष और पक्ष के लोगों ने चर्चा की। चर्चा का हमेशा यह उद्देश्य होता है कि कुछ इस तरह से विश्लेषण हो कि अगले वाली व्यवस्था या उसमें कोई ऐसा मूलभूत सहयोग दें ताकि उसे शासन ग्रहण करे। मुझे ऐसा लगा कि विशेष रूप से जैसा कि पहले राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया कि पुलिस को 30 घण्टे बाद सूचना पहुँची। मैं चाहूँगा कि वह बात समझ लें इसकी सूचना पुलिस गस्त को रात के 9 बजे पता लगी और 3 बजे सवेरे पुलिस वहाँ पहुँची। और 10 बजे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वहाँ पहुँचे। दूसरी बात जो भाई गुप्ता जी ने उठायी कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस धटना की लिखित सूचना पहले से थी, वह सब मिथ्या है। जबकि इस तरह की कोई सूचना पुलिस अधीक्षक को नहीं थी। (शोर) तो कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर बताई गयीं हैं जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि जब विश्लेशण हो रहा है तो बुनियादी चीजें सामने आनी चाहिए। मान्यवर, बुनियादी बातों में जो सबसे बड़ी बात है कि यह देखना चाहिए कि यह घटनाएं आखिर क्यों घटती हैं, इनके मुख्य कारण क्या हैं, अगर इस इतिहास की तरफ हम जाएं तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा (व्यवधान) मान्यवर, यह झगड़ा दो आदमियों में जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके पीछे 8-8 केस चोरी डकैती और हत्या आदि मामले कोर्ट में दर्ज हैं, से सम्बन्धित हैं जिनके पीछे इन सदन की गाड़ी कमाई और बहुमूल्य वक्त को लगाया जा रहा है, इसके मायने यह हैं कि इस मामले का सीधा सम्बन्ध कुछ राजनीतिक लोगों से अवश्य है, जो ऐसे हिस्ट्रीशीटर्स के पीछे इस सदन का समय व (शोर) श्रीमन् आप आश्चर्य करेंगे कि यह वही राजवीर सिंह है जिसके नाम तक को लेना सरकार गवारा नहीं करेंगी, ऐसे व्यक्ति के पक्ष को सामने हमारे कुछ भाई रख रहे हैं जिन्हें (व्यवधान)

श्रीमन् दूसरा इतिहास ज्ञान सिंह का है, वह भी एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, जिसके बारे में इटावा से एक अखबार लोकदल वालों की तरफ से निकलता है, उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा] —

अखबार का नाम है "रतजगा" (शोर) यह अखबार 19 जनवरी, 82 को लिखता है, इस बिषय में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ईमानदारी के साथ जो आपका ही अखबार है और जिसके सम्पादक नेरेन्द्र मिश्र हैं, इनका ही बयान है उन्होंने इस घटना के संबंध में बताया कि यदुनाथ सिंह तोमर इटावा में जो किसी स्कूल में प्रिंसपल हैं जो लोकदल के पिछले चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं, ने श्री मिश्र को चायना निर्मित राईफिले और 300 कारतूस दिये ।

लोकदल के मेम्बर एक ड़िग्री कालेज के अध्यापक हैं, जो कि लोकदल के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने सबके सामने कहा कि इन्होंने हथियार हमको सप्लाई किया । मलखान को, बलवीरा को, अनार सिंह को छविराम को, अजय सिंह को, ज्ञानी को इतने गैंगों को यह व्यक्ति हथियार सप्लाई करता रहा ।

मैं विरोधी पक्ष में रहा । मैंने बड़ा हाथ जोड़कर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शान्त रहने दें आप ऐसा काम न करें, लेकिन आपने हथियारों का बांटना ऐसे जारी रखा जैसे बहुत बड़े दानी हों । आप आश्चर्य करेंगे इन तीन वर्षों में 1977 में एटा में 598 लाइसेंस, 1978 में 1004 लाइसेंस, 1979 में 1020 लाइसेंस और मैनपुरी में 1977 में 605 लाइसेंस 1978 में 1013 लाइसेंस, 1979 में 948 लाइसेंस दिये गये । इटावा में विभिन्न वर्षों में 508 लाइसेंस, 709 लाइसेंस और 501 लाइसेंस दिये गये । इसमें सबसे बड़ी चीज है—आटोमैटिक गन, 30—कार्बाइन····

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह लोग इतने बुद्धू हैं कि सेमी-आटोमेटिक को भी ऑटोमेटिक समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

किसी मा० सदस्य के लिये "बुद्धू" शब्द प्रयोग नहीं हो सकता ।

श्री गुलाब सेहरा—

भाई मोहन सिंह जी सही कह रहे हैं, हथियारों के मामले में हम बुद्धू हैं । हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, शान्ति में विश्वास करते हैं ।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्बाइन के लाइसेंस की संख्या, जो कि इनके समय में दिये गये—22 कार्बाइन एटा जिले में, 23 मैनपुरी में, फिर एटा में 49 और इटावा में 50, कानपुर में घाटमपुर इत्यादि में 89 कार्बाइन के लाइसेंस दिये गये, यह आप देखें । यह लाइसेंस लोकदल सरकार द्वारा 1977 से लेकर 1980 तक बाँटे गये । ये लाइसेंस इनको दे दिये गये । शासन ने एक जाति विशेष को यह लाइसेंस दिये । डाकू उन्मूलन/अभियान में यही लाइसेंसदार सबसे ज्यादा पकड़े गये । मैं आपसे पूँछना चाहता हूँ कि लोकदल की आइडियालाजी क्या है, केवल इनकी आइडियालाजी है रक्त की और बन्दूक की । सादूपुर काण्ड के जिस अनार सिंह का नाम लिया उसको यदुनाथ सिंह तमाम हथियार सप्लाई किया करता था । जिस किसी भी हरिजन को गोली लगी, वह तुम्हारे दल के लोगों ने दी थी । । आज हम लाइसेंस कैन्सिल करना चाहते हैं । आपने एस०एस०पी० को एक मुद्दा बना लिया । मुझे आश्चर्य

होता है कि दो-ढ़ाई घण्टे तक एक एस० एस० पी० बोलते रहे आपके विरोधी दल के नेता, विधान परिषद । ढ़ाई और तीन घण्टे केवल एसएस०पी० पर यहाँ बात होती रहे तो क्या कहा जायेगा । हमने कभी नहीं कहा कि इसके लिये यह सदन साक्षी है कि हमारे भूत पूर्व मुख्य मंत्री ने बीड़ा उठाया था कि हम डाकुओं का उन्मूलन करेंगे और यदि डाकुओं का उन्मूलन नहीं कर पायेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे । अध्यक्ष महोदय, अनार सिंह जैसा गैंग, छविराम जैसा गैंग और इसके अतिरिक्त कुमरपुर में हरिजनों का उत्पीड़न हुआ । आपने सत्ता हथियाने के लिये गरीबों का खून बहाया लेकिन हमने सत्ता के लिये गरीबों का खून नहीं बहाया बल्कि सत्ता को लात मारी, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है । हम सत्ता के लिये नहीं जिये हैं बल्कि हम गरीबों के लिये हैं ।

उस उमेश मिश्रा को आपके यदुनाथ सिंह तौमर ने अस्त्र सप्लाई किया, वह उनको असलहा देता था, चाईना की बनी राइफल उसने उमेश मिश्रा को दी थी । इसलिये वह भी इस काण्ड में शामिल हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमन् मैं आपको गेंगों की सूची बतलाता हूँ:—गब्बर सिंह गेंग, बशेशर सिंह गेंग, सिराज गेंग, राम स्वरूप मल्लाह गेंग, जग्गा यादव गेंग, धरम पाल सिंह गेंग, गम्भीरासिंह गेंग, गमन सिंह गेंग, पोथी राम गेंग, जयराम सिंह गेंग, तथा बलवान सिंह गड़रिया गेंग, । इससे यह लक्षित होता है कि हमने किसी के साथ कोई रियायत नहीं की है ।

श्रीमन् कहीं कोई उत्पाड़न हुआ, हम उससे व्यथित हुए चाहे वह साढ़ूपुर काण्ड हो, चाहे वह देएली का कण्ड हो, चाहे कुमरपुर का काण्ड हो । हमारे यहाँ के मुख्य मन्त्री फौरन घटना स्थल पर पहुँचते हैं और सदा पहुँचे । परन्तु इटावा की बात है यादवपुर गाँव में 14 हरिजन मारे गये, हम वहाँ चुनाव लड़ रहे थे परन्तु आपका कोई मुख्य मन्त्री वहाँ पर नहीं गया । फतेपुर जिले में लोहारी गाँव में ऐसा ही काण्ड हुआ । आगरा में पी०ए०सी० के 11 हरिजनों को गोली से मरवा दिया परन्तु क्या एक व्यक्ति वहाँ पर गया ? आपने एक रुपया भी उन लोगों को नहीं दिया । अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा वे लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे तो क्या हुआ आपको उन्हें संरक्षण देना चाहिये था । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस तरह से सबसे ज्यादा बड़ी बात की कि सबको वहाँ पर पांच-पांच हजार रुपया दिया । आगरा में 11 हरिजन मारे गये, लोहारी में 12 मारे गये क्या आपने उनको एक भी रुपया दिया ? तो खड़े होकर बतलाइये ।

श्रीमन् विश्लेषण यह है कि जातिगत आधार पर, संकीर्ण नीति पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं । अपराधी प्रवृत्ति से राज्य हासिल करना चाहते हैं । अगर अपराधी व्यक्ति हो तो उसे राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण नहीं देना चाहिये ।लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खामोशी के साथ बैठें, आप नैक्सी की बात करते हैं । मान्यवर, कोई भी अपराधी हो, वह किसी जति का हो या किसी, वर्ग का हो अगर वह गरीब का खून करता है तो उसको बक्शा नहीं जायेगा । मान्यवर, इसी सदन में उसको मारे जाने की सूचना मिलेगी ।

मान्यवर, एस० एस० पी० रतूडी की बात बहुत जोर शोर के साथ चल रही है । मान्यवर, इसके व्यक्तिगत कारण हैं । डाकू उन्मूलन में उसने सही व्यक्तियों को पकड़ा । एक लोकदल के नेता के भाई ने लाइसेंस मांगा, उसने नहीं दिया । जनता आपने ऊपर लाखों रुपया खर्च करती है और आप डाकुओं को संरक्षण देते हैं । अब भी आप संभल जायें । 1980 में आपको जनता ने ऐसा साफ किया कि एक बाल नहीं दिखायी दे रहा है और अब की बार तो खोपड़ी ही गायब हो जायेगी । में कहना चाहता हूँ और इस मान-

[श्री गुलाब सेहरा]—

नीय सदन को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने संकल्प लिया है कि किसी भी अपराधी को कोई भी संरक्षण नहीं दिया जायगा, उसको अदालत के कटघरे में आकर खड़ा होना ही पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी राजनैतिक संरक्षण की बात आयी। 14 तारीख को इस सदन में मैंने कहा था, जब श्री श्याम लाल बाजपेयी जी ने मुलायम सिंह जी पर एक लान्छन लगाया था उन्होंने राष्ट्रपति, और राज्यपाल और मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाय जो मुलायम सिंह यादव और बलराम सिंह यादव के बारे में जांच करे, क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं। मैं इस का प्रस्ताव करता हूं और आप स्वीकार कीजिए।

(व्यवधान)

आप खड़े होकर स्वीकार कीजिए। मैं बैठ जाऊँगा। मैं जानता हूँ आप नहीं कर सकते हैं। मान्यवर एक बात कही गयी कि यदुनाथ सिंह तोमर उमेश मिश्र को हथियार देता था। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उसको 216 में बन्द किया, वह दूसरे ही दिन छूट गया। कम से कम 216—ए में ही बन्द करते। आपने सिम्पल धारा में बन्द कर दिया और उसकी दूसरे दिन जमानत हो गयी। 216 ए में जिस व्यक्ति को बन्द किया कम से कम इसको भी उसी के साथ बन्द करते। अगर आप इस तरह से व्यवधान डालेंगे तो मैं मुख्य मन्त्री जी से कहता हूँ कि आप तैयार हो जायें 2 घन्टे की चर्चा कराने के लिए, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूँगा। श्रीमन्, मैं दो-तीन बातें और कहूंगा। जसवन्तनगर में काफी समय से कोई इंस्पेक्टर नहीं था। आप जांच करा लें। वहां पर होना चहिए, क्यों नहीं है। इससे पहले के वहां के इंस्पेक्टर को किसने हटाया ? एक बात और है। 28 तारीख को वहां के एडीशनल एस० पी० का वायरलैस आया था, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारा एलीगेशन है। हो सकता है उसमें एस० एस० पी० रतूड़ी का हाथ हो, इसकी आप जांच करायें। हो सकता है एस० एस० पी० रतूड़ी का नैक्से गैंग के साथ कोई हाथ हो, लेकिन हमारा कहना है कि जो आप जांच करायें वह एस० एस० पी० से ऊपर के अधिकारी से इसकी जांच करायें। किसी इंस्पेक्टर से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं उनके पास एक फोटो कापी भेजता हूँ.... (व्यवधान) एस० एस० पी० के दफ्तर में यदुनाथ सिंह का पत्र प्राप्त हुआ था तो...

श्री चेतराम गंगवार—

वे आपके दल के प्रत्याशी थे अथवा नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

थे। एक बात और कहना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। मुख्य मन्त्री के भाषण के बाद किसी का भाषण नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र सिंह से)—क्या आपने राना जी का समय ले लिया है ? उन्होंने आप को अपना समय दे दिया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, मान्यवर, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष—

फिर उनको बोलने का अधिकार नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी की आप जांच करा सकते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इस पर चर्चा साढ़े छ बजे तक थी। चर्चा की प्रक्रिया यह है कि जब उत्तर समाप्त हो जाय तो चर्चा भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद यदि आप चर्चा करवा रहे हैं तो समय मांगना चाहिए। हम सत्ता दल से कभी इसके लिये इन्कार नहीं करेंगे। लेकिन प्रक्रिया के ढंग से होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियम यह है कि जब तक अध्यक्ष महोदय सदन में अपने आसन पर विराजमान हैं तब तक सदन चलता रहेगा।

श्री श्रीपति मिश्र—

सदन चलता रहेगा लेकिन चर्चा नहीं चलती रहेगी।

श्री भोखालाल—

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि साढ़े 6 बजे तक इस चर्चा का समय नियत था लेकिन मान्यवर, आपने स्वतः ही इसका समय 10 मिनट के बढ़ा दिया, जिसके लिये आप सक्षम है। मुख्य मन्त्री को यह नहीं कहना चाहिए। यह आपके खिलाफ है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

चर्चा का समय मैंने अपने विवेक से 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया था। अगर प्रस्ताव आयेगा तब फिर समय बढ़ाया जा सकेगा अन्यथा 10 मिनट में इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, दो तीन बातें कहना चाहूँगा । राजवीर सिंह का परिवार अपराधी प्रवृत्ति का था । दूसरी बात यह है कि राजवीर के खिलाफ कही कोई धारा में इल्जाम दर्ज नहीं है । चौथी बात यह है कि जो इन्कायरी हो रही है उसमें एस०एस०पी० से ऊपर अधिकारी जाँच करें । यदि वहां का एस०एस०पी० रहता है तो जांच निष्पक्ष होगी । पांचवी चीज यह है कि राजवीर को राइफल का लाइसेन्स अभी तक नहीं मिला है । माननीय गुलाब सेहरा जोर शोर से कह थे यह खुद जानते हैं कि बिना लाइसेंस के उस क्षेत्र में जीना सम्भव नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि राजवीर को राइफल नहीं दी गयी तो उसके परिवार का जो एक आदमी बचा है वह भी जीवित नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ । माननीय मन्त्री जी आपको कुछ कहना है ?

श्री गुलाब सेहरा —

माननीय राना जी ने राजवीर के बारे में पूछा मैं बता सकता हूँ उनको, मालूम नहीं है 5 केसेज में वह इनवाल्ब हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एस० एस० पी० के बारे में आप बतायें (व्यवधान) उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है (व्यवधान) इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष —

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुन: बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 6 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
16 फरवरी. 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1193 पर)

बल्ली बाँध से निकलने वाली नहर प्रणाली पर कृषि योग्य कमाण्ड में आने वाले ग्रामों की सूची ।

क्रम सं०	नाम ग्राम	भोगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कमाण्ड कृषि योग्य (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	ढ़किया ठाकुरान	219	201
2	कैमरिया	140	127
3	मनकरा	170	155
4	मुहम्मदपुर	117	105
5	कनकपुरी उर्फ कनकटी	164	162
6	पंडरी	230	213
7	कमालपुर	180	91
8	लखीमपुर	155	137
9	रघुनाथपुर जगदीशपुर	152	120
10	तिंगरी	212	152
11	शीशगढ़	156	5
12	लखा	180	168
13	नियामतपुर	76	69
14	कुतुबपुर	179	161
15	जिया नगला	150	116
16	गुलडिया	223	189
17	बूँची	279	4
18	बौसलपुर	72	62
19	झैता	76	68
20	बल्ली	603	530
21	ढकिया (कावर)	270	236
22	शहपुरा	159	124
23	खमरिया	00	2
24	कनकपुरा उर्फ कनकटा	192	31
25	पिपलियाविजयनगर	25	5
26	रसूलपुर	575	144
	योग	5320	3425

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अतारांकित प्रश्न सं०–26 का संलग्नक–2

कुल्ली बाँध से निकलने वाली नहर बल्ली प्रणाली पर कृषि योग्य कमाण्ड में आने वाले ग्रामों की सूची :—

क्रम सं०	नाम ग्राम	भोगोलिक क्षेत्र (हे० में)	कमाण्ड कृषि योग (हे० में)
1	2	3	4
1	बैकेनिया बीरपुर	167	164
2	धनैरी उर्फ धल्लिया	412	386
3	टुनका	313	203
4	टुनकी	107	90
5	गनेशपुर	184	189
6	बसई	329	275
7	अभूपुरा उर्फ जोखनपुर	151	133
8	सुल्तानपुर	230	103
9	भुड़ासी	224	47
10	बिलसा	191	102
11	बिलसपुर	224	47
12	बल्या	191	102
13	गोविलपुर	125	115
14	जाफरपुर	276	26
15	सहोड़ा	345	223
16	अक्सीरा	108	104
17	बफरी बुजुर्ग	319	261
18	दिनरा	191	176
19	फिदाईपुर	66	62
20	बफरी अब्दुल नबीपुर	164	42
21	आसफपुर अहेतमली	32	8
22	आनन्दपुर	549	481
23	जुन्हाई मुस्तकिल	157	136
24	फीरोजपुर अहेतमाली	137	63
25	जुन्हाई अहेतमाली	219	17
26	मिर्जापुर	99	83
27	सुक्ली	323	267
28	आसफपुर मुस्तकिल	18	4
29	बाघम नौगवाँ	334	208

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
30	मरई रसूलपुर	155	147
31	बहादुरपुर	186	180
32	भनेटा	204	34
33	फीरोजपुर मुस्तकिल	161	18
34	औरंगाबाद	281	177
35	मोहनपुर	117	9
36	रास	125	116
37	ठिरिया कल्यानपुर	245	222
38	बलई	307	223
39	मंडवा बंशीपुर	445	326
40	नरखड़ा	312	289
41	प्रहलादपुर	103	92
	योग	8862	6014

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1199 पर।)

क्र०सं०	नाम ड्रेन	लम्बाई जिसमें निर्माण कार्य किया गया किमी० में	धनराशि 1/82 से 12/82 तक भुगतान की गयी
1	विन्दवल	3.200	29,817-00
2	रतनपुर	1.100	5,415-00
3	तौनदारी	1.200	2,250-00
4	अरांव गुलजार	1.600	3,000-00
5	औरंगाबाद	2.900	16,072-00
6	भटगाँव	1.368	9,600-00
7	मदनपुर	0.900	1,680-00
8	शिसाँव	1.000	1,740-00
9	हलीमाबाद	2.050	4,875-00
10	तिलसवां	2.200	40,250-00
11	कुचहरा	1.200	17,299-50
12	निजामपुर	2.000	21,972-00
13	सलाहाबाद	1.900	29,032-50
14	दरियाबाद	1.600	54,558-00
15	फिरोजाबाद	0.800	6,750-00
16	मंडरिया	1.700	26,665-00
17	सुम्मी	3.200	20,527-50
18	सुम्मी बसमेतपुर	1.000	6,630-00
19	मित्तुपुर	5.000	41,295-00
20	देवराडीह	1.000	8,190-00
21	कमालुद्दीनपुर	2.000	33,712-50
22	चकवारा	2.200	5,625-00
23	पकरिया रानीपुर	1.700	3,937-50
24	नुरुद्दीनपुर	3.000	23,025-00
25	छत्तरपुर	1.100	16,305-00
26	मोलनापुर	3.200	40,950-00
27	महुलिया	1.350	10,125-00
28	गयासपुर	1.700	14,935-00
29	केशवपुर	0.300	1,050-00
30	धवलीपुर	1.000	2,700-00

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
31	जमीनहरखोरी	1.100	4,275-00
32	तालसलौना	0.550	16,890-00
33	अमरौली	0.800	3,045-00
34	अहिरौली	1.030	10,500-00
35	पन्दहा	1.025	13,050-00
36	शेखपुर (बिछौली)	0.817	4,477-50
37	कुबां	1.400	11,078-00
38	प्यारेपुर	2.800	24,437-50
39	मखदुमपुर	2.600	14,089-00
40	मोहम्मदपुर	2.000	16,301-50
41	अब्बासपुर	0.800	5,416-00
42	पिथौरपुर	1.195	13,706-00
43	सुधरपुर	1.00	4,957-00
44	मडौरा महौरा	3.700	—
45	वसौधा	1.200	—
46	कमालपुर	2.200	—
47	चडौका	1.600	—
48	गुलौरी	1.200	—
	योग	81.485	6,43,206-50

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 120 पर ।)

संख्या 984-प्रोटोकाल-18(2)-79

प्रेषक,

श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 1979 ।

विषय :— संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार ।

प्रोटोकाल अनुभाग

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनतांत्रिक प्रणाली में संसद सदस्यों एवं विधान मंडल के सदस्यों का, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अपना एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है । अपने संसदीय कृत्यों के निर्वहन के लिए उन्हें बहुधा सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ता है । इसके अतिरिक्त लोकहित में उन्हें बहुधा शासन के विभिन्न सूत्रों से सूचनायें मांगनी होती हैं और वह इस संबंध में शासन के अधिकारियों से पत्र व्यवहार आदि भी करते हैं । अतएव, जन प्रतिनिधियों का पूर्ण एवं उचित सम्मान किया जाना चाहिए और इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि सरकारी अधिकारी उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हर सम्भव सहयोग प्रदान करें । जन प्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने एवं सम्मान प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन आदेशों के बावजूद उनका कहीं-कहीं पर कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है जिससे शासन को विषम (Embarrassing) स्थिति का सामना करना पड़ता है । भारत सरकार ने समय-समय पर जन प्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने के लिए अनुदेश जारी किये हैं और राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि संलग्नक में दिये हुए अनुदेशों के अनुसार संसद सदस्यों एवं विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्यता बरती जाय तथा सार्वजनिक अवसरों एवं अन्य अवसरों पर उक्त अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय । यह अनुदेश समय-समय पर शासन द्वारा निकाले गये अन्य आदेशों के अतिरिक्त हैं ।

2—कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अनुदेशों एवं अन्य अनुदेशों का समुचित पालन आपके एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है । साथ ही उन अनुदेशों को अपने कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की जानकारी में भी कृपया ला दें ताकि इस सम्बन्ध में कोई ढिलाई न हो । इस सम्बन्ध में की गई किसी भी ढिलाई को शासन द्वारा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिया जायगा और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,
दिलीप कुमार भट्टाचार्य,
मुख्य सचिव ।

संख्या 984 (1) प्रोटोकाल-18(2)-79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जानकारी में इन अनुदेशों को ला दें तथा इस बात को सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इन अनुदेशों का पालन कड़ाई से किया जाता है :—

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2—समस्त जिलाधिकारी ।

3—जिलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी ।

4—समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों के निजी सचिव ।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त

चन्द्र हास सिंह,

संयुक्त सचिव एवं प्रोटोकाल अधिकारी ।

विधान सभा सचिवालय

प्रशासन एवं संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बीच व्यवहार के सम्बन्ध में अनुदेश

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सदस्यों एवं विधान मण्डल के सदस्यों का जनता के मान्य प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें अपने संसदीय एवं सम्बद्ध सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में संविधान के अधीन महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। बहुदा उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के मन्त्रालयों/विभागों से सूचना मांगने या उनके विचारार्थ सुझाव देने या सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिये अनुरोध करने की भी आवश्यकता होती है इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच क्या सम्बन्ध हों, इस विषय में कतिपय पूर्णरूप से मान्यता प्राप्त सिद्धान्त एवं परम्परायें पहले ही निश्चित हो चुकी हैं। तथापि, स्थिति की समीक्षा करने पर यह आवश्यक समझा गया कि उन सिद्धान्तों और प्रथाओं को पुनः दोहराया जाय और कुछ और विस्तार से बताया जाय जो संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धों के बारे में लागू होने चाहिये। इस सम्बन्ध में अनुदेश आवर्ती पैराग्राफों में दिये गये हैं--

2—इस विषय में जिन दो मूल सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिये वे ये हैं कि—

(1) सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिये तथा उनके प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करना चाहिये, तथा

(2) एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा कही गई बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और धैर्यपूर्वक उन्हें सुनना चाहिये, वहां दूसरी ओर उन्हें सदैव अपने विवेकपूर्ण निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिये।

3—प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयास होना चाहिये कि वह संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में यथासम्भव सहायता करें तथापि ऐसे मामलों में जहां कोई अधिकारी अपने को किसी सदस्य के अनुरोध या सुझाव को स्वीकार में असमर्थ पाता हो, वहां उस अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से माननीय सदस्य को शिष्टतापूर्वक अवगत करा देना चाहिये।

4—इस बात का अहसास किया जाता है कि बहुत से अधिकारियों के सार्वजनिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व बहुत अधिक होते हैं। प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिये उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने दैनिक कार्य की एक रूपरेखा बनायें और उसके अनुसार चलें। साथ ही साथ अधिकारी इस बात के लिये स्वतन्त्र हों कि वह कुछ ऐसा समय निकाल सकें जिसमें वह अपने को अशिष्टता, समुचित आदर न प्रदर्शित करने आदि का दोषी समझे बिना आगन्तुकों से मिलने से इन्कार कर सकें। तथापि अधिकारी को

प्रतिदिन कुछ ऐसा समय निकालना चाहिये जिसमें कोई भी व्यक्ति उससे मिल सके। ऐसे समय में, या कार्यालय के अन्य समय में, जिसमें आगन्तुक उससे मिल सकते हों उसे संसद सदस्य अथवा विधान मंडल के सदस्य को प्राथमिकता देनी चाहिये, सिवाय उस दशा के जब कोई आगन्तुक पूर्व समय निर्धारित करके आया हो और संसद सदस्य अथवा विधान मंडल का सदस्य बिना समय निर्धारित किये आये हों। ऐसी दशा में उस अधिकारी को चाहिये कि पहले से समय निश्चित कर आये हुए आगन्तुक से मिलने के तुरन्त पश्चात् संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य से मिलें। संसद सदस्य या विधान मण्डल के सदस्य या इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित समय पर मिलने में किये गये किसी भी परिवर्तन से माननीय सदस्य को तुरन्त ही अवगत करा देना चाहिए जिससे कि उन्हें कम से कम असुविधा हो और उनसे परामर्श करके फिर से मिलने का समय निश्चित किया जाना चाहिये।

5—जब कोई संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य किसी अधिकारीसे मिलने आये, तो उस अधिकारी को चाहिये कि वह खड़े होकर उसका स्वागत करें तथा चलते समय उसे खड़े होकर विदा करें। छोटी-छोटी सद्भावनाओं का प्रतीकात्मक महत्व होता है। इसलिए संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के प्रति व्यवहार करने में अधिकारियों को अत्यन्त सावधानी से उचित शिष्टता बरतनी चाहिए।

6—इसी प्रकार से, सार्वजनिक समारोहों के प्रत्येक अवसर पर बैठने की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में किसी गलतफहमी के लिये कोई गुञ्जाइश न रह जाय। संसद सदस्यों का स्थान राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित पूर्वताधिपत्र (वारन्ट आफ प्रिसीडेन्स) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उक्त अधिपत्र के अनुच्छेद-30 में संसद सदस्यों का स्थान भारत सरकार के सचिवों और उनके समकक्ष केन्द्रीय अधिकारियों इत्यादि के ऊपर है। पूर्वताधिपत्र (वारंट आफ प्रिसीडेन्स) के साथ संलग्न अनुदेशों में यह भी दिया गया है कि जब संसद सदस्यों को बड़े राजकीय समारोहों में सामूहिक रूप से आमन्त्रित किया जाय तो उनके बैठने का स्थान राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष, राजदूतों आदि के ठीक बाद आरक्षित किया जाना चाहिए। इन अनुदेशों में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य विधान मंडलों के जो सदस्य दिल्ली में होने के कारण राजकीय समारोहों में आमन्त्रित किये जायें उनके बैठने का स्थान संसद सदस्यों के ठीक बाद में होना चाहिए। विलम्ब से आने वाले संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्य को कोई असुविधा न हो, इसके लिये उनके लिये सामूहिक रूप से आरक्षित स्थानों को, समारोह के अन्य तक खाली रखा जाना चाहिये और उन पर अन्य व्यक्तियों को बैठने नहीं दिया जाना चाहिये, भले ही वे खाली क्यों न हों। सदस्यों के लिये जिन स्थानों की व्यवस्था की जाय उन्हें कम से कम उतनी ही आरामदेह तथा प्रमुख स्थान पर होनी चाहिये जैसा कि वे अधिकारियों के लिए हों।

7—संसद सदस्यों और विधान मंडल के सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति तत्परता से स्वीकार की जानी चाहिये। ऐसे सभी पत्रों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये और उचित स्तर से और शीघ्रतापूर्वक उनका उत्तर दिया जाना चाहिये। अधिकारियों को चाहिये कि संसद सदस्य और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर स्थानीय महत्व के मामलों

से सम्बन्धित ऐसी सूचना और आंकड़े जो सुगमतापूर्वक उपलब्ध हों और गोपनीय न हों, उन्हें दे दें। संदेहजनक मामलों में अनुरोध अस्वीकार करने से पूर्व उच्चतर अधिकारियों से अनुदेश प्राप्त किये जाने चाहिये।

8—जहां संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के प्रति सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित अनुदेशों के अनुसार विनियमित होना चाहिये वहां यह भी अपेक्षित है कि सरकारी कर्मचारियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया जाय कि सेवा शर्तों से सम्बन्धित उनकी व्यक्तिगत शिकायतों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से उनसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। सरकारी कर्मचारी, संगत आचरण नियमावली (कान्डक्ट रूल्स) से शासित होते हैं। उनके अन्तर्गत उन्हें इस बात का निषेध है कि वे सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों में, अपने हितों के लिये, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर राजनैतिक या किसी अन्य प्रकार का दबाव डालें। इसलिये किसी भी सरकारी कर्मचारी से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत मामले में समर्थन प्राप्त करने के लिये किसी संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के पास पहुँचा करें।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1202 पर।)

इलाका डिवीजन

फारख्ती

नाम ठेकेदार—श्री उदय बहादुर सिंह पुत्र श्री देवी बख्श सिंह की क्षत्रिय साकिन—गौरा डाकखाना—गौरा जिला उन्नाव वजरिये फारख्ती हाजा मैं लिख देता हूँ कि आज की तारीख तक जिस कदर काम मैंने सब डिवीजन हाजा में किये है उनका भुगतान जो सरकार से मुझको वाजबी अदा था, दाम-दाम वसूल पाया। अब कुछ बाकी नहीं रहा जो काम अभी खतम नहीं हुए है बल्कि जारी है, और जिनका रुपया मुझको वे वजह वामुकमल होने के हनोज नहीं मिल सकता। उनकी फेहरिस्त पुश्त फारख्ती हाजा पर मुकम्मल दर्ज है। उनका रुपया वाद ईख्तताम काम मजकूरा फेहरिस्त के सरकार से ले लूँगा। इनके अलावा अगर किसी काम के बावत सरकार से वादा करूँ तो वह गैर कानूनी होगा। और खारिज किया जाय। लिहाजा यह चन्द कल्मा बतौर फारख्ती लिख दिये कि सबूत रहे और वक्त जरूरत काम आये।

हस्ताक्षर—ठेकेदार
उदय बहादुर सिंह

गवाह नाम—राम औतार
पुत्र—श्री रामपाल यादव
पता—ढकौली, डा० एहार, जिला—रायबरेली
ह०/—अपठनीय, एस०डी०सी०
31-3-80

साहब इलाका
ह०/—अपठनीय
31-3-80

श्री अवस्थी—
फारख्ती पूर्ण करें तथा फाइल करें।
ह०/—अपठनीय।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1203 पर ।)

इलाका डिवीजन

फारख्ती

नाम ठेकेदार – श्री उदय बहादुर सिंह पुत्र श्री देवी बख्श सिंह क्षत्रिय साकिन—गौरा डाकखाना – गौरा जिला उन्नाव बजरिये फारख्ती हाजा मैं लिख देता हूँ कि आज की तारीख तक जिस कदर काम मैंने सब डिवीजन हाजा में किये हैं उनका भुगतान जो सरकार से मुझको वाजबी अदा था, दाम-दाम वसूल पाया । अब कुछ बाकी नहीं रहा जो काम अभी खतम नहीं हुए है बल्कि जारी है, और जिनका रुपया मुझको वे वजह वामुकमल होने के हनोज नहीं मिल सकता । उनकी फेहरिस्त पुश्त फारख्ती हाजा पर मुकम्मल दर्ज है । उनका रूपया वाद ईख्तताम काम मजकूरा फेहरिस्त के सरकार से ले लूंगा । इनके अलावा अगर किसी काम के बावत सरकार से वादा करूँ तो वह गैर कानूनी होगा । और खारिज किया जाय । लिहाजा यह चन्द कल्मा बतौर फारख्ती लिख दिये कि सबूत रहे और वक्त जरूरत काम आये ।

हस्ताक्षर—ठेकेदार
उदय बहादुर सिंह

गवाह नाम—राम औतार
पुत्र—श्री रामपाल यादव
पता—ढकौली, डा० एहार, जिला—रायबरेली
ह०/–अपठनीय, एस०डी०सी०
31-3-80

साहब इलाका
ह०/–अपठनीय
31-3-80

श्री अवस्थी—
फारख्ती पूर्ण करें तथा फाइल करें ।
ह०/–अपठनीय ।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1213 पर ।)

(1) प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ द्वारा शिक्षा विभाग के किसी भी अधिनियम, विनियम, नियमावली शिक्षा सहिता आदि के प्राविधानों का पालन न किया जाना ।

(2) विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा 20 वर्षों की आडिट आपत्तियों का समाधान न किया जाना ।

(3) विद्यालय में वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक बिना कोटेशन प्राप्त किये खाद्यान्न, दूध व सब्जी आदि क्रय किया जाना ।

(4) विद्यालय के छात्रावास की संख्या एवं कक्षावार छात्रों की संख्या में पर्याप्त अन्तर होना ।

(5) स्टोर के सामान का भौतिक सत्यापन न किया जाना ।

(6) जून 1982 में रु 12,500 की लागत से विद्यालय में ड्रमाटरी का निर्माण बिना निविदा प्राप्त किये कराया जाना और मजदूरों व कारीगरों को कार्य पर लगाए गए मजदूरों व कारीगरों की वास्तविक संख्या से अधिक दिखाकर पर्याप्त धनराशि का गबन कर लिया जाना ।

(7) छात्रों के लिये क्रय किए गये सामानों का कभी भी निरीक्षण एवं सत्यापन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा न किया जाना ।

(8) उपर्युक्त कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति श्री बृजेन्द सिंह स्टोर कीपर जो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है और जिसने अपने नेतृत्व में ठाकुरगंज क्षेत्र में गुण्डों का एक गिरोह बना रखा है विद्यालय में प्रबन्धकों, अध्यापकों एवं छात्रों को आतंकित किये रहना तथा विद्यालय में शस्त्रास्त्र से लैस होकर आना ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1216 पर।)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत नलकूपों की संख्या	वर्ष 1978-79 से वर्ष 1980-81 तक डी० पी० ए० पी० में स्वीकृत नलकूपों सहित लगाए गए नलकूपों की संख्या			वर्ष 1982-83 में स्वीकृत नलकूपों की संख्या
			वर्ष 1978-79	वर्ष 1979-80	वर्ष 1980-81	
1	झांसी	20	1	....	1	11
2	ललितपुर	5	....	....	...	....
3	जालौन	50	25	58	68	6
4	हमीरपुर	50	52	54	35	10
5	बांदा	77	26	45	72	25
	योग	202	104	157	176	52

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1224 पर।

क्रमांक	ग्राम का नाम	नाम कृषकगण	फील्ड	रकबा(हे.में)
1	शिबराजपुर	शम्भुपुत्र आदित ग्रामवासी रंगडीह	268	0.056
		उमाशंकर पुत्र गुरुसेवक सा. रंगडीह	269	0.004
		ढिल्ह पुत्र सतई स्थानिय	265	0.208
		रामप्रताप पुत्र पाँच स्थानिय	77	0.048
		रामराज पुत्र रामनाथ स्थानिय	78	0.046
		मधई पुत्र विन्दर स्थानिय	76	0.118
		केरु पुत्र झिगई स्थानिय	74	0.072
		घमंडी पुत्र खला स्थानिय	73	0.073
		विपति पुत्र गिरधारी सा. रंगडीह	72	0.008
		रामलाल पुत्र झिगई स्थानिय	55	0.048
		रामराज पुत्र झिगई सा. रंगडीह	53	0.036
		जयराम पुत्र गोखुल स्थानिय	56	0.050
		श्यामनारायण पुत्र शीतल	59	0.028
		जगन्नाथ पुत्र सन्तु सा. रंगडीह	58	0.176
			योग	0.970
2	पारा	भरत पुत्र झगरु स्थानिय	176	0.003
		श्रीमती हरदेई बेवा नगई स्थानिय	177	0.014
		रामरतन पुत्र झगरु स्थानिय	178	0.014
		मोतीलाल पुत्र झगरु स्थानिय	179	0.012
		रामचरन पुत्र तहेदिल सा. रंगडीह	172	0.001
		बाबूराम पुत्र सहती सा. रंगडीह	174	0.016
		मेढ पुत्र फेरु सा. रंगडीह	181	0.100
		रामबलि पुत्र हरीमन	123	0.002
		गुरजन पुत्र छंटकी सा. रंगडीह	124	0.106
		श्याम पथ पुत्र सोमारु सा. रंगडीह	125	0.016
		खरवत्तु पुत्र नग सा. रंगडीह	126	0.012
		खरबन्तु पुत्र छटंकी सा. रंगडीह	119	0.184
		त्रिलोकी पुत्र रामधारी सा रंगडीह	204	0.014
		पलकधारी पुत्र रमगू सा. रंगडीह	206	0.200
		भुनश्वेर पुत्र निभा सा. रंगडीह	212	0.018
		द्वारिका पुत्र हरीगन सा. रंगडीह	213	0.050

उत्तर प्रदेश सभा

	जयत पुत्र शीतल स्थानिय	214	0.040
	मिठाईलाल हरीमन	218	0.004
	गुरुजन पुत्र छंटकी सा. रंगडीह	219	0.096
	श्रीमती बलवन्ती बेबा बली सा. रंगडीह	220	0.020
	मेवालाल पुत्र हरीगन ग्राम रंगडीह	221	0.044
पारा	कवलेश्वर पुत्र निशा ग्राम रंगडीह	239	0.010
	फिरुतु पुत्र लबट ग्राम रंगडीह	236	0.040
	पलकधारी पुत्र रामसरन, रामसिगार दलसिगार,त्रिलोकी पुत्र गण रामधारी निवासी, रंगडीह ।	235	0.072
	रामसिगार पुत्र रामधारी निवासी रंगडीह ।	234	0.016
	सिरजन पुत्र शिवराम निवासी ग्राम रंगडीह	233	0.040
	अरविन्द किशोर पुत्र हरकुंवर प्रसाद निवासी ग्राम रंगडीह ।	233	0.040
	" " " "	504	0.140
	दुरजन पुत्र खुरमर निवासी	503	0.028
	कवलेश्वर पुत्र पिरन्ती निवासी ग्राम	508	0.056
	विखारी पुत्र रामदीन निवासी ग्राम	489	0.080
	रामराज पुत्र रघुबीर निवासी ग्राम	497	0.012
	दुवखी पुत्र झूरी निवासी ग्राम	496	0.060
	श्रीमती मूरत पत्नी सहती निवासी ग्राम	470	0.020
	नन्दलाल पुत्र सहाई निवासी ग्राम	469	0.080
	" "	475	0.008
	लखन पुत्र फागू स्थानिय	480	0.120
	अब्दुल हमीद पुत्र मुहम्मद निवासी ग्राम	701	0.096
	बलराज दिलराज पुत्रगण मुनेश्वर निवासी ग्राम	699	0.048
	उमाशंकर पुत्र गुरु सेवक निवासी रंगडीह	624	0.048
	झिनक पुत्र भग्गू निवासी ग्राम	630	0.032
	लालसा पुत्र झपसी निवासी ग्राम	629	0.040
	रघुनाथ पुत्र धनेश्वर निवासी ग्राम	631	0.016
	सन्तलाल पुत्र धनेश्वर ग्राम निवासी	632	0.056
	जयगुन पुत्र धनेश्वर निवासी ग्राम	633	0.060
	" " " "	634	0.012

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	अवध पुत्र शिवराज निवासी ग्राम	676	0.004
	रामपति पुत्र विश्वम्भर निवासी ग्राम	675	0.120
	बदरुद्दीन पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी ग्राम	674	0.004
	मुहम्मद हसन पुत्र उसमान निवासी ग्राम	653	0.080
	इमामन पुत्र निवासी ग्राम	673	0.048
	अली रज्जा पुत्र अमीन निवासी ग्राम	672	0.108
	लक्खन पुत्र फागू निवासी ग्राम	657	0.056
	फज्जुलद्दीन पुत्र अब्दुल	659	0.020
	अलीहसन पुत्र असगर स्थानीय	761	0.382
	जीत पुत्र रमेश्वर स्थानीय	762	0,008
	शफी पुत्र रहमत स्थानीय	772	0.052
	सीताराम पुत्र भगवान प्रसाद आदि स्थानीय	773	0.040
	वकील पुत्र बरकत स्थानीय	774	0.002
		योग मानपुरा	3.210
3—टिउखार	बरसाती पुत्र गौसन सा० स्थानीय	128	0.032
	तपई पुत्र किशुन स्थानीय	127	0.024
	वकील पुत्र बर्कत सा० पारा	131	0.036
	सीताराम पुत्र जगनन्दन ग्राम निवासी	129	0.017
	हरीलाल पुत्र रामप्रसाद व शिवप्रसाद पुत्रगण गिरधारी ग्राम निवासी	130	0.176
	राजपत पुत्र जगनन्दन ग्राम निवासी	141	0.010
	शीतला प्रसाद पुत्र मनबहाल ग्राम निवासी	137	0.146
	सहदेव पुत्र शिवनाथ ग्राम निवासी	138	0.100
	भरथ राम पुत्र जगनन्दन ग्राम निवासी	139	0.004
	सहदेव पुत्र भृगुनाथ ग्राम निवासी	274	0.216
	रामसूरत पुत्र रामनरेश ग्राम वासी	279	0.164
	श्रीमती शहबराजी स्त्री लालता ग्राम निवासी	269	0.024
	लालता पुत्र भगवती ग्राम निवासी	270	0.068
	श्रीधर रामनरेश ग्राम निवासी	280	0.002
	कामता पुत्र सरजू ग्राम निवासी	260	0.148
	कैलाश पुत्र राज ग्राम निवासी	261	0.180

उत्तर प्रदेश सरकार

	विक्रमा राजपत पुत्रगण रघुवीर ग्राम निवासी	259	0.120
	वासदेव पुत्र द्वारिका ग्राम निवासी	258	0.020
	रामकरन पुत्र रघुवीर ग्राम निवासी	377	0.128
	उदय नरायन पुत्र देवकरन ग्राम निवासी	378	0.008
	श्रीपत्र पुत्र देवकरन ग्राम वासी	379	0.002
	विन्देशरी पुत्र सुमेर ग्राम वासी	376	0.056
	पतिराम पुत्र रामकरन ग्राम निवासी	375	0.036
	चन्द्रदेव व जयराम पुत्रगण रामकरन ग्राम निवासी	371	0.005
	श्रीमती सतियाधिवा सल्टू ग्राम निवासी	372	0.010
	टनकू पुत्र सुक्खू ग्राम निवासी	373	0.052
	झून्नू, सूर्यबली, निठोर्दिल, सबरन बोल्टनबन पुत्रगण सुक्खू ग्राम निवासी	374	0.014
	चन्द्रेज, चन्द्रभान पुत्रगण सुभग्या कल्पनाथ दत्तक पुत्र जानकी ग्राम निवासी	388	0.016
	योग ग्राम टिटखार		1.814
4 —तेजपुर सुल्तानपुर	चन्द्रेज, चन्द्रभान पुत्रगण सुभग्गा स्थानीय	321	0.080
	,, ,, ,, ,, ,,	324	0.220
	डनरू पुत्र जयकरन स्थानीय	375	0.015
	मितल पुत्र जयकरन सा० स्थानीय	374	0.039
	श्रीमती समरथी जाजे देवसरन निवासी ग्राम देवापुर तहसील सदर।	366	0.080
	मुन्नू पुत्र असदअली निवासी देवापुर	363	0.024
	वहीद पुत्र असदअली निवासी देवापुर	362	0.054
	योग तेजपुर सुल्तानपुर		.512

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1227 पर ।)

क्रमाँक	कृषक का नाम	रकबा	प्रतिकर की धनराशि
	सर्व श्री—		
1	अजीज खां पुत्र नामदार खां	0.308	933.06
2	कल्लू पुत्र छेदा	0.220	583.85
3	विम्मन पुत्र देवीदीन	3.135	9497.18
4	नबीबक्श पुत्र देबीदीन	0.556	1666.19
5	बुद्धू पुत्र इतवारी	0.200	605.91
6	बिहारी पुत्र वाले	0.257	778.58
7	बेनी पुत्र गग्गू	0.040	121.19
8	बाबू पुत्र बद्री	0.129	390.81
9	बलई पुत्र लालता	0.200	605.91
10	भुस्सन पुत्र इतवारी	0.257	778.57
11	मु० मुरादा बेवा मुहब्बत	0.456	138.44
12	मुहम्मद नईम पुत्र जियाउल्ला	3.283	9945.51
13	मुहम्मद युसूफ पुत्र जियाउल्ला	0.050	132.70
14	मदरता मिसवाहून उलूम	0.055	166.63
15	मथुरा प्रसाद पुत्र महावीर	2.805	2832.49
16	सहदेव प्रसाद पुत्र महाबीर	2.805	2832.49
17	लक्ष्मी प्रसाद पुत्र महावीर	2.805	2832.50
18	मजीद खाँ पुत्र नामदार खां	0.308	933.06
19	मुहम्मद अहमद पुत्र जियाउल्ला	12.600	38170.47
20	मून पुत्र मंगसे	0.180	477.70
21	मुनव्वर अली पुत्र बद्री	0.129	390.81
22	मासूम पुत्र ननकऊ	1.700	5150.00
23	रघुपति पुत्र सुखराज	1.292	3914.01
24	रामचरन पुत्र सुखराज	1.514	4203.37
25	रघुपति पुत्र सुखराज	0.185	280.32
26	रामचरन पुत्र सुखराज	0.185	280.32
27	रहमत उल्ला पुत्र नामदार	0.196	593.78
28	राम सूरत पुत्र बलिहारी	0.010	226.55
29	रामेश्वर प्रसाद पुत्र सहदेव प्रसाद	5.556	15332.38

30	लक्ष्मन पुत्र देबीदीन	0.563	1696.49
31	मु० लगना बेवा बुधई	0.327	990.63
32	शमशेर पुत्र नामदार	0.309	936.11
33	सन्तराम पुत्र हरजू	1.686	4474.24
34	सुखराज पुत्र मोहित	0.946	2559.29
35	हबीब खां पुत्र नामदार खां	0.308	933.06
36	रामरूप पुत्र गरीब	0.167	443.18
37	सांवली पुत्र श्री राम	0.522	1501.75
38	सैलाबी पुत्र दुखन्ती	0.700	1857.66
39	सिराजुददीन पुत्र अब्दुल गनी	0.695	2106.46
40	ननकऊ पुत्र नामदार	0.196	593.78
41	गोबरे पुत्र बुदधू	1.530	4060.28
42	खेलावन पुत्र मोती	3.128	9475.98
43	चम्मन पुत्र देबीदीन	0.020	10.10
44	लक्ष्मन पुत्र देबीदीन	0.020	10.10
45	नबी वक्स पुत्र देबीदीन	0.020	10.11
46	हासिम पुत्र नसकऊ	0.020	15.15
47	मासूम पुत्र ननकऊ	0.020	15.16
48	झब्बर पुत्र मोती	3.400	10299.97
49	झुर्रा पुत्र इतवारी	0.257	778.57
50	ढोढ़े पुत्र इतवारी	0.257	778.57
51	श्रीमती तबियत अकबाल स्त्री साहिबर हुसैन	421.20	12481.14
52	बाबू राम पुत्र बलदेव	0.696	2108.47
53	अजीज खां पुत्र नामदार	1.035	522.57
54	मजीद खां पुत्र नामदार	1.035	522.57
55	शमशेर खां पुत्र नामदार	1.035	522.57
56	ननकऊ खां पुत्र नामदार	1.035	522.57
57	हबीब खां पुत्र नामदार	1.035	522.57
58	रहमत उल्ला खां पुत्र नामदार	1.035	522.58
59	अब्दुल करीम पुत्र हीजा जियाउल्लाह	3.714	11251.21
60	औतार पुत्र मंगरे	1.680	1486.10
61	मून पुत्र मंगरे	1.680	1486.10
62	कामता पुत्र मंगरे	1.680	1486.11
63	जलील खां पुत्र सकूर खां	0.480	148.39

64	धुलई पुत्र बलिहारी	0.015	39.82
65	अब्दुल बारी पुत्र जियाउल्लाह	3.133	9491.13
	योग	65.515	1,93,830.14

उत्तर प्रदेश विधान सभा